खण्ड–12, अंक–4
सोमवार, 27 पौष, शक संवत् 1926
(17 जनवरी, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2005)

(खण्ड 12 में 07 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

मूल्य :–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	6
दिनांक 16-01-2005 को (अल्मोड़ा) रानीखेत में कैदियों द्वारा सिपाहियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	1-2
राजधानी निर्माण के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से दिये गये बयान के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	2
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई अन्य सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	3
प्रश्नोत्तर	3-127
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 के पारण के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	127-129
जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कोट कण्डारा क्षेत्र में जैंटी गांव में मवेशियों की अज्ञात बीमारी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की पौ गांव पम्पिंग पेयजल योजना के पुनर्गठन में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
दिनांक 16-11-2004 को जनपद पिथौरागढ़ तहसील डीडीहाट के ग्राम तिलाढी, चौबाटी में भालू के द्वारा श्रीमती आनन्दी देवी पर हमला करने एवं भालू के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में वर्षों पूर्व निर्मित पेयजल योजना का पुनर्गठन/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में अतिवृष्टि/भू-स्खलन से हुई जनसम्पत्ति के नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय ऋषिकुल, राजकीय आयुर्वेद एवं गुरुकुल राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में प्राध्यापकों को उपप्राचार्य के पदों पर की गई प्रोन्नति में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
अन्य पिछड़ा वर्ग के विशिष्ट बी०टी०सी० के पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
वर्ष 2003 के विधान सभा के तृतीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	132

विषय	पृष्ठ संख्या
वर्ष 2004 के विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर हुयी कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) –	133
वर्ष 2003–2004 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन–(सदन के पटल पर रखा गया) –	133
लोकायुक्त उत्तरांचल का दिनांक 24–10–2002 से 31–12–2003 तक का प्रतिवेदन–(सदन के पटल पर रखा गया) –	133
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल केपार्स का उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – – –	133
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल कठैती के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – – –	133
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली के बूढ़ाकेदार में 50 वर्ष पूर्व विश्राम गृह (भवन) की जीर्णशीर्ण स्थिति के नव निर्माण के सम्बन्ध में याचिका– (उपस्थित की गई) –	134
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल दोणी के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – –	134
जनपद चमोली के गोपेश्वर सिपल–स्यूण–बैमरू–क्रिमाणा–पल्ला–उर्गम मोटर मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) –	134
जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनला के उच्चीकरण सम्बन्धी याचिका–(उपस्थित की गई) –	134
जनपद चमोली के राजकीय उच्चतर मा0 विद्यालय कोट कन्धारा के उच्चीकरण सम्बन्धी याचिका–(उपस्थित की गई) –	135
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में जूनियर हाईस्कूल महत गांव का उच्चीकरण कर हाईस्कूल किए जाने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – –	135
जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व स्वीकृत बकौटी–कोटबोरा गांव मोटर मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) –	135
जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिर्मी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) –	135
जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐराकी की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) –	135
जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीकोट (चिन्यालीसौड़) में गणित व भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – –	136
जनपद उत्तरकाशी द्वारा बयाण गांव उत्तरकाशी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) –	136

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध तीर्थस्थल मदमहेश्वर में मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गई) —	136
जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी बाजार से विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण, नाली निर्माण एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गई) —	136
जनपद नैनीताल के बलिया नाले के किनारे बसे गाँवों एवं समीप क्षेत्रों के भू-कटान को रोकने के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गई) — — —	136
जनपद नैनीताल में जलागम परियोजना ज्योलीकोट के निकट भू-कटाव एवं गाँव के मध्य बरसाती नाले का नियंत्रण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गई) —	137
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल निवालगाँव के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गई) — —	137
उद्घाटनों के शिलापट्ट में स्थानीय विधायक का नाम अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना —	137–140
एस०डी०एम० रुड़की तथा मण्डी समिति के सचिव के विरुद्ध श्री तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना — — —	140–147
उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005-पुरःस्थापित	147
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव-(स्वीकृत) —	148–153
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं — —	153–164
हरिद्वार में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज एवं पथराव की घटना पर जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न — — —	164–165
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के अनुमोदन का संकल्प तथा (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004-(पारित) — —	166–172
कार्यसूची की मद संख्या 38 के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय — —	172–173
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005-(पारित) — — —	173–177
बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005-(पारित) — —	177–180
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005-(पारित) — —	180–184

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005–(पारित) — — —	184–196
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005–(पारित) — —	197–211
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005–(पारित) — — —	211–216
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (चर्चा जारी) —	216–230
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं — —	230
पिथौरागढ़ के आश्रम पद्धति विद्यालय बलुवाकोट के निर्माणाधीन भवन के सामग्री की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में श्री गगन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज मंत्री का वक्तव्य — —	231
जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत, द्वाराहाट, स्याल्दे, ताकुला, भिकियासैंण विकास खण्डों में जंगली सुअर के आतंक से फसल को नुकसान पहुंचाने व घायल करने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य — —	232
नत्थियाँ — — —	233–270

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्री अरविन्द पाण्डे
5. श्रीमती आशा देवी
6. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह माजिला
8. श्री काशी सिंह ऐरी
9. " किशोर उपाध्याय
10. " कैलाश शर्मा
11. " कौल दास
12. " गगन सिंह
13. " गोपाल सिंह राणा
14. " गोविन्द लाल
15. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
16. " चन्द्रशेखर
17. " जोत सिंह गुनसोला
18. " तसलीम अहमद
19. " तिलक राज बेहड़
20. " तेजपाल सिंह रावत
21. " दिनेश अग्रवाल
22. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23. " नव प्रभात
24. " नारायण पाल
25. " नारायण राम आर्य
26. " नारायण सिंह जंतवाल
27. काजी निजामुद्दीन
28. श्री प्रकाश पंत
29. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. " प्रीतम सिंह
32. " प्रीतम सिंह पंवार
33. श्री प्रेमानन्द महाजन
34. " पुष्पेश त्रिपाठी
35. " फूल सिंह बिष्ट
36. " बलवीर सिंह नेगी
37. " विजयपाल सिंह सजवाण
38. " बिशन सिंह चुफाल
39. " भगत सिंह कोश्यारी
40. " मदन कौशिक
41. " महेन्द्र भट्ट
42. " महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
43. " मातबर सिंह
44. " माल चन्द
45. चौ० यशवीर सिंह
46. श्री रणजीत सिंह
47. " रसील वैलेन्टाइन गार्डनर
48. " राम प्रसाद टम्टा
49. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50. श्री शूरवीर सिंह
51. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52. श्री शहजाद
53. " साधू राम
54. " सुबोध उनियाल
55. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
57. " सुरेश चंद
58. " हरबंस कपूर
59. " हरभजन सिंह चीमा
60. " हरीदास
61. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
62. " हीरा सिंह बिष्ट
63. " हेमेश खर्कवाल
64. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 17 जनवरी, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

दिनांक 15-01-05 को (अल्मोड़ा) रानीखेत में कैदियों द्वारा सिपाहियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में तीन पुलिसकर्मियों को बहुत दर्दनाक तरीके से मारा गया, इससे गम्भीर और कोई मामला हो ही नहीं सकता। मान्यवर, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बयां करता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइए। महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह तात्कालिक मामला है। प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, यह कोई पहली घटना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जाइए। प्रश्नकाल होने दीजिए। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, आप उस समय अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें। (व्यवधान)

नोट- *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय, यह गम्भीर मामला है और तात्कालिक भी है। सरकार अपने पुलिसकर्मियों को नहीं बचा पा रही है तो आम जनता की रक्षा कैसे करेगी। यह उत्तरांचल की आम जनता के हित का मामला है। मेरा अनुरोध है कि यदि आप इसे नियम 311 में नहीं सुन रहे हैं तो इसे नियम 58 के अन्तर्गत सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

इसे हम देख लेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय, हमें स्पष्ट आश्वासन चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं नियम 58 में सुन लूँगा।

राजधानी निर्माण के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गये बयान के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय, इसमें आपने नियम 58 में सुनने की अनुमति दे दी यह तो ठीक है, लेकिन हमारी सूचना नियम 311 के अन्तर्गत राजधानी निर्माण से है। माननीय, पूरे प्रदेश की जनता आन्दोलित है और इसका कोई अता-पता नहीं है। एक कबीना मंत्री सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि राजधानी फलां जगह पर होनी चाहिए, इससे ज्यादा भ्रम की स्थिति क्या होगी, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए। इसलिए नियम 311 में प्रश्न लगाया है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण राजधानी चयन आयोग के विचाराधीन है। अतः इस पर चर्चा करायी जानी उचित नहीं है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय, नियम 58 में ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जी नहीं, आप कृपया बैठ जायें।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई अन्य सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत तीसरी सूचना मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री सुरेश चन्द तथा श्री चन्द्र शेखर ने दी है जो जनपद हरिद्वार में चालकों के विपरीत चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह विषय भी राज्यपाल अभिभाषण में चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। मा0 सदस्य अभिभाषण के समय इस सम्बन्ध में अपनी पूरी बात कह सकते हैं। मैं इसे नियम 311 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। नियम 311 के अन्तर्गत चौथी सूचना मा0 सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरीदास, श्री नारायण पाल, श्री तसलीम अहमद, काजी निजामुद्दीन, चौ0 यशवीर सिंह तथा मौ0 शहजाद की है जो जनपद ऊधमसिंह नगर में बंगाली समुदाय के नमः शूद्र, पोन्ड्रा या पोद, माझी आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है। मा0 सदस्य इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव या संकल्प द्वारा इस सूचना को उठा सकते हैं। मैं इसे नियम 311 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य पुलिस में सेवारत भूतपूर्व सैनिकों की सेवा विस्तार तथा नियमितीकरण

**1. श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य पुलिस में सेवारत सेना के पूर्व सैनिकों की सेवा विस्तार तथा नियमित करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

प्रकरण में गुण–अवगुण पर विचार किया जा रहा है।

यथासमय।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रु0 3050/– के नियत वेतनमान पर 24 घण्टे सेवा करने वाले इन कर्मियों के लिए

सेवाकाल में कोई विचार किया है? मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यदि आज आम पुलिस कर्मी का जीवन असुरक्षित हो रहा है तो क्या इन पुलिस कर्मियों के लिए जीवन बीमा का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या इनके नियमितीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)-

मान्यवर, सेवा के घण्टे और जीवन बीमा के सम्बन्ध में प्रश्न में उपस्थित नहीं होता है और जहाँ तक नियमित करने का सवाल है तो स्पष्ट जवाब आ चुका है कि प्रकरण में विचार किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, आपने कहा कि सेवा के घण्टे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। मान्यवर, प्रश्न में है कि राज्य पुलिस में सेवारत सेना के पूर्व सैनिकों की सेवा विस्तार तथा नियमित करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है। तो मैंने कहा कि 24 घण्टे कार्य कर रहे हैं, इन्होंने जो सेवा की है, उस सेवा को देखते हुए इनकी सेवाकाल में सरकार कोई निर्णय ले रही है?

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, स्पष्ट जवाब दे दिया कि प्रकरण पर विचार हो रहा है, हमें इनके संगठन की तरफ से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार की नीति से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक हमारे राज्य के एक महत्वपूर्ण अंग हैं मान्यवर, उनको संविदा पर रखा गया था, इस बारे में महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों के सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। इस पर विचार चल रहा है हम कोई बहुत अच्छी व्यवस्था उनके लिए करना चाहते हैं जिससे कि उनको अपनी सेवा के बारे में भ्रम न रहे। इसके लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, कब तक कर रही है?

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, शीघ्र ही इसके बारे में अन्य राज्यों से सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि प्रकरण में गुण-अवगुण पर विचार किया जा रहा है। मान्यवर,

इसे कौन कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन हैं और सदस्य कौन हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसको शासन का गृह विभाग कर रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि जो भूतपूर्व सैनिक पुलिस सेवा में नियोजित किये गये हैं उनकी सेवा व्यवस्था के बारे में, आगे नियमित किये जाने के बारे में विचार चल रहा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए समय–समय पर निर्देश आते हैं। मान्यवर, जो भूतपूर्व सैनिक हमारी पुलिस सेवा में नियोजित किये गये हैं और जिनकी आयु सीमा उनकी नियमित सेवा योग्य है, क्या उन सबको नियमित नियुक्ति दिये जाने पर विचार करेंगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उनको संविदा पर लिया गया है, मान्यवर, इस हेतु हमारा सैनिक कल्याण परिषद् भी है। जहाँ तक नियमित किये जाने की बात है उस पर विचार विमर्श आवश्यक है, वह किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुण–अवगुण पर किस श्रेणी में बांटा गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सर्विस कन्डीशन रूल्स के आधार पर।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, जो पूर्व सैनिक स्थायी रूप से काम कर रहे हैं उन्होंने जो सैन्य काल में सेवा की है उसके आधार पर उनकी वरिष्ठता को मान्यता दी जायेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो अन्य प्रदेशों में व्यवस्था है उसके अनुसार करेंगे।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

1 अप्रैल, 2004 से 30 नवम्बर, 2004 के मध्य राज्य की आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि

*1 श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 01 अप्रैल, 2004 से 30 नवम्बर, 2004 के मध्य राज्य की आकस्मिकता निधि से कितनी धनराशि किस प्रयोजन हेतु आहरित की गई है?

क्या उक्त धनराशि की व्ययित मदों का प्राविधान आय–व्ययक 2004–05 में किया गया था?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 30 नवम्बर, 2004 के मध्य राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रु० 7,81,10,006 (सात करोड़ इक्यासी लाख दस हजार छः मात्र) की धनराशि आहरित की गयी है। राज्य आकस्मिकता निधि से आहरण का प्रयोजन तथा धनराशि का विवरण अनुलग्नक पर है।

जी नहीं।

व्यय अप्रत्याशित होने के कारण इनके लिये आय–व्ययक में प्राविधान कराया जाना सम्भव नहीं था।

(नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 253 पर)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आकस्मिकता निधि का उत्तरांचल राज्य में प्रयोग हो रहा है यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सी०ए०जी० की जो रिपोर्ट आई उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। मान्यवर, सी०ए०जी० की रिपोर्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों के बाद भी इस पर रोक नहीं लगायी गयी। इसमें जो बिन्दु हमारे सम्मुख आये, 14 प्रयोजनों के लिए आकस्मिकता निधि से धन निकाला गया। 14 प्रयोजनों में से 8 प्रयोजन तो ऐसे हैं जिनके लिए आकस्मिकता निधि की उपयोगिता प्रमाणित नहीं होती। भूमि सुधार परिषद् अधिष्ठान व्यय, मा० मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष, मान्यवर, यह दो बार निकाला गया, कुल

5 करोड़ 60 लाख रुपये। इसी प्रकार से जो अन्य मदें हैं उनके बारे में भी सरकार के पास क्या कोई अवसर उपलब्ध नहीं था? बजट हमारे सम्मुख आया, अनुपूरक मांगें भी पेश की गयीं। उसमें इन मदों का प्राविधान क्यों नहीं किया गया? मान्यवर, इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आकस्मिकता निधि के सम्बन्ध में भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। मान्यवर, यदि अचानक कोई समस्या आ जाये जिस पर होने वाले व्यय का पूर्व में अनुमान न लगाया गया हो और जिसको किया जाना आवश्यक हो तो उसके लिए आकस्मिकता निधि से धन लिया जाता है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। मान्यवर, अनुपूरक मांगों के समय माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक मांगों पर जब चर्चा होगी तो सभी माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट जिसमें पिछली बार 74 लाख रुपये निकाले जाने पर आपत्तिजनक बताया गया है। ये 74 लाख रुपये बिना तुरन्त आवश्यकता के निकाले गये। यह सी0ए0जी0 का कहना है। यह आपत्ति उठा रहे हैं। वर्ष 2002 मार्च से मार्च 2005 के बीच। मान्यवर, इसके बावजूद 7 करोड़ 81 लाख 10 हजार रुपये निकाल लिये गये। मान्यवर, यह इतना गम्भीर विषय है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसे आप सदन में चर्चा न कराएं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाये। (व्यवधान) आकस्मिकता निधि का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश भी संविधान में दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 267 (2) में आकस्मिकता निधि के बारे में दिशा–निर्देश दिये गये हैं। यह सरकार संविधान के उपबन्धों को दरकिनार कर कार्य कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहूँगा कि क्या आने वाले वर्षों में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका सरकार आश्वासन देगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शायद कोई भी सरकार इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकती है। आकस्मिकता के बारे में कैसे आश्वासन दिया जा सकता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ये आकस्मिकता जिन विषयों को कह रहे हैं, वे आकस्मिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं। भूमि सुधार परिषद् के लिए, गाड़ी क्रय करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। क्या इसके लिए बजट में प्राविधान नहीं किया जा सकता था?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को गाड़ी की आवश्यकता होगी तो क्या उनके लिए गाड़ी क्रय नहीं की जायेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आकस्मिकता का आशय बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह तो 267 (2) आर्टीकल की व्यवस्था में स्वयं ही बता चुके हैं। मान्यवर, आकस्मिकता तो आकस्मिकता होती है।

श्री प्रकाश पन्त–

एक एन०जी०ओ० को पैसा देने के लिये आकस्मिकता निधि से पैसा निकाला गया मान्यवर।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पैसा निकालने के लिए आकस्मिकता ....।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उनको सीडिंग ग्रांट दी गई।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि 14 मदों में पैसा निकाला गया। मद संख्या 6 और 12 में माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष हेतु मद संख्या 6 में 80 लाख और मद संख्या 12 में 5 करोड़। तो इन दो मदों का क्या औचित्य बनता है, ऐसी कौन सी आपात कालीन स्थिति आ गई?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है। प्रश्न स्पष्ट हो गया है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ, पहले मुझे प्रश्न तो पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी का सम्मान है, आप लोग सत्ता में हैं, तो यह नहीं कि आप हमें कुचल देंगे। मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि पहला तो कि इसका औचित्य क्या है, दूसरा मैंने कहा कि मद संख्या 6 और 12 यह पूरा विवेकाधीन कोष है, इसके लिए

दो बार पैसा लिया गया। यह एक ही बार में क्यों नहीं लाया गया और इसका औचित्य क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विवेकाधीन कोष क्या है सब लोग उससे अवगत हैं। इसके लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ऐसी चीजें लाई जाती हैं कि जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, दो बार लाने का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान में शायद तीसरी बार भी शामिल हो।

उ0प्र0 वि0स0 की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

प्रथम निर्वाचित विधान सभा के मंत्रिमण्डल सदस्यों का यात्रा, जलपान, पैट्रोल इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

*1. श्री नारायण पाल–

1. क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित सरकार बनने के बाद मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों के विभिन्न दौरों पर सरकार द्वारा कितना व्यय भार वहन करना पड़ा?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसमें से किन–किन मंत्रियों पर जलपान, पैट्रोल पर कितना खर्चा आया तथा कितना धन यात्रा व्यय के रूप में भुगतान किया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित सरकार बनने के बाद से दिनांक 06–12–2004 तक मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों के विभिन्न दौरों पर सरकार द्वारा कुल रुपये 2,66,27,567.00 (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख सत्ताईस हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) का खर्च हुआ।

मा0 मंत्रिगणों पर जलपान, पैट्रोल एवं यात्रा व्यय में क्रमशः रुपये 56,74,948.00, रुपये 74,99,934.00 व रुपये 1,28,26,962.00 की धनराशि का भुगतान किया गया। जिसका विवरण संलग्न है।

(तालिका 'ख' आगे पृष्ठ 234 पर)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो हमारा मंत्रिमण्डल है, के सभी सदस्यों के खर्चों की माननीय मंत्री जी ने डिटेल से जानकारी दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा उत्तर प्रदेश में 5 दिन का एक नियम बन गया है। जो भी सुविधायें माननीय मंत्रियों को शासन द्वारा प्रदत्त हैं तो क्या इस सम्बन्ध में 5 दिन का नियम लागू किये जाने का प्रावधान हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष से लागू है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, किसी दूसरे राज्य की परिस्थितियों की चर्चा नहीं की जाती तो बेहतर होता है। उत्तर प्रदेश से अलग हुये हमें ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वहां पर अनियंत्रित स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं तो उन्होंने उसे सुधारने के लिए व्यवस्थायें की। हमारी सरकार इन सबके प्रति काफी संवेदनशील है, इसके लिए हमारे यहां पर एक समिति बनी है जो समस्त व्ययों को कम करने के लिए, जिसमें मंत्रियों के खर्चों की बात भी है। जैसा आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर सुझाव दिया है तो हम समिति में इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव रखा है। पैट्रोल, जलपान और यात्रा मद में जो धनराशि खर्च होती है, क्या सरकार उसको रोकने के लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस करने पर विचार कर रही है? और दूसरा, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे सम्मुख जो लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपये के व्यय का विवरण रखा गया है क्या इस व्यय पर नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रति व्यक्ति सीमा निर्धारित करने पर विचार करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, दोनों ही चीजें व्यवहारिक नहीं हैं। एक जनसेवक के लिए जन सेवा हेतु 5 दिन निर्धारित कर देना संभव नहीं है। दूसरी, जो बात माननीय सदस्य ने कही, कोई सीमा निर्धारित कर देना संभव नहीं है। हम इस पर आत्म नियंत्रण से कमी कर सकते हैं। यह धन जनता का है और प्रदेश की जनता का यह धन धरोहर के रूप में हमारे पास है। इस धन का दुरुपयोग न हो इसको हम आपस में बैठकर ही तय कर सकते हैं। आपस में बैठकर विचार करके हम इस खर्च को कम कर सकते हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि अभी उत्तरांचल में ऐसी परम्परायें स्थापित नहीं हुई हैं, जैसी अन्य प्रदेशों में देखने में आती हैं। हम इस खर्च को जहां पर भी कम कर सकते हैं, वहां पर कम करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने 5 दिन कार्य दिवस माननीय मंत्रीगणों के लिए नहीं कहे। मैंने तो सचिवालय तथा अन्य विभागों के लिए 5 दिन कार्य दिवस रखने की बात कही। 2 दिन अवकाश होने से अन्य दिनों में कार्य के घण्टे बढ़ेंगे और अधिकारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय प्रकाश पंत जी, आपने 5 दिन कार्य का सुझाव दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा नया राज्य है, हमारे लिए तो छुट्टी का कोई दिन ही नहीं है। हमें इतना काम करना है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में छुट्टी का कोई दिन ही नहीं है। हमारे पास पूर्व के अनुभव भी हैं। कई–कई सचिवों के पास 8–8, 10–10 विभागों का दायित्व है। हम कार्य दिवसों को शनिवार, इतवार में बांटने की स्थिति में नहीं हैं। अगर हमें प्रदेश का विकास करना है, तो अपने नैतिक दायित्व को समझते हुए हमें इस खर्च को कम करना होगा। हमारी एक कमेटी बनी हुई है और मंत्रिमण्डल की बैठक में भी हम इस पर विचार करते हैं कि अपव्यय न हो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदस्य होने के नाते मैंने यह प्रश्न पूछा था, आपमें से भी कुछ लोग वहां पर सदस्य थे, मैंने पूछा था कि बहुत अधिक खर्च हो रहा है, इसे रोका जाए। वहां पर पहले ही इतना अधिक खर्च हो गया है कि अब मितव्ययता पर विचार होने लगा है, तो वहां की स्थितियां दूसरी हैं, वहां की स्थितियां यहां पर लागू करना उचित नहीं होगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने यह रिपोर्ट सदन के सामने रखी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यात्रा मद में जो धनराशि व्यय हुई दिखाई गयी है, इसमें इतना अन्तर क्यों है? किसी–किसी माननीय मंत्री के यात्रा व्यय में तो 3–3, 4–4 गुना तक का अन्तर है। मान्यवर, इसके लिए कोई मापदण्ड होना चाहिए। आपने कहा कि हमें 12 महीने और 24 घण्टे काम करना है, यह अच्छी बात है। लेकिन जो व्यय हुआ है, इससे अच्छा चित्र प्रस्तुत नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इसमें समरूपता लानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके लिए कोई विचार कर रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें एकरूपता नहीं हो सकती है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, लगभग एकरूपता तो हो सकती है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लगभग एकरूपता भी नहीं हो सकती।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसका मतलब है कि मनमर्जी होगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य चाहें तो ऐसे मंत्रियों की सराहना कर सकते हैं, जिन्होंने कम व्यय किया है। मान्यवर, कारण है। मान्यवर, कोई भी मंत्री आवश्यकतानुसार ही दौरा करता है। हो सकता है कि किसी मंत्री को ज्यादा दौरा करने की आवश्यकता पड़ी हो। सामान्यतः औसत देखें तो लगभग बराबर है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप भी देख रहे हैं। हमने पैट्रोल के बारे में तथा जलपान में हुए व्यय के बारे में कुछ नहीं कहा तीसरे कालम में जो यात्रा मद दर्शाई गई है उसमें कुछ मंत्रियों का व्यय अधिक दर्शाया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जनता के सामने उन मंत्रियों की यात्रा को जानबूझकर अधिक दर्शाया गया है ताकि जनता स्वयं इस चीज को देखें और समझे ताकि वे अगली बार जीत कर न आने पायें। कोई न कोई नियम और उसका उद्देश्य होना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं आपके माध्यम से आपका ध्यान माननीय नेता सदन और माननीय श्री साधूराम के तुलनात्मक व्यय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें मैंने पाया कि हर मद चाहे वह पैट्रोल का मद हो या चाहे जलपान का मद हो दोनों का अन्य सभी से अधिक है। यानि कि दूसरे नम्बर पर माननीय साधूराम जी का खर्च है। वे माननीय नेता सदन के बाद खर्च करने के मामले में दूसरे नम्बर पर आते हैं।

(हँसी)

मान्यवर, सामान्यतः जहाँ तक मेरी जानकारी है और थोड़ा बहुत राजनीतिक अनुभव भी है और थोड़ा बहुत संसदीय अनुभव हमारा भी रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद जिस माननीय सदस्य का सबसे ज्यादा व्यय होगा वह माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद मंत्री परिषद् में दूसरे नम्बर पर होगा। क्योंकि

उसके बाद उसी को सबसे ज्यादा काम रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ चाहे तो इसका जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दे दें कि नम्बर 2 पर माननीय साधूराम जी हैं?

(हँसी)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, साधूराम जी को पूरे उत्तरांचल में गन्ने की व्यवस्था करनी होती है।

(तालियाँ)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो यह यात्रा मद दर्शाया गया है क्या इसमें विदेश यात्रा सम्मिलित है? ऐसे कौन-कौन से माननीय मंत्री हैं जिन्होंने इस दौरान विदेश यात्रा की है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें विशेष सूचना की आवश्यकता पड़ेगी फिर भी वर्ष 2002-2003 की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 4 मंत्री हैं। जिन्होंने विदेश यात्रा उस दौरान की। जिसमें बारह लाख अट्ठावन हजार का खर्च आया है जो इसमें सम्मिलित है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जो उदाहरण आपके सामने रखा, उत्तर प्रदेश में 6 दिन का नियम लागू किए जाने का। मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो माननीय मंत्री जी ने उसे नकार दिया और इसे गम्भीरता से नहीं लिया और फिर कहते हैं मंत्रिमण्डल में इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि जब सरकार को उत्तर प्रदेश के नियमों से लाभ फायदा होता है तो उत्तर प्रदेश के नियमों का हवाला देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है? कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी सवाल का जवाब दे रहे हैं मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्नकाल में आप प्रश्न ही पूछ सकते हैं। यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कह सकते हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए।

उत्तरांचल गठन के फलस्वरूप आवास विकास क्षेत्र उ० प्र० की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण

*2. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल गठन के फलस्वरूप राज्य के हिस्से में आने वाले समस्त आवास विकास क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तरांचल को हस्तान्तरित हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो सरकार इसके प्रति क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों के विभाजन के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों को जनसंख्या के अनुपात (1321:70) में विभाजित करने पर सहमति हो चुकी है। उक्त बैठक में हुई सहमति के अनुसार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् उत्तरांचल राज्य को रु0 112.93 लाख की धनराशि उपलब्ध करायेगी। उक्त धनराशि को प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया जा रहा है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या मुख्यमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल गठन के फलस्वरूप राज्य के हिस्से में आने वाले समस्त आवास विकास क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तरांचल को हस्तान्तरित हो गये हैं? परन्तु मान्यवर, इसमें 'हो गये हैं', के स्थान पर 'हो रहे हैं', छपा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह तो पीठ पर आक्षेप है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा आशय पीठ पर आक्षेप लगाना नहीं है। मान्यवर, सरकार ने उत्तर दिया है कि 31 अक्टूबर, 2003 को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों को जनसंख्या अनुपात (1321:79) में विभाजित करने पर सहमति हो चुकी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह तर्कसंगत है, इसका जनसंख्या के साथ तालमेल क्या है? पहाड़ की जनसंख्या मैदानों की अपेक्षा बहुत कम है।

मान्यवर, दूसरी बात का सरकार ने उत्तर दिया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् उत्तरांचल राज्य को रु0 112.93 लाख की धनराशि उपलब्ध करायेगी। यह क्या है, यह कुछ नहीं बताया गया है। मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक उत्तरांचल को यह धनराशि प्राप्त हो गयी है या नहीं? मान्यवर, अभी तक उत्तरांचल में इस निगम का गठन क्यों नहीं हुआ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, तीसरा प्रश्न मूल प्रश्न से उठता ही नहीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् वहाँ की आवासीय कॉलोनी को विकसित करता है। मान्यवर, आपकी जानकारी में यह भी है कि उत्तर प्रदेश के समय में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को भी होल्ड कर दिया है। हमने उत्तरांचल में आवास विकास परिषद् गठित नहीं की है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आवास विकास परिषद् का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष भी बन चुके हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसके तो अध्यक्ष भी बन चुके हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारे राज्य में ऐसी कोई चीज गठित नहीं हुई। मान्यवर, पहले प्रश्न में पूछा गया कि जनसंख्या के अनुपात से क्यों बांटा गया। तो इसके लिये किसी न किसी धनराशि को हमें तय करना था तो हम लोगों ने उचित समझा कि केन्द्र सरकार के तय किये गये रेशियो में उनसे उनको नगद रूप में कर दिया जाए, इसलिए इस धनराशि की बात हुई थी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनकी परिसम्पत्तियां ऐज इट इज रूप में मिल गई हैं? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के अन्दर पूर्व में उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की क्या–क्या परिसम्पत्तियां हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुल परिसम्पत्तियों की जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे। उनमें निस्तारित और अनिस्तारित भी करनी पड़ेंगी, कुछ को तो अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया है। मान्यवर, यह जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या–क्या परिसम्पत्तियां हैं? माननीय मंत्री जी काफी अनुभवी और सुलझे हुए हैं और इसका उत्तर ही नहीं आया कि आपकी परिसम्पत्तियां क्या हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की परिसम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध करा दूँगा। मान्यवर, जहाँ तक परिसम्पत्तियों के बंटवारे की बात है वह आपसी सहमति पर हुए हैं। मान्यवर, एज इट इज व्हेयर इट इज पर चीजों का बँटवारा हुआ है। इसमें अलग–अलग विभाग हुए हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जनसंख्या के हिसाब से कुछ विषय पर ऐसा हो सकता है, परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में भौतिक रूप से जो जहाँ पर हैं, उन पर क्या आपने प्रयास किया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो आवासीय कॉलोनी या भवन बनाता है और फिर व्यक्तियों को आवंटन होता था। पहले लीज के आधार पर होता था फिर फ्री होल्ड के आधार होता था। मान्यवर, विकसित कॉलोनी के अन्दर 1, 2 या 3 प्लाट फुटकर में पड़े हुए हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सफाई से उत्तर दे दिया। आपने कहा कि छोटे–मोटे प्लाट हैं। आवास भी आवंटित नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर

से सहमत नहीं हूँ। मान्यवर, हमको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। 112.63 लाख रुपये हैं, यह पैसा हमें कब मिलेगा इसे हम कब लेंगे? आप कहेंगे कि इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। उत्तरांचल का पैसा उत्तर प्रदेश के पास है, राज्य बने तीन साल हो गये हैं अभी तक परिसम्पत्ति का पैसा नहीं ले पाये हैं। मान्यवर, गरीब प्रदेश की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश से वह धनराशि कब तक लेंगे? क्या आप उत्तरांचल आवास-विकास परिषद् का गठन करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आपने इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया। जब आवास विकास परिषद् है ही नहीं तो इन्हें क्यों बना दिया गया?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, आप अवगत ही हैं कि हमारी परिसम्पत्तियां, कर्मचारी/अधिकारियों के सम्बन्ध में आज भी बहुत सारे प्रकरण उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं। परिसम्पत्तियों का प्रकरण, धन का प्रकरण चाहे वह परिवहन का हो या सिंचाई का हो, वे सभी लम्बित हैं। जिसके लिये उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार के सचिव, मुख्य सचिव स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, यह आवास विकास का प्रकरण उतना गम्भीर नहीं है परन्तु जो भी सम्पत्ति उत्तर प्रदेश के अन्दर है और उत्तर प्रदेश उस पर काबिज है, उसको मुक्त कराना हमारा दायित्व है और उसे मुक्त कराया जा रहा है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, यह विषय बहुत ही गम्भीर है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं होने के कारण आपकी सरकार केन्द्र सरकार के पास गई है? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जो इतने लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं जिनके लिए आप केन्द्र सरकार के पास गई हैं या नहीं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है। मैंने कई विभागों के नाम इसलिए बताये थे क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको विषयों की जानकारी भी होगी। भारत सरकार में श्री विश्वनाथ आनन्द जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है वह लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करती है। कई विभागों में बंटवारे की प्रक्रिया लम्बित है। यदि माननीय सदस्य सभी विभागों के बारे में जानना चाहते हों तो अलग से प्रश्न पूछें। सरकार का दायित्व है कि वह केवल स्पेसिफिक उत्तर दे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने कई विभागों का जिक्र किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पृष्ठ 18, प्रस्तर तीन को पढ़ लें। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 'उत्तरांचल के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का विभाजन दोनों राज्यों की आपसी सहमति के "मुख्य सचिव समिति" द्वारा किया जाता है।' अब तक परिसम्पत्ति का विभाजन क्रमशः कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति निगम लि0, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति निगम लि0, हिन्दुस्तान 6 चीनी मिलें, राही मोटल हरिद्वार, सिडकुल कलियर पर्यटन आवास गृह, पशु चिकित्सालय, हल्द्वानी, कृषि विभाग की सभी मण्डियाँ काफी विस्तार से इसमें दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि परिसम्पत्तियों का जो बंटवारा है......।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, प्रश्न को विस्तार करने की कोशिश करने के लिए उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 9 नवम्बर, 2000 के पूर्व के सभी मुद्दे केन्द्र सरकार को सन्दर्भित कर दिये गये हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि परिसम्पत्तियों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में हुआ है। यह माननीय मंत्री जी ने कहा है। विशेष रूप से हरिद्वार का उल्लेख करना चाहता हूँ। वहां पर जो उन्होंने कॉलोनी बनाई है उसमें जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, बिजली, पानी और सीवर, वे वहां पर प्रदान नहीं की गई हैं। वहां के लोग इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इसी सम्बन्ध में डी0एम0 हरिद्वार द्वारा एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज कराने की बात आई है। तो सरकार इन कॉलोनियों में बिजली पानी और सीवर की सुविधायें देने के लिए किस प्रकार से आवास विकास परिषद् पर दबाव बनाकर या किस प्रकार से वहां के लोगों को यह सुविधायें देगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें एक समझौता हुआ है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा जो अस्थायी या स्थायी निर्माण कार्य यहां पर कराये गये थे, उनमें विकास करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का ही है, वह उन्हीं के द्वारा कराया जायेगा। अगर आप इस परिषद् को एक व्यापारिक संस्थान के रूप में देखें तो स्पष्ट हो जायेगा, उनके दायित्वों को पूरा कराने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है और हम प्रयास करेंगे कि वह सुविधायें दे दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो उनकी परिसम्पत्तियां यहां पर थीं। उनको तो वे सेल कर रहे हैं, अपना ऑफिस उन्होंने बेच दिया, प्लाट बेच दिये जो कॉम्यूनिटी सैंटर उनके द्वारा यहां पर बनाये गये हैं, उनको भी वे बेच रहे हैं। जब वे अपनी सारी चीजें बेच देंगे तो सरकार उनको कैसे पैसा करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह जो समझौता हुआ वह परिसम्पत्तियों के विभाजन को लेकर हुआ है, जो भी उनकी देनदारी है उसके लिए कायदे–कानून होते हैं और कन्ज्यूमर कोर्ट भी होती है। सवाल समझौते को लागू कराने का है, समझौता हुआ है, उत्तर प्रदेश समाप्त नहीं हो रहा है और न ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् समाप्त हो रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

मैंने पूछा था कि जब आपने कहा कि आवास विकास परिषद् का गठन नहीं किया गया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने आवास विकास परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाये हैं या नहीं, अगर बनाये हैं तो उसका औचित्य क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं प्रश्न समझा नहीं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि आपने जब आवास विकास परिषद् का गठन नहीं किया है तो क्या इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाये गये हैं यदि बनाये गये हैं तो इसका औचित्य क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की तरह परिषद् का गठन नहीं किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सलाह के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन किया जा सकता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमें गुमराह करने का प्रयास कर रही है और हम ऐसे गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब गठन ही नहीं हुआ तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का क्या औचित्य बनता है?

(व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा पहले सवाल का जवाब दिया गया, दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया कि बैठक में हुई सहमति के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् उत्तरांचल राज्य को 113 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायेगी। तो मेरा सवाल है कि इस बैठक में इस बारे में कोई एग्रीमेंट है या आश्वासन है या क्या है? जहां तक उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे की बात आई तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रातों-रात हमारे यहां काशीपुर में 2 बजे रात तक रजिस्ट्रार का कार्यालय खुला रहा और बैनामे आदि कराते रहे। इस प्रकार से उत्तरांचल का जो करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश चला गया तो क्या सरकार इस बारे में उसमें हक जतायेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह बैनामे कब हुए?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जिस दिन राज्य बना है, उसी दिन रातों-रात यह बैनामे हुए हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यह सब बैनामे हुए पड़े हैं। यह सारा पैसा हमारा है लेकिन उत्तर प्रदेश इस पर अपना हक जता रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार के संज्ञान में है? यदि है, तो सरकार इस पर क्या कर रही है?

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सदन को उपलब्ध करायी है। जिस दिन उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, उस दिन रातों-रात उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् ने अपनी सम्पत्ति को बेच दिया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जी हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सम्पत्ति मानते हुए बैनामे किए हैं। मेरे पास इसका प्रूफ है। काशीपुर में बैनामे हुए हैं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अब तो इस सदन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को आपके संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि उस दिन जो सरकार कार्य कर रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हुए हैं। आज तीन साल बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मान्यवर, उस समय किसकी सरकार थी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने इसके लिए क्या किया, इस सम्बन्ध में मैं संरक्षण मांगता हूँ। तीन साल बाद भी आवास विकास परिषद् पर फैसला नहीं हुआ है। आज बिना आवास विकास परिषद् के आप उसका अध्यक्ष बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि उस दिन बैनामे रोक दिए गए होते, तो हमारी सम्पत्ति उत्तर प्रदेश नहीं जाती। आपने उस दिन आवास विकास परिषद् क्यों नहीं बनाया? आपको यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उस दिन अगर जिम्मेदारी से कार्य किया गया होता तो आज यह बात सदन में न आती। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप हमें संरक्षित करें। मैं चीमा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार के समय में सब हुआ है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं इस पर [illegible] व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसा हुआ तो गलत हुआ। आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि छोटे–छोटे प्लॉट हैं। जिस तरह से सारी चीजें बिक रही हैं, आपने 3 साल में उसके लिए क्या किया? माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उसके बाद तो जो स्थिति निकल कर आती है, उसमें [illegible] ही तय हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ सदन के सामने कहा, वह पीठ का अपमान है, पूरे सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने कहा कि छोटे–छोटे प्लॉट हैं, उनको बेच रहे हैं। यह आपसी विवाद का प्रश्न नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दें।

(माननीय सदस्य श्री सुबोध उनियाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उनियाल जी, कृपया बैठ जाएं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, या तो आप ही बोल लें या फिर मुझे बोलने दें। मैं इस विषय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी जब–जब भी बोलते हैं तो यह कहते हैं कि अभी विवाद तय नहीं हो पाया है। आप स्वयं कह रहे हैं एक करोड़ की बात और फिर कह रहे हैं सभी बिक गये। मान्यवर, पहले गलती हो गई। उस समय न तो हमारी सरकार थी न आपकी उस समय जो कुछ भी किया गया होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया होगा। उस समय हम भी यहां पर नहीं बैठे थे। माननीय मंत्री जी राज्य गठन से पूर्व की बात का उल्लेख कर रहे हैं। आज इस तरह के बात नहीं होनी चाहिए। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उचित ढंग से करना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ एक समझौते के तहत 31 अक्टूबर, 2003 को एक बैठक हुई थी उसमें सम्पत्तियों का निस्तारण स्वयं करने तथा उसके बाद उनकी सम्पत्तियों को रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपके उत्तर में 113 लाख का उल्लेख किया गया है, यह क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह धनराशि हमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् से मिलनी है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य की परिसम्पत्तियों के बंटवारे का सवाल उठता है तथा विकल्पधारियों का सवाल उठता है तो वर्ष 2002 के पहले की बात कही जाती है जिससे सदन का समय ही बर्बाद होता है। परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर जो नीतिगत फैसला है उससे आज प्रदेश की जनता व्याकुल है, आक्रोशित है और घृणित भी है। सचिव स्तर से वार्ता चल रही है, कुछ परिसम्पत्तियों का बंटवारा लम्बित है, कुछ भारत सरकार को संदर्भित है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस ऊहापोह की स्थिति से प्रदेश को उबारने की कृपा करें तथा जनता के सामने एक साफ सुथरी तस्वीर रखी जाए।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य के गठन 9 नवम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2004 तक उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे में कितनी प्रगति हुई है, कितनी कार्यवाही हुई है। आप इसका ब्योरा सार्वजनिक करेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, परिसम्पत्तियों के जो बंटवारे की बात है वह राज्य बनते ही तय हो जानी चाहिए। लेकिन बाद में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ विवाद सुलझाये भी गये जो विवाद नहीं सुलझ पाये उन्हें भारत सरकार को संदर्भित कर दिया गया। मान्यवर, कुछ में विवाद अब धीरे–धीरे समाप्त हो गये हैं। सचिव स्तर पर बड़े ही कायदे से इसे सुलझाया जा रहा है। जहाँ तक प्रतिवेदन देने का सवाल है, जो परिस्थितियाँ हैं, वह लिखित रूप में दी जा सकती हैं। करीब–करीब रोज ही वार्ता चल रही है। कार्मिकों के सम्बन्ध में भी वार्ता चल रही है।

मान्यवर, पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी स्तरों पर, मंत्रि मण्डल स्तर पर, स्वयं मुख्य सचिव के स्तर पर इसको निपटाया जा रहा है। मान्यवर, इसमें छोटे–छोटे प्रकरण पर भी सीधे भारत सरकार से बात की जा रही है। मान्यवर, चाहे वह पूर्व की केन्द्र सरकार हो या वर्तमान की केन्द्र सरकार। दोनों ने यह माना है कि उत्तरांचल की इस भावना को माना जाय कि जो सम्पत्ति जिस राज्य में है, वह उसी की मानी जाय। मान्यवर, जिस तरह से पूर्व प्रदेश सरकार ने इस पर काम किया था, उसी तरह से वर्तमान सरकार भी इस पर काम कर रही है।

तारांकित प्रश्न

राज्य गठनोपरान्त ठेके/लीज पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन

*1. श्री मदन कौशिक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल गठन के बाद कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन ठेके/लीज पर दिया गया है?

क्या सरकार द्वारा ठेके/लीज पर देने हेतु कोई नीति बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पांच लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन लीज ठेका पद्धति पर दिया गया है।

जी हाँ।

पारदर्शी निविदा के माध्यम से।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लघु बिजली परियोजनाएं ठेके/लीज पर दी गयी हैं, वे कौन–कौन सी परियोजनाएं हैं? वे ठेके/लीज पर क्यों दी गयी, क्या वे लक्ष्य कम दे रही थी? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमने पांच लघु परियोजनायें ठेके/लीज पर दी हैं, इनके नाम हैं कन्याधन, दियोड़, बिलकोट, चिकुरियागाड तथा धापरिया लघु जल विद्युत परियोजना। मान्यवर, कन्याधन तथा दियोड परियोजना की लागत 100 किलो मेगावाट की है। चिकुरियागाड लघु जल परियोजना 500 कि0वा0 की है। तथा धापरिया परियोजना 100 कि0वा0 की है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन्हें ठेके/लीज पर देने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, क्या लक्ष्य उत्पादन से कम हो रहा था?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ये छोटी–छोटी परियोजनाएं हैं। इनमें से चार परियोजनाएं अपने आस–पास के गांवों को विद्युत सप्लाई करती हैं। मान्यवर, धापरिया जल विद्युत परियोजना ग्राम प्रधान के पास है। मान्यवर, इसमें सहभागिता की बात भी चल रही है। उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो रहा है, इनसे रात्रिकालीन विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मान्यवर, इनके स्थानीय रख–रखाव का ठेका किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 05 लघु जल विद्युत परियोजनाएं लीज/ठेके पर दी गयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसी प्रकार से अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ठेके/लीज पर देने की मंशा सरकार बना रही है? तथा इस नीति के प्रमुख बिन्दु क्या हैं, जिनके आधार पर निविदाएं प्राप्त की जाती हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लीज पर दिये जाने हेतु संस्थाओं के चयन में अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। जिनमें से लघु जल विद्युत परियोजनाओं को लीज पर दिये जाने हेतु पारदर्शी पद्धति से निविदा प्राप्त की जाती है। सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को सम्बन्धित स्थल एवं परियोजना का मौके पर जाकर तकनीकी जानकारियों एवं क्षेत्रीय स्थिति से अवगत कराया जाता है। सम्बन्धित संस्थाओं/व्यक्ति की तकनीकी योग्यता अनुभव के आधार पर उपयुक्त संस्था/व्यक्ति का चयन किया जाता है। समस्त इच्छुक प्रस्तावकों/निविदादाताओं को परियोजना पर उपलब्ध सामग्री/औजारों एवं कार्यों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है तथा तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त सबसे अधिक दर उपलब्ध कराने वाली संस्था/व्यक्ति का चयन करते हुए उस परियोजना को लीज पर आवंटित किया जाता है। मान्यवर, लीज भी तय की गयी है। मान्यवर, रु0 18200 प्रति वर्ष की दर से लीज धारक विभाग को भुगतान करेगा। यह धापरिया लघु जल विद्युत परियोजना के लिए है तथा हमारा समय एक वर्ष है। इसी तरह से अन्य परियोजनाओं के लिए भी समय सीमा तथा लीज दर निर्धारित की गयी है।

मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत छोटी योजनाओं में स्थानीय लोगों की सहभागिता का प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस प्रकार से लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर देने की सरकार ने योजनायें बनाईं, क्या बड़ी योजनाओं के लिए भी निजी क्षेत्र में योजनायें बनाई हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, छोटी योजनाओं में उस नीति के तहत कार्य चल रहा है, बड़ी योजनाओं में सहभागिता से बचना चाहिए।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, इन परियोजनाओं के सर्वे के लिए धनराशि कौन देता है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सर्वे का काम हम छोटी और बड़ी जल विद्युत निगम से कराते हैं।

राज्य की स्थायी राजधानी के निर्माण पर विचार एवं अनुमानित व्यय

*2. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि सरकार राज्य की स्थायी राजधानी निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या स्थायी राजधानी हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि राजधानी निर्माण में कितना व्यय होना अनुमानित है तथा निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

राजधानी स्थल चयन आयोग की अन्तिम संस्तुति प्रतीक्षित है। उसके उपरान्त ही राजधानी निर्माण में होने वाले व्यय का आंकलन किया जा सकेगा और तभी निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में भी कोई समय सीमा का निर्धारण किया जा सकेगा।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, बताया गया है कि राजधानी स्थल चयन आयोग की अन्तिम संस्तुति प्रतीक्षित है। मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक अन्तरिम राजधानी चयन आयोग ने कितनी संस्तुति सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की है और वह अन्तिम संस्तुति कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक संकल्प रिपोर्ट 4-11-04 को उपलब्ध कराई थी और अन्तिम रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कुछ विभागों से सम्पर्क किया है जो हमारी जानकारी में

आया है, आयोग को संदर्भित बिन्दु 10 जनवरी, 2001 को आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में दिये गये थे। उन बिन्दुओं में 4 बिन्दु भू-गर्भीय संरचना, पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगिता और कुछ और चीजें जो अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित था उस प्रकरण में आयोग ने बताया है कि उसमें भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस कार्य को करने के लिए कुछ अधिक समय मांगा गया है, उससे थोड़ी देर लगने की बात आ रही है। जहाँ तक विभागीय सुझावों की स्थिति है उसमें 251 सुझावों की सूची हमें उपलब्ध कराई है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है वह भी हमारे सम्मुख है। मान्यवर, यह पहला राज्य है इस भारतवर्ष में जिसकी राजधानी चयन के लिए आयोग का गठन किया गया है। मान्यवर, इस राज्य को गठित हुये चार साल हो गये हैं और जनता उद्वेलित है, आक्रोशित है और उत्सुक है जानने के लिए कि राजधानी का चयन कहाँ और कब होता है और सरकार के कैबिनेट मंत्री भी उत्सुक हैं क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से राजधानी के बारे में बयान दे रहे हैं कि राजधानी कहाँ बनाई जाये। मान्यवर, ऐसी स्थिति को देखते हुए जनता को उत्सुकता है। इस सरकार के कबीना मंत्री कहते हैं कि यहाँ पर राजधानी होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आयोग का कार्यकाल अनन्तकाल तक रहे या आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द आये इस पर विचार करेंगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हर सम्भव आयोग को मदद की जा रही है कि इसकी रिपोर्ट आये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त होता है।

जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थित एच०एम०टी० घड़ी कारखाने का सुव्यवस्थित संचालन

*3. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थित एच०एम०टी० घड़ी के कारखाने की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित रूप से संचालित किये जाने हेतु क्या सरकार विशेष पैकेज की मांग करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

नोट– तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थित एच०एम०टी० घड़ी कारखाना उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। वर्तमान में कार्यशील पूंजी/वेतन का अभाव इस प्रतिष्ठान की मुख्य समस्या है। फैक्ट्री द्वारा वी०आर०एस० योजना भी लागू की गई है। चूंकि यह इकाई भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। अतः विशेष पैकेज आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर इस फैक्ट्री के रिवायवल हेतु प्रयास किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध संघ उत्तरकाशी के लेखा परीक्षा का परीक्षण

*4. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मातली स्थित दुग्ध सहकारी डेयरी समिति में किसी प्राइवेट फर्म द्वारा लेखा परीक्षा के एवज् में लगभग डेढ़ लाख रुपये का भुगतान देहरादून के किसी प्राइवेट लेखा परीक्षा फर्म को किया गया?

जबकि सहकारी समितियों व पंचायतों में शत–प्रतिशत लेखा परीक्षा कार्य जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किये जाते हैं?

अतः लेखा परीक्षा प्राइवेट फर्म से कराने हेतु कौन उत्तरदायी है?

क्या सरकार जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जी हाँ, सभी सहकारी समितियों एवं पंचायतों की भाँति ही दुग्ध संघ उत्तरकाशी का लेखा परीक्षा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

*5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश का पासपोर्ट कार्यालय अस्तित्व में आ गया है?

यदि नहीं, तो प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा देहरादून में कतिपय भवनों को चिन्हित कर उनके विवरण भारत सरकार को निर्णयार्थ भेजे जा चुके हैं।

*6. श्री बिशन सिंह चुफाल–

विलीनता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु वृहत, मध्यम एवं छोटे जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना

*7. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु सरकार द्वारा कितने वृहत, मध्यम एवं छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना हेतु किन कम्पनियों से एग्रीमेंट किये गये हैं, उनकी लोकेशन क्या है?

प्रदेश में और कितनी मध्यम व छोटी यूनिटें लगाई जानी सम्भावित हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश को ऊर्जा बनाने हेतु 08 वृहत, 01 मध्यम एवं 31 छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुबन्ध किये गये हैं। कम्पनियों के नाम एवं उनकी लोकेशन की सूची संलग्न है।

प्रदेश में 23 मध्यम एवं 51 छोटी यूनिटें लगायी जानी सम्भावित हैं।

(तालिका 'ग' आगे पृष्ठ 235–238 पर)

उत्तरांचल में बिना निविदाएं आमंत्रित किये हाईड्रम योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा मस्ट्रोल या वर्क आर्डर पर कार्य कराने की वैधता

*8. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में बिना निविदाएं आमंत्रित किये हाईड्रम योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा मस्ट्रोल या वर्कआर्डर पर कार्य कराये जा रहे हैं?

क्या इसमें शासन की नीति का उल्लंघन किया जा रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यों को निविदाओं के आधार पर सुनिश्चित करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छोटे-छोटे गधेरों पर हाईड्रम योजनाओं का निर्माण वर्ष 1978 से 1988 तक रोजगार परक योजनाओं जैसे जे०आर०वाई०, एस०आर०वाई, एम०डब्लू०एस० के लागू होने से पूर्व तक निविदायें आमंत्रित करके किया जाता रहा था, परन्तु उक्त रोजगारपरक योजनाओं के प्रचलन के पश्चात् ठेकेदारी प्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य एवं ग्रामीण कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य एवं रोजगारपरक योजना से युगपित करने के कारण मस्टरोल पर योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा इसमें स्थानीय पंचायत की भी सहभागिता ली गयी तथा योजनाओं को निर्माण के पश्चात् उनकी देखरेख में दे दिया जाता रहा ताकि उनकी सहभागिता बनी रहे। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् भी शासन की यही मंशा है कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन योजनाओं में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये। भारत सरकार द्वारा (पी०आई०एम०) जन सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन को लागू करने के निर्देश हैं। अतः लघु सिंचाई विभाग में निविदाओं के आधार पर कार्य नहीं कराया जा रहा है।

उत्तरांचल राज्य में निजी भूमि पर खनिजों के विदोहन की नीति

*9. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निजी भूमि पर खनन की कोई नीति निर्धारित की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

निजी नाप भूमि में खनन/चुगान हेतु नीति निम्नानुसार निर्धारित है:–

उपखनिज के विदोहन हेतु

मैदानी क्षेत्र–

निजी भूमि में उपखनिज के चुगान/खुदान के अनुज्ञापत्र/खनन पट्टे उपखनिज उपलब्ध क्षेत्र में एक संहत खण्ड में निजी नाप भूमि धारक के पक्ष में या उनकी सहमति प्राप्त कर आवेदकों को उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के प्रतिबन्धों के आधार पर संशोधित उत्तरांचल राज्य खनिज नीति 2002 दिनांकित 17–10–2002 के बिन्दु संख्या 2.5 के अनुसार शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

पर्वतीय क्षेत्र–

अधिसूचना 1893 की नाप–बेनाप भूमि की अधिसूचना के अन्तर्गत निजी नाप भूमि में उपखनिज के चुगान/खुदान के पट्टे/अनुज्ञा पत्र उपखनिज उपलब्ध क्षेत्र में एक संहत खण्ड में निजी नाप भूमि धारक के पक्ष में या उनकी सहमति प्राप्त कर आवेदकों को उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के प्रतिबन्धों के आधार पर संशोधित उत्तरांचल राज्य खनिज नीति 2002 दिनांकित 17–10–2002 के बिन्दु संख्या 2.5 के अनुसार शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

मुख्य खनिज के विदोहन हेतु

अधिसूचना 1893 की नाप–बेनाप भूमि की सूचना के अनुसार नाप क्षेत्र की अधिकता वाले एक संहत खण्ड में बेनाप भूमि को सम्मिलित कर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाते हैं कि पट्टाधारक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर परिहार शासनादेश दिनांकित 07–01–2004 के दिशानिर्देशानुसार खनिज परिहार नियमावली 1960 के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रदेश को दैवीय आपदा मद में केन्द्र से प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा किए गये आवंटन का जनपदवार ब्यौरा

*10. श्री अनिल नौटियाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में उत्तरांचल को दैवीय आपदा मद में केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि में से प्रत्येक जनपद को कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

क्या आवंटित धनराशि पूर्ण रूप से दैवीय आपदा कार्यों पर व्यय की जा चुकी है?

यदि नहीं, तो शेष धनराशि कब तक आवंटित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आपदा राहत कोष में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार का एवं 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार से रु0 28.10 करोड़ तथा राज्यांश के रूप में रु0 9.37 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष कुल रु0 36,25,87,366/– की धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में दैवी आपदा राहत कोष में प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष जनपदों को निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गई है:–

चम्पावत–	रु0 1,64,45,880/–,
ऊधमसिंहनगर–	रु0 3,01,20,880/–,
बागेश्वर–	रु0 1,41,06,880/–,
अल्मोड़ा–	रु0 2,21,82,880/–,
पिथौरागढ़–	रु0 1,84,12,880/–,
चमोली–	रु0 1,17,38,880/–,
रुद्रप्रयाग–	रु0 30,84,880/–,
नैनीताल–	रु0 7,99,25,880/–,

टिहरी गढ़वाल- रु0 3,60,17,646/-,

पौड़ी गढ़वाल- रु0 1,44,86,880/-,

उत्तरकाशी- रु0 8,36,87,180/-,

हरिद्वार- रु0 2,24,24,880/-,

देहरादून- रु0 1,00,72,760/-.

जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष रु0 29.70 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। रु0 4.09 करोड़ की धनराशि की व्यय की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2003-04 में आपदा राहत कोष से आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत अवशेष प्रस्तावों पर धनावंटन इस वित्तीय वर्ष 2004-05 में भी किया गया है।

ऊर्जा विभाग द्वारा लगाए गये इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का तकनीकी परीक्षण

*11. श्री हरबंस कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि ऊर्जा विभाग द्वारा लगाए गये अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मीटर तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग की गई विद्युत से अधिक राशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मीटर लगाने से पूर्व उक्त मीटर की जांच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

सभी मीटरों को प्राप्त करने व स्थापना से पूर्व परीक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल में विद्युतीकरण का सर्वे हेतु राइटर्स कम्पनी दिल्ली द्वारा अनुबन्ध

*12. श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राइटर्स कम्पनी दिल्ली से उत्तरांचल में विद्युतीकरण का सर्वे करवाने हेतु अनुबन्ध किया था?

यदि हाँ, तो यह अनुबन्ध किन कारणों से किया गया?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कम्पनी ने विद्युतीकरण के सन्दर्भ में उत्तरांचल के किन क्षेत्रों में क्या-क्या सर्वे किया तथा इस सर्वेक्षण का कितना भुगतान उक्त कम्पनी को किया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि० के माध्यम से ग्रामों एवं तोकों के विद्युतीकरण के लिये ब्याज मुक्त की नई योजना लागू की थी। इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित करना अनिवार्य था जिससे समय पर धन उपलब्ध हो सके। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० में स्टाफ की कमी के कारण भारत सरकार के उपक्रम मै० राइट्स लि० को इन कार्यों के सर्वे कार्य हेतु अनुबन्धित किया गया है।

उक्त कम्पनी से चमोली (89), पौड़ी (202), उत्तरकाशी (27), रुद्रप्रयाग (23), टिहरी (77), चम्पावत (50), बागेश्वर (55), पिथौरागढ़ (87), देहरादून (32), नैनीताल (54), अल्मोड़ा (37), कुल 713 ग्राम/तोक का सर्वे कराया गया।

रु० 78,45,718 का भुगतान मै० राइट्स लि० को किया जा चुका है।

*13. श्री किशोर उपाध्याय–

विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में खेतिहर मजदूरों की संख्या

1. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी है?

क्या राजस्व अभिलेखों में इनके नामांकन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उत्तरांचल में खेतिहर मजदूरों की संख्या 1,42,624 है।

जी नहीं।

राजस्व अभिलेखों में केवल भूस्वामियों के ही नाम अंकित होते हैं।

विलीनता के आधार पर निरस्त।

2. श्री प्रकाश पंत–

श्री महेन्द्र भट्ट–

श्री मदन कौशिक–

उत्तरांचल के प्राचीन मंदिरों से मूर्तियों एवं आभूषणों की चोरी एवं रोकने के उपाय

3. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि विगत वर्ष उत्तरांचल के प्राचीन मंदिरों से बहुमूल्य मूर्तियों एवं चढ़ावे के आभूषणों की चोरी की कुल कितनी घटनाएं घटित हुई?

क्या यह सत्य है कि जनपद चमोली में वर्ष 2003 एवं 2004 में सर्वाधिक चोरियों की घटनाएं प्रकाश में आयी? यदि हाँ, तो ऐसी कुल कितनी चोरियों का पर्दाफाश हो पाया?

क्या सरकार चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिये कोई ठोस योजना बनाये जाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल राज्य में, प्राचीन मंदिरों से बहुमूल्य मूर्तियों/चढ़ावे के आभूषणों की चोरी की कुल 09 घटनाएं घटित हुई हैं।

जनपद चमोली में वर्ष 2003 में 02 एवं 2004 में 03 चोरी की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। वर्ष 2003 में घटित 02 अभियोगों में से एक अभियोग में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की सम्पत्ति बरामद कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया एवं दूसरे अभियोग में माल एवं मुल्जिम का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

वर्ष 2004 में घटित 03 अभियोगों में से 01 अभियोग में आरोप पत्र, 02 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

मन्दिरों से हो रही मूर्तियों/आभूषणों की चोरियों को रोकने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं तथा सम्बन्धित थाना क्षेत्रों में रात्रिगस्त/पिकेट ड्यूटी की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।

4. स्व0 श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मा0 सदस्य के निधन के कारण व्यपगत।

अतारांकित प्रश्न

वर्ष 2003–04 में गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ में निर्माण कार्यों पर खर्च धनराशि

1. श्री नारायण राम आर्य–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जल निगम के निर्माण खण्ड गंगोलीहाट हेतु वर्ष 2003–04 में कितनी धनराशि दी गई एवं वह किन–किन निर्माण कार्यों में खर्च हुई?

वर्ष 2004–05 में किन–किन योजनाओं के आगणन शासन को प्राप्त हुए हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2003–04 में जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट शाखा को कुल रू0 80.89 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 76.85 लाख का व्यय निम्नलिखित योजनाओं पर किया गया:– (1) खमोडी, (2) कोट कनिया, (3) बांस पटान, (4) पिरतौला, (5) सिन्तोला, (6) सुनाखोला खतीगाँव, (7) बूंगली (स्वर्ण जयंती), (8) तिमोली, (9) सेरा वर्क बड़ोली, (10) पुनेरा तल्ला, (11) सम्पूड़ा (12) वारण बैंड, (13) नाली के तोक, (14) क्यानिया, (15) सिरकोली, (16) दुबरा, (17) झलतोला, (18) भनियारी, (19) सौपानी, (20) राजकोट, (21) पराकीकुण्ड (22) धुरौली एवं (23) भंगौरा।

वर्ष 2004–05 में इस शाखा के किसी भी योजना के प्राक्कलन शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के चौनाला में प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्ट्री का निर्माण

2. श्री नारायण राम आर्य–

क्या उद्योग मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के चौनाला में प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्ट्री का निर्माण कार्य जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के चौनाला नामक स्थान मैं0 शिवालिक सीमेन्ट, सुल्तान सिंह बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा संयुक्त क्षेत्र में मैं0 शिवालिक सीमेन्ट फैक्ट्री नाम से आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेन्ट उत्पादन हेतु स्थापना का प्रस्ताव था। इकाई की स्थापना

हेतु 9.003 एकड़ भूमि दिनांक 19-08-95 को अधिग्रहित कर ली गई थी। इकाई को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में खनन लीज स्वीकृत न होने तथा कच्चा माल लाईम स्टोन की पर्याप्त उपलब्धता न होने से प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन पूर्णतः बाधित हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना

3. श्री नारायण राम आर्य–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पिथौरागढ़ जनपद में गंगोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही चल रही है?

यदि हाँ, तो सरकार इसे कब तक स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

योजना का प्राक्कलन प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति दिया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खण्ड के पटवारी क्षेत्र देवराड़ीपन्त में पटवारी चौकी का घटिया निर्माण

4. श्री नारायण राम आर्य–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खण्ड के पटवारी क्षेत्र देवराड़ीपन्त में पटवारी चौकी के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने की शिकायत है?

उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एल०एल०बी० कक्षायें खोलने की नीति

5. श्री मदन कौशिक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एल०एल०बी० कक्षायें खोलने हेतु कोई नीति बनाई गई है?

यदि हाँ, तो कितने विद्यालयों को एल०एल०बी० की मान्यता प्रदान कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एल०एल०बी० कक्षायें प्रारम्भ करने के लिए बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अल्मोड़ा परिसर एवं भागवत लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर, पौढ़ी परिसर, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर, लॉ कॉलेज देहरादून तथा डी०ए०वी०पी०जी० कॉलेज देहरादून में विधि पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फर्जी डोमिसाइल प्रकरण

6. श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फर्जी डोमिसाइल बनाये जाने के कुल कितने प्रकरण संज्ञान में आये हैं?

क्या सरकार द्वारा उन पर कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

कुल 23 प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत विद्युत विभाग को आवंटित बजट तथा किए गये कार्य

7. श्री मदन कौशिक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत विद्युत विभाग को कितना बजट आवंटित था?

विभाग द्वारा क्या–2 कार्य किये गये?

क्या कराए गये कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई?

यदि हाँ, तो उसकी जाँच किससे कराई गई?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अर्द्धकुम्भ 2004 हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को रू0 1971.06 लाख का बजट आवंटित किया गया था?

सूची संलग्न।

कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सूची 'घ' आगे पृष्ठ 239 पर)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा तट में निर्माण कार्यों पर रोक का प्राविधान

8. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा तट से 200 मी0 दूरी तक निर्माण कार्यों पर रोक का प्राविधान किया गया है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा तट पर स्थित धार्मिक भावनाओं से जुड़े मठ, आश्रम, मन्दिरों के निर्माण की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य आन्दोलन के दौरान घायल समाचार पत्रों के प्रतिनिधि एवं उन्हें दी गई सहायता

9. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पृथक उत्तरांचल राज्य आन्दोलन के दौरान कितने समाचार पत्रों के प्रतिनिधि घायल हुये?

क्या सरकार द्वारा उन्हें राज्य आन्दोलनकारियों के अनुरूप सहायता दी गयी है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पृथक उत्तरांचल राज्य आन्दोलन के दौरान समाचार पत्रों के चार प्रतिनिधि साधारण रूप से घायल हुये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कलसा नदी के भूकटाव से जनपद नैनीताल के ब्लॉक, भीमताल के विभिन्न गांवों को खतरा

10. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पुनर्वास मंत्री अवगत हैं कि कलसा नदी के भूकटाव से जनपद नैनीताल के ब्लॉक भीमताल तोक भाकर, ग्राम पंचायत पाण्डेगांव और जंगलियागांव के तोक सिमाला ग्राम सभा अलचौना के तोक ताड़ाधूरा के निवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद नैनीताल के ब्लॉक भीमताल, तोक भाकर, ग्राम पंचायत पाण्डेगांव, जंगलियागांव के तोक सिमाला ग्राम सभा मल्वाताल और ग्राम सभा अलचौना के तोक ताड़ाधूरा में वर्तमान में कलसा नदी से कोई भूकटाव नहीं हुआ है और न ही उक्त ग्रामों के निवासियों को भूकटाव से कोई खतरा उत्पन्न हुआ है। चूंकि उक्त ग्रामों के निवासियों को वर्तमान में भूकटाव से कोई खतरा नहीं है, इसलिये वहां के निवासियों/परिवारों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

पिथौरागढ़ में चमगाड़ बांध परियोजना का निर्माण

11. श्री प्रकाश पंत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में चमगाड़ बांध परियोजना निर्माणाधीन है?

यदि हाँ, तो परियोजना की लागत क्या है?

तथा 30 जून, 2004 तक परियोजना में कितना व्यय किया जा चुका है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना के निर्माण में कोई व्यय नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं जल विज्ञान के आंकड़ों के एकत्रीकरण पर रु0 266.27 लाख का व्यय दिनांक 30-06-2004 तक किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 विण के विभिन्न ग्रामों की पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन

12. श्री प्रकाश पंत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़ के ग्राम भटचूड़ा, धरकोट, बालाकोट, मार्सों, जाख, पुरान, लोधियागैर, ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन की मांग जनता काफी लम्बे समय से करती आ रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त माँग पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विकासखण्ड विण, पिथौरागढ़ के ग्राम भटचूड़ा, धरकोट, बालाकोट मार्सों, लोधियागैर, नामक पाँच पृथक–पृथक योजनायें हैं। केवल मार्सों पेयजल योजना जिसमें ग्राम मार्सों, जाख पुरान सम्मिलित है, के पुनर्गठन की माँग जनता द्वारा की गई है, अन्य योजनाओं के पुनर्गठन की माँग नहीं की गई है।

मार्सों ग्राम समूह पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्थाई रूप से चालू है तथा योजना का पुनर्गठन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्ष 2002–03 एवं 03–04 में बकाया गन्ना मूल्य एवं भुगतान

13. श्री मदन कौशिक–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किसानों का वर्ष 2002–03, 2003–04 का गन्ने का मूल्य मिलों पर कितना बकाया है?

उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में किसानों का पेराई सत्र 2002–03 का चीनी मिलों पर 28.32 करोड़ रु० गन्ना मूल्य बकाया है तथा पेराई सत्र 2003–04 का कोई गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है।

पेराई सत्र 2002–03 के अवशेष गन्ना मूल्य जो कि केवल निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया है, के त्वरित भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की योजना

14. श्री मदन कौशिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है?

यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्रीमती अमृता रावत)–

जी हाँ।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई नहरों, गूलों, हौज, हाईड्रम एवं लघु डाल नहरों के निर्माण तथा मैदानी क्षेत्रों में नलकूपों/जलाशयों के निर्माण एवं इन जलाशयों में नहर प्रणाली बनाकर असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजनाएं सम्मिलित हैं।

उत्तरांचल में जिलेवार सड़े–गले बिजली के पोलों की संख्या एवं बदलने के उपाय

15. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि उत्तरांचल में जिलेवार कुल कितने सड़े–गले पोलों को बदला जाना है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जीर्ण–शीर्ण अवस्था के इन विद्युत पोलों को बदलने की कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में जनपदवार कुल 23267 सड़े–गले विद्यु0 पोलों को बदला जाना है। (जनपदवार सूची संलग्न है)

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 240 पर)

जनपद नैनीताल स्थित भीमताल में उद्योगों के स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण/वितरण

15. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित भीमताल में उद्योगों की स्थापना हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया में कितनी भूमि का अधिग्रहण/वितरण किया गया था?

क्या अधिग्रहित समस्त भूमि में उद्योग स्थापित हो गये हैं?

यदि नहीं, तो शेष भूमि किसी उपयोग में ली जा रही है?

क्या सरकार उद्योग विहीन भूमि को काश्तकारों को वापस करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद नैनीताल में स्थित भीमताल में उद्योगों की स्थापना हेतु 107.85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें से विकास कार्य करने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों को लगाने हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 86.50 एकड़ प्राप्त हुआ। विकसित आवंटन हेतु प्राप्त क्षेत्रफल को विभिन्न इकाईयों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित किया जा चुका है।

आवंटित भूखण्डों/शेडों में 19 इकाईयाँ स्थापित की गयी थीं, जिसमें से 6 इकाईयाँ वर्तमान में कार्यरत हैं, तथा 16.05 एकड़ भूमि पर आवंटियों द्वारा निगम के नियमानुसार इकाईयां स्थापित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के कलैक्ट्रेट परिसर में स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जीर्ण–शीर्ण आवासों हेतु शासन द्वारा कार्यवाही एवं पुनःनिर्माण

17. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के कलैक्ट्रेट परिसर नैनीताल में स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जीर्ण–शीर्ण आवासों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अपर सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन को प्रेषित पत्र संख्या 163 (2) सी–ई०न०/2004 दिनांक 7 मई, 2004 पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

क्या सरकार उक्त भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उनका पुनःनिर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जिलाधिकारी नैनीताल के उक्त पत्र दिनांक 7 मई, 2004 के क्रम में जिलाधिकारी, नैनीताल से कतिपय सूचनायें मांगी गई हैं।

परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त होने के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के वि०ख० भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में 1984 में यूनाइटेड वाच लि० का शिलान्यास के बाद कार्य प्रगति

18. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ज्योलीकोट में वर्ष 1984 में यूनाइटेड वाच लि० का शिलान्यास किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या वहाँ पर उक्त फैक्ट्री कार्यरत है?

यदि नहीं, तो वर्तमान समय में उक्त भूमि किसके पास है?

क्या सरकार वहाँ पर कोई नया उद्योग स्थापित कर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

उक्त भूमि भू-अभिलेखों में यू0पी0 हिल कॉन्स के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में इसका कब्जा हिल्ट्रान के पास है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

19. श्री नारायण सिंह जंतवाल–प्रथम मंगलवार के अता0 65 में स्था0

जनपद नैनीताल के वि0ख0 कोटाबाग के गांव धापुला का विद्युतीकरण

20. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के वि0ख0 कोटाबाग के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव धापुला को विद्युतीकृत कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को यथाशीघ्र विद्युतीकृत करायेगी?

यदि नहीं? तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। धापुला ग्राम को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल स्थित कमलताल, नौकुचियाताल में कमल पुष्पों को, विलुप्त होने से बचाने के उपाय

21. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित कमलताल नौकुचियाताल में कमलों के विलुप्त होने से कमलताल की महत्ता प्रायः समाप्त हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कमलताल की महत्ता को बनाये रखने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। जनपद नैनीताल में स्थित कमलताल नौकुचियाताल झील का ही एक भाग है जिसमें कमल पुष्प प्रतिवर्ष माह मार्च से सितम्बर तक खिलते हैं। वर्तमान वर्ष की उक्त अवधि में भी कमल पुष्प प्रचुर मात्रा में खिले थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल की झीलों के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय एवं कार्य

22. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की झीलें नैनीताल, भीमताल, सातताल व नौकुचियाताल के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण के अन्तर्गत मिली धनराशि के व्यय एवं कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण शासन द्वारा किस एजेन्सी से एवं किस प्रकार कराया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों? और अब इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही करेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद नैनीताल की नैनीताल झील एवं अन्य 4 झीलों के संवर्धन व पुनर्जीवीकरण परियोजना के अन्तर्गत मिली धनराशि के व्यय एवं कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एवं स्थानीय स्तर पर आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें आई०आई०टी० रुड़की के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उक्त समितियों द्वारा उक्त परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में बैठकें व स्थल सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। उक्त समितियों में मुख्य सलाहकार, डा० के०एस० वाल्दिया, चेयरमैन राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर एवं वाडिया इन्स्टीट्यूट को तकनीकी सलाहकार नामित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार स्थित लक्सर चीनी मिल से किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य का भुगतान

23. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या मुख्यमंत्री विज्ञ हैं कि जनपद हरिद्वार में स्थित लक्सर चीनी मिल द्वारा विगत दो पेराई सत्र सन् 2002–2003 एवं 2003–2004 हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार लोकहित में प्रभावित किसानों को उक्त पेराई सत्रों का भुगतान निर्धारित मूल्य क्रमशः रु० 95/– एवं रु० 100/– प्रति कुन्तल के हिसाब से भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लक्सर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2003–04 के गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य के अनुसार किया जा चुका है। चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2002–03 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण पैकेज मिलों द्वारा लिये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2002–03 व 2003–04 के लिए समस्त प्रजातियों (अनुपयुक्त प्रजातियों को छोड़कर) 95/– रु० प्रति कु० तथा अनुपयुक्त प्रजातियों हेतु 92.50 रु० प्रति कु० गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जा चुका है।

पेराई सत्र 2003–04 का समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है तथा पेराई सत्र 2002–03 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान 11.89 करोड़ रु० यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में निजी स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या एवं मान्यता के मानक

24. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उच्च शिक्षा के कितने निजी स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं तथा इन निजी महाविद्यालयों की मान्यता के क्या मानक हैं?

क्या सरकार सभी निजी महाविद्यालयों के लिये शुल्क सीमा निर्धारण किये जाने पर विचार करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 01 स्नातकोत्तर तथा 16 स्नातक महाविद्यालय संचालित हैं। इस तरह से महाविद्यालय की स्थापना के लिए पर्वतीय तथा नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार वर्ग मीटर, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में 10 हजार वर्ग मीटर तथा अन्य क्षेत्र में 20 हजार वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए उक्त मानक का 50 प्रतिशत भूमि आवश्यक है। भूमि के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होने तथा विश्वविद्यालय की संस्तुति पर सम्यक् विचार के उपरान्त ही महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

निजी स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अधिकतम शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रस्ताव प्राप्त होने पर शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में वर्ष 2003–04 में दैवीय आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

25. श्री प्रकाश पंत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में वर्ष 2003–04 में दैवीय आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिये प्राप्त हुये? कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए? क्या सभी प्रस्तावों पर कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में वर्ष 2003–04 में दैवी आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु 50 प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिसमें से 18 प्रस्ताव स्वीकृत हुये, 3 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। 16 प्रस्तावों के आगणन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशानुसार 13 प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये थे, जिस कारण स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों में विकास को गति देने हेतु प्राधिकरण की स्थापना एवं स्वरूप

26. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपदों में विकास को गति देने हेतु किसी प्राधिकरण की स्थापना की गई है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बतायेंगे कि संदर्भित प्राधिकरण की अद्यतन कितनी बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं तथा सीमावर्ती जनपदों के विकास हेतु क्या–क्या योजनायें बनाई गई हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्राधिकरण का स्वरूप निम्नवत् है:–

मा० मुख्यमंत्री–	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, योजना आयोग–	उपाध्यक्ष
सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक–	सदस्य
मुख्य सचिव–	सदस्य सचिव

विस्तृत विवरण संलग्न 'क' पर उपलब्ध है।

सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अद्यतन 02 बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। प्राधिकरण की औपचारिक बैठक अब प्रस्तावित है। सीमावर्ती जनपदों के विकास हेतु प्रारम्भ में दुरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर सुविधायें सुगम कराये जाने के उद्देश्य से फील्ड कर्मियों के लिए न्यूनतम आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

(परिशिष्ट "च" आगे पृष्ठ सं0 241–244 पर)

राज्य की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के, जल विद्युत निगम में हस्तांतरण के फलस्वरूप पहले से कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

27. श्री प्रकाश पंत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं, को जिन्हें उत्तरांचल जल विद्युत निगम ने अपने संचालन में ले लिया है, के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन सभी हटाए गये कर्मचारियों को पुनः सेवायोजित करने पर विचार करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं, जिनका संचालन पूर्व में ठेके द्वारा किया जा रहा था, का ठेका समाप्त होने पर इनका संचालन अब जल विद्युत निगम द्वारा विभागीय पद्धति से कराया जा रहा है।

जल विद्युत निगम लि0 का ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी के लिये सेवायोजन हेतु नियमानुसार दायित्व नहीं बनता।

प्रदेश में जिला स्तर पर वृद्ध सेवा सदन के निर्माण पर विचार

28. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वृद्धों के लिए जिला स्तर पर वृद्ध सेवा सदन का निर्माण करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जनपद स्तर पर वृद्ध सेवा सदन निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल में वृद्धजन हेतु क्रमशः जनपद चमोली एवं जनपद बागेश्वर में वृद्धाश्रम पूर्व से ही स्थापित हैं।

राज्य में सरकारी सेवाओं में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

29. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सरकारी सेवाओं में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में कितने विकलांग अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिये जाने की सूचना विभाग के पास उपलब्ध है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

विभिन्न विभागों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2002–03 में 04 तथा वर्ष 2003–04 में 64 विकलांग अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया है।

राज्य में विकलांगों के उत्थान हेतु प्रत्येक जनपद में विद्यालय एवं कार्यशालाओं का संचालन

30. श्री प्रकाश पंत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के विकलांगों के उत्थान हेतु कितने विद्यालय तथा कार्यशालायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं?

क्या सरकार जनपद स्तर पर विकलांग कार्यशाला तथा विद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

राज्य के विकलांगजन के उत्थान हेतु तीन राजकीय विकलांग कार्यशाला एवं उत्पादन केन्द्र क्रमशः पिथौरागढ़, चम्बियाला (टिहरी) तथा हल्द्वानी में संचालित किये जा रहे हैं। विकलांगजन हेतु कोई विद्यालय संचालित नहीं है।

जनपद स्तर पर विकलांग कार्यशाला तथा विद्यालय स्थापित करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नई टिहरी महाविद्यालय में अपर्याप्त शैक्षणिक कर्मियों की पूर्ति की व्यवस्था

31. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि नई टिहरी महाविद्यालय में शैक्षणिक कर्मियों की संख्या अपर्याप्त है?

यदि हाँ, तो सरकार कर्मियों की पर्याप्त संख्या की पूर्ति हेतु क्या व्यवस्था करने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है। लोक सेवा आयोग से नियमित शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तैनाती पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण

32. श्री प्रकाश पंत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल विद्युत की क्षमतावार कितनी परियोजनाओं को उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है?

क्या निगम द्वारा संचालित परियोजनायें अपने लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित उत्पादन कर रही हैं?

यदि नहीं, तो कम उत्पादन किये जाने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० में उत्पादनरत 31 परियोजनाओं का क्षमतावार विवरण संलग्न है।

वर्ष 2003–04 में उत्पादन का लक्ष्य 3676.344 मि०यू० था जिसके सापेक्ष 3493.17 मि०यू० का विद्युत उत्पादन किया गया है।

परियोजनाओं का अत्यधिक पुरानी व क्षतिग्रस्त होना, ग्रिड से न जुड़ा होना एवं अपेक्षाकृत कम जल का उपलब्ध होना मुख्य कारण रहा है।

(तालिका 'ख' आगे पृ०सं० 245 पर)

राज्य में बालिका निकेतनों की संख्या एवं संवासिनियों को पुनर्वासित या सेवायोजित किये जाने का विवरण

33. श्री प्रकाश पंत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि राज्य में कितने बालिका निकेतन स्थापित हैं।

क्या उनमें निवास करने वाली संवासिनियों को पुनर्वासित या सेवायोजित करने की योजना अविभाजित उत्तर प्रदेश से चली आ रही है?

यदि हाँ, तो राज्य गठन के पश्चात् अब तक कितनी बालिका निकेतन की संवासिनियों को पुनर्वासित या सेवायोजित किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल राज्य में 02 राजकीय बालिका निकेतन क्रमशः जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा एवं देहरादून में स्थापित हैं।

अविभाजित उत्तर प्रदेश से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार राजकीय बालिका निकेतन में निवास करने वाली संवासिनियों को पुनर्वासित/सेवायोजित करने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाती है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की संवासिनियों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से राजकीय बालिका निकेतन से राजकीय उत्तर रक्षा गृह में स्थानांतरित किया जाता है तथा शिक्षा, प्रशिक्षण व विवाह के माध्यम से पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाता है।

राज्य गठन के पश्चात् दो संवासिनियों का विवाह कराकर पुनर्वासित किया गया है।

विकास खण्ड नौगांव, उत्तरकाशी के बनाल गांव में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई एवं सुरक्षा हेतु कार्यवाही

34. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के बनाल गांव में एक अगस्त, 2004 की रात्रि को अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन के कारण ग्रामीणों के आवासों में मलबा भरने से 23 बकरियों की मौत हुई?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन में प्रभावित गांव की सुरक्षा के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठा रही है? यदि हाँ, तो कार्य योजना का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम बनाल में दिनांक 01–08–2004 को अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन के कारण ग्रामीणों की 5 भेड़ एवं 7 बकरियां दबकर मरी थी। सभी प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार अनुमन्य राहत वितरित की जा चुकी है।

प्रभावित गांव की सुरक्षा हेतु गांव के ऊपर भूस्खलन एवं गदेरे में सुरक्षात्मक दिवाल व वायरक्रेट लगाये जाने तथा वर्षाऋतु में अत्यधिक पानी के बहाव को बदलने के लिये नाले का प्राविधान किया गया है। इस सुरक्षा कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 8.24 लाख का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश से आच्छादित न होने के कारण उक्त कार्य को आगामी जिला योजना में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

राज्य के विकलांगों को स्वरोजगार हेतु बहुउद्देशीय वित्त निगम से सहायता प्रदान करने की योजना

35. श्री प्रकाश पंत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के विकलांगों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु बहुउद्देशीय वित्त निगम से सहायता दिए जाने की योजना है?

यदि हाँ, तो वर्ष 2002–03 तथा वर्ष 2003–04 में कितने पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार दिया गया?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से सस्ती दरों पर टर्मलोन की धनराशि प्राप्त कर विकलांगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराती है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में योजनान्तर्गत रुपये 3.06 लाख राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत किया गया। जिससे 04 विकलांगों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया।

36. श्री मदन कौशिक–

प्रश्न मंगलवार के [illegible] क्रम में स्थगित

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में गंगा तट के स्वर्गाश्रम एवं लक्ष्मण झूला के सीवर की गन्दगी के निदान हेतु सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण

37. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में गंगा तट पर स्थित स्वर्गाश्रम एवं लक्ष्मण झूला के सीवर की गन्दगी गंगा नदी में प्रवाहित हो रही है?

यदि हाँ, तो सरकार लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम, झिलमोला की सीवर लाईन व सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करवा लेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इस क्षेत्र में आंशिक रूप से सीवर की गन्दगी गंगा नदी में प्रवाहित हो रही है।

जी नहीं, प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।

आवश्यक भूमि उपलब्ध होने तथा केन्द्र सरकार से प्राक्कलनों की स्वीकृति एवं धनराशि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद पौढ़ी में पशुचिकित्सालयों की संख्या एवं रिक्त पशुचिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति

38. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी में कुल कितने पशुचिकित्सालय हैं तथा कितने पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सक के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौढ़ी में 38 पशुचिकित्सालय हैं। 10 (दस) पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। वहाँ पर चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 द्वारीखाल की बांगी नहर पर वर्ष 1987 से अब तक मरम्मत/पुनर्निर्माण पर व्यय धनराशि

39. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की बांगी नहर पर वर्ष 1987 से वर्तमान तक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु किन–किन योजनाओं से कितनी–कितनी धनराशि व्यय की गई है?

क्या उक्त नहर द्वारा क्षेत्र की सम्पूर्ण सिंचित योग्य भूमि पर सिंचाई की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की बांगी नहर पर वर्ष 1987 से वर्तमान वर्ष 2004–05 तक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दैवी आपदा मद में रू0 00.409 लाख, अनुरक्षण मद में रू0 2.885 लाख, दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0 3.647 लाख तथा डिपाजिट मद के अन्तर्गत रू0 0.595 लाख धनराशि व्यय की गई है।

नहर द्वारा वर्तमान में टेल तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में प्रवक्ता के पदों की जानकारी

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी में प्रवक्ता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा शेष पदों पर कब तक तैनाती की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रवक्ता का एक पद स्वीकृत है। शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्तमान में दो प्रवक्ता कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तुअल एकेडमिक कैम्पस की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इन महाविद्यालयों में प्रवक्ता का एक ही पद सृजित किया गया है।

राज्य में पेयजल निगम के फील्ड कर्मचारियों का पेयजल निगम के ढांचे में सम्मिलन

41. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पेयजल निगम के फील्ड कर्मचारियों को पेयजल निगम के ढांचे में सम्मिलित किया जायेगा?

क्या संविदा श्रमिकों को जल संस्थान की भाँति पेयजल निगम का कर्मचारी घोषित कर न्यूनतम वेतन दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पेयजल निगम के फील्ड कर्मचारियों को पेयजल निगम के ढांचे में सम्मिलित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है, जिस पर परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

संविदा श्रमिक के रूप में पेयजल निगम में कोई भी कार्मिक कार्यरत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य बनने के पश्चात् खुले रा0 महाविद्यालय एवं उनकी स्थिति

42. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य स्थापना के पश्चात् राज्य में कितने राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें कक्षा–कक्षों, शिक्षकों, प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था की जा चुकी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य स्थापना के उपरान्त 18 महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा 1 अशासकीय महाविद्यालय का प्रान्तीयकरण किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य में निजी बी०एड० कॉलेज एवं प्रवेश सम्बन्धी नियम

43. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने निजी बी०एड० कॉलेज हैं?

वे कब खोले गये तथा उनमें प्रवेश सम्बन्धी कोई नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं?

यदि हाँ, तो उनकी प्रति सभा पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में 03 निजी बी०एड० संस्थायें संचालित हैं।

आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हल्द्वानी–नैनीताल शैक्षिक सत्र 2003–2004 से, सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, रुद्रपुर–ऊधमसिंह नगर शैक्षिक सत्र 2004–2005 से तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशिल स्टडीज एण्ड डवलपमेंट, रुड़की को शैक्षिक सत्र 2004–2005 से मान्यता प्रदान की गयी है। इन संस्थाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम बनाये गये हैं।

प्रवेश के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(नत्थी 'ज' आगे पृ०सं० 246–254 पर)

उत्तरांचल राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य की जानकारी

44. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है?

उक्त योजना से जनवरी सन् 2004 तक कितने मोटर मार्ग पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने निर्माणाधीन हैं?

क्या सरकार सन् 2007 तक उत्तरांचल के सभी 250 तक जनसंख्या वाले गांवों को मोटरमार्ग से जोड़ सकेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मार्च, 2001 से आरम्भ किया गया है।

माह जनवरी, 2004 तक 79 मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, एवं 69 मार्ग निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

उत्तरांचल राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा अधिकांश मार्गों में वन भूमि हस्तान्तरण में लगने वाले समय के कारण मार्गों का निर्माण सम्भव नहीं हो सकेगा।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के वि0ख0 द्वारीखाल में गांव कठूड़बड़ा हेतु पेयजल योजना

45. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि ग्राम कठूड़बड़ा विकास खण्ड द्वारीखाल जिला पौढ़ी गढ़वाल हेतु कोई पेयजल योजना बनाई गई है?

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थान का निकटवर्ती पेयजल जल-स्रोत सूख चुका है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम कठूड़बड़ा हेतु पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं, ग्रीष्म ऋतु में स्राव कम हो जाता है।

जी हाँ।

इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में कार्य प्रभारित श्रमिकों को नियमितीकरण तथा ग्रेच्यूटी पेंशन का आधार

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग (उत्तरांचल) में कार्य प्रभारित श्रमिकों को नियमित कर उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को ही आधार मानकर ग्रेच्यूटी व पेंशन का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

सिंचाई विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमित किया जाता है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमितीकरण के उपरान्त नियमित अधिष्ठान में प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल वि0ख0 द्वारीखाल हेतु पेयजल पम्पिंग योजना

47. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल मुख्यालय के आसपास के गांवों व लैंसडाउन में पेयजल की अत्यधिक कमी है?

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थानों हेतु पेयजल भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो क्या पेयजल पम्पिंग योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

विकास खण्ड द्वारीखाल मुख्यालय के आस–पास ग्रामों हेतु भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना प्रस्तावित है। लैंसडाउन के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जी नहीं।

प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद पौड़ी में वर्ष 2002 से 2004 तक केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई नहरों का निर्माण एवं व्यय

48. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2002–2004 तक किन–किन स्थानों पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई नहरों का कुल कितने कि0मी0 निर्माण कराया गया तथा इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नहरों द्वारा कुल कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2004 तक वित्त पोषित लघु सिंचाई योजनान्तर्गत 1031.878 लाख 40 व्यय कर, 182.878 कि0मी0 गूल, 33 हौज तथा

04 हाईड्रम का निर्माण किया गया है, जिससे 1147.67 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। (सूची संलग्न)

(नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 255–263 पर)

जिला सहकारी बैंकों में विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

49. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंकों में विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई है?

यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय भर्ती ऐजेन्सियों से सम्पूर्ण परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। वर्तमान में परीक्षा आयोजित कराने हेतु भर्ती परीक्षा ऐजेन्सियों के चयन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में पारिवारिक लाभ योजना के लम्बित प्रकरण

50. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल में पारिवारिक लाभ योजना के निस्तारण के कितने प्रकरण लम्बित हैं?

क्या सभी लम्बित प्रकरणों को निस्तारित कर वित्तीय वर्ष 2004–2005 में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में पारिवारिक लाभ योजना के 453 आवेदन–पत्र लम्बित हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शत–प्रतिशत भारत सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु धनराशि की मांग किये जाने के निमित्त भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत भूस्खलन त्रासदी हेतु विभिन्न संगठनों से प्राप्त धनराशि एवं उसका आवंटन

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत भूस्खलन त्रासदी के प्रभावितों हेतु विभिन्न संगठनों के माध्यम से कुल कितनी गैर शासकीय धनराशि प्राप्त हुई है तथा उक्त धनराशि किसके माध्यम से किन–किन प्रभावितों को बांटी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वरूणावत पर्वत भूस्खलन त्रासदी के प्रभावितों हेतु विभिन्न संगठनों के माध्यम से जिलाधिकारी उत्तरकाशी कार्यालय को कोई गैर शासकीय धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त स्थिति में धनराशि बांटने का प्रश्न भी नहीं है।

प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर के अलावा शेष जिलों में औद्योगिक विकास हेतु प्रयास

52. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों व फर्मों के द्वारा देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में ही उद्योग लगाने के प्रस्ताव किये गये हैं?

यदि हाँ, तो शेष जिलों में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यह कहना सही नहीं है कि मात्र देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में ही उद्योग लगाने के प्रस्ताव हैं। पर्वतीय जनपदों में भी उद्योग लगाने के प्रस्ताव आये हैं।

भारत सरकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत थ्रस्ट सैक्टर इण्डस्ट्रीज के रूप में चिन्हित क्रियाकलापों, यथा फ्लोरीकल्चर, शहद, हॉर्टीकल्चर एवं कृषि आधारित उद्योगों, फार्मास्यूटीकल्स, इकोटूरिज्म, (होटल, रिसार्ट, स्पा, इन्टरटेनमैन्ट/एम्यूज़मैन्ट पार्क, रोपवे), हैण्डीक्राफ्ट तथा नॉन टिम्बर वनाधारित उद्योगों को घोषित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों, विकास केन्द्रों तथा पार्कों से बाहर स्थापित करने पर भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज में दी गई सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, जिससे प्रोत्साहित होकर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी फ्लोरीकल्चर, इकोटूरिज्म, हैण्डीक्राफ्ट तथा वन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमी प्रेरित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक

नीति-2003 में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाओं के साथ-साथ, ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 3 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष ब्याज उपादान का प्राविधान किया गया है। सभी जनपदों में समान रूप से उद्योग स्थापना को प्रेरित किये जाने हेतु निजी क्षेत्र में उद्यमियों की सहभागिता से मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र विकसित किये जाने की नीति निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी टिहरी शहर में रह रहे पात्र विस्थापितों का पुनर्वास

53. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरानी टिहरी शहर में वर्तमान में कुल कितने परिवार निवास कर रहे हैं तथा इन परिवारों का पुनर्वास कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान समय में पुरानी टिहरी शहर के अन्दर कोई भी विस्थापित परिवार निवासित नहीं है। पुराना टिहरी शहर पूर्ण रूप से खाली हो चुका है तथा पात्र विस्थापितों को पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत विभाग में मानदेय पर कार्यरत लाइन कुलियों को नियमित नियुक्ति देने पर विचार

54. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में विद्युत विभाग में सैकड़ों लाइन कुली वर्षों से मानदेय पर कार्य रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मानदेय पर कार्यरत इन लाइन कुलियों को नियमित नियुक्ति देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य गठनोपरान्त प्रोटोकाल अनुपालन हेतु नियमावली

55. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के गठनोपरान्त प्रोटोकाल अनुपालन हेतु कोई नियमावली बनाई गयी है?

नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में पधारने वाले महानुभावों के प्रोटोकाल हेतु राज्य गठनोपरान्त उत्तरांचल राज्य अतिथि नियमावली, 2002 प्रख्यापित की गई है।

जिला प्रशासनों द्वारा नियमावली में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए दैवीय आपदा मद से उत्तरकाशी के जल संस्थान तथा जल निगम को आवंटित बजट

56. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए दैवीय आपदा मद से बजट आवंटन किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो वर्ष 2003–04 में जनपद उत्तरकाशी के उत्तरांचल जल संस्थान व उत्तरांचल पेयजल निगम को कितनी धनराशि आवंटित/प्राप्त हुई तथा किन–किन पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्य किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वर्ष 2003–04 में उत्तरकाशी में उत्तरांचल जल संस्थान को आवंटित रु0 8.606 लाख की धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये गये :–

(1) उत्तरकाशी शहर की पेयजल योजना के पुनर्स्थापना के कार्य।

(2) उत्तरकाशी से ज्ञानसू तक की पेयजल योजना के पुनर्स्थापना कार्य।

(3) भटवाड़ी रोड स्थित पाईप लाइन शिफ्टिंग का कार्य।

उत्तरांचल पेयजल निगम को आवंटित रु0 8.60 लाख से निम्न योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य किये गये हैं:-

1. गैपड़ पेयजल योजना,
2. डांग पेयजल योजना,
3. कोटगिरि पेयजल योजना,
4. सौड़ धामन पेयजल योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्यमंत्री को प्रस्तुत आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधि मण्डल की मांगें एवं उनका निस्तारण

57. श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 11-07-2004 को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन कल्याण परिषद् के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों का प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी?

यदि हाँ, तो आन्दोलनकारियों की मांगें क्या थी तथा सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों की किन-किन मांगों पर विचार किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी हाँ।

आन्दोलनकारियों की मांगों का विवरण संलग्न है।

आन्दोलनकारियों की समस्त मांगों पर विचार कर घायल हुए अथवा 07 दिन से अधिक जेल गये आन्दोलनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियाँ प्रदान करने, अन्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में अधिकतम 50 वर्ष की आयु सीमा तक नियुक्ति हेतु अर्हता, 5 प्रतिशत का अधिमान तथा नियुक्ति, वर्ष 2008-2009 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा, स्वरोजगार की योजनाओं में प्राथमिकता, आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र दिये जाने एवं पहचान पत्र धारक आन्दोलनकारियों को विधान सभा तथा सचिवालय में प्रवेश हेतु आने पर वरीयता के आधार पर पास जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

(नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ सं0 264-265 पर)

जनपद उत्तरकाशी के कामदा, कपराड़ा व बड़ली गांवों में बाधित विद्युत आपूर्ति की बहाली

58. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के कामदा, कपराड़ा व बड़ली गांवों में विद्युत आपूर्ति कब से बन्द है?

क्या उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1991 से।

जी हाँ।

वर्ष 2005–06 में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि०ख० चिन्यालीसौड़ बनचौरा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना

59. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के पट्टी दशगी, बिष्ट व हातड़ (दशगी) के मध्य स्थल बनचौरा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

स्थल बनचौरा में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में दुग्ध विकास सहकारी संघ लि० द्वारा वर्ष 2002–03, 2003–04 में अर्जित आय एवं शुद्ध लाभ

60. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में दुग्ध विकास सहकारी संघ लि० द्वारा वर्ष 2002–03 व वर्ष 2003–04 में कुल कितने रुपये की आय अर्जित की गई और उसमें से कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2002–03 में रू0 1298348.00 की तथा वर्ष 2003–04 में रू0 250192.00 की सकल आय अर्जित की गई जिसमें कोई शुद्ध लाभ अर्जित नहीं हुआ।

जनपद उत्तरकाशी के बाड़ागड़ी पट्टी में इन्द्रावती नदी में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा के उपाय

61. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के बाड़ागड़ी पट्टी में बहने वाली इन्द्रावती नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ से कृषकों की सिंचित भूमि व गौशालाओं को भारी नुकसान पहुँचता है?

यदि हाँ, तो उक्त बाढ़ पर बाढ़ सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

इन्द्रावती नदी के किनारे की आबादी को बाढ़ से बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्डर एरिया डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को धनराशि की प्राप्ति हेतु भेजे गये हैं, जहाँ तक नदी की बाढ़ से कृषि भूमि के कटाव हेतु आवश्यक सुरक्षा कार्यों का प्रश्न है, यह कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों की संख्या एवं उनका पुनर्वास

62. श्री किशन सिंह चुफाल–

क्या दैवी आपदा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक कुल कितने परिवार दैवी आपदा से प्रभावित हुए? क्या प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कुल कितने परिवारों को?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक कुल 10885 परिवार दैवी आपदा से प्रभावित हुये जिसमें से प्रभावित 716 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित कर दिया गया है तथा 965 परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। शेष 9204 प्रभावित परिवारों की आवासीय भूमि सुरक्षित होने के फलस्वरूप पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है।

63. श्री बिशन सिंह चुफाल–

द्वितीय सोमवार के अता0 39 में स्था0

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तरांचल कैटिल एवं बैफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट से पौड़ी गढ़वाल के गाँवों के किसानों को लाभ

64. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तरांचल कैटिल एवं बैफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट नामक योजना चालू है?

यदि हाँ, तो कब से तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कितने व किन–किन गाँवों के किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

योजना जुलाई, 2003 से चालू है। योजनान्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर, पौड़ी, अदूधादेवी, खाण्डूसैंण, परसुण्डाखाल, कोट, अगरोड़ा, जयहरीखाल, सतपुली, दुगड्डा, कोटद्वार, सतेह, सिगड्डी, कलालघाटी, चरेख–मरोड़ा, पडियाल, कोटसीसैंण, नैनीडांडा, पृथाकोट, एकेश्वर, रीठाखाल, पोखड़ा, नौगांवखाल, डाडामण्डी, बीरोंखाल तथा थलनदी में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत हैं। इन 28 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के चारों ओर औसतन 10 गाँव प्रति केन्द्र के हिसाब से लगभग 280 गाँवों के किसान/पशुपालक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त राजकीय सिंचाई नहरें एवं उनकी मरम्मत

65. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की कुल कितनी राजकीय सिंचाई नहरें पूर्ण रूप से व कितनी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं?

क्या सरकार राजकीय सिंचाई नहरों की मरम्मत सुदृढ़ीकरण हेतु धन की व्यवस्था करने जा रही है? यदि हाँ, तो किन–किन नहरों की और कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल की कुल 44 राजकीय सिंचाई नहरें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं एवं कुल 91 नहरें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त ढंगा नहर का निर्माण

66. श्री बिशन सिंह चुफाल--

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1995 में ढंगा नहर टूट जाने से कृषकों को सिंचाई सुविधा बन्द हो गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में नहर का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत--

जी हाँ।

नहर का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के उपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध विकास को स्वरोजगार से जोड़ने की नीति

67. श्री प्रीतम सिंह पंवार--

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध विकास को स्वरोजगार से जोड़ने व आर्थिकी का प्रबल आधार बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी तक दुग्ध विकास विभाग की अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। प्रदेश में दुग्ध विकास को स्वरोजगार से जोड़ने तथा आर्थिकी का प्रबल आधार बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकतायें तथा राज्य की प्रचलित कृषि नीति के अन्तर्गत दुग्ध विकास हेतु नीतिगत बिन्दु निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं।

1. तकनीकी निवेश सुविधाओं तथा पशु स्वास्थ्य सेवा, नस्ल सुधार, चारा विकास, संतुलित पशु आहार तथा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का विस्तार।

2. दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार।

3. स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु सघन मिनी डेरी परियोजना का विस्तार।

4. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, डेरी सेक्टर हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा प्रदेश की कृषि नीति में उल्लेखित नीतिगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जा रही है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करते हुए सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए वर्ष पर्यन्त दुग्ध विपणन की समुचित व्यवस्था व ग्राम स्तर पर ही पशुचिकित्सा सुविधाएँ तथा संतुलित पशुआहार की आपूर्ति की जा रही है।

2. खटीमा एवं हरिद्वार में क्रमशः 60 व 30 हजार लीटर दैनिक क्षमता के आधुनिक डेरी प्लान्ट की स्थापना की जा रही है।

3. दुग्ध समितियों के चयनित/इच्छुक समिति सदस्यों को दुधारू पशु उपलब्ध कराये जाने हेतु सघन मिनी डेरी योजना का विस्तार किया गया है।

4. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विपणन ढाँचे का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु मदर डेरी फ्रूट्स लि० तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि० द्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड काशीपुर से सीमावर्ती जनपद रामपुर (उ०प्र०) में गायों की तस्करी रोकने के उपाय

68. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड काशीपुर से सीमावर्ती जनपद रामपुर, (उ०प्र०) में वध किये जाने हेतु गायों की तस्करी की जा रही है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गायों की तस्करी रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं एवं इसमें संलिप्त दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, समय–समय पर ऐसी सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं, तस्करी रोकने हेतु शासन से नियमों एवं कानूनों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2003 में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए तथा वर्ष 2004 में कुल 9 अभियोग पंजीकृत हुए हैं

जिनमें से 07 अभियोगों में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं तथा 02 विवेचनाधीन हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर की रिपोर्ट के अनुसार किसी अधिकारी को संलिप्त नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में काशीपुर स्थित डी0एस0एम0 शुगर मिल द्वारा किसानों को वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में गन्ने का पूर्ण भुगतान

69. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में काशीपुर स्थित डी0एस0एम0 शुगर मिल द्वारा क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में गन्ने के मूल्य का भुगतान प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों के बराबर कु0 95 रु0 प्रति कुन्तल की दर से किया गया है?

ख. यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित शुगर मिल द्वारा किसानों को उपरोक्त वर्षों का गन्ने का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो डी0एस0एम0 शुगर मिल द्वारा किसानों को कितना रुपया देय है और सरकार द्वारा उक्त राशि किसानों को दिलाए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

डी0एस0एम0 शुगर मिल द्वारा किसानों को वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 हेतु रु0 95/– कु0 (अनुपयुक्त प्रजातियों हेतु रु0 92.50/– प्रति कु0) की दर से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया है।

चीनी मिल द्वारा सत्र 2003–04 के समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2002–03 के अवशेष गन्ना मूल्य 7.87 करोड़ रुपये का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पेराई सत्र 2002–03 का अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान 7.87 करोड़ रु0 यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

ऊधमसिंह नगर के 14 उद्योगों पर परिवहन उपादान की समीक्षा से सम्बन्धित वाद को वापिस लिए जाने के आदेश

70. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के 14 उद्योगों पर लगभग 12 वर्ष पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा उद्योगों को दिये गये परिवहन उपादान की समीक्षा से सम्बन्धित वाद जो सी0बी0सी0आई0डी0 बरेली से सतर्कता विभाग उत्तरांचल को स्थानान्तरित किए गए हैं, के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किये जाने पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा केस वापस लिये जाने के आदेश दिये गये थे?

यदि हाँ, तो क्या केस वापस ले लिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रकरण का परीक्षण कर त्वरित कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

71. श्री बिशन सिंह चुफाल–

द्वितीय सोमवार तक स्थगित।

रा0 महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के विद्यालय भवन हेतु भूमि का चयन

72. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो विद्यालय भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

भूमि चयन होने के उपरान्त यथासमय भवन निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

73. श्री बिशन सिंह चुफाल–

द्वितीय बुधवार के अता0 18 से स्था0

जनपद पिथौरागढ़ की बन्द पड़ी ठांगा कठनौल पिपलतड़ पेयजल योजना का पुनर्गठन

74. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ठांगा कठनौल पिपलतड़ पेयजल योजना वर्ष 1998 से बन्द है?

यदि हाँ, तो सरकार बन्द पड़ी पेयजल योजना का पुनर्गठन कर पेयजल सुलभ करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकास खण्ड की ढांगा कठनौला पेयजल योजना ग्राम सभा के अनुरक्षण में है तथा बन्द है। पिपलतड़ पेयजल योजना वर्तमान में चालू है।

ढांगा कठनौला पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित होने के उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड काशीपुर को जिला घोषित किये जाने का प्रस्ताव

75. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड काशीपुर के निवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुये जसपुर, बाजपुर व गदरपुर को मिलाकर काशीपुर जिला घोषित किये जाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा बनाया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक काशीपुर को जिला घोषित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिसीमन आयोग भारत सरकार के द्वारा परिसीमन के दौरान नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन पर रोक लगाई गई है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि० ख० काशीपुर में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति हेतु आवासीय विद्यालय बनाये जाने की योजना

76. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आवासीय विद्यालय बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो कार्य योजना का प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं। जिला ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आवासीय विद्यालय बनाये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किए जाने की मांग

77. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बसी जट सिक्ख जाति जो मुख्यतः छोटे–छोटे किसान हैं, के द्वारा जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किए जाने की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग की तालिका में सम्मिलित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल में जट सिक्ख जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के पत्र संख्या 828/स0क0/2004–1862 (का0–2)/2001, दिनांक 27 मई, 2004 के द्वारा उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सन्दर्भित किया गया है।

जिला ऊधमसिंह नगर के वि0स0 काशीपुर के ग्राम महतावन लक्ष्मीपुर व महुआखेड़ागंज को पुलिस नियन्त्रण थाना बाजपुर से हटाकर कोतवाली काशीपुर में किये जाने की मांग

78. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के वि0स0 काशीपुर के ग्राम महतावन, लक्ष्मीपुर व महुआखेड़ागंज के निवासियों के द्वारा लम्बे समय से उक्त ग्रामों को पुलिस नियन्त्रण थाना बाजपुर से हटा कर कोतवाली काशीपुर के अन्तर्गत किये जाने की मांग की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में कोई आदेश पारित किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ऊधमसिंह नगर के वि0 स0 क्षेत्र काशीपुर में राधेहरि रा0 महाविद्यालय में अतिरिक्त ब्लॉक बनाये जाने का प्रस्ताव

79. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में राधेहरि राजकीय महाविद्यालय में 2 अतिरिक्त ब्लॉक बनाए जाने हेतु मुवलिग 319 लाख व मु0 274 लाख रु0 के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं?

यदि हाँ, तो क्या चालू वर्ष के बजट में इसकी व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त भवनों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर वित्त व्यय समिति की संस्तुति के अनुसार निर्माण हेतु चयनित भूमि की जाँच के आधार पर भवन का मानचित्र तथा संशोधित आगणन गठित कराया जा रहा है जिस पर परीक्षण के उपरान्त यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

राज्य स्थापना के बाद नवसृजित तहसील, उप तहसील एवं वि० खण्डों की सूची

80. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य स्थापना के बाद से अभी तक कुल कितनी तहसीलें, उप तहसीलें, विकासखण्ड सृजित किए गये हैं?

क्या नव-सृजित तहसीलें, विकासखण्ड के केन्द्र सुनिश्चित कर दिये गये हैं?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य स्थापना के बाद अभी तक 29 तहसीलों एवं 6 उप तहसीलों का सृजन किया गया है। किसी भी विकास खण्ड का सृजन नहीं किया गया है।

नवसृजित तहसीलों के केन्द्र सुनिश्चित कर दिये गये हैं।

नवसृजित तहसीलों के केन्द्रों का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 266 पर)

टिहरी बांध से प्रभावित विस्थापितों के विस्थापन की व्यवस्था हेतु अधिगृहित भूमि का विवरण

81. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध से प्रभावित विस्थापितों के विस्थापन की व्यवस्था हो गयी है?

यदि हाँ, तो विस्थापितों हेतु कहाँ-कहाँ कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी है?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, पुरानी टिहरी शहर के प्रभावित होने वाले समस्त 5291 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था हो चुकी है। ग्रामीण पुनर्वास के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले कुल 5429 परिवारों में से 4566 परिवारों को भी विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर पुनर्वासित किया जा चुका है तथा अवशेष 863 के पुनर्वास की कार्यवाही गतिमान है।

पुरानी टिहरी शहर के विस्थापितों को नई टिहरी, देहरादून एवं ऋषिकेश पुनर्वास स्थलों पर पुनर्वासित किया गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्र के विस्थापितों को भानियावाला, रायवाला, बंजारावाला, देहराखास, अटकफार्म, परवल, वेस्टहोप टाउन, सैन्ट्रल होप टाउन, केदारवाला, पशुलोक, फुलसाणी, रानीपुर रोड, पथरी रोड, पथरी ब्लॉक भाग-1, भाग-2, 3 एवं 4 में भूमि अधिग्रहित की गयी है।

(सूची संलग्न है)

(नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ-267 पर)

जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय

82. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी में बाढ़ आने से प्रतिवर्ष कृषि योग्य भूमि बह जाती है? सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी में बाढ़ आने से प्रति वर्ष कृषि योग्य भूमि का कटाव होता है, जिसकी सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा पूर्व में कुआंखेड़ा एवं ढाढेकी आदि गांवों के किनारे 8 कि0मी0 बंध का निर्माण करवाया गया है। ग्राम हसनावाला, हसनपुर-मदनपुर, हलगपुर, किशनपुरी, हकीमपुर-तुर्रा, गोवरा, अहमदपुर-खेड़ी, सिकोहपुर जौरासी, जैनपुरखुर्द, कान्हापुर, शिकारपुर, सिकन्दरपुर, इस्लामीसी, आलमपुर, बलावलपुर-खेड़ी, बुग्गावाला, ढेलपुरा एवं बंजारेवाला में बाढ़ सुरक्षा योजनायें बनायी गई हैं जिनसे बाढ़ से भूमि कटाव रुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में चालू एवं बन्द पड़ी हाईड्रम इकाईयों का विवरण

83. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कुल कितनी हाईड्रम इकाईयां बन कर तैयार हैं तथा कितनी निर्माणाधीन हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि निर्मित इकाईयों में से कितनी चालू तथा कितनी बन्द अवस्था में हैं?

क्या सरकार बन्द इकाईयों को चालू करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली में 64 हाईड्रम योजनाओं पर 132 हाईड्रम इकाईयाँ बनकर तैयार हैं तथा 14 हाईड्रम योजनाओं में 34 हाईड्रम इकाईयाँ निर्माणाधीन हैं।

जनपद चमोली में निर्मित 54 हाईड्रम योजनाओं पर स्थापित 114 इकाई चालू हैं तथा 10 हाईड्रम योजनाओं पर स्थापित 18 इकाईयाँ बन्द हैं।

जी हाँ।

5 हाईड्रम योजनाओं पर स्थापित 10 इकाईयाँ माह जनवरी, 2005 तक चालू कर दी जायेंगी, शेष 5 हाईड्रम योजनाओं पर स्थापित 8 इकाईयों को यथाशीघ्र वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर चालू कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ वि० ख० के टिहरी बांध परियोजनान्तर्गत सर्वेशीट में छूटे डूब क्षेत्र विस्थापित परिवारों की पात्रता

64. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के टिहरी बांध परियोजनान्तर्गत डूब क्षेत्र में पड़ने वाले विस्थापितों के कुल कितने परिवारों की कुछ भूमि सर्वेशीट में छूट गयी है? क्या उक्त परिवार ऐसे परिवार विस्थापितों की पात्रता की श्रेणी में आते हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ, उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत पूर्ण/आंशिक डूब क्षेत्र में 16 गांव आते हैं, जिसमें केवल एक गांव जोगियाड़ा पूर्ण डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है, इस गांव का पूर्ण विस्थापन किया जा रहा है, अवशेष आंशिक डूब के 15 ग्रामों के सापेक्ष कुछ ग्रामों की भूमि सर्वे से छूटी होने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं जिनके पुनः सर्वेक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित पात्रता निर्धारित करने की कार्यवाही गतिमान है। उल्लेखनीय है कि जिस परिवार की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि डूब क्षेत्र में आयेगी उसे ही पूर्ण पात्रता का लाभ मिल सकेगा।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 चिन्यालीसौड़ में टिहरी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र की सर्वेशीट में छूट गये पुश्तैनी घराट इत्यादि की सम्पत्तियों का भुगतान

85. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों कुमराड़ा, हड़ियाड़ी, बधाणगांव व मल्ड गांव के पुश्तैनी गौशालायें, घराट, नहरें, हौज सर्वेशीट में छोड़ी गयी हैं? यदि हाँ, तो क्या इन सम्पत्तियों का भुगतान कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं। धारा–4 से पूर्व निर्मित तथा आर0एल0 835 मी0 से नीचे स्थित गौशालायें, घराट, नहरें, हौज आदि को सर्वेशीट में सम्मिलित किया गया है। कुछ परिसम्पत्तियों के सर्वेशीट में छूट जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा औचित्य पाये जाने पर तद्नुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में तहसील की स्थापना

86. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी, 2004 में गंगोरी उत्तरकाशी में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में चिन्यालीसौड़ में तहसील की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अधिसूचना संख्या–129/राजस्व/2004 दिनांक 13 फरवरी, 2004 द्वारा चिन्यालीसौड़ में तहसील की स्थापना कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में वर्ष 2003–04 में ए0आई0बी0पी0 योजना के अन्तर्गत सिंचाई गूल/हौज के निर्माण का विकासखण्डवार ब्यौरा

87. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में वर्ष 2003–04 में ए0आई0बी0पी0 (A.I.B.P.) (त्वरित सिंचाई) योजना में किन–किन क्लस्टर (क्षेत्र समूहों) में कुल कितनी सिंचाई गूल/हौज निर्मित की गयी तथा विकासखण्डवार कुल कितना व्यय किया?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में वर्ष 2003–04 में ए0आई0बी0पी0 (त्वरित सिंचाई) योजनान्तर्गत निम्नानुसार कलस्टर (क्षेत्र समूहों) में कार्य किया गया:–

(1) कुन्हा–

कुन्हा कलस्टर के अन्तर्गत 18 सिंचाई योजनाओं में 8.685 कि0मी0 गूल निर्मित कर रु0 43.939 लाख का व्यय किया गया।

(2) डिण्डालीसौड़–

इस कलस्टर के अन्तर्गत 24 योजनाओं में 8.77 कि0मी0 गूल एवं 01 हौज निर्मित कर रु0 46.898 लाख का व्यय किया गया।

(3) नौगांव–I

इस कलस्टर के अन्तर्गत 11 योजनाओं में 5.88 कि0मी0 गूल निर्मित कर रु0 33.872 लाख का व्यय किया गया।

(4) नौगांव–II

इस कलस्टर के अन्तर्गत 15 योजनाओं में 11.28 कि0मी0 गूल निर्मित कर रु0 62.44 लाख का व्यय किया गया।

(5) घट्टू–

इस कलस्टर के अन्तर्गत 12 योजनाओं में 10.18 कि0मी0 गूल निर्मित कर रु0 54.01 लाख का व्यय किया गया।

टिहरी बांध परियोजना के सम्बन्ध में हनुमन्तराव कमेटी की रिपोर्ट

88. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना के सम्बन्ध में हनुमन्तराव कमेटी की रिपोर्ट में आंशिक डूब क्षेत्र गांवों को उक्त परियोजना से बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्रवार निर्गत शस्त्र लाइसेंसों की संख्या

89. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वर्षों में जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभावार कितने शस्त्र लाइसेंस दिये गये हैं?

क्या सरकार द्वारा नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों का विधानसभावार विवरण–

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003 में निर्गत श०ला० की संख्या	वर्ष 2004 में निर्गत श०ला० की संख्या
जसपुर	46	52
काशीपुर	201	178
बाजपुर	136	115
गदरपुर-पंतनगर	70	56
रुद्रपुर-किच्छा	251	201
सितारगंज	43	54
खटीमा	43	49
कुल योग–	794	705

शस्त्र लाइसेंस शस्त्र अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जाते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में अनु०जा० एवं अनु०जन०जा० के उत्थान हेतु संचालित योजनायें

90. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रही हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 में उक्त योजनाओं हेतु अवमुक्त की गई धनराशि कितनी थी?

क्या विभाग द्वारा समस्त धनराशि का उपभोग कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद ऊधमसिंह नगर की विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु सरकार द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

1. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति।

2. अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति।

3. जनजाति छात्रावास, काशीपुर।

4. अनुसूचित जाति स्वतः रोजगार योजना।

5. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान।

6. वृद्धावस्था पेंशन।

7. विकलांग पेंशन।

8. विधवा पेंशन।

9. अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न के फलस्वरूप आर्थिक सहायता।

उक्त योजनाओं में वर्ष 2002–03 में रुपये 128.42 लाख तथा वर्ष 2003–04 में रुपये 133.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में आवास विकास परिषद् का गठन

91. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आवास विकास परिषद् का गठन कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य में आवास विभाग का पुनर्गठन करते हुए मा० मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों की उपयोगी व्यवस्थाओं को समाहित कर एक नया अधिनियम बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

इस हेतु मा० शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उत्तरांचल के उद्यमियों द्वारा उत्पादन कर से छूट हेतु आवेदन

92. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल स्थित उद्योगों के उद्यमियों द्वारा उत्पादन कर से छूट दिये जाने हेतु आवेदन किए गए हैं?

यदि हाँ, तो कितने आवेदन किये गए हैं तथा कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–49/2003–केन्द्रीय उत्पाद कर तथा अधिसूचना संख्या–50/2003–केन्द्रीय उत्पाद कर दिनांक 10 जून, 2003 से जारी दिशा–निर्देशों में केन्द्रीय उत्पाद कर से छूट के लिए औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य सरकार को आवेदन–पत्र दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त अधिसूचनाओं तथा केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क आदि विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों तथा पर्याप्त विस्तार की इकाईयों को पात्रता के आधार पर उत्पाद कर में छूट भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा ही दी जा रही है।

उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत देवलसारी गाँव में भूमि धँसने से प्रभावितों के पुनर्वास की माँग

93. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के गाँव देवलसारी में भूस्खलन के कारण गाँव को उत्पन्न खतरे से कतिपय ग्रामीणों ने अपने घर, मकान छोड़ दिये हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव के लोगों को पुनर्वास करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगाव के अन्तर्गत देवलसारी जो राजस्व ग्राम नौगांव का हेमलेट है, काफी समय से भूमि धंस रही है, जिससे किसी परिवार के मकान को कोई क्षति नहीं हुयी है। सूचनानुसार भूमि धंसने से किसी परिवार ने गाँव नहीं छोड़ा है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में विद्युत बिलों में त्रुटि

94. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में प्रतिमाह पूर्व में जमा बिलों की धनराशि भी जुड़ रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस त्रुटि को ठीक करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। विकास खण्ड पोखरी में कुछ विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में त्रुटि होने के कारण विद्युत बिलों में पूर्व माह की धनराशि जुड़ गई थी।

इस त्रुटि को दूर करने हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पोखरी में कैम्प लगाकर त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों में संशोधन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

95. श्री हरभजन सिंह चीमा–

प्रथम मंगलवार के अता0 67 में स्था0

96. श्री हरभजन सिंह चीमा–

प्रथम मंगलवार के अता0 68 में स्था0

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में डांडा नागराज लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण

97. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत डांडा नागराज लिफ्ट पेयजल योजना का प्राक्कलन तैयार हो गया है एवं उक्त पेयजल योजना की लागत क्या है?

उक्त योजना से किन–किन गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी तथा पेयजल योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कांडा नागराज लिफ्ट पेयजल योजना हेतु गठित प्रारम्भिक प्राक्कलन की अनु० लागत रु० 1347.00 लाख है।

योजना में ग्राम पल्ला, पैडुल, धौपाड़ी, पुरमाली, फलोदाकोट, कोटा, क्मोला, मूटानिशी, ल्सोरा, सिलाथू मल्ला, उढी, विजयनगर (उढी), सुरपुर, उगमाला, खरखोला, बिसानी, धिन्डरवाडा, कागर, बागी, सिनाला, ताखुन, मखलोरी, मखकोट, पुन्ड, गौगॉव, रियो, बराकोट, पोखरी, कपूर, बडेथा, खन्हा, रिथुरा, बिलौन, कुरयाला, कांडानागराजा, डांगालाखाल, बडेडाखाल, बनानीखाल, सिलसु पल्ला, दिउशा, बगासू, उपर गाँव, सुनार काण्डई, गौगॉव, भरकोटी, डजासू, ग्रसगढ, सिरागिनी, कुनखुली आदि ग्रामों को जलापूर्ति प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर योजना के निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित लोहारीनाग–पाला व पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट

98. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री जनपद उत्तरकाशी में प्रस्तावित लोहारीनाग–पाला व पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई०आई०ए०) उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इन परियोजनाओं की पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट पर अभी भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त कारण से रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही यह भी सूचनीय है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट काफी विस्तृत एवं बृहद अभिलेख होने के कारण इसे उत्तर के रूप में उपलब्ध कराया जाना भी सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उपाय

99. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ विद्युत आपूर्ति की अनियमित समस्या से ग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में विद्युत सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु चिन्यालीसौड़ में स्थित सब स्टेशन को फीडर संख्या दो एवं 19 से जोड़ने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ की विद्युत आपूर्ति 33 के0वी0 फीडर संख्या 6 से की जा रही है। कभी–कभी आकस्मिक कारणों से आपूर्ति में व्यवधान होता है।

33 के0वी0 फीडर संख्या 2 स्वतन्त्र रूप से मनेरी भाली स्टेज–2 परियोजना को विद्युत आपूर्ति करता है इससे चिन्यालीसौड़ को भी विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। चिन्यालीसौड़ की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 33 के0वी0 कमान्द उपकेन्द्र से चिन्यालीसौड़ तक अन्य लाइन बनाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्य फरवरी, 2005 से प्रारम्भ हो जायेगा और जून, 2005 तक यह लाइन पूरी कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पेयजल निगम एवं जल संस्थान में वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में सेवानिवृत्त हुए अभियन्ताओं को पुनः सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति दिये जाने के कारण

100. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पेयजल निगम एवं जल संस्थान में वर्ष 2003–04 एवम् 2004–05 में सेवानिवृत्त हो रहे अभियन्ताओं को पुनः नियुक्ति, सेवा विस्तार या संविदा आदि पर नियुक्ति दी गयी है?

यदि हाँ, तो उक्त दो वित्तीय वर्षों में कुल कितनी नियुक्तियाँ की गई हैं?

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त को सेवा विस्तार दिये जाने के क्या कारण थे?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वर्ष 2003–04 में सेवा निवृत्त अभियन्ताओं में से कुल 5 को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किया गया तथा वर्ष 2004–05 में भी कुल 5 को उपरोक्तानुसार नियुक्त किया गया।

विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण सेवा निवृत्त अभियन्ताओं को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किया गया।

पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया

101. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पशुधन प्रसार अधिकारियों के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?

क्या सरकार इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

335

जी हाँ।

चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र आरम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ए०पी०डी०आर०पी० योजना का आरम्भ एवं अब तक वर्षवार प्राप्त धनराशि

102 श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित ए०पी०डी०आर०पी० योजना कब प्रारम्भ हुई थी।

तथा योजना आरम्भ होने से अब तक वर्षवार प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई।

तथा कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ए०पी०डी०आर०पी० योजना वर्ष 2002–2003 में आरम्भ हुई।

योजना आरम्भ होने से अब तक उत्तरांचल राज्य के सभी जिलों में कार्य कराने हेतु रु० 361.51 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई जिसके विरुद्ध वर्ष 2002–03

में रु० 99.63 करोड़ वर्ष 2003–04 में रु० 61.08 करोड़ एवं 2004–05 में रु० 6.13 करोड़ (कुल रु० 166.84 करोड़) प्राप्त हुए।

माह 12/2004 तक लगभग रु० 70.62 करोड़ के कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि०ख० अगस्त्यमुनि में 66 के०वी०ए० विद्युत लाइन से सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव

103. श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड–अगस्त्यमुनि में 66 के०वी०ए० लाइन से विद्युत सुविधा दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब से यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकासखण्ड अगस्त्यमुनि (जनपद रुद्रप्रयाग) में 66 के०वी०ए० का कोई विद्युत उपकेन्द्र/लाईन नहीं है। अगस्त्यमुनि में 250 के०वी०ए० उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि कर 400 के०वी०ए० कर दी गई है जिससे अगस्त्यमुनि में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है।

जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में लो–वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का प्रस्ताव

104. श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लो–वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ में विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० उखीमठ विद्युत उपकेन्द्र से 11 के०वी० लाईन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। केदारनाथ में दो नये 11 के०वी० उपसंस्थानों का निर्माण वर्ष 2004 में किया जा चुका है। अतः लो–वोल्टेज की अब कोई समस्या नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा/क्षतिपूर्ति राहत राशि का भुगतान

105. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत भूस्खलन के कारण प्रभावितों को एक वर्ष से अधिक समयावधि बीतने के बाद भी मुआवजा/क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी? यदि हाँ, तो सरकार प्रकरण को कब तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वरूणावत पर्वत ट्रीटमेंट कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 15–10–2004 एवं वरूणावत पर्वत ट्रीटमेंट कार्यों की समीक्षा एवं मार्ग दर्शन हेतु गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 25–11–2004 में लिये गये निर्णयानुसार प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा/क्षतिपूर्ति राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय में प्रभावित परिवारों के भवनों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उनके मूल्यांकन हेतु गठित तकनीकी टीमों द्वारा मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। जो जनवरी 2005 के प्रथम पक्ष तक पूर्ण करवा लिया जायेगा। तत्पश्चात् देय राहत राशि के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0ख0 के ग्राम पंचायत बैनाली का विद्युतीकरण

106. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बैनाली पो0 नौलाकोट का विद्युतीकरण हो चुका है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के निवासियों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम बैनाली पो0 नौलाकोट विकासखण्ड द्वाराहाट का विद्युतीकरण विभाग द्वारा दिनांक 30–12–91 को करा दिया गया था परन्तु ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संयोजन लेने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया जिससे अनुरक्षण के अभाव में उक्त विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

विभाग द्वारा ग्रामवासियों को विद्युत संयोजन लेने हेतु पुनः प्रेरित किया जा रहा है। संयोजन हेतु आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर उक्त क्षतिग्रस्त लाईन की मरम्मत कर पुनः विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से उत्तरांचल को परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही

107. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार के अनुदान पर स्थापित, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल में 'आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ' को 'समस्त मानव संसाधन' एवं समस्त परिसम्पत्तियों सहित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून को स्थानान्तरित कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कार्यरत सभी सदस्यों को प्रबन्धन केन्द्र देहरादून को अवमुक्त किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल में भारत सरकार के अनुदान पर स्थापित आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ को समस्त मानव संसाधन सहित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून को स्थानान्तरित किया जा चुका है। परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ में कार्यरत सदस्यों द्वारा जिन्हें आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून हेतु प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा अवमुक्त किया गया था उन्होंने आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून में अपनी योगदान आख्या दे दी है।

जनपद पिथौरागढ़ में टाना जापूका पेयजल योजना के जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य

108. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में टाना जापूका पेयजल योजना वर्ष 2002 से बन्द पड़ी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा सुलभ करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

टाना जापूका पेयजल योजना के जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2005–06 की जिला योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के खोला पेयजल योजना का निर्माण

109. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के खोला पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2002 में किया गया?

यदि हाँ, तो क्या उक्त पेयजल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ की खोला पेयजल योजना की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2002–03 में स्वीकृत/प्रारम्भ किया गया।

योजना के कार्य सम्पादन के समय विवाद उत्पन्न होने के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध हो गया था जिस कारण आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में सांडों की खरीद

110. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के किन–किन जनपदों के पशुप्रजनन केन्द्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–2004 एवं 2004–05 में कुल कितने लागत के एवं कितने सांड खरीदे गये?

क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सांडों की खरीद किस राज्य से की गई तथा उक्त सांड वर्तमान में किन–किन जनपदों के पशुप्रजनन केन्द्र में उपलब्ध हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों के पशुप्रजनन केन्द्रों द्वारा खरीदे गये सांडों का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं०	जनपद	2003–04		2004–05		योग	
		सं०	लागत	सं०	लागत	सं०	लागत
1.	नैनीताल	58	440000	02	15500	60	455500
2.	अल्मोड़ा	50	406000	—	—	50	406000
3.	बागेश्वर	18	147000	—	—	18	147000
4.	पिथौरागढ़	36	290000	—	—	36	290000
5.	चम्पावत	15	124000	—	—	15	124000
6.	देहरादून	21	168000	02	18000	23	186000
7.	टिहरी	114	908000	03	27000	117	935000
8.	उत्तरकाशी	20	161000	03	27000	23	188000
9.	पौढ़ी	19	155000	02	17000	21	172000
10.	रुद्रप्रयाग	30	242000	—	—	30	242000
11.	चमोली	18	145000	07	63000	25	208000
	योग:–	399	3186000	19	167500	418	3353500

सांडों की खरीद उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा से की गई। उक्त सांड उत्तरांचल के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौढ़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली जनपदों के दारिन्दा पद्धति पर संचालित स्वरोजगारी नैसर्गिक पशु प्रजनन केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

जनपद चमोली के अन्तर्गत कुल चिन्हित नहरें

111. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में ऐसी कितनी सिंचाई नहरों को चिन्हित किया गया है जो निर्माण के पश्चात् निर्धारित भू–क्षेत्र को सिंचन लाभ नहीं पहुँचा रही हैं?

क्या उक्त संदर्भ में दोषियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के अन्तर्गत ऐसी 18 नहरें चिन्हित की गई हैं।

इन नहरों के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच कराकर दोषी पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

112. श्री महेन्द्र भट्ट–

प्रथम शुक्रवार के अता0 75 में स्था0

उत्तरांचल में चारधाम एवं पर्यटक स्थलों हेतु हवाई पट्टियों का निर्माण

113. श्री अनिल नौटियाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में चारधाम यात्रा एवं पर्यटक स्थलों की सुगम यात्रा हेतु कितनी हवाई पट्टियों का निर्माण कराया गया तथा उक्त पट्टियाँ कहाँ–कहाँ स्थित हैं?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन हवाई पट्टियों पर यात्रियों को क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तीन हवाई पट्टियों का निर्माण कराया गया।

नैनी–सैनी, पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, गौचर, चमोली। इन हवाई पट्टियों के विकास एवं यात्रियों की सुविधा हेतु निम्नवत् सुविधायें विकसित की गई हैं:–

<u>नैनी–सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़–</u>

हवाई पट्टी की सुरक्षा, बाउन्ड्रीवाल, दीवारों की मरम्मत एवं निर्माण, कन्ट्रोल रूम भवन की मरम्मत, आवासीय एवं अनावासीय भवनों में विद्युतीकरण का कार्य, आवासीय भवनों की मरम्मत।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी, उत्तरकाशी–

हवाई पट्टी में अवशेष बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य, हवाई पट्टी के मोटर मार्ग का निर्माण, अवशेष कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन/क्रय।

गौचर हवाई पट्टी, जिला चमोली–

हवाई पट्टी के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन/क्रय, सम्पर्क मार्ग का निर्माण, पहुँच मार्ग के सुधार एवं डामरीकरण का कार्य, चहारदीवारी का निर्माण, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त भूमि का क्रय, एटीसी/प्रशासनिक भवन का निर्माण, 100 केवीए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना तथा हवाई पट्टी के लिये पेयजल आपूर्ति की योजना आदि सुविधाओं को सृजित किया गया है।

जनपद चमोली के गैरसैंण वि०ख० के सणकोट पेयजल योजना का निर्माण

114. श्री अनिल नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री की जानकारी में है कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत सणकोट पेयजल योजना के निर्माण की योजना शासन स्तर पर लम्बित है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सणकोट पेयजल योजना के नाम से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य में लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें व स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें के अधीन किया जाना

115. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लेखा परीक्षा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें व स्थानीय निधि लेखा परीक्षा को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं के अधीन किया गया है?

यदि हाँ, क्या राज्य में लेखा परीक्षा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों का पृथक निदेशालय गठित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अलग निदेशालय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

जनपद उत्तरकाशी के यमुनोत्री में कालिन्दी पर्वत भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मन्दिर परिसर का पुनर्निर्माण

116. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यमुनोत्री में 27–7–2004 की रात्रि को कालिन्दी पर्वत भूस्खलन के कारण 08 स्थानीय लोगों की मृत्यु हुई थी तथा मन्दिर परिसर क्षतिग्रस्त हुआ एवं एक करोड़ रुपये की दिये जाने की घोषणा ट्रीटमेंट व पुनर्निर्माण कार्यों को किये जाने हेतु की गई थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त पर कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 28 व 29 जुलाई, 2004 की रात्रि को यमुनोत्री तीर्थ स्थल में कालिन्दी पर्वत से हुये भूस्खलन के कारण 08 स्थानीय लोगों की मृत्यु हुई थी। मुख्य मन्दिर को कोई क्षति नहीं हुई किन्तु मन्दिर परिसर में स्थित दिव्यशिला के ऊपर निर्मित टिन शेड पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुआ है और तप्तकुण्ड में मलबा भर गया। उक्त मृतक सभी 08 व्यक्तियों के आश्रितों को 50–50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता तथा मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत 50–50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। क्षतिग्रस्त मन्दिर परिसर के मरम्मत कार्य हेतु रु0 1.00 करोड़ की घोषणा की गई है। अतिवृष्टि/भूस्खलन से यमुनोत्री मन्दिर परिसर में हुई क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के पुनर्निर्माण एवं यमुनोत्री तीर्थ स्थल में अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के लिये वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्ययोजना बनायी गयी है। कार्ययोजना भारतीय भू–गर्भीय सर्वेक्षण विभाग को सहमति हेतु प्रेषित की गयी है। भारतीय भू–गर्भीय सर्वेक्षण विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त तीनों विभागों द्वारा तैयार कार्ययोजना पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अल्मोड़ा जनपद वि० ख० भैसियाछाना के जिगल नहर का जीर्णोद्धार

117. श्री कैलाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के भैसियाछाना वि० ख० की नाली जिगल नहर वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नहर के जीर्णोद्धार कराये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

अल्मोड़ा जनपद विकास खण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत विगत नहर का कतिपय क्षतिग्रस्त भाग का जीर्णोद्धार वर्ष 2001–02 में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 हवालबाग की सिंचाई लिफ्ट योजना, पाखुड़ा के पम्पों की क्षमता

118. श्री कैलाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के वि0ख0 हवालबाग के सिंचाई लिफ्ट योजना पाखुड़ा के पम्पों की क्षमता कम है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अधिक क्षमता वाले पम्पों को लगाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पाखुड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना पर परियोजनानुसार पूर्व में एक नम्बर पम्प 25 एच0पी0 का तथा 2 नं0 पम्प 10–10 एच0पी0 के लगे हुए थे, जिनमें से एक बार में 25 एच0पी0 वाला पम्प अथवा 10–10 एच0पी0 (कुल 20 एच0पी0) के पम्प चलाये जाते थे। 10–10 एच0पी0 के पम्प जीर्ण–शीर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर एक पम्प 25 एच0पी0 का स्थापित कर दिया गया, अर्थात् एक समय में एक ही 25 एच0पी0 के पम्प की आवश्यकता पड़ती है। एक पम्प स्टैण्ड बाई के रूप में रहता है। अतः प्रश्नगत योजना पर स्थापित पम्पों की क्षमता पर्याप्त है।

उत्तरांचल पेयजल निगम में पर्वतीय संवर्ग के फर्जी विकल्प पत्रों की सी0बी0आई0 जाँच के सन्दर्भ में

119. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पेयजल निगम में पर्वतीय संवर्ग के फर्जी विकल्प पत्रों की सी0बी0आई0 जांच के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ द्वारा 28–1–2004 को कोई ज्ञापन मा0 मुख्यमंत्री जी को दिया था?

यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ से सम्बन्धित होने के कारण प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम को सन्दर्भित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भैसियाछाना के नौगांव रीठागाड़ में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार

120. श्री कैलाश शर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भैसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव रीठागाड़ में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के ग्राम पंचायत कनौल में वर्ष 2001–02 में हुए भूस्खलन के सन्दर्भ में कार्यवाही

121. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के ग्राम पंचायत कनौल में वर्ष 2001–02 में हुए भूस्खलन के सन्दर्भ में भूगर्भीय वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स ने अपने पत्रांक 1948/टी0एफ0सी0/भूकम्प 2001, दिनांक 20–06–2001 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को रिपोर्ट प्रेषित की है? यदि हाँ, तो उक्त सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

वर्ष 2001 में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम कनौल में दिनांक 7–1–2001 को श्री सौणिया सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह व श्री चन्द्रसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह की गौशाला/मकान के अन्दर पानी घुसने के कारण खाद्यान्न आदि सामान क्षतिग्रस्त हुआ। प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार रु0 1200/– अहेतुक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2002 में विकास खण्ड घाट के ग्राम कनौल में दिनांक 16–1–2002 को श्री कंचन सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह व श्री गजनसिंह पुत्र मोहन सिंह का आवासीय मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ जिन्हें अहेतुक व गृह अनुदान रु0 1000/– एवं रु0 800/– कुल रु0 1800/– प्रति परिवार की दर से वितरण किया जा चुका है।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं तथा तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल रिक्त पद एवं उन्हें भरने पर विचार

122. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार उक्त पदों को भरे जाने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रवक्ता– 508

तृतीय श्रेणी– 136

चतुर्थ श्रेणी– 171

कुल योग– 815

जी हाँ।

प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के राजस्व ग्राम कनार को नगर पंचायत द्वाराहाट में सम्मिलित किए जाने विषयक

123. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कनार (पूर्व में ग्राम सभा–भुनिकिया द्वाराहाट) को नगर पंचायत द्वाराहाट (अल्मोड़ा) के गठनोपरान्त किसी ग्राम सभा में सम्मिलित किया गया है?

यदि हाँ, तो किस राजस्व ग्राम सभा में?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिसूचना संख्या–8506–टी/9–1–78–18 एन–ए–70 दिनांक 9 अक्टूबर, 1978 द्वारा राजस्व ग्राम कनार (पूर्व ग्राम सभा–भुनिकिया) को नगर पंचायत द्वाराहाट में सम्मिलित किया गया है।

जनपद रुद्रप्रयाग वि0ख0 अगस्त्यमुनि के ग्रामसभा क्यूँजा तोकों/मौहल्लों का विद्युतीकरण

124. श्रीमती आशा देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम सभा क्यूँजा के सिराली, पहेडी, जोबाधार, अनु0 जाति

बस्ती कोटला व धारी तोक एवं मनगतोली मौहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

सम्बन्धित तोकों/मौहल्लों का विद्युतीकरण वर्ष 2006–07 तक कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के मण्कारी गाँव रजवार में ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं ऊर्जीकरण

125. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के मण्कारी गाँव रजवार में टू–फेज का ट्रान्सफार्मर लगे होने के कारण पूरे गाँव में लो–वोल्टेज रहती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लो–वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु थ्री–फेज का ट्रान्सफार्मर लगायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ के मण्कारी गाँव रजवार में एक थ्री–फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, परन्तु गाँव में लम्बी सिंगल फेज लाईन होने के कारण लो–वोल्टेज की समस्या है।

जी हाँ।

ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं ऊर्जीकरण फरवरी, 2005 तक पूरा होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के रा० महाविद्यालय गोपेश्वर, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

126. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रा० महाविद्यालय गोपेश्वर, कर्णप्रयाग एवम् पोखरी में किन–किन विषयों के प्रवक्ताओं के

पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने हेतु कोई व्यवस्था किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर, कर्णप्रयाग तथा पोखरी में निम्नांकित विषयों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं।

गोपेश्वर– हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान, बी०एड०, भूगर्भ विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, वाणिज्य।

कर्णप्रयाग– अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, वाणिज्य।

पोखरी– कोई नहीं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता दिये जाने विषयक

127. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में केन्द्रीय कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता दिया जा रहा है?

यदि हाँ तो प्रदेश सरकार उक्त की भाँति कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में भत्तों में परस्पर समानता (पैरिटी) का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया है, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में अनुमन्य भत्ता दिया जा रहा है।

जनपद चमोली के वि०ख० कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण में बाढ़ की समस्या एवं निराकरण

128. श्री अनिल नौटियाल–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं गैरसैंण के अन्तर्गत क्रमशः सिमली बाजार, सिम्मर–सैंण तथा खनसर क्षेत्र में बाढ़ की गम्भीर समस्या है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

कार्य योजना बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सभी वि0ख0 में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती

129. श्री कैलाश शर्मा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती करने की सरकार कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित है। अभ्यर्थियों के चयन होने पर नियमित खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अल्मोड़ा के पटवारी प्रशिक्षण तथा समीपवर्ती ग्रामों के लिए पेयजल आपूर्ति

130. श्री कैलाश शर्मा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पटवारी प्रशिक्षण अल्मोड़ा तथा समीपवर्ती ग्रामों हेतु बनी पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में भैसियाछाना वि०ख० में सिंचाई व्यवस्था

131. श्री कैलाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भैसियाछाना वि०ख० में ग्राम पंचायत तल्ली नाली तथा मल्ली नाली में सिंचाई व्यवस्था हेतु सरकार लिफ्ट सिंचाई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जिला योजना वर्ष 2005–06 हेतु जिला अनुश्रवण समिति द्वारा इस कार्य हेतु रु० 50 हजार की धनराशि अनुमोदित की गई है। वित्तीय उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में एस०डी०एम० के पद पर प्रोन्नत कुल तहसीलदारों की संख्या एवं वर्तमान में एस०डी०एम० के कुल रिक्त पद

132. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने तहसीलदारों को प्रोन्नति देकर एस०डी०एम० के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है?

क्या मुख्यमंत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में एस०डी०एम० के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

46

15 पद रिक्त हैं। यह रिक्तियाँ पी०सी०एस० अधिकारियों का अन्तिम आवंटन पूर्ण न होने के कारण अस्थायी रूप से है। उत्तरांचल लोक सेवा आयोग को 15 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु अधियाचन वर्ष 2002 में भेजा गया है तथा 5 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु वर्ष 2004 में अधियाचन भेजा गया है।

राज्य में रिक्त मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति

133. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दो जनपदों में।

जी नहीं।

उत्तरांचल राज्य में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की कमी होने के कारण तैनाती नहीं की जा सकी है।

जनपद चमोली में कुल तहसीलों में तहसीलदारों की तैनाती

134. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली की कुल कितनी तहसीलों में तहसीलदारों की तैनाती नहीं हो पाई है?

क्या सरकार उक्त तहसीलों में तहसीलदारों की नियमित तैनाती करने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली की 06 तहसीलों में से 02 तहसीलों में नियमित तहसीलदारों की तैनाती की गई है तथा शेष 04 पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था से तहसीलदारों की तैनाती की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पिथौरागढ़ स्थित मैग्नासाइट फैक्ट्री को पुनः संचालित किए जाने की योजना

135. श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ स्थित मैग्नासाइट फैक्ट्री पुनः संचालित किए जाने की सरकार कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ स्थित मै0 मैग्नासाइट एण्ड मिनरल्स लि0, चण्डाक (पिथौरागढ़) श्रमिक असंतोष के कारण 15–08–98 से बन्द हो गई थी। इकाई के पुनर्जीवीकरण का मामला बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत है। बी0आई0एफ0आर0 में दिनांक 24–08–2000 को प्रकरण पर सुनवाई हुई थी, जिसमें इकाई की ओर से उनके प्रबन्धक, बैंक/वित्तीय संस्थाओं की ओर से उनके प्रतिनिधि तथा श्रमिक संघ के दो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। बैंक के प्रतिनिधियों के विचार जानने के बाद इकाई को बन्द करने की संस्तुति की गयी। वित्तीय संस्था पिकप को फैक्ट्री का स्वामित्व ग्रहण करने के निर्देश बी0आई0एफ0आर0 द्वारा दिए गये। इस आदेश दिनांक 24–08–2000 के अनुपालन में पिकप द्वारा फैक्ट्री में स्थित मशीनें व कच्चेमाल का स्वामित्व दिनांक 09–11–2000 को ले लिया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ में पावर ग्रिड 220/132 के0वी0 उपसंस्थान की स्थापना हेतु अर्जित की गई भूमि

136. श्री प्रकाश पन्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पावर ग्रिड 220/132 केवी उपसंस्थान की स्थापना हेतु अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं?

यदि हाँ, तो आपत्तियों के मुख्य बिन्दु क्या हैं?

क्या उक्त आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

लोक महत्व एवं पर्यटन की दृष्टि से भूमि अध्याप्ति न की जाय।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ स्थल निरीक्षण उपरान्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा निरापत्ति व्यक्त की गई है।

जनपद पिथौरागढ़ में रई झील निर्माण हेतु योजना

137. श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रई झील निर्माण हेतु सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रश्नगत झील का निर्माण सिंचाई हेतु न होकर पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावित है। जिला अधिकारी, पिथौरागढ़ की अपेक्षानुसार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अनुसंधान एवं नियोजन–11, पिथौरागढ़, द्वारा रु0 8.54 करोड़ लागत का आगणन तैयार कर दिनांक 29–6–04 को उन्हें उपलब्ध कराया गया है, साथ ही विस्तृत सर्वेक्षण हेतु जी0एस0आई0, देहरादून एवं लखनऊ को अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 842/अनिस–2/पटकेश्वर दिनांक 4–12–2004 को भेजा गया। जी0एस0आई0 के द्वारा योजना की उपादेयता की पुष्टि किये जाने, रक्षा विभाग के कृषि अनुसंधान केन्द्र, पण्डा की कुछ भूमि प्राप्त होने तथा पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषण की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ के नैनी–सैनी हवाई पट्टी का विस्तार

138. श्री प्रकाश पन्त–

क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार की पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नैनी–सैनी हवाई पट्टी का विस्तार कर, नियमित वायु सेवा प्रारम्भ करने की कोई कार्ययोजना है?

यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यरूप में परिवर्तित हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कुल जल विद्युत तथा लघु जल विद्युत परियोजनायें एवं उत्पादित विद्युत हेतु पावर हाउस तथा पारेषण लाइनों का निर्माण

139. श्री प्रकाश पन्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितनी जल विद्युत परियोजनायें तथा लघु जल विद्युत परियोजनायें स्थापित हैं?

क्या उक्त योजनाओं द्वारा लक्ष्य के अनुरूप उत्पादित विद्युत का उपभोग करने हेतु पावर हाउस तथा पारेषण लाइनों का निर्माण किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री.नारायण दत्त तिवारी–

राज्य में कुल 82 जल विद्युत परियोजनायें तथा लघु जल विद्युत परियोजनायें स्थापित हैं।

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० द्वारा संचालित सभी वृहद परियोजनायें पारेषण लाइन से जुड़ी हैं केवल 07 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ा जाना है। साथ ही उरेडा द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं हेतु स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण की अधिकांश लघु जल विद्युत परियोजनायें भी ग्रिड से नहीं जुड़ी हैं।

उक्त वर्णित 07 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

उरेडा द्वारा संचालित अधिकांश परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का उपयोग मुख्यतः दूरस्थ ग्रामों में स्थानीय रूप से किया जाता है।

जनपद रुद्रप्रयाग को आपदा ग्रस्त जनपद घोषित किये जाने एवं प्रतिवर्ष आवंटित आपदा बजट बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

140. श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग को आपदा ग्रस्त जनपद घोषित किये जाने एवं प्रतिवर्ष आवंटित किये जाने वाले आपदा बजट को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब से एवं कुल आपदा बजट कितना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

दैवी आपदा की दृष्टि से जनपद रुद्रप्रयाग को अति संवेदनशील जनपद मानते हुये जोन–5 में रखा गया है। जनपद रुद्रप्रयाग को वर्ष 2004–05 में अब तक अहेतुक सहायता मद में रु0 7.50 लाख, गृह अनुदान मद में रु0 7.50 लाख एवं अनुग्रह अनुदान मद में रु0 7.50 लाख, पेयजल मद में रु0 18.00 लाख तथा विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत कार्य हेतु रु0 29.50 लाख, कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु रु0 5.00 लाख तथा शीतलहरी से बचाव एवं राहत कार्यों हेतु रु0 40.000 हजार की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद रुद्रप्रयाग को कुल रु0 75.40 लाख का धनावंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में आपदा राहत कोष से आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग को रु0 1.50 करोड़ की धनराशि जनपदवार एलोकेशन द्वारा स्वीकृत की गयी है।

ग्राम सभा कल्याड़ी को तहसील कर्णप्रयाग में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार

141. श्री अनिल नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के वि०ख० कर्णप्रयाग की ग्राम सभा कल्याड़ी को तहसील गैरसैंण के अन्तर्गत रखा गया है?

क्या सरकार ग्राम सभा कल्याड़ी को तहसील कर्णप्रयाग में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

परिसीमन आयोग नई दिल्ली द्वारा परिसीमन के दौरान प्रशासनिक इकाईयों के गठन/परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के पशु प्रजनन केन्द्र भरारीसैंण की स्थापना का समय एवं कुल पदों पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

142. श्री अनिल नौटियाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में पशु प्रजनन केन्द्र भरारीसैंण की स्थापना कब की गई थी?

क्या पशुपालन मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में वहाँ पर किस–किस पद पर कितने अधिकारी–कर्मचारी कार्यरत हैं?

क्या उक्त पशु प्रजनन केन्द्र पर स्थापित मशीनों/उपकरणों का उपयोग सुचारू रूप से किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1980–81 में।

पशु प्रजनन केन्द्र भराड़ीसैण जनपद चमोली में वर्तमान समय में निम्नवत् कार्मिक कार्यरत हैं-

पदनाम	संख्या
डेरी प्रभारी/कृषि सहायक	01
पशुधन प्रसार अधिकारी	01
लेखाकार	01
प्रसार सहायक	01
कनिष्ठ सहायक	03
विद्युत यांत्रिक	01
जनरेटर आपरेटर	01
पावर टिलर आपरेटर	01
जलफिटर	01
चालक	02
ट्रैक्टर आपरेटर	01
चतुर्थ श्रेणी	17
योग-	31

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के ग्राम ऐंगढ़ में भूस्खलन/भूमि कटाव

143. श्री अनिल नौटियाल-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण के ग्राम ऐंगढ़ को भूमि कटाव से खतरा बना हुआ है? क्या ग्राम ऐंगढ़ को विस्थापित कर अन्यत्र बसाये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त ग्राम वासियों को अन्यत्र बसाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जनपद चमोली के विकास खण्ड के ग्राम ऐंगढ़ में भूस्खलन/भूमि कटाव के कारण वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। इस स्थिति में उक्त ग्राम वासियों को अन्यत्र बसाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1999 में आये भूकम्प से ग्राम ऐंगढ़ के 25 परिवारों को क्रमशः श्रेणी-2, श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 में सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आकलित क्षति के अनुसार रु0 1,12,500/- गृह अनुदान मद में आर्थिक सहायता दी गई है।

वर्ग–चार की भूमि को कब्जेधारियों को ही विक्रय करने की योजना

144. श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ग–चार की भूमि को कब्जेधारियों को ही विक्रय करने की सरकार ने कोई योजना बनायी है?

यदि हाँ, तो इस योजना का प्रारूप क्या है?

सरकार कब तक इस योजना को क्रियान्वित कर देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों द्वारा बैंकों से ऋण लेने पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की योजना

145. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार कृषकों द्वारा बैंकों से ऋण लेने पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की अधिसूचना संख्या 28/XXVII(5)/स्टाम्प/01 दिनांक 10–10–2001 के माध्यम से कृषकों द्वारा बैंकों से ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा रुपया 45000.00 से बढ़ाकर रुपया 1.00 लाख किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

प्रदेश में दलित वर्ग एवं अन्य वर्ग के गरीब लोगों को "गवर्नमेन्ट ग्रान्ट" के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि स्वीकृत कराना

146. श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दलित वर्ग एवं अन्य वर्ग के गरीब लोगों को पूर्व की भांति 'गवर्नमेन्ट ग्रान्ट' के अन्तर्गत आवासीय मकान बनाने हेतु पट्टे पर भूमि स्वीकृत कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दलित वर्ग एवं अन्य वर्ग के गरीब लोगों को आवासीय प्रयोजन हेतु गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत बेनाप भूमि के पट्टे दिये जाते थे, किन्तु रिट पिटीशन संख्या–202/95 टी०एन० गोंडावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा बेनाप भूमि को वन भूमि माने जाने के कारण उक्त पट्टे दिया जाना बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० ताड़ीखेत में "खनिया पम्पिंग पेयजल योजना" की वित्तीय स्वीकृति

147. श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० ताड़ीखेत में "खनिया पम्पिंग पेयजल योजना" का 61.11 लाख रुपये का आगणन जल निगम, रानीखेत द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या

149. श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कितने पुलिस कर्मी विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं?

क्या यह सत्य है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षार्थ लगाया गया है?

यदि हाँ, तो कितने पुलिसकर्मी?

क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

432 (चार सौ बत्तीस)।

इसके अतिरिक्त महामहिम श्री राज्यपाल की सुरक्षा में राजभवन देहरादून में एक कम्पनी पी०ए०सी०, राजभवन नैनीताल में डेढ़ प्लाटून पी०ए०सी० तथा मा० मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा हेतु उनके आवास पर एक कम्पनी पी०ए०सी० अलग से नियुक्त है एवं डेढ़ सेक्शन पी०ए०सी० द्रोण होटल में मा० विधायकगण तथा डेढ़ सेक्शन मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा में नियुक्त है।

जी हाँ।

10 (दस)।

राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा की आवश्यकता समझी गयी।

जनपद टिहरी गढ़वाल में मेसर्स पीईएस इंजी० प्रा० लि० कम्पनी कोटी कालोनी के विरुद्ध विद्युत चोरी की प्राथमिकी थाने में दर्ज

150. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 23–07–2004 को मु०अ०सं० 821/144–04 धारा 39/44 भारतीय विद्युत अधि० संशोधन 1986 के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड अधिकारी टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल में मैसर्स–पीईएस इंजी० प्रा०लि० कम्पनी कोटी कॉलोनी, टिहरी के विरुद्ध चोरी की कोई प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई?

यदि हाँ, तो क्या इसमें संलिप्त विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच कर दोषियों को दण्डित किया जायेगा?

क्या यह सत्य है कि इस मामले में अधिशासी अभियन्ता संलिप्त हैं और खण्डीय कार्यालय से उन्हें हटाया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण की प्राथमिक जाँच कराई गई है। अब विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है, जिसके क्रम में ही यथाआवश्यक दण्डादेश पारित किया जा सकेगा।

विभागीय जाँच के उपरान्त ही संलिप्तता का निर्धारण हो सकेगा। सम्बन्धित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को खण्डीय कार्यालय से स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में विभिन्न मोटर मार्गों को अति उत्तम श्रेणी प्रदान की सूचना

151. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित 32 निर्माण कार्यों को नेशनल क्वालिटी मानीटर द्वारा निरीक्षण एवं जाँच के पश्चात् अति उत्तम श्रेणी प्रदान की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना के अधीन जनपद टिहरी गढ़वाल में कराये जा रहे निर्माण कार्य की कितनी तथा कौन सी सड़कें अति उत्तम श्रेणी की हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में निम्न मोटर मार्गों को अति उत्तम श्रेणी प्रदान की गयी है:–

1. नकोट चामनी पट्टा मार्ग कि०मी० 1 से 5.5 तक

2. नकोट चामनी पट्टा मार्ग कि०मी० 5.5 से 11 तक

3. नकोट चामनी पट्टा मार्ग कि०मी० 11 से 17 तक

4. चामनी जल्धार, कुडियाल गाँव, चम्बा मार्ग।

विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी में वर्ष 2002 से जून 2004 तक कुल गाँव व तोकों का विद्युतीकरण

162. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2002 से जून, 2004 तक कितने ग्रामों व तोकों का विद्युतीकरण किया गया?

क्या उक्त का विवरण ग्रामों व तोकों के नामावार पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2002 से जून, 2004 तक निम्न गाँवों एव तोकों का विद्युतीकरण किया गया:–

2001–02	2002–03	2003–04
24	42	84

उपरोक्तानुसार सूची संलग्न।

(नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 268–289 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि-की-रेती में कौडार से प्रतो हेतु 10 कि0मी0 नहर का निर्माण

153. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 28 फरवरी, 2004 को हर्बलपार्क मुनि-की-रेती के उद्घाटन अवसर पर मुनि-की-रेती में कौडार से प्रतो जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु 10 कि0मी0 नहर निर्माण की घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो नहर का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

कौडार नहर का 10 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु योजना का विस्तृत सर्वेक्षण करवाने पर लाभ लागत की दृष्टि से सम्पूर्ण योजना उपयोगी नहीं पायी गई, केवल 2 कि0मी0 लम्बाई में जो लाभप्रद सम्भावित है, में नहर निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 17 मई, 2003 को आवेदित पदों पर नियुक्तियाँ

154. श्री प्रकाश पन्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 17 मई, 2003 को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से विभिन्न पदों हेतु आवेदन माँगे गये थे?

यदि हाँ, तो क्या आवेदित पदों पर नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं?

क्या उक्त नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार शिकायतों की जाँच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 17 मई, 2003 को केवल डाटा एण्ट्री आपरेटर के 92 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन-पत्र माँगे गये थे।

डाटा एण्ट्री आपरेटर के पद पर 67 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं तथा 17 अभ्यर्थियों को और नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार चयन सूची से शेष नियुक्तियाँ की जायेंगी।

उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इन शिकायतों का परीक्षण किया जा चुका है। चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। अतः पुनः जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के महाविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक स्तर पर उर्दू विषय के अध्ययन की व्यवस्था

155. श्री तसलीम अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किन-किन महाविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक स्तर पर उर्दू विषय के अध्ययन की व्यवस्था है?

क्या सरकार प्रत्येक जनपद के एक महाविद्यालय में व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूप से उर्दू अध्ययन के लिये उर्दू विषय की व्यवस्था करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में उर्दू विषय के अध्ययन की व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

किसी भी विषय को प्रारम्भ करने की अनुमति पर विचार सम्बन्धित विषय की माँग होने पर ही किया जाता है।

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, मुबारिकपुर, खिदायीपुर की चकबन्दी

156. श्री तसलीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, आदमपुर, मुबारिकपुर, खिदायीपुर की चकबन्दी कब और किस सन् में हुई थी?

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उक्त तीनों मौजों की चकबन्दी हेतु ग्राम सुल्तानपुर के किसान काफी समय से माँग कर रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तीनों मौजों आदमपुर, मुबारिकपुर, खिदायीपुर की चकबन्दी अतिशीघ्र करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत मौजों की चकबन्दी पूर्व में सन् 1961–62 में हुई थी।

प्रश्नगत तीनों मौजों में चकबन्दी कराये जाने हेतु राजकीय गजट का

प्रकाशन दिनांक 7-6-2003 को हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लालढांग में सिंचाई हेतु कुल नलकूपों की संख्या तथा नवीन नलकूपों की स्वीकृति

157. श्री तसलीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जनपद हरिद्वार में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कितने सरकारी नलकूप हैं?

क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु दस नलकूप और स्वीकृत करने का कष्ट करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जनपद हरिद्वार में चार राजकीय नलकूप हैं।

मार्च 2004 में उक्त क्षेत्र हेतु 28 नवीन नलकूपों का निर्माण नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के क्षेत्र जुम्मा में जल विद्युत गृह निर्माणाधीन होने से विद्युतीकरण से वंचित समीपवर्ती गाँवों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

158. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के क्षेत्र जुम्मा में जल विद्युत गृह निर्माणाधीन होने के कारण सुराईठोटा, तोलमा, फगरासू, कागती, संगटी, भापकुण्डा, जुम्मा एवं झेलम गाँवों के निवासी विद्युतीकरण से वंचित हैं?

यदि हाँ, तो क्या उक्त गाँवों को उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा चालू विद्युत लाइन से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। जनपद चमोली के क्षेत्र जुम्मा में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा इन गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था परन्तु जुम्मागाड जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूर्ण न होने के कारण ये गाँव ऊर्जित नहीं हो पाये। पूर्व निर्मित विद्युत लाइन बर्फीला क्षेत्र होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी।

इस क्षेत्र को ग्रिड से विद्युत आपूर्ति दिये जाने के लिये लघु जल विद्युत निगम एवं उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है एवं क्षतिग्रस्त उपसंस्थान के मरम्मत हेतु आगणन तैयार किया जा चुका है। ग्राम गुरुईठोटा योजना, तदुपरान्त गाँव का विद्युतीकरण मार्च, 2005 तक कर लिया जायेगा। बाकी बचे गाँव के विद्युतीकरण के लिये सामान प्राप्त कर लिया गया है तथा निविदायें भी आमन्त्रित कर ली गई हैं। विषम भौगोलिक स्थिति एवं बर्फीला क्षेत्र होने के कारण उक्त गाँवों का विद्युतीकरण जून/जुलाई, 2005 तक कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण अध्यापन कार्य में कठिनाई

159. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर जनपद चमोली में राजनीति शास्त्र, गणित विषय एवं बी०एड० विभाग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रवक्ताओं की नियुक्ति न होने के कारण छात्र-छात्राओं के अध्यापन कार्य में कठिनाई हो रही है?

क्या उक्त विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण अध्यापन कार्य में कठिनाई हो रही है।

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2004 में विवाह अनुदान हेतु कुल प्रार्थना-पत्र

160. श्री तसलीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2004 में विवाह अनुदान हेतु कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा कितने व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत किया गया?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए क्या नीति अपनाई गयी है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु कुल 199 तथा निराश्रित विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 14 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं तथा जाँचोपरान्त क्रमशः 155 तथा 10 आवेदक शादी अनुदान हेतु पात्र पाये गये।

पात्र व्यक्तियों के चयन के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा जनपद के माननीय सांसद एवं माननीय विधायक सदस्य हैं।

हरिद्वार में निवास करने वाले व्यक्तियों को बावरिया 'अनु0 जाति' के स्थान पर गौधया 'अनु0 जाति' का प्रमाण–पत्र दिया जाना

161. श्री तसलीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री मित्र हैं कि ग्राम गोवापुर चमरावल तहसील एवं जनपद हरिद्वार में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा उनकी मूल जाति बावरिया 'अनु0 जाति' के स्थान पर उनकी जाति गौधया 'अनु0 जाति' का प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि गौधया नाम की कोई जाति नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निवासियों की माँग के अनुरूप उनकी मूल जाति बावरिया 'अनु0 जाति' का प्रमाण–पत्र दिलाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम गोवापुर चमरावल तहसील एवं जनपद हरिद्वार में गौधया जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। गौधया जाति अनुसूचित जाति नहीं है। गौधया जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र नहीं निर्गत किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। गौधया जाति 'अनु0 जाति' की अधिसूचना में शामिल नहीं होने के कारण उन्हें अनु0 जाति का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

रामगंगा बांध परियोजना कालागढ़ (पौढ़ी गढ़वाल) में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित आवासों एवं खाली आवासों की संख्या

162. श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामगंगा बाँध परियोजना कालागढ़ (पौढ़ी गढ़वाल) में कुल कितने सरकारी आवास हैं?

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कितने आवास आवंटित हैं एवं कितने आवास खाली हैं?

क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग के सरकारी आवासों में उत्तरांचल द्वारा अन्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिये आवास लिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

श्रीमती अमृता रावत–

रामगंगा बाँध परियोजना कालागढ़ (पौढ़ी गढ़वाल) में कुल 3614 सरकारी आवास हैं।

उत्तरांचल के स्वामित्व में कुल 272 आवास हैं जिसमें से 267 सरकारी आवास अधिकारियों / कर्मचारियों को आवंटित हैं तथा 5 आवास रिक्त हैं।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद टिहरी के वि० स० क्षेत्र प्रतापनगर की हाईड्रम योजना बौंसाड़ी, कफलाना से सिंचाई कर वसूली

163. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर की हाईड्रम योजना, बौंसाड़ी, कफलाना से प्रतिवर्ष कितना सिंचाई कर वसूला जाता है?

क्या प्रारम्भ से अब तक वसूली का वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर उपलब्ध करायेंगे?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजनाओं में प्रतिवर्ष प्रशासनिक व्यय क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर की हाईड्रम योजना बौंसाड़ी, कफलाना से कोई सिंचाई कर नहीं वसूला जाता है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

हाईड्रम योजना बौराड़ी गत कई वर्षों से बाढ़ से क्षतिग्रस्त है एवं जिला नियोजन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा पूर्व में परित्यक्त घोषित की जा चुकी है। अतः इस पर प्रशासनिक व्यय नहीं किया गया है। हाईड्रम योजना ककलाना पर प्रतिवर्ष नियुक्त चौकीदार/ऑपरेटर के मानदेय हेतु रु0 5400.00 (रुपये पाँच हजार चार सौ मात्र) प्रशासनिक व्यय किया जाता है।

केन्द्र पुरोनिर्धारित ए0आई0बी0पी0 योजना के अन्तर्गत कलस्टर योजना के मानक

164. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि केन्द्र पुरोनिर्धारित ए0आई0बी0पी0 योजना के अन्तर्गत कलस्टर योजना के मानक निर्धारित हैं?

यदि हाँ, तो उक्त योजना के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर सिंचन क्षमता तथा लागत क्या है?

क्या वर्ष 2003–04 में निर्मित ए0आई0बी0पी0 योजना के अधीन विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल की समस्त योजना से सिंचन क्षेत्र का ब्यौरा और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत अधिकतम रु0 एक लाख प्रति हैक्टेयर की लागत व्यय करना अनुमन्य है।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 273 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल में सैण–मन्दार एवं जौंकाणी, मेलुन्टा मोटर मार्ग का निर्माण

165. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल में सैण–मन्दार मोटर मार्ग एवं जौंकाणी, मेलुन्टा मोटर मार्ग का निर्माण विगत दो वर्षों से कराया जा रहा है?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग यातायात हेतु कब तक तैयार हो जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

उक्त दोनों मार्ग निर्माणाधीन हैं तथा वर्ष 2006 में यातायात हेतु तैयार होने की सम्भावना है।

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम कौली में दैवी आपदा से श्री मदन सिंह चौहान के मकान ध्वस्त हो जाने के कारण जन–हानि एवं पशु हानि

166. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि 8 अगस्त, 2000 को जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम कौली में दैवी आपदा से श्री मदन सिंह चौहान का मकान ध्वस्त हो गया था, जिसमें जन–धन की हानि हुई?

क्या यह सत्य है कि वर्तमान में श्री मदन सिंह चौहान का परिवार गाँव छोड़कर डीडीहाट में निवास कर रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दैवी आपदा मद से मकान बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 8 अगस्त, 2000 को श्री मदन सिंह चौहान का मकान ध्वस्त हो जाने के कारण जन–हानि–1 एवं पशुहानि–2 हुई थी।

श्री चौहान का परिवार वर्तमान में नगर पंचायत डीडीहाट के अन्तर्गत मकान खरीद कर निवास कर रहा है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के मरम्मत कार्यों हेतु गृह अनुदान के रूप में राहत सहायता आपदा राहत कोष से वितरित की जाती है। मकान बनाये जाने हेतु वितरित नहीं की जाती है। आपदा राहत कोष से व्यय हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्ति को अहेतुक सहायता हेतु रू० 1500/– गृह अनुदान हेतु रू० 7,800/– तथा अनुग्रह अनुदान हेतु रू० 4000/– की धनराशि माह अगस्त, 2000 में वितरित की जा चुकी है।

167. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

द्वितीय मंगलवार के अता० 14 में स्था०

जनपद चमोली में वर्ष 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पूर्णतः प्रभावित 27 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने विषयक

168. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत कनूडुंग्रा विकास खण्ड ज्योतिर्मठ जनपद चमोली में वर्ष 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पूर्णतः प्रभावित 27 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1999 में जनपद चमोली में आये विनाशकारी भूकम्प से ग्राम पंचायत सलूडडुंगरा को सलूडडुंगरा अन्तर्गत डुंग्री नाम तोक में 36 परिवारों को उनकी ही नाप भूमि में विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव था। प्रभावित परिवारों को विस्थापन धनराशि रु० 25,000/– प्रति परिवार दिया जा चुका है और वे अपने नाप खेत (सुरक्षित) में विस्थापित हो चुके हैं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के डिग्री कॉलेज लम्बगाँव को विज्ञान विषय की मान्यता

169. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2004 को मुनि–की–रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर जनपद टिहरी गढ़वाल के डिग्री कॉलेज लम्बगाँव को विज्ञान विषय की मान्यता देने की घोषणा की गई है?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय कब प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है यथा समय यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के डिग्री कॉलेज अगरोड़ा में वाणिज्य विषय की मान्यता

170. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2004 को मुनि–की–रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर जनपद टिहरी गढ़वाल के डिग्री कॉलेज अगरोड़ा में वाणिज्य विषय की मान्यता देने की घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो उक्त कॉलेज में वाणिज्य विषय को कब प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है यथा समय यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में कुल तहसीलदार के सृजित पद, तहसीलों में कार्यरत तहसीलदार एवं तहसीलदार के रिक्त पद

171. श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

श्रीमती आशा देवी–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में कुल कितनी तहसीलें हैं तथा इनमें कुल कितने तहसीलदार के पद सृजित हैं और कितने तहसीलदार तहसीलों में कार्यरत हैं एवं कितने तहसीलों में तहसीलदार के पद रिक्त हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन तहसीलों में तहसीलदार के पद पर कार्यरत तहसीलदारों को विभागीय तथा न्यायिक एवम् पुलिस के अधिकार दिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में तहसीलदारों को उपरोक्त अधिकार प्रदान किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में उत्तरांचल में 78 तहसीलें हैं इनमें कुल 61 तहसीलदारों के पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 13 नियमित तहसीलदार एवं 48 स्थानीय व्यवस्था में तहसीलदार तैनात हैं। शेष तहसीलों में तहसीलदार के पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

तहसीलदारों को विभागीय एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत तहसीलदार को पुलिस अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के 15 नवस्थापित शासकीय महाविद्यालयों में सैटेलाइट संचार एवं मल्टीमीडिया का कार्य

172. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के 15 नवस्थापित शासकीय महाविद्यालयों में सैटेलाइट संचार एवं मल्टीमीडिया का कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है?

क्या यह सत्य है कि उक्त योजनान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश में सेन्ट्रल साईट विकसित कर वहां से 15 दूरस्थ महाविद्यालयों में (वर्चुअल एकेडेमिक कैम्पसों) हेतु पाठ्य सामग्री डिजिटल मोड सम्प्रेषित की जायेगी?

यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर (जनपद टिहरी गढ़वाल) के महाविद्यालय लम्बगांव और अगरोड़ा को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रकरण पर निर्णय होने के उपरान्त ही महाविद्यालयों को सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि0 ख0 कर्णप्रयाग के 'सेरागाड़ क्षेत्र' में विद्युतीकरण

173. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के सेरागाड़ ग्राम सभा का 'सेरागाड़ क्षेत्र' विद्युतीकरण से वंचित है?

यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

उरेडा द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर विकास खण्ड कर्णप्रयाग के 'सेरागाड़ क्षेत्र' का विद्युतीकरण करने का कार्य किया जा रहा था परन्तु लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूर्ण न होने के कारण 'सेरागाड़ क्षेत्र' विद्युतीकरण से वंचित रहा। अब उरेडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र उत्तरांचल पॉवर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करा दिया गया है।

सेरागाड़ क्षेत्र के सभी गाँवों को वर्ष 2005–06 की आर0ई0सी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के ग्राम नौसारी वि0 ख0 कर्णप्रयाग के अनु0 जाति के लोगों के विस्थापन की कार्यवाही

174. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग की ग्रामसभा नौसारी में अनुसूचित जाति बस्ती के ऊपरी क्षेत्र में

लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण स्थानीय जनता को अन्यत्र बसाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम नौसारी विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों की विस्थापन की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

ग्राम नौसारी विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अनुसूचित जाति बस्ती के लोगों की विस्थापन की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार की जायेगी।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्रामसभा खलाड़ी के पाडुली गाँव में कृषि योग्य भूमि हेतु सर्वेक्षण

175. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्रामसभा खलाड़ी के पाडुली गाँव में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को सिंचित करने हेतु योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्रामसभा खलाड़ी के पाडुली गाँव के कृषि योग्य भूमि हेतु सर्वेक्षण के पश्चात् यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में पृथक से पुलिस अधीक्षक नगर–II का पद सृजित करने का औचित्य

176. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार नगर क्षेत्र में धार्मिक अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अत्यधिक आगमन तथा नित्य आयोजित होने वाले आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुये हरिद्वार में प्रोटोकाल कार्य के निर्वहनार्थ पृथक से पुलिस अधीक्षक नगर–II के पद सृजित कर शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद हरिद्वार में समस्त पुलिस व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस अधीक्षक की सहायतार्थ अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) नियुक्त हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के 5 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2 हरिद्वार नगर में व शेष 3 ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त हैं।

अतः जनपद हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक नगर–II का पद सृजित करने का औचित्य नहीं है।

ब्लॉक खानपुर जिला हरिद्वार में बाण गंगा पर प्रस्तावित तटबन्ध पर पत्थरों की पिचिंग का कार्य

177. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि ब्लॉक खानपुर जिला हरिद्वार में बाण गंगा पर प्रस्तावित 8.5 कि०मी० का तटबन्ध मात्र 7 (सात) कि०मी० ही निर्मित हो पाया है?

जबकि पूर्ण बाढ़ निरोध हेतु 10 कि०मी० लम्बाई के तटबन्ध की आवश्यकता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तटबन्ध पर मजबूती हेतु पत्थरों की पिचिंग का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व आरम्भ करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 25–11–04 को सम्पन्न हुई तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में समिति ने परिकल्प संगठन की संस्तुति के अनुसार ही तटबन्ध की सुरक्षा कार्य कराने का परामर्श दिया है। सिंचाई परिकल्प संगठन, रुड़की ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि तटबन्ध के स्लोप पर वर्तमान में पिचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पिचिंग लगाने अथवा न लगाने की स्थिति का परीक्षण आगामी वर्षा ऋतु के बाद के अध्ययन से भविष्य में नदी के बहाव की दिशा एवं व्यवहार का परीक्षण करने के पश्चात् यथा आवश्यकता तकनीकी सलाहकार समिति के परामर्शानुसार निर्णय लिया जायेगा।

राज्य निर्माण के बाद टिहरी बाँध पुनर्वास निदेशालय द्वारा प्रदेश से बाहर की निर्माण इकाइयों को ठेके देने के कारण

178. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण के बाद (दिनांक 09–11–2000) से अब तक टिहरी बाँध पुनर्वास निदेशालय द्वारा प्रदेश से बाहर की निर्माण इकाइयों/संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि के निर्माण कार्यों के अधीन कितना सेंटेजचार्ज के रूप में उन्हें देना पड़ा?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश से बाहर की निर्माण इकाइयों को निर्माण कार्यों के ठेके के क्या कारण रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पुनर्वास निदेशालय द्वारा उत्तरांचल गठन के बाद (9–11–2000) से अब तक प्रदेश से बाहर उ0प्र0 की राजकीय निर्माण इकाईयों को लगभग रु0 92.38 करोड़ के निर्माण कार्य डिपॉजिट मद के अन्तर्गत आवंटित किये गये हैं। केवल आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण पर ही सेंटेज चार्ज अनुमन्य की गयी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु0 4.70 करोड़ है।

उत्तरांचल राज्य स्थापना के पश्चात् राज्य में सक्षम कार्यदायी संस्थाओं के गठन न होने के कारण तथा टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों की तात्कालिक महत्ता को देखते हुए उक्त निर्माण कार्य उ0प्र0 के राजकीय निगमों से कराये गये हैं। उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व, तत्कालीन उ0प्र0 सरकार द्वारा टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु, राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से कार्य सम्पादित किये जाने सम्बन्धित आदेश विद्यमान हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि टिहरी बांध परियोजना में उ0प्र0 सरकार की भागीदारी भी निहित है।

प्रदेश में प्रत्येक जनपद में एक विशिष्ट महाविद्यालय विकसित किये जाने की नीति

179. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की सरकार की कोई नीति है?

यदि हाँ, तो क्या विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद के एक ही महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में चयनित किया जाना है। जनपद टिहरी के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक बेरोजगारों हेतु सबसिडीयुक्त एवं आसान शर्तों पर ऋण

180. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बेरोजगारों हेतु सबसिडीयुक्त एवं आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की कोई योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कब से लागू कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

अल्पसंख्यक बेरोजगारों हेतु सबसिडीयुक्त ऋण प्रदान करने की योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। किन्तु अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगारों हेतु मार्जिन मनी ऋण की योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत रुपये 3 लाख तक की बैंकेबुल योजना में 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये 45,000 तक का ऋण उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से टर्म लोन योजनान्तर्गत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबी रेखा से दुगुनी आय सीमा तक के बेरोजगारों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से सेवा, व्यापार, लघु उद्योग तथा कृषि सैक्टर की योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गंगा तथा यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु योजना

181. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु बद्रीनाथ से हरिद्वार तक 9 नगर एवं नगर क्षेत्र उत्तरकाशी के लिए कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें सीवर लाइन बिछाने के कार्य, मल-जल शोधन संयंत्र का अधिष्ठापन, लो-कास्ट सेनिटेशन के कार्य व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के कार्य प्रस्तावित हैं। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत चन्द्रेश्वर सैण इन्टर कॉलेज के भवन का निर्माण

182. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत चन्द्रेश्वर सैण इन्टर कॉलेज के भवन का निर्माण पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध की देख-रेख में उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या पुनर्वास निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की जाती रही है?

क्या सरकार निरीक्षण/समीक्षा आख्या को सदन के पटल पर रखेगी?

सरकार छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए पठन-पाठन हेतु उक्त भवन को कब तक उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

31 मार्च, 2005 तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में मद्यनिषेध विभाग द्वारा कुल व्यय धनराशि एवं मद्यनिषेध सलाहकार समिति का गठन

183. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु मद्यनिषेध प्रचार तथा प्रसार हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी एवं दिनांक 15 नवम्बर, 2004 तक मद्यनिषेध विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

क्या यह सत्य है कि उत्तरांचल सरकार द्वारा मद्यनिषेध सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल सरकार द्वारा मद्यनिषेध प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में रुपये 8.41 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई तथा 19–11–2004 तक रुपये 6.91 लाख की धनराशि व्यय की गई।

जनपदों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के धरासू–जोगथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु टिहरी बांध परियोजना पुनर्वास द्वारा कुल व्यय

184. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के धरासू–जोगथ मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु, टिहरी बांध परियोजना पुनर्वास टिहरी द्वारा कुल कितना व्यय किया जा चुका है तथा कितना कार्य अवशेष है?

उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्रीमती अमृता रावत–

चिन्यालीसौड़–जोगथ मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा पुनर्वास निदेशालय से उपलब्ध करायी गयी रु0 40.00 लाख की धनराशि का व्यय माह दिसम्बर, 2004 तक किया जा चुका है तथा लगभग 30 प्रतिशत कार्य अवशेष है।

यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 के पारण के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पन्त, स0 वि0 सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि आज की कार्यसूची के मद संख्या–36 जो आज आने वाला है, जिसमें विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में एक तथ्य लाना चाहता हूँ कि

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह भारत सरकार के संविधान के अन्तर्गत संचालित होती है। संविधान के अनुच्छेद 199 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इसमें स्पष्ट है कि–"धन विधेयक की परिभाषा– (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध हैं, अर्थात्– (क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, (ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से सम्बन्धित विधि का संशोधन (ग) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, (घ) राज्य की संचित निधि में धन का विनियोग, (ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, (च) राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन।" मान्यवर, यह संविधान में व्यवस्था दी गई है उन उपबन्धों के आधार पर ये विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उद्धृत करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की कार्यवाही के खण्ड–133 पृ० 204 "31 अप्रैल, 1954 ई० को श्री रामनारायण त्रिपाठी ने विरोधी दल के नेता की सुविधाओं के विधेयक के उपस्थित किये जाने में देरी होने के कारण जानना चाहा कि वह एजेंडे में क्यों नहीं रखा गया? श्री अध्यक्ष ने बताया कि इसमें चूंकि खर्च की बात है, इसलिए राज्यपाल महोदय की सिफारिश की आवश्यकता है। वह विधेयक इस कारण नहीं आ सकता है कि अभी मेरे पास श्री राज्यपाल की सिफारिश नहीं पहुँची है कि वह पेश कर सकें। उसमें श्री राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता है क्योंकि खर्च का सवाल है।" अर्थात् कोई भी धन विधेयक को सदन के पटल पर रखने के लिए राज्यपाल महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो यह प्रस्तुत ही नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज इस पर विचार एवं पारण होना है। आज ही इस पर चर्चा होनी है। मान्यवर, सरकार अपना पक्ष रख सकती है। मैं यह सिद्ध कर रहा हूँ कि यह वित्त विधेयक है और इस पर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति आवश्यक है। यह वित्त विधेयक या धन विधेयक की श्रेणी में आता है। मान्यवर, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में श्रेणी "ख" के वित्त विधेयक के सम्बन्ध में लिखा है कि "जब किसी विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ भारत की संचित निधि से खर्च के एक या कई प्रस्ताव हों उदाहरण के लिए उपबन्ध किया गया हो कि अधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाय या किसी संस्था की स्थापना की जावे तो वह श्रेणी "ख" का वित्त विधेयक बन जाता है।

मान्यवर, मैं 29–6–1955 की लोकसभा की डिबेट को पढ़ देता हूँ श्रेणी "क" के वित्त विधेयक या धन विधेयक के विपरीत श्रेणी "ख" के वित्त विधेयक, जिसके लिए भारत की संचित निधि में से खर्च करना होता है, को दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसे पुरःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं है, तथापि उस पर किसी भी सदन में विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है और जब तक ऐसी सिफारिश नहीं मिल जाती दोनों में से कोई भी सदन ऐसे विधेयक को पारित नहीं कर सकता।

मान्यवर, यह वित्त विधेयक है उसमें वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है। यह श्रेणी "ख" का विधेयक है। वह यहाँ प्रस्तुत हो चुका है। आज इसका पारण होना है। मान्यवर, कम से कम इस सदन में यह परिपाटी न पड़े कि मनमाने तरीके से सदन चलाया जाये। मैं आपके माध्यम से यह माँग करता हूँ कि उसमें पहले महामहिम से अनुमति ले ली जाये। तब इसका पारण किया जाये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस पर पीठ से ही निर्णय होना है।

श्री अध्यक्ष–

इसे दिखवा लिया जायेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैं श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री किशन सिंह बुफाल, डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री मालचन्द, श्री मदन कौशिक, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कोट कण्डारा क्षेत्र में जैंटी गाँव में मवेशियों की अज्ञात बीमारी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, विगत दिनों में जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कोट कण्डारा क्षेत्रान्तर्गत जैंटी गांव में एक अज्ञात बीमारी से अनेकों मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। जिसके कारण राकेश पंत की चार भैंसे व एक गाय, माधो सिंह, केदार सिंह, शिव सिंह तथा भगत सिंह की दुधारू भैंस व गायें असमय कालकवलित हो चुकी हैं जिस कारण क्षेत्रवासियों में दहशत व्याप्त है। परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा विषय की गम्भीरता नहीं महसूस की गयी तथा आज दिन तक कोई भी पशु चिकित्सकों का कोई दल न तो घटना प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु गया और न ही प्रभावितों को

सरकारी सहायता ही उपलब्ध करायी गयी। सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की पी गांव पम्पिंग पेयजल योजना के पुनर्गठन में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की पी गांव पम्पिंग पेयजल योजना के पुनर्गठन में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहती हूँ। पेयजल योजना के पुनर्गठन में लाखों रुपये खर्च किये हैं लेकिन पेयजल टंकी टपक रही है, पाईप लाईन जमीन के बाहर होने के कारण जगह–जगह क्षतिग्रस्त है। पम्पिंग पंप भी काम नहीं कर रहा है। पुनर्गठन का कार्य अधूरा व निम्न गुणवत्ता का है। जिसके कारण समस्त योजनान्तर्गत आने वाले गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम बामी (बड़ी) में जो थोड़ा पानी मिल रहा है वह निजी कनेक्शन धारकों को मिल रहा है। सार्वजनिक स्टेन पोस्टों में महीनों से पेयजल नहीं है जिसके कारण समस्त ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अतः उक्त अत्यन्त लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रबल कार्यवाही की मांग करती हूँ।

दिनांक 16–11–2004 को जनपद पिथौरागढ़ तहसील डीडीहाट के ग्राम तिलाढी, चौबाटी में भालू के द्वारा श्रीमती आनन्दी देवी पर हमला करने एवं भालू के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दिनांक 16–11–2004 को जनपद पिथौरागढ़ तहसील डीडीहाट ग्राम तिलाढी, चौबाटी में श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी श्री मदन सिंह पर अपने मकान के पास भालू ने हमला कर दिया, श्रीमती आनन्दी देवी भालू से लड़ती रही तथा गम्भीर रूप से घायल हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार पर रोजगार की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में अब भी भालू का आतंक बना हुआ है। छात्रों का विद्यालय जाना बन्द है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व एवं तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में वर्षों पूर्व निर्मित पेयजल योजना का पुनर्गठन/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में वर्षों पहले निर्मित पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है जबकि गोपेश्वर नगर की आबादी वर्ष–प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। दो माह बाद गर्मियों का सीजन प्रारम्भ होने पर जल स्रोतों में पानी सूख जाने पर जलापूर्ति में स्वाभाविक रूप से पानी की कमी होगी जिससे कि जनता में पीने के पानी की त्राहि–त्राहि होगी। स्थानीय जनता द्वारा बार–बार जल निगम विभाग से पेयजल योजना का पुनर्गठन/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है किन्तु आज तक भी पेयजल योजना का पुनर्गठन न होने के कारण जनता आक्रोशित है तथा वह बाध्य होकर कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकती है।

यह एक अत्यन्त लोकमहत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मुख्यालय गोपेश्वर जनपद चमोली में पेयजल योजना का पुनर्गठन कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में अतिवृष्टि/भू–स्खलन से हुई जनसम्पत्ति के नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मालचन्द–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विगत वर्ष 2004–05 में अतिवृष्टि/भूस्खलन से विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगांव में अपार जन सम्पत्ति एवं शासकीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। कम भूमि वाले काश्तकारों की काश्त योग्य भूमि बह गई है। विकास खण्ड मोरी के सांकरी से मोरी तक लो0नि0वि0 का मोटर मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था। सांकरी, सौड़, सिदरी, भीताड़, सालरा, नैटवाड़, देईं, बड़ाक, रन्तू गांव, दडयाण गांव, मैख्वाण गांव आदि समस्त गांवों के काश्तकारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किन्तु शासन–प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की सहायता/मुआवजा जनता को नहीं मिल पाया एवं राजकीय परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया, जिससे आज भी काश्तकारों के सेब, आलू, राजमा, चौलाई आदि मंडी में नहीं पहुंच पा रही है।]

[x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय ऋषिकुल, राजकीय आयुर्वेद एवं गुरुकुल राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में प्राध्यापकों को उपप्राचार्य के पदों पर की गई प्रोन्नति में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय ऋषिकुल, राजकीय आयुर्वेद एवं गुरुकुल राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार में प्राध्यापकों को उपप्राचार्य के पदों पर की गई प्रोन्नति में घोर अनियमितता की गई है। कई प्राध्यापकों को विषय बदलकर एवं पूर्व० विकल्पधारियों को तो प्रोन्नति दे दी गई है जबकि वरीयता सूची में उनसे सीनियर प्राध्यापकों को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार योगेशपाल अग्रवाल को तीन पदों पर पदोन्नति दे दी गई है।

विषय अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं तात्कालिक है। अतः उचित कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

अन्य पिछड़ा वर्ग के विशिष्ट बी०टी०सी० के पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के अधिकतर जनपदों में विशिष्ट बी०टी०सी० आदि के अन्तर्गत "अन्य पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होने के कारण बहुत से पद रिक्त हैं, क्योंकि सिर्फ उक्त जनपदों से ही इन पदों को भरा जायेगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वह जनपद जहां पर ओ०बी०सी० श्रेणी का बाहुल्य है से, उक्त रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित कर ओ०बी०सी० की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। इस प्रकार से जिन जनपदों में विशिष्ट बी०टी०सी० की पद संख्या घटाई गई है, को समानुपातिक अनुपात में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुये प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।

वर्ष, 2003 के विधान सभा के तृतीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2003 के तृतीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

[x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 2004 के विधान सभा के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2004 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश के निर्देश संख्या 14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

वर्ष 2003–04 का स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 का स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2003–04 सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

लोक आयुक्त उत्तरांचल का दिनांक 24–10–2002 से 31–12–2003 तक का प्रतिवेदन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तरांचल का दिनांक 24–10–2002 से 31–12–2003 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखती हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल कंपार्स का उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल कंपार्स का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद नौटियाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल कठैती के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल कठैती के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री कबूलचन्द कन्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नोट–*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली के बूढ़ाकेदार में 50 वर्ष पूर्व विश्राम गृह (भवन) की जीर्ण शीर्ण स्थिति के नव निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली के बूढ़ाकेदार में 50 वर्ष पूर्व विश्राम गृह (भवन) की जीर्ण शीर्ण स्थिति के नव निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विशाल सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल दोणी के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल दोणी के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री कुशाल सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद चमोली के गोपेश्वर पिपल–स्यूण–बेमरू–किमाणा–पल्ला–उर्गम मोटर मार्ग को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद चमोली के गोपेश्वर पिपल–स्यूण–बेमरू–किमाणा–पल्ला–उर्गम मोटर मार्ग को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री एस०एस० सनवाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनला के उच्चीकरण सम्बन्धी याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सोनला के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री महिपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद चमोली के रा०उ०मा० विद्यालय कोट कण्डारा के उच्चीकरण सम्बन्धी याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद चमोली के रा०उ०मा० विद्यालय कोट कण्डारा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री महेन्द्र सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में जूनियर हाईस्कूल महत गांव का उच्चीकरण कर हाईस्कूल किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में जूनियर हाईस्कूल महत गांव का उच्चीकरण कर हाईस्कूल किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश चन्द्र पाण्डे एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व स्वीकृत बड़ारी–कोटेबौरा गांव मोटर मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व स्वीकृत बड़ारी–कोटेबौरा गांव मोटर मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री हर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय विथी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय विथी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री खुशवन्त सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐराढ़ी की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐराढ़ी की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्रीमती सुनिता मैठा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इन्टर कॉलेज श्रीकोट (चिन्यालीसौड़) में गणित व भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इन्टर कॉलेज श्रीकोट (चिन्यालीसौड़) में गणित व भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में "श्री चैन सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी द्वारा बयाण गांव उत्तरकाशी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी द्वारा बयाण गांव उत्तरकाशी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री कृपाल चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध तीर्थस्थल मदमहेश्वर में मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध तीर्थस्थल मदमहेश्वर में मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री परपाल सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी बाजार से विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण, नाली निर्माण एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी बाजार से विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण, नाली निर्माण एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्रीमती ममता नौटियाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद नैनीताल के बलियानाले के किनारे बसे गाँवों एवं वनीय क्षेत्रों के भू–कटान को रोकने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के बलियानाले के किनारे बसे गाँवों को एवं वनीय क्षेत्रों के भू–कटाव को रोकने के सम्बन्ध में" श्री इन्द्र सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल में महाकुम्भ परियोजना ज्योलीकोट के निकट भू-कटाव एवं गाँव के मध्य बरसाती नाले का नियंत्रण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल में महाकुम्भ परियोजना ज्योलीकोट के निकट भू-कटाव एवं गाँव के मध्य बरसाती नाले का नियंत्रण व सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री हरीश सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल निवालगाँव के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल निवालगाँव के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री बचन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उद्घाटनों के शिलापट्ट में स्थानीय विधायक का नाम अंकित न किए जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अजय भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। जिसके तहत एक ऐसा मामला रख रहा हूँ। मान्यवर, मंत्रिमण्डल के सदस्य माननीय कुंजवाल ने मेरे क्षेत्र में उद्घाटन किया। मान्यवर, मैं इस सदन का विधायक हूँ मैं आज सत्ता में नहीं हूँ यहाँ पर विपक्ष में हूँ। माननीय मंत्री जी सत्ता में हैं। प्रश्न यह है कि इस पूरे सदन में कभी कोई सत्ता में होगा कभी कोई विपक्ष में होगा अगर माननीय मंत्री जी क्षेत्र में आते हैं तो क्या उनका जो क्षेत्रीय विधायक है उस उद्घाटन में नहीं होगा?

मान्यवर, हम सारे अल्मोड़ा जिले के विधायकों ने यह तय किया कि पी०डब्लू०डी० की मद काटकर जिला योजनाओं में से दो विद्यालयों का हर विधायक उच्चीकरण करवायें और शासन से उसका उच्चीकरण हो गया। मान्यवर, मैं और कोश्यारी जी उस दिन बैंग्लौर में थे। दो दिन पहले हमें जब कुछ लोगों ने बताया कि उच्चीकरण हो रहा है इस विद्यालय का तो मैंने माननीय कुंजवाल जी से आवास पर सम्पर्क में बात की और कोश्यारी जी ने भी बात की कि आप तो पुराने मंत्री हैं आप शिष्टाचार जानते हैं। आखिर विधायक, विधायक है। एक कान्सटीट्यूशनल पोस्ट है। ऐसे तो कोई नहीं आता है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति कुर्सी पर आकर ऐसे ही

बैठ जाए तो उसे सजा हो जायेगी। मान्यवर, आपके भी निर्देश हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इसको आर्गेनाइज किया गया। वहाँ हमारा नाम तक नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं। माननीय मंत्री जी से कहने के बाद भी वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया और अपनी फोटो भी जिसमें लिखा है कि समस्त क्षेत्रवासी तथा विद्यालय चौमूधार के उच्चीकरण के लिए माननीय उत्तरांचल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व माननीय राज्य सभा सदस्य हरीश सिंह रावत का आभार प्रकट करते हैं। जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल माननीय उद्यान मंत्री द्वारा 8 सितम्बर को किया गया। इसमें विशेष अतिथि श्री मोहन सिंह माहरा माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अल्मोड़ा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम श्री करण सिंह माहरा, माननीय प्रमुख क्षेत्र समिति रानीखेत द्वारा तथा माननीय सदस्य जिला पंचायत श्री जमन सिंह बिष्ट जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। यानी जो विधायक कुछ हुआ ही नहीं। आखिर हम चुनकर क्यों आते हैं। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। माननीय मंत्रीगण और शासन के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर हमारे विधायक रहने का औचित्य क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्थर को वहाँ से तत्काल उखाड़ा जाए। नेता सदन ने एक बार इसी सदन में हरिद्वार के मामले पर यह निर्देश दिया था और आग्रह किया था।

मान्यवर, आपकी तरफ से भी कहा गया था कि उस पर माननीय विधायक का नाम अंकित किया जाए। एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ से जाना चाहिए। विधायकों का मान सम्मान इस सदन में होगा या फिर उसका इसी तरह से अपमान होगा। विधायकों का भी एक स्टेटस है। लाखों–लाख लोगों द्वारा विधायक चुनकर इस सदन में आता है किन्तु यदि इसी तरह से उनके विशेषाधिकार का हनन होगा तो इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। मान्यवर, हमारा खुलेआम विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। पूरे सदन के सदस्यों का संरक्षण चाहता हूँ। आपकी तरफ से एक ऐसा निर्देश जाए कि कम से कम हमारी अध्यक्षता वहाँ पर अंकित हो और जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको सदन में तलब किया जाए। मान्यवर, आपकी तरफ से ऐसा विनिश्चय जाना चाहिए कि वह दृष्टांत बने, पाथेय बने।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से भट्ट जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं। उनका हमारी ओर से निश्चित रूप से सम्मान किया जाता है।

<u>व्यवधान</u>

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न है क्या विशेषाधिकार की नोटिस को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार नहीं किया है। मैंने पूर्व में भी माननीय विधायकों के सम्मान की बात कही है। माननीय विधायकों को कार्यक्रम की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों का मान–सम्मान होना चाहिए। इसमें कमी नहीं की जानी चाहिए और जो भी विभाग द्वारा कार्य कराये जाते हैं, उसमें माननीय विधायकों के नाम अंकित होने चाहिए। ऐसा मैं सरकार को निर्देश देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि (व्यवधान) इसमें मेरा उत्तर भी एक साथ आ जायेगा मान्यवर, अभी बीच में जब वहाँ पर माननीय पी०डब्लू०डी० मंत्री आयी थीं मैं वहाँ पहला व्यक्ति था। हमने माननीय मंत्री जी का स्वागत किया। मान्यवर, हम अनैतिक लोग नहीं हैं और अशिष्ट भी नहीं हैं। मान्यवर, जो भी मंत्री आये, चाहे वह किसी भी दल का हो हम उसका सम्मान करते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उस शिलापट पर मेरा नाम अर्थात् क्षेत्रीय विधायक रानीखेत का नाम दर्ज हो। यह रूलिंग आपकी तरफ से आनी चाहिए और प्रधानाचार्य के खिलाफ कम से कम कार्यवाही हो। ऐसी मैं आपसे माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब पिछली बार इस तरफ का प्रश्न यहाँ पर आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उसे ग्राह्य भी किया था। मान्यवर, इस प्रकार की मान्य परम्परा भी है कि जो जिस क्षेत्र का निर्वाचित विधायक हो, उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ आमंत्रित करना चाहिए और हम ऐसा करते भी हैं। चूँकि निर्वाचित विधायक हैं। सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार पूरे राज्य की होती है। मान्यवर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका निर्वहन करते हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व के होते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका पालन करें और जिस क्षेत्र का कोई निर्वाचित विधायक हो, उसे आमंत्रित किया जाए और ऐसा करना भी चाहिए। (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री मातबर सिंह –

मान्यवर, सरकार ने इस तरह का वक्तव्य पहले भी दिया था, मगर उसका पालन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करा रहा हूँ। (व्यवधान)

एस०डी०एम० रुड़की तथा मण्डी समिति के सचिव के विरुद्ध श्री तसलीम अहमद, सदस्य विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के वैल में आने बाद अपनी–अपनी बात एक साथ कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय विधायक जी के सम्मान की बात है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय विधायक की बात सुनी जाये तो मैं आपका आभार प्रकट करूँगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री तसलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार के नियम 84 में यह नोटिस है। मान्यवर, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। मान्यवर, मैं कहूँगा कि एक विधायक के साथ ऐसी घटना होना यह पूरे सदन की तौहीन है। मान्यवर, सुबह 10 बजे के करीब मेरे गाँव के कुछ किसान जो अपने गन्ने से गुड़ बनाकर बाजार ले जाते हैं, वो आये और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रैक्टर ट्राली मण्डी समिति मंगलौर पर रोक ली गई। मैंने टेलीफोन नम्बर 01332–222250 पर सम्पर्क किया तो उसे किसी महिला ने रिसीव किया और मुझे बताया कि आप होल्ड रखें मैं मण्डी सचिव से आपका सम्पर्क कराती हूँ और लगभग 10 मिनट के बाद भी टेलीफोन नहीं उठा और वह अपने आप ही कट गया और उसके बाद किया तो एक मर्द ने उठाया और उसे अलग रख दिया।

तो किसानों की समस्या को देखते हुए मैं खुद उनके साथ मण्डी समिति मंगलौर पहुँचा तो वहाँ पर और भी किसान खड़े थे और कहने लगे कि हमारे कुछ वाहन छूट गये, मैंने पूछा कि कैसे छूट गये तो बताया कि हमसे 2–2 हजार रुपया तो शुल्क फीस कहकर लिए हैं और रु0 8825/– की रसीद काटी गयी है। मान्यवर, मैंने भी

एक रसीद को देखा और देखकर हम मन्डी समिति दफ्तर चले गये और पूछा कि सचिव साहब हैं तो उन्होंने कहा कि अभी निकल गये, फिर मैंने पूछा कि कहाँ गये तो उन्होंने कहा कि एस०डी०एम० रुड़की के पास गये हैं। फिर किसानों ने कहा कि एस०डी०एम० साहब से मिल लें तो मैं रुड़की कार्यालय पहुँचा, वहाँ सम्पर्क किया तो पता चला कि एस०डी०एम० साहब नहीं हैं। मान्यवर, मुझे एक कर्मचारी द्वारा इत्तला किया कि आप बैठ जायें, मैं लगभग एक घंटा बैठा रहा। मान्यवर, एस०डी०एम० अपनी गाड़ी की तरफ गये और मैंने कहा मंगलौर मन्डी सचिव आये हैं उन्होंने कहा कि यहाँ फाइल भी नहीं आयी है जब फाइल आयेगी तो तभी मैं आपसे बातचीत करूँगा।

मान्यवर, काश्तकार मेरे साथ थे मैंने मन्डी समिति जाकर पता किया कि सचिव साहब हैं तो कर्मचारियों ने बताया कि वे अभी-अभी निकले हैं। मैंने, जो वहाँ पर बाबू थे उनसे कहा कि जैसे पहले रसीद काटी है वैसे काट दें और इन किसानों की परेशानी हल हो जायेगी उन्होंने कहा कि बगैर एस०डी०एम० के आदेश के रसीद नहीं काटी जायेगी। मान्यवर, मैं पहले रसीद देख चुका था। मान्यवर, हमें एस०डी०एम० द्वारा गलत सूचना दी गयी कि फाइल नहीं आयी है। मैं लगभग 3 बजे एस०डी०एम० कार्यालय गया मैंने मालूम कराया कि मजिस्ट्रेट साहब अपने निवास पर हैं। मैं किसानों को लेकर वहाँ पहुँचा कर्मचारियों द्वारा एस०डी०एम० को खबर भिजवायी गयी।

मान्यवर, यह बहुत शर्मनाक घटना है। कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि आप बैठ जायें और इंतजार करें। जहाँ आम जनता बैठती है मैं भी वहाँ बैठ गया। एक घंटा इंतजार किया तो मुझे शक हो गया कि एस०डी०एम० साहब मुझसे मिलना नहीं चाहते। मुझे किसानों ने बताया कि एस०डी०एम० साहब निकल रहे हैं तो मैंने कहा कि 5 मिनट मेरी बात सुन लें, किसानों की समस्या है। एस०डी०एम० ने कहा कि आपको बात करनी है तो हमारे कार्यालय में आयें। फाइल आ जायेगी तो वहाँ बात करेंगे। मान्यवर, प्रोटोकाल का ध्यान न रखते हुए मुझसे कहा गया कि बतायें आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप जो किसानों के गुड़ के ट्रैक्टर हैं उनकी रसीद काट दें। उन्होंने कहा कि गुड़ की कोई गाड़ी नहीं निकली है उन्होंने कहा कि वह तो खोई की गाड़ी थी। जबकि मैंने गुड़ की गाड़ी देखी थी। मान्यवर, मैंने कहा कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जिसे मैं सुबह से देख रहा हूँ, जिसे मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ उसी गुड़ की ट्राली को खोई की ट्राली कहा जा रहा है। मैंने एस०डी०एम० से कहा कि यदि आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखला सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर मण्डी में गुड़ उतर रहा है। उन्होंने कहा कि आप जायें या नहीं मुझे तो टाईम नहीं है। मान्यवर, मेरे साथ एक बाबू भी गया था। जब मैंने गुड़ का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि कोई गुड़ की ट्राली की रसीद नहीं कटी है। उन्होंने बाबू को बुलाया और कहा कि कौन-कौन सी रसीदें कटी हैं तो उसने

बताया कि खोई की। तब मैंने कहा कि इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा उसे ही गोलमोल बताया जा रहा है।

मैंने एस०डी०एम० से कहा कि आप स्वयं मौके पर चलें तो उन्होंने कहा कि आप जायें या नहीं मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। और मान्यवर, जो किसान मेरे साथ गया था उसे बुला कर कहा कि तुम विधायक को लिये घूमते हो तुम्हारी 20 हजार की रसीद काट दूँगा। (विपक्षी सदस्यों ने शेम-शेम कहा) मान्यवर, कल वह किसान मुझे मिला और उसने दिखाया कि उसकी 5 हजार 825 रुपये की रसीद काट दी गई है। उस किसान ने मुझे रसीद की फोटोकापी भी दिखायी। मान्यवर, अब इससे ज्यादा मेरी और क्या बेइज्जती होगी। मुझे तो डूब मरना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में मेरी जो बेइज्जती हुई उस पर या तो मैं आत्म हत्या कर लूं या विधायकी से इस्तीफा दे दूँ। आप हमारे संरक्षक हैं। मुझे इस प्रकरण से बहुत तकलीफ हुई। मैं शुरू से ही सोसाइटी का चेयरमेन रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा, आज विधायक बनने पर मेरे सम्मान को ठेस पहुँची है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। आज इस विषय पर आप निर्णय दें तभी मैं सदन से बाहर जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ चुकी हैं।

*श्री हरीदास–

मान्यवर, केवल एक मिनट। मान्यवर, ये सुल्तानपुरी गाँव के किसान हैं। इनके खेत में ट्यूबवेल है। ये माल बेचने जाते तो कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। या कोई भी नियम है, मण्डी सचिव के पास। जो इन्होंने सुधीर का नाम लिया है वह दो-दो हजार रुपये लेकर काम करता है यह एस०डी०एम० रुड़की का ड्राईवर है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारे विधायक के साथ जो कुछ हुआ आप उस पर रूलिंग दें।

श्री सहजाद–

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट चाहता हूँ। मान्यवर, यह जो एस०डी०एम० रुड़की है, वह हिन्दी नहीं जानता है, जिस क्षेत्र में वह है वहाँ पर 98 फीसदी लोग हिन्दी जानते हैं, 2 परसेन्ट ही अंग्रेजी जानते हैं, यह पता नहीं लगता कि वह एस०डी०एम० इंग्लैण्ड का है या रुड़की का है। आज रुड़की शहर में इसका आतंक है, अभी इसने वहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था जिसने पैसा दिया उसका नहीं तोड़ा जिसने पैसा नहीं दिया उसका पूरा तोड़ दिया गया। यह कभी भी प्रोटोकाल का पालन नहीं करते हैं और कभी फोन करो तो बात ही नहीं करते हैं, ऐसा एस०डी०एम किस काम का ?

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायं।

*श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, जैसा कि हमारे साथी सदस्यों ने अपनी बात को रखा है, वह सब सच है, रुड़की शहर में उनका आतंक है। वे किसी से बात भी नहीं करते हैं और विधायकों से भी बात ढंग से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक सबोर्डिनेट से बात की जाती है, वैसे ही बात करता है। प्रोटोकाल का पालन नहीं करते हैं। जब वे एक विधायक से ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम आदमी से उनका क्या व्यवहार होगा?

श्री अध्यक्ष–

मैं सारी बातें सुन चुका हूँ, कृपया आप बैठ जायं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(बसपा के माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

सूचना में माननीय सदस्य श्री तसलीम अहमद जी के हस्ताक्षर हैं, मैं उन्हे सुन चुका हूँ। आप लोग बैठ जायं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक विधायक का मामला यह नहीं है। यह तमाम विधायकों का मामला है चाहे वह सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के, यह सबकी समस्या है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि एस०डी०एम० रुड़की को यहाँ पर सदन में बुलाया जाय और उन्हें दंडित किया जाय।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, हम इस सदन के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं, हमें आपका संरक्षण चाहिए। मैं चाहूँगा कि एस०डी०एम० को सदन में बुलाकर दंडित किया जाय।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सम्मानित विधायक जी ने और रुड़की शहर के सभी माननीय सदस्यों ने इस घटना से अवगत कराया।

(व्यवधान)

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सभी ने एक ही विचार व्यक्त किये हैं। इस प्रकार की घटनायें होती हैं और यह शर्मनाक बात है और प्रोटोकाल के सम्बन्ध में 3 बार मैंने संसदीय कार्य मंत्री के नाते सरकुलर भेजे हैं। सम्मानित विधायकों का प्रोटोकाल है और सरकुलर में यह बात भी है कि जब भी माननीय विधायक मिलने जायेंगे तो अधिकारी द्वारा उन्हें सीट ऑफर की जायेगी और वे तभी बैठेंगे जब माननीय विधायक बैठ जायं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह संसदीय व्यवस्था के सम्मान की बात है, यह प्रश्न किसी दलीय विधायक की दृष्टि से नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है। किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है सरकार के जो भी निर्देश होते हैं उसे कोई अधिकारी नहीं मानते हैं। ऐसे निर्देशों को सरकुलर कराने का क्या फायदा है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब हम संसदीय कार्य के बारे में बात करते हैं तो हमें भी संयम रखना होता है इस तरह का आचरण करने वाले और इस तरह के चरित्र के किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी जानकारी माननीय सदस्य ने दी है, माननीय सदस्य बहुत ही सीधे–साधे व्यक्ति हैं। आप विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में लाए हैं। यह घटना पूरे सदन के लिए शर्मनाक है। मैं सरकार की ओर से घोषणा करती हूँ कि उस एस०डी०एम० को तत्काल वहां से हटा दिया जाए और उसके खिलाफ जांच करायी जाए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको हटाने की मांग तो हमने की ही नहीं है। स्थानान्तरण कोई विकल्प नहीं है। हम तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने क्या मांग की और क्या घटना घटी, यह अलग प्रश्न है। यह घटना हम सबके लिए शर्मनाक है। माननीय सदस्य घर गए, फिर दफ्तर गए, फिर घर गए, फिर दफ्तर गए। वैसे तो यदि माननीय सदस्य किसी प्रशासनिक अधिकारी के घर जाते हैं, तो उसका घर भी दफ्तर होता है। लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य घर चला ही जाता है तो, उसकी बात सुनने की व्यवस्था प्रशासन के अन्तर्गत होती है। मैं सरकार की तरफ से यह घोषणा करती हूँ कि उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए तथा किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायी जाय। माननीय सदस्य जो रसीदें दिखा रहे हैं, इन सबको जांच के लिए एकत्रित कर लिया जाय। यदि किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पक्षपात पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच विधान सभा की सर्वदलीय समिति से करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक सरकारी कर्मचारी के लिए जांच करने और उसको दण्डित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम लोकतंत्र के उस सदन में बैठे हैं, जो सर्व सत्ता सम्पन्न है। हम अपने सदन की शक्ति को कम करके न आंकें। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्तर पर सदन में बुला सकते हैं, उसे दण्डित कर सकते हैं। परन्तु जहां शक्ति होती है, वहां संयम होना सबसे आवश्यक होता है। पहले तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जा रहा है और उसके बाद इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय सदस्य की अवमानना हुई है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सदन के अन्दर इस तरह की कार्यवाही करना एक्सेप्शनल होता है। हमारे पास शक्ति है कि हम उनको सदन में बुला सकते हैं। लेकिन इस मामले में पहले जांच कराया जाना प्रक्रिया के अनुसार उचित है।

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उनको सदन में बुलाया जाय।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह एक गलत परम्परा होगी। हम इसकी जांच करा कर निश्चित रूप से अगले सत्र में सदन के संज्ञान में लाएंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कब तक जाँच करा लेंगे?

श्री अध्यक्ष–

समय सीमा निर्धारित कर दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, बहुत ही संवेदनशील मामला है मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम जाँच करेंगे। हमारी कठिनाई यह है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं ऐसा प्रकरण है, एक सदस्य बोलता तो कहीं न कहीं जाँच की बात हो सकती थी। क्या जाँच समिति उन परम्पराओं के अनुकूल कार्य करेगी जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे। माननीय सदस्य स्वयं उनके पास गये और इस तरह का व्यवहार किया यह बड़ी ही खेदजनक घटना है, पहले तो उन्हें फोन पर ही बात कर लेनी चाहिए अंग्रेजी नहीं समझते हैं तो हिन्दी के लिए दुभाषिये की व्यवस्था करें।

मान्यवर, यह तो अवमानना का विषय बनता है और सभी सदस्यों की इच्छा भी है कि उन्हें सदन में बुलाया जाए। मान्यवर, एक सदस्य ने स्वयं कहा कि मैं आत्महत्या को तैयार हूं। कोई अधिकारी इस तरह का व्यवहार करे तो उसे इस तरह से क्षमा कर दें यह अच्छी बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे गम्भीर मामला समझते हुए ही माननीय कोश्यारी जी ने इस मामले को उठाया। इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाने की बात हमने कही है ताकि तत्काल जाँच की जा सके और उसके बाद उन्हें दण्डित भी किया जा सके। अधिकारियों को तो जनता की समस्याओं को भी सुनना चाहिए और माननीय विधायकों को उनकी गरिमा के अनुसार सम्मान देना चाहिए। माननीय विधायकों की बात को ध्यान से सुनना भी चाहिए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारियों को सदन के अन्दर बुलाया भी गया है। वहाँ पर एक बार एडवोकेट जनरल को भी उनके

दुर्व्यवहार के कारण सदन में आना पड़ा था और सदन एक कोर्ट के रूप में परिवर्तित हो गया था। उन्हें सदन में बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था यह एक प्रकार से अन्तिम अस्त्र भी है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस अधिकारी को तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए तथा जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाए। जाँच एक माह में पूर्ण कर ली जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, यह परम्परा ठीक नहीं है। इसमें दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी न हो जाय उन्हें कोई चार्ज न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। जब तक जाँच पूरी न हो जाय, तब तक उन्हें चार्ज न दिया जाय।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरी भी एक विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

एक उपवेशन में एक ही विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है।

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 12 जनवरी, 2005 की बैठक में दिनांक 13 जनवरी, 2005 से दिनांक 20 जनवरी, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

जनवरी, 2005,

13 गुरुवार — लोहड़ी अवकाश, बैठक नहीं होगी।

14 शुक्रवार — मकर संक्रांति अवकाश, बैठक नहीं होगी।

15 शनिवार — बैठक नहीं होगी।

16 रविवार — अवकाश।

17 सोमवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

विधायी कार्य– (क) उत्तरांचल (उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(ख) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(ग) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(घ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(ङ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(च) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(ङ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

18 मंगलवार

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं मतदान।

(2) वित्तीय वर्ष 2004–2005 की प्रथम अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण। (4.00 बजे)

19 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान।

(2) उत्तरांचल विनियोग (2004–05 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण।

(3) विधायी कार्य–

(क) उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(ख) उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(4) नियम 103 के लम्बित प्रस्तावों पर चर्चा–

(क) श्री मदन कौशिक द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत प्रस्ताव–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

(ख) श्री नारायण पाल द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत प्रस्ताव–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए"।

(ग) श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत प्रस्ताव–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर बुरू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाए।"

(घ) श्री मदन कौशिक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत प्रस्ताव–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।"

(ङ) श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत प्रस्ताव–

"संविधान के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।"

20 गुरुवार

असरकारी कार्य–

असरकारी विधेयक–

(1) उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2005 का पुरःस्थापन।

(2) वर्ष 2002 के लम्बित संकल्प–

(क) श्री प्रकाश पन्त द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।"

(ख) श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय।"

(ग) श्री मदन कौशिक द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि की पैड़ी", गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाए।"

(घ) श्री अजय भट्ट द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।"

(ङ) श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियाँ बिचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाय।"

प्रथम सत्र 2003 के लम्बित संकल्प–

(क) श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

(ख) काजी निजामुद्दीन द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(ग) श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा एवं मतदान–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।"

वर्तमान सत्र के असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण–

1. श्री प्रकाश पन्त

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय।"

2. श्री काशी सिंह ऐरी

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थाओं में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कार का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

3. श्रीमती विजया बड़थ्वाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाया जाए।"

4. श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियन्त्रण पर संस्तुति हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।"

5. श्रीमती आशा देवी

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनी तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाए।"

वर्तमान सत्र में प्राप्त नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण–

1. काजी निजामुद्दीन "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम बनाई जाए।"

2. श्री काशी सिंह ऐरी "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार, भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जायें और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाए।"

3. श्री नारायण सिंह जन्तवाल "इस सदन का सुनिश्चित मत है ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जायें।"

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

प्राप्त नियम 58 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री नारायण सिंह जंतवाल जी की सूचना को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने सुबह कहा था कि आपकी जो 311 की सूचना है उसे नियम 58 में सुन लेंगे, इस तरह से आप द्वारा पीठ से निर्देश दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं कहाँ, नहीं कह रहा हूँ।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के महाविद्यालयों में जो पिछले 4 वर्षों में विजिटिंग प्रवक्ता शिक्षक शैक्षणिक कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। मान्यवर, जो उनकी नियुक्ति हुई थी, उनकी नियुक्ति हेतु जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उस विज्ञप्ति में जो योग्यता रखी गयी थी, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता नैट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सन् 2000 तक पी०एच०डी० धारक होना आवश्यक है। अर्हताविहीन अभ्यर्थी आवेदन–पत्र प्रेषित न करें। मान्यवर, उसके लिए नैट पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से जो पूरी तरह से देश के लिए उच्च शिक्षा में मानक निर्धारित करने वाली यू०जी०सी० है उसके द्वारा मानक तय किये गये थे। जो शासन द्वारा निर्धारित योग्यता रखी गयी थी उसी के आधार पर इन्टरव्यू में बुलाया गया और चयन समिति में विषय विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। मान्यवर, लैक्चरर के लिए जो योग्यतायें हैं उन्हें रखा गया।

मान्यवर, पिछले 4 वर्षों से ये लोग महाविद्यालयों में छात्रों को अध्यापन करा रहे हैं, 4 साल बीतने के बाद जो शासन की नीति रही है उस नीति के चलते उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसके बाद शासन ने कहा कि विजिटिंग प्रवक्ता को 5 प्रतिशत चयन के बोनस अंक दिये जायेंगे। मान्यवर, 10–15 विजिटिंग के लोगों को ही बुलाया गया। मान्यवर, इसके लिए जो मानक राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा रखे गये हैं वह त्रुटिपूर्ण हैं। मान्यवर, इससे पहले जो इन्टरमीडिएट के लिए लेक्चररों की नियुक्ति की गई तो उसके लिए आयोग ने कामन टैस्ट लिया था और आवश्यकता इस बात की थी कि इस टैस्ट को हायर एजूकेशन के लिए भी आयोग द्वारा लिया जाता। क्योंकि पूरे देश के अन्दर जो विश्वविद्यालय हैं, विभिन्न बोर्ड हैं उसमें जो परीक्षा प्रणाली है, उसमें बड़ा अन्तर है। किसी विश्वविद्यालय में आब्जेक्टिव प्रश्नों का बाहुल्य रहता है और किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्नों का बाहुल्य रहता है। आब्जेक्टिव प्रश्नों की मेरिट ऊपर जाती है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड है और आई०सी०एस०ई० का बोर्ड है। तो उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत लाना भी मुश्किल होता है और आई०सी०एस०ई० में 90 प्रतिशत भी आसानी से आ जाते हैं। शासन ने जो शासनादेश निर्गत किया 801 तथा 730 दिनांक 22 अगस्त, 2003 उसमें शिक्षक की सेवाओं को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में ऐसे शिक्षकों को जो चयन की तिथि पर अर्हताधारी नहीं थे, ऐसे शिक्षक जो नियमिति की तिथि पर शैक्षिक रूप से अर्ह नहीं थे, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, को भी इसमें शामिल किया गया था। मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह है कि राज्य बनने के कठिन समय में जिन लोगों ने काम किया और इससे पहले चाहे वे अशासकीय विद्यालय में रहे हों, उनमें के लोग रहे, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं रखते थे उनको भी विनियमित करने की बात कही गयी। और मान्यवर, 4 साल से जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, यू०जी०सी० के माप

पन्दों पर जो खरे उतरते हैं, उन्हें भी विनियमित किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है।

लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है परन्तु नौजवानों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। आज इस पूरे प्रकरण से विजिटिंग फैकेल्टी के लिए अलग से मानक तय किये जायें। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पैटर्न था। यू०जी०सी० ने सबके लिए पैटर्न निकाला। अब इसके लिए नेट क्वालीफाईड लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उनको भी नहीं बुलाया गया है। जिन नौजवानों ने इस राज्य को बनाने में मदद की वही आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, राज्य गठन के उपरान्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति रुपये 5000 प्रति माह और 100 रुपये प्रति वादन पर संविदा पर की गयी थी जिसे बाद में 250 रुपये प्रति वादन एवं रुपये 5000 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।

कालान्तर में विजिटिंग प्रवक्ताओं को निश्चित मानदेय देने का निर्णय लिया गया, जो कि दिया जा रहा है। इनकी तैनाती संविदा के आधार पर की गई और इनसे इस आशय का शपथ-पत्र भी लिया गया था कि भविष्य में स्थायी की मांग नहीं करेंगे। यह नितान्त अस्थाई व्यवस्था थी। फिर जब मांग आई तो लोक सेवा आयोग के समक्ष इसे लेकर उपस्थित हों। इसके लिए आयोग को अधियाचन भेजा गया। इसमें इन्हें 5 प्रतिशत आयु सीमा में छूट दी गई और कुल अंकों का 5 प्रतिशत अधिमान में दिये जाने का निर्णय लिया गया। हमारा मानना था कि इन सबके लिए काल लैटर जायें और ये लोग चयनित भी हो जायं यह मंशा शासन की थी। यहाँ कुल 239 पद हैं कुछ का चयन हो भी गया होगा, इसकी निश्चित जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। यह सही है कि अधिकांश लोग अर्हता के अन्तर्गत नहीं आ पाये। यह लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी नियमितीकरण के लिए गये और माननीय न्यायालय ने इनकी रिट को खारिज कर दिया। 239 पदों पर चयन होना था वह प्रक्रिया आज भी गतिमान है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया और हम सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि जैसा कि मैंने अभी इस सम्बन्ध में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। यह सही है कि विभाग जब नियुक्ति देता है तो शपथ-पत्र भी लिया जाता है और यह बात भी शामिल की जाती है कि आप क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन मान्यवर, योग्यता को देखते हुए समय-समय पर चयन हुए हैं। जो व्यक्ति यू०जी०सी० की अर्हता रखता है उनको फुलफिल नहीं करता, जैसा मैंने उदाहरण दिया अशासकीय विद्यालयों का

और गवर्नमेंट कालेजों में जो एडहॉक में थे उनका नियमितीकरण हुआ है। नियुक्ति में तकनीकी स्थिति क्या है यह अलग बात है, लेकिन क्या सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति है या नहीं। विजिटिंग फैकल्टी के साथ जो हो रहा है वह अन्यायपूर्ण.....।

श्री अध्यक्ष–

जंतवाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उच्च न्यायालय की बात कही, हम भी माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। जो यह विजिटिंग प्रवक्ता हैं आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, जो राजनैतिक नेतृत्व होता है उसका उत्तरदायित्व है कि राज्य के अन्दर रहने वाले सभी लोगों के हक–हकूकों की रक्षा करे, यह कार्य इनका होता है। मान्यवर, जब हिन्दुस्तान में संविधान बना था तब आरक्षण का भी प्रश्न आया था तो यह बात आने पर लोग न्यायालय में गये और आरक्षण नहीं माना गया तब राजनैतिक नेतृत्व जो उस समय था उसने एक कानून बनाया और इसे माना गया। तो मान्यवर सरकार को मानवता के आधार पर, योग्यता के आधार पर इन्हें नियमित करना चाहिए। कुछ ब्यूरोक्रेटस या कुछ नियमों के आधार पर इन नौजवानों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। मान्यवर, जो यू०जी०सी० की क्वालीफिकेशन रखते हैं उनको भी साक्षात्कार में नहीं बुलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी सदन में यह आश्वस्त कर दें कि इन सबको योग्यता के आधार पर नियमित कर दिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस विषय पर जितने संवेदनशील हमारे माननीय जंतवाल जी हैं, उतने ही संवेदनशील हम भी हैं। आपका संवेदनशील होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने अपना शपथ–पत्र दिया है। वे संविदा पर रखे गए हैं। संविदा कर्मियों की अन्ततः यही माँग होती है कि उनको नियमित कर दिया जाए। यह जो 239 पद हैं। इन पदों का अधियाचन भेजा गया है, इसके लिए जिन विजिटिंग प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया गया है, उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी उम्र भी अधिक हो रही होगी, पता नहीं उनको अगली बार मौका मिले या न मिल पाए। उनका प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है। इनको पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता है। किसी प्रवक्ता के 2–3 पीरियड हो जाते हैं, किसी का एक ही हो पाता है। इसलिए सरकार ने इसका

मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया है। ऐसा सरकार ने संवेदनशील होकर ही किया है। इन 239 पदों हेतु जो साक्षात्कार होगा उसमें इन्हें आयु सीमा में छूट एवं कुल अंकों का 5 प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, बहुत से लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उनका प्रतिवेदन शासन में विचाराधीन है। इन विजिटिंग प्रवक्ताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विनियमितीकरण के लिए रिट याचिका योजित की गयी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण सिंह जंतवाल जी माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

आज बसपा के माननीय सदस्यों ने दिनांक 15–01–2005 को रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में विचाराधीन कैदियों द्वारा तीन सिपाहियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना दी थी, मैं इसे नियम 58 में सुन रहा हूँ। माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रख सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर पहले मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। हमने आपस में बात भी कर ली है। इस सूचना पर हमारे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात रखें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी हमारी सूचना को नियम 58 में सुनने के लिए अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक ऐसी घटना को आपके सम्मुख माननीय सदन में रख रहा हूँ जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है और जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज प्रदेश की जनता सोचने को मजबूर हो गयी है कि पुलिस अधिकारी और सिपाही जिन पर समाज की सुरक्षा का दायित्व है, जब वही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का जन जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा।

मान्यवर, 15-01-2005 को क्वैराली के पास दिन दहाड़े 3 सिपाहियों को उस समय मार दिया गया जब जिला कारागार अल्मोड़ा के दो मुजरिमों श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री हरीश सिंह को रानीखेत मुंसिफ कोर्ट में पेशी के बाद रानीखेत से वापस अल्मोड़ा ले जाया जा रहा था। पुलिस के सिपाही टाटा सूमो की अगली सीट पर बैठे हुए थे। यह बात सामने आ रही कि रानीखेत में पुलिस के सिपाहियों ने मुजरिमों के साथ बैठकर चाय पी। तब किसको पता था कि यही वे अपराधी हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर इतने भीषण काण्ड को अंजाम देंगे। टाटा सूमो क्वैराली के पास पहुँचते ही उन्होंने विदेशी रिवाल्वर से 3 पुलिस कर्मियों को कनपटी से सटाकर गोली मार दी। गोलियों के शिकार एक पुलिस कर्मी ने तो वहीं पर दम तोड़ दिया। जबकि दो अन्य को ड्राइवर हिम्मत दिखाकर बेस हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ पर दोनों ने दम तोड़ दिया। मान्यवर, यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। ठीक इसी तरह की एक घटना में मुडम्पू में दो पुलिस कर्मी मारे गए थे।

मान्यवर, इसी तरह से 13 मार्च, 2002 को मुडम्पू के पास हुई थी। वे पुलिस कर्मी भी मुजरिमों को लेकर जा रहे थे। मान्यवर, इस प्रदेश में यह क्या हो रहा है? यहाँ पर एस0पी0 सिटी भूप सिंह तोमर जिंदा है या मरा है इसका पता नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की दिन दहाड़े चेन लूट ली जाती है। कोई कर्मचारी बैंक से लोन लेकर आता है, बैग में पैसा रखता है और उस व्यक्ति का बैग लूट लिया जाता है।

मान्यवर, चम्पावत का प्रीति हत्याकाण्ड अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है इसी प्रकार से मनीषा हत्याकाण्ड जो एक डेढ़ महीने पहले हुआ था उसकी फारेंसिक जाँच रिपोर्ट आ चुकी है। यानी कभी पुलिस सुरक्षित नहीं तो कभी पुलिस द्वारा जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। माननीय सदस्यगण सदन में इस तरह की घटनाओं पर आवाज उठाते हैं तो कई अवसरों पर उन्हें डराया-धमकाया जाता है। मान्यवर, 5 जनवरी, 2005 को कपकोट के ग्राम रिखाड़ी में पटवारियों द्वारा राजाराम नामक व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह मर गया जबकि अपराध उसके पुत्र द्वारा किया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है? अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। अपराधी कौन थे, कहाँ से आए और उन्होंने इस तरह की प्लानिंग कहाँ बनाई? आज अपराधियों के मन में किसी प्रकार का डर नहीं है। यदि उन्हें शासन का जरा भी डर होता तो वे इस तरह की घटना न करते। शासन बहुत ही सूझ-बूझ से घटना को अंजाम देंगे तो हम भी मारे जायेंगे। मान्यवर, आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। राज्य में त्राहि-त्राहि तो मची ही हुई है अब हाहाकार मचने वाला है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 15–01–05 को विचाराधीन कैदियों को ले जा रहे तीन सिपाहियों की कैदियों द्वारा हत्या कर दी गई। मान्यवर, सारी बात माननीय अजय भट्ट जी ने कह दी है। मैं कुछ बातों को सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज अपराधियों के पास ए0के0–47, मान्यवर, राइफलें हैं वे अस्त्र काफी हल्के होते हैं जबकि हमारी पुलिस के पास बहुत अधिक वजन के अस्त्र हैं। मान्यवर, पुलिस में जो नौजवान भर्ती किये गये हैं वे सभी औसतन पाँच फुट के आस–पास के हैं। उनके कंधों पर इतने अधिक वजन की राइफलें टाँगी गई हैं कि वे उन्हें उठाने में ही करीब–करीब असमर्थ हैं। मान्यवर, पुलिस को डिमॉरलाइज्ड नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ही सामने एक बार रुड़की में कोतवाली में एक सब इन्स्पेक्टर ने एक जवान से कहा कि जरा अपनी राइफल उठाकर ऊपर रख दो तेरा इतना वजन है उससे अधिक तो राइफल का वजन है। उनकी फिजिकल फिटनेस की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।

मान्यवर, माननीय मंत्रिगणों और आपको भी माननीय अध्यक्ष जी जो सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराये गये हैं मैं समझता हूँ कि शायद ही उन्हें कोई ट्रेनिंग दी गई होगी। कोई शूटिंग की प्रैक्टिस कराई गई होगी।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि टाटा सूमो गाड़ी कहां से आयी थी, क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को टैक्सी उपलब्ध कराती है, या परिचितों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, या पुलिस जिस तरह की कण्डमनुमा गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, वह गाड़ी थी? मान्यवर, कभी–कभी पुलिस सही कार्य भी करती है, लेकिन यह सरकार उसकी मंशा को तोड़ती है।

मान्यवर, पहले भी इसी सदन में आरोप लगाये गये थे। मान्यवर, मैं हरिद्वार जनपद के पोरमनपुर थाने में करनपुर के प्रधान के साथ हुई घटना के बारे में कहना चाहता हूँ कि पुलिस के एस0एस0पी0 ने रिपोर्ट दी पुलिस सही काम कर रही थी, लेकिन वह जांच किसी अन्य एजेंसी को दी गयी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इन पुलिस कर्मियों के पास कौन से हथियार थे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय अजय भट्ट जी द्वारा रखे गये कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सबसे अहम बात यह है कि 13 मार्च, 2003 को जो घटना रुड़की में हुई थी इस समय सरकार ने निर्णय लिया था कि कैदियों को कैद से कोर्ट तक लाने तथा ले जाने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया जायेगा। मान्यवर, इसका पालन एक–दो महीने तक हुआ। मान्यवर, फिर स्थिति उसी ढर्रे पर आ गयी है। मान्यवर, जिस प्रकार से किसी अभियुक्त को गाड़ी मिलती है और उन्हें जो भी वाहन मिलता है उसी में बैठकर चलते

है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह घटना रानीखेत में हुई है, इसलिए यह और भी चिंता का विषय है। यदि यह घटना हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हुई होती तो और बात थी चूंकि वहां से निकलने के कई रास्ते हैं। मान्यवर, मारे गये पुलिसकर्मियों ने नाकाबंदी भी किया था वे एक प्राईवेट वाहन में भी बैठे, दो आदमी उनसे मिले भी थे। मान्यवर, हत्या के बाद सीमा सील करने के आदेश भी हो गये, मगर अपराधी पकड़े नहीं गये हैं। मान्यवर, इसके बावजूद दो घटनाएं और घटित हो गयी हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय हो गयी है। अतः मैं माननीय अजय भट्ट जी द्वारा रखे गये कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में एक घटना हो तो समझ में आती है, अभी पिछले साल की घटना के बारे में मा0 सदस्य कह रहे थे। मान्यवर, हमारा कष्ट इस घटना के पीछे है और यह चाह रहे थे कि सारा कार्य रोककर चर्चा की जाए। मान्यवर, हमारी पुलिस मित्र पुलिस है और ऐसा तो नहीं है कि वह बदमाशों के साथ मित्र हो गई और सज्जनों की शत्रु हो गई। मान्यवर, इस घटना से लग रहा है कि वास्तव में हमारी पुलिस में कहीं न कहीं खामी है और अगर ऐसा है तो यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय पर सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। मान्यवर, यदि सामान्य विषय होता तो हम मान लेते, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर चर्चा का अवसर दें और अवसर नहीं देंगे तो हम अपनी पूरी बात नहीं कह सकेंगे, इसलिए अनुरोध है कि इस पर चर्चा की जाए। अगर आज कठिन हो तो आगे चर्चा करा लें। इसी के साथ मैं इस पर बल देता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, 15 जनवरी, 2005 को जो घटना हुई वह निश्चित रूप से गम्भीर है, क्योंकि हमारी पुलिस का मनोबल भी नहीं गिरना चाहिए। मान्यवर, 15-1-2005 को पुलिस लाइन अल्मोड़ा से आरक्षी 46 ए0पी0 गिरीश चन्द्र, आरक्षी 156 ए0पी0 संजय कुमार, आरक्षी 83 ए0पी0 महेश सिंह एवं आरक्षी 33 ए0पी0 पारस सिंह को शस्त्र एवं कारतूस तथा एक हथकड़ी व रस्सा देकर जिला कारागार अल्मोड़ा से अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र जमन सिंह निवासी ग्राम कैनिया (सिनर) पट्टी नया तहसील भिकियासैण, अल्मोड़ा तथा अभियुक्त हरीश सिंह पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम पुराना ग्राम पटवारी क्षेत्र, दीनाकोट, तहसील चौखुटिया, अल्मोड़ा को जिला कारागार अल्मोड़ा से जे0एम0 कोर्ट रानीखेत में पेश करने के लिये रवाना किया गया था। आरक्षी गिरीश चन्द्र, संजय कुमार व महेश सिंह उपरोक्त बन्दियों को पेशी के उपरान्त प्राईवेट टैक्सी टाटा सूमो से रानीखेत से अल्मोड़ा वापस आ रहे थे तो समय करीब 14.30 बजे रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पर कठपुड़िया व क्वैराली के बीच जो राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है, पर टाटा सूमो में पिछली सीट पर बैठे उक्त

अभियुक्तों व टाटा सूमो की पीछे की सीट पर बैठे दो अन्य व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त आरक्षियों, पर फायरिंग कर दी जिससे आरक्षी 63 स०पु० महेश सिंह व आरक्षी 46 स०पु० गिरीश चन्द्र की मृत्यु हो गयी तथा आरक्षी 156 स०पु० संजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल आरक्षी संजय कुमार को उपचार हेतु बेस अस्पताल अल्मोड़ा में भर्ती कराया गया जिसके सिर पर गोली लगी थी और उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गयी।

फायरिंग के दौरान आरक्षियों से लूटी गयी दोनों रायफलें बरामद कर ली गयी हैं। मौके पर बदमाशों द्वारा घटना में प्रयुक्त पिस्टल 9 एम०एम० बरामद किया गया। अपराधियों द्वारा ले जायी गयी हथकड़ी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस लाइन अल्मोड़ा से आरक्षी 33 स०पु० पारस सिंह इन आरक्षियों के साथ जिला कारागार अल्मोड़ा तक गया था लेकिन उसके उपरान्त मुलजिम पेशी में रानीखेत नहीं गया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में टाटा सूमो के चालक वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह निवासी ग्राम खनियां, पो० पन्त कोटेली, तहसील रानीखेत की तहरीर सूचना पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा में धारा 302/307/394भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है।

मान्यवर, आरक्षी 33 स०पु० पारस सिंह जो उपरोक्त आरक्षियों के साथ अल्मोड़ा से मुल्जिमों को लेकर रानीखेत नहीं गया था, को कर्तव्यपालन में लापरवाही, उदासीनता तथा अकर्मण्यता बरतने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन अल्मोड़ा को लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, क्राइम, उत्तरांचल द्वारा किया जा चुका है। अभियुक्तों के पोर्ट्रेट एवं हुलिया सभी राज्यों को प्रेषित किये जा रहे हैं, तथा अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीमों का गठन कर योजनाबद्ध सघन कार्यवाही की जा रही है। मृतक पुलिसजनों के परिवारजनों को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

उपरोक्त घटना की मजिस्ट्रीयल जाँच परगना मजिस्ट्रेट सदर अल्मोड़ा को सुपुर्द की गयी है। प्रत्येक मृत आरक्षी को शासन की तरफ से पाँच लाख रुपये दिये जाने का अनुमान है और फरार मुल्जिमों की तलाश करने एवं सूचना देने वाले के लिए एक लाख रुपये इनाम रखा गया है। मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है वह सही है। इस घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए। क्योंकि उनको दूर ले जाना पड़ता है और यह परम्परा है कि टैक्सी किराये पर ली जाती है। इसमें अन्य व्यक्तियों के बैठने की घटना भी प्रकाश में आयी है। इस तरह की पूर्व में भी घटना हुई है इस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे। मेरा कहना है कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में तो अपराध नहीं होने चाहिए और अपराध की मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए।

काज़ी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार में तो आये दिन अपराध हो रहे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय मंत्री जी पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र का भेदभाव कर रही हैं। आपको क्षेत्रवाद की बात नहीं करनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हरिद्वार तो पर्वतीय नहीं है किस ने कहा, वहाँ तो शिवालिक पर्वत है। मान्यवर, पर्वतीय से आपको परहेज नहीं होना चाहिए यह तो खण्ड है। इसके पीछे यह भाव नहीं है। मान्यवर, इस घटना पर शासन काफी चिन्तित है। जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। यह घटना कष्टदायक है इसमें नौजवान सिपाहियों की मृत्यु हुई है। सभी लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं। आर्थिक सहायता जो भी सम्भव हो उनको दी जा रही है। मान्यवर, दूसरे लोगों को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। इसके लिए सुदृढ़ कार्य प्रणाली बनायी जायेगी। शस्त्र अस्त्रों के बारे में विचार किया जायेगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि विदेशी पिस्टल थी वह विदेशी नहीं थी। मान्यवर, इन अपराधियों के पोर्ट्रेट एवं हुलिया सभी राज्यों को भेजे जा रहे हैं और इन्हें पोर्ट्रेट के आधार पर पकड़ा जायेगा।

काज़ी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, आपने कहा कि पोर्ट्रेट से उनकी पहचान होगी, वे जेल में थे तो वहाँ तो उनकी फोटो होनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने कहा कि उनकी पोर्ट्रेट सभी राज्यों को भेजे जा रहे हैं जिससे कि उन्हें पकड़ा जा सके। मान्यवर, उनके फोटो भेज दिये गये हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूरा विवरण यहां पर दिया, लेकिन कतिपय माननीय मंत्री जी ने भाषण में कहा कि पर्वतीय क्षेत्र और इसका आशय भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वह वास्तव में यातायात की दृष्टि से काफी दुर्गम है। मेरा आशय यह है कि 15 तारीख को 2.30 बजे यह घटना घटित हुई और आज 48 घंटे हो चुके हैं यदि मैदानी क्षेत्र होता तो माना जा सकता था लेकिन जहां यह घटना हुई वहां रास्ते बहुत ही सीमित हैं। बीच सड़क में यह घटना घटित हुई है, उन्होंने लूटी हुई राइफल भी छोड़ दी है। इससे ऐसा आभास होता है कि अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को अपने

विश्वास में ले लिया था दूसरे शब्दों में अपराधियों और पुलिस के बीच में एक गठजोड़ बनता जा रहा है। इसी गठजोड़ का खमियाजा निर्दोष पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा। यह गठजोड़ यदि आगे चलता रहा तो मासूम नागरिक इसके शिकार बनते रहेंगे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पुलिस की कार्यप्रणाली में यह भी शामिल होना चाहिए कि वह ऐसी बातों से सावधान रहे। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

तीसरा—मान्यवर, इस क्षेत्र से भागने के रास्ते कम हैं ऐसे में अभी तक अभियुक्तों का न पकड़ा जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। माननीय मंत्री जी ने भी इस क्षेत्र को शान्त क्षेत्र कहा है और उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारी जो छवि थी उसको भी धक्का लगा है। इसके लिए उपाय किये जायें यह मेरा अनुरोध है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर पर विचार किया जायेगा। पुलिस कर्मियों को रिफ्रेशर कोर्स करवाया जायेगा ताकि वे बीच में किसी को अपने साथ न बैठाएं, कहीं किसी अनजाने के साथ खाना न खाएं। मैंने आज ही कहा कि उनका रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। इन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। यह करना शासन का दायित्व है। पुलिस कर्मियों की रक्षा करना भी शासन की जिम्मेदारी है। निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करना भी शासन की जिम्मेदारी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर—

मान्यवर, क्या इसमें वाहन भी सम्मिलित होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री हरबंस कपूर—

मान्यवर, जो घटना ऋषिकेश में हुई उसमें भी वाहन पुलिस का नहीं था और वह वाहन कस्टडी में था जिसका पुलिसकर्मियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा था। इस घटना में भी वाहन पुलिस का नहीं था। तो क्या सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि पुलिसकर्मियों को वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, सभी बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा, उसमें, अस्त्र-शस्त्र एवं वाहन सभी शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, इन पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपये दिये जाने की बात आई है तो क्या सरकार मनीषा हत्याकांड में उनके आश्रितों को भी मुआवजा देगी? उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इस तरह की घटनायें रोज होती जा रही हैं, सरकार के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मातबर सिंह कंडारी, नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगणों और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.15 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

हरिद्वार में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज एवं पथराव की घटना पर जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इससे पूर्व जो विधान सभा का सत्र हुआ था, उसमें हरिद्वार में पुलिस द्वारा जो दंगा किया गया था।

श्री अध्यक्ष–

आप अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख लें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सरकार का आश्वासन था। इस पर जो जांच बैठाई गयी थी, वह जांच पूरी हो गयी है और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है। मेरा अनुरोध है कि इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय, इसे सदन के पटल पर रखा जाय। इसमें दुकानदारों को मुआवजा दिया जाना है, मृतक आश्रितों को मुआवजा दिया जाना है, इसी प्रकार जो अन्य कार्य होने हैं, वह जांच के बाद ही

होंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं। मान्यवर, इसमें पहले भी सरकार की तरफ से आश्वासन आया था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर जांच रिपोर्ट रखने की बात कही है। मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, मैं इसे दिखवा लूंगी।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी राज्य कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत इसे मेरे द्वारा उठाया गया था और इसे आप द्वारा ग्राह्य भी किया गया। लेकिन मुझे आज विधान सभा सत्र 2004 में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही/विवरण का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इस सूचना को अप्राप्त दर्शाया गया है। मान्यवर, जब कि सदस्यों को तीन महीने के अन्दर विभाग द्वारा सूचना दी जाती है। यह तो सदन की अवमानना है। माननीय अध्यक्ष जी आप इस पर सुन लें हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में लिखकर दे दें। हम इसे देख लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी पीठ से प्रश्नों को उत्तरित करने के निर्देश दिये गये हैं। 2004 के जितने भी प्रश्न हैं, सूचनाएं हैं, उनके अभिलेख यहां पर रखे हैं। एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सदन में उत्तर न आना बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। उत्तरांचल राज्य एक हाईटेक राज्य बनाने की बात आप करते हैं। इसमें क्रम संख्या 26 पर अप्राप्त लिखा है।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ठीक है। हम इसकी जानकारी करेंगे कि यह कैसे हो गया, जो भी दोषी होगा कार्यवाई की जायेगी।

श्री हरीदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी मिली है कि एस०डी०एम० महोदय हमारे माननीय विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। कृपया इसकी जानकारी करवा लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय हरिदास जी अब इस प्रकरण को समाप्त समझें।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत, चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के अनुमोदन का संकल्प तथा (उत्तर प्रदेश जोत, चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत, चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश 2004 का अनुमोदन करता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि (उ0प्र0 जोत, चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक 2004 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत साधारण सा अधिनियम है, इसमें कठिनाई यह आयी कि जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 1980 तथा उसके बाद कई गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के ध्येय से उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) एवं 4 (क) के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इस विज्ञप्ति के क्रम में विज्ञापित ग्रामों से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेख, राजस्व विभाग के कर्मचारियों का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाने के कारण, चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया। कतिपय कारणों से इन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी जिसके कारण लगभग 15–18 साल की अवधि में मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम तथा इस अवधि में हुए भूमि के अन्तरणों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के कारण चकबन्दी कर्मियों को इसका क्षेत्राधिकार विधिक रूप से उपलब्ध नहीं था।

यदि चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती तो इस प्रकार का क्षेत्राधिकार उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन प्राप्त हो जाता है। मान्यवर, उक्त कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2002 में अध्यादेश जारी कर उन मामलों में जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होती है, के सम्बन्ध में विरासत एवं अन्तरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के कुछ कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका दायर की गयी थी, जिसमें राजस्व अभिलेखों में अन्तरण एवं विरासत लम्बी अवधि से दर्ज न होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया को चुनौती दी गयी थी। इस याचिका में प्रमुख सचिव, राजस्व को व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित

होकर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी थी जिसमें प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त विधिक स्थिति स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा 6 में एक नई धारा 6–क जोड़ते हुए, जो क्षेत्राधिकार चकबन्दी विभाग कर्मचारियों को प्रदान किया था, उसी के अनुरूप उत्तरांचल में भी उक्त अधिनियम में संशोधन करने का आश्वासन दिया था।

मान्यवर, चूँकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2004 को उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम , 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 02 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, माननीय विधायकों के माध्यम से यह बात सरकार के संज्ञान में कई बार लायी गयी थी कि उत्तरांचल की बहुत सारी तहसीलों का रिकार्ड पिछले कई वर्षों से चकबन्दी अधिकारियों के पास पड़ा है। मान्यवर, किसानों को अपने खेत की ही खतौनी अथवा खसरा रिकार्ड की नकल नहीं मिलती है। मान्यवर, यह भी निवेदन किया गया था कि जब तक किसी भी कोर्ट का स्थगन आदेश लागू है वे सारे दस्तावेज तहसीलों को वापस कर दिये जायं। मान्यवर, इस सरकार को सत्ता में आये लगभग तीन साल व्यतीत हो गये हैं, इस अवधि में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, हाई कोर्ट में वह पिटीशन हुई। यदि तीन साल पहले सम्बन्धित दस्तावेज तहसीलों को वापस कर दिये जाते तो इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी।

मान्यवर, पहले ही किसान चकबन्दी अधिकारियों से पीड़ित हैं। मान्यवर, समय सीमा न होने के कारण अब पता नहीं कि कितने साल तक चकबन्दी अधिकारियों के पास यह रिकार्ड पड़ा रहेगा। मान्यवर, यह छोटा सा मामला नहीं है, इस विधेयक से चकबन्दी अधिकारी जो मनमानी अभी तक किसान के प्रति कर रहे हैं उनकी मनमानी बढ़ जायेगी, किसान पीड़ित होगा और चकबन्दी अधिकारियों को कोई किसान चैलेंज नहीं कर पायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इसे प्रवर समिति के हवाले कर दिया जाए और समिति एक माह के समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धीमा जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है उस को बल देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, मा० मंत्री जी ने कहा कि एक छोटा सा विधेयक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस छोटे से विधेयक में इतनी बड़ी बात कह दी गई है और उसके माध्यम से किस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न होगा, उसके बारे में यहां पर विचार कर लें। मान्यवर, प्रस्तावना में कहा है कि 15 से 18 साल की अवधि में मृतक खातेदारों के वारिसानों के नाम तथा इस अवधि में हुए भूमि के अन्तरणों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा सका। क्योंकि चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के कारण चकबन्दी कर्मियों को इसका क्षेत्राधिकार विधिक रूप से उपलब्ध नहीं था। मान्यवर, इस समय न्यायालय की शरण में उत्तरांचल के कुछ लोग गये और न्यायालय ने प्रमुख सचिव राजस्व को अपने यहां बुलाया और प्रमुख सचिव राजस्व ने इस बात को स्वीकारा और यह कहकर आये कि इसका संशोधन करेंगे और उस संशोधन के प्रारूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस विधेयक में धारा 6–क अतिरिक्त डाला गया और इस धारा को जोड़ते हुये कहा कि जो क्षेत्राधिकार चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को प्रदान किया था उसी के अनुरूप उत्तरांचल में भी उक्त अधिनियम में संशोधन करने का आश्वासन दिया था। और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी विहित की जाये, निपटाया जायेगा। मान्यवर, एक लाइन में कह दिया कि पूरे राज्य में निबटा लें और कैसे निबटा लेंगे यह माननीय धीमा जी ने कह दिया।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की कुव्यवस्था को देखते हुये अलग से विधि बनाई जाए। मान्यवर, 60 के दशक में यहां पर भूमि की व्यवस्था का बंदोबस्त हुआ और तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और प्रवर समिति निर्णय लेगी कि चकबन्दी के विषय में क्या होना चाहिए। यह विषय निश्चित रूप से गम्भीर है इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय धीमा जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, चकबन्दी के विषय में एक सीधा नियम है कि जिन–जिन गांव का गजट हो गया तो सारे अभिलेख चकबन्दी विभाग से सौंप दिये जायेंगे और जो भी कार्य करने होंगे वह चकबन्दी विभाग करेगी।

मान्यवर, चकबन्दी के अन्दर काम करने वाले जो लेखपाल हैं वह सामान्यतया मैक्सीमम उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं। मान्यवर, 4 वर्षों से इस क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि छोटा विषय है कुछ किसान कोर्ट चले गये और कोर्ट ने फैसला दे दिया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 4–4,

5–6 साल तक मुकदमा चलता है। इसमें लिख दिया कि उसका फैसला अन्तिम होगा। मान्यवर, यह ऐसा विषय है इस विषय को जल्दबाजी में कोर्ट को आधार मानकर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वह पहले से ही चकबन्दी को लेकर मार झेल रहे हैं, इसलिए यह उनके लिए अन्याय होगा। मैं श्री चीमा जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रवर समिति का रखा है मैं उस पर बल देता हूँ इसे भी भू अध्यादेश की तरह प्रवर समिति को सौंपा जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो यह कह रहे हैं कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, जो भूमि के मामले हैं, उनका निस्तारण करेगा, ये चकबन्दी का काम तो कर नहीं पा रहे हैं उल्टे उन्हें दाखिल कराने का काम दे रहे हैं, इस तरह तो दोनों विभाग आपस में लड़ेंगे। मैं पिछले दिनों ऊधमसिंह नगर गया था, मैंने देखा कि 15 सालों से चकबन्दी विभाग के पास राजस्व के अभिलेख पड़े हुए हैं उनको वापस लेकर राजस्व विभाग को देना चाहिए। मान्यवर, इस विधेयक में अनेक खामियां हैं। जल्दबाजी में सरकार को यह विधेयक नहीं लाना चाहिए। ये दोनों विभाग आपस में लड़ेंगे, जनता परेशान होगी। सरकार इसे प्रवर समिति को सौंपे और वह सुझाव देगी तब जाकर के इन संशोधनों के साथ इसे लायें तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, सारे कागजात राजस्व अभिलेख चकबन्दी के पास पड़े हुए हैं जबकि यह राजस्व विभाग के पास होने चाहिए। जनता परेशान है। फिर एक परेशानी जनता के ऊपर आप लाद रहे हैं जनता के हित में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने, मा0 नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि 15 वर्ष से, 16 वर्ष से अधिक समय हो गया है और मृतकों के वारिसों के नाम अभी भी दर्ज नहीं हुए हैं। वे लोग कोर्ट में चले गये। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उनके नाम तत्काल दर्ज किये जायें इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें और अधिक विलम्ब न हो। इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जो विवादित विषय न हो उसमें नाम चढ़ा दिये जायें। यह हम सभी जानते हैं कि जहां विवाद होगा वहां लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। मान्यवर, प्रक्रिया में और विलम्ब न हो। अन्य कोई सुझाव हो तो उन पर विचार किया जा सकता है। इस विधेयक को न रोका जाये। इस समय हम इसे न रोकें और वारिसान के नाम चढ़ जायें, इसीलिए मैंने यह अनुरोध किया है कि इस विधेयक को पास होने दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चकबन्दी विभाग जब चकबन्दी नहीं कर पा रहा है तो उसे नया कार्य क्यों दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह राजस्व विभाग को क्यों न दिया जाये। राजस्व विभाग, जिसका यह अधिकार है, उसको न सौंप कर, चकबन्दी विभाग को यह कार्य सौंपा जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चकबन्दी की व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है। मृतकों के वारिसान के नाम जल्द दर्ज किये जायें इसलिए इस विधेयक को पास किया जाये। यदि कोई और सुझाव होंगे तो आगे भी उन पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इस विधेयक की धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4–क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी विहित की जाये निपटाया जायेगा। मान्यवर, इससे किसान चकबन्दी अधिकारियों के चंगुल में फँस जाएंगे। बैक डेट में सारे काम किये जाएंगे और किसान की आय का 50 फीसदी चकबन्दी विभाग खा जायेगा। मान्यवर, जहां 15 साल, 18 साल का विलम्ब हुआ है वहां एक माह का विलम्ब और सही। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन ने अपना पक्ष रख दिया है। रिकार्डों के आदान–प्रदान में महीनों लग जाएंगे। हाईकोर्ट ने इसे जल्दी करने के लिए निर्देशित भी किया है। मेरी अपील है कि इसे पास करने में सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का अनुमोदन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

(उत्तरांचल विधेयक संख्या, सन् 2004)

उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए यह

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् उपधारा 6क का बढ़ाया जाना

2. उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में एक नई धारा 6–क का बढ़ाया जाना– उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"6–क

(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4–क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी विहित की जाये, निपटाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायेगा, न ही जारी रखा जायेगा या न ही निपटाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यसूची की मद संख्या 36 के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यसूची में मद संख्या–36 उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 के सम्बन्ध में माननीय पंत जी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि चूंकि इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त है और इस प्रकार यह धन विधेयक है अतः इसके सम्बन्ध में श्री राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, जो नहीं की गई है।

इस सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था यह है कि यह संशोधन विधेयक है तथा संविधान के अनुच्छेद 199 (1) के खण्ड (क) से (छ) के अन्तर्गत यह धन विधेयक नहीं है। अतः मैं इस पर विचार की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन् मेरी जो आपत्ति थी.......।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें विचार की अनुमति दे दी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह धन विधेयक है और यह श्रेणी ख के अन्तर्गत है, ऐसी परम्परा भी है और व्यवस्था भी है और संविधान में भी है।

श्री अध्यक्ष–

यह संशोधन विधेयक है।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, इसमें विधेयक ज्ञापन भी है तो निश्चित रूप से इसमें महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति ली जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। श्रीमन् इसमें समय ही कितना लगता है, अनुमति तो टेलीफोन से भी ली जा सकती है।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के हितों के रक्षार्थ एवं किसी वर्ग के नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों के परीक्षणार्थ उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 प्रख्यापित करते हुये उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आयोग में अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का प्राविधान किया गया जो कि पिछड़े वर्ग से हों। कालान्तर में उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 (3) में संशोधन करते हुये आयोग में एक उपाध्यक्ष के पद का प्राविधान किया गया।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 79 जातियां सम्मिलित थीं। तदुपरान्त उत्तरांचल सरकार द्वारा क्रमांक–80 पर कुंथालिया, बोरा, क्रमांक–81 पर भुज बाहरी/बाहंग, क्रमांक–82 पर गोरखा समुदाय, क्रमांक–83 पर रवाल्टा/जौनपुरी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया।

मान्यवर, राज्य स्तर पर विचार–विमर्श के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के बेहतर अनुश्रवण तथा समुचित सहभागिता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य संख्या दो से बढ़ाकर ग्यारह किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। अतएव, मैं उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 के सदन में पारण हेतु अनुरोध करता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि इस विधेयक को लाने से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष उत्तरांचल का खर्च बढ़ेगा और उत्तरांचल की जनता पर यह भारी बोझ रहेगा। पहले सदस्यों की संख्या 4 थी, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे। आपने इसे बढ़ाकर 13 कर दिया है। मान्यवर, छोटे से उत्तरांचल राज्य में इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को नामित करना और उनकी संख्या बढ़ाना उत्तरांचल की जनता के ऊपर एक आर्थिक बोझ डालना है। हम चाहते हैं कि सरकार, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके हित में काम करे। सदस्यों की संख्या बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। बल्कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के दुःख–दर्द को दूर करने का सरकार प्रयास करे तो अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो कि उत्तरांचल के पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के लिए कार्य करें। मुझे लग रहा है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर सरकार अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाना चाहती है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभ नहीं पहुँचाना चाहती है। इसलिए इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, यह द्वितीय संशोधन विधेयक सरकार लेकर आयी है। जिस समय यह विधेयक अपने मूल स्वरूप में इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय हमने यह आग्रह किया था कि इसमें जो संख्या 4 की है, इस बार की संख्या में आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि यह वास्तव में उत्तरांचल के अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को संरक्षित कर सकें। लेकिन इस आयोग के गठन के बाद से आज के दिन तक इसको कितने अधिकार दिए गए, क्या कार्यवाही इस आयोग के माध्यम से की गयी, यह तो सरकार ही जानती है।

मान्यवर, आज पुनः इसका संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया गया। हो सकता है कि अगले सत्र में एक और संशोधन सरकार लेकर आए और सिर्फ संख्या को लेकर संशोधन लाए। इस विधेयक में संख्या को छोड़कर कोई अन्य संशोधन नहीं लाया है। मेरा आग्रह है कि जितनी संख्या बढ़ानी है, जितने संशोधन करने हैं, सबको एक ही बार में ले आएं। इसके लिए आवश्यक है कि व्यापक रूप से इसका अध्ययन कर लिया जाय। पहले 4 की संख्या लाए, आज 13 की संख्या लाए हैं, कल 20 लाएंगे, परसों

25 जाएंगे। इसलिए एक बार में ही अध्ययन हो जाना चाहिए। मान्यवर, आप तो विज्ञ ही हैं कि एक विधेयक को बनाने में, उसके परिचालन में कितना रुपया उत्तरांचल राज्य का लगता है, कितनी कॉपियां एक विधेयक की छपती हैं, बार-बार यह प्रक्रिया उचित नहीं है। मान्यवर, मेरा इस पीठ और सम्मानित सदन से आग्रह है कि उत्तरांचल का जो धन है, उसका अपव्यय इस सारे कार्य में न हो। मान्यवर, काफी अपव्यय हो रहा है। एक ही बार में जितना बढ़ाना है बढ़ा लें इसके लिए एक माह का समय दे दिया जाए। पहले आपने 11 संशोधन किये अब और 25 संशोधन लेकर आ रहे हैं फिर आप 51 संशोधन लेकर आयेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो यहाँ पर संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है क्योंकि इसमें सारी बातें लगभग-लगभग आ चुकी हैं। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद सरकार आयोगों का गठन करती जा रही है। आयोग तो सरकार के लिए सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ लेकिन संशोधन 5-6 महीने के अन्दर करने पड़ रहे हैं, जिससे व्यय भार बढ़ता है। व्यय भार कई मामलों में अधिक बढ़ रहा है। आप आयोग के अध्यक्ष का चयन करेंगे उसको पूरा प्रोटोकाल देंगे तथा उसी के अनुसार उस पर खर्च भी होगा। मान्यवर, यह व्यय भार उत्तरांचल की जनता पर पड़ेगा।

मान्यवर, आयोग के गठन पर सरकार द्वारा बड़ी तत्परता दिखाई जाती है किन्तु मानवाधिकार आयोग के बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार के पास गैर सरकारी संस्थाओं का प्रतिवेदन तथा खुद मैंने माननीय नेता सदन को पत्र लिखा है और कई माननीय सांसदों और विधायकों के पत्र इस सम्बन्ध में लिखे जा रहे हैं एवं रिटायर्ड चांसलर, वाईस चांसलर द्वारा पत्र लिखे गये हैं कि मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तरांचल में किया जाए। मानवाधिकारों का उत्तरांचल में बहुत उल्लंघन हो रहा है। किन्तु मानवाधिकार आयोग का गठन फिर भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सरकार को जिसमें फायदा नजर आता है उन आयोगों का गठन सरकार द्वारा किया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग प्रमुख आयोग है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो संशोधन आज लाया जा रहा है अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले और अन्य आयोगों का गठन करें जिसमें मानवाधिकार आयोग एक प्रमुख आयोग है। वास्तव में इसे सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए। सभी पक्षों को ठीक तरह से सुनने के बाद एवं एक्ट बनाकर सदन के पटल पर रखा जाए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी पिछड़े वर्ग आयोग के संशोधन केवल सदस्यों को नामित करने के लिए ही आया है। जो अध्यादेश पूर्व में पारित है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके पीछे साफ मंशा जो सरकार की है, उसमें साफ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का हित हो सके और जो भी सम्भावना प्रदेश के अन्दर, जो दूसरे नागरिक इस जाति के अन्तर्गत, इस आयोग के अन्तर्गत आना चाहते हैं, उनका सर्वे करने का है, उनका प्रतिनिधित्व शामिल करने का है। उस दृष्टि से सदस्यों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस संशोधन के विधेयक को यहाँ पर स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या, सन्, 2005)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निम्नवत् संशोधन कर दिया जाएगा–

शब्द 'दो सदस्य' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह सदस्य' रख दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ने सिविल जज (अवर खण्ड) का आर्थिक क्षेत्राधिकार रुपये 25000/– से बढ़ाकर रुपये एक लाख किये जाने की संस्तुति की है। मान्यवर, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह जनहित में है। अतः इस निमित्त बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है और यह संसदीय परम्परा भी है कि जो अच्छा प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है, उसका सम्पूर्ण विपक्ष स्वागत करता है। हम भी इसका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। परन्तु मान्यवर, कितना अच्छा होता जो यह सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कर रही है, ऐसा प्रस्ताव पहले ही ले आती, उसमें हम सब लोग तहदिल से साथ देते।

मान्यवर, इसमें एक जगह पर कंजूसी कर ली गयी है। मान्यवर, इसमें उत्तरांचल राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 19 की उपधारा–दो में संशोधन किया जाना आवश्यक है जिसके द्वारा सिविल जज (अवर खण्ड) को रुपये एक लाख तक के मूल्यांकन के सिविल वाद सुनने का अधिकार हो जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है इसके अनुसार जिला मुख्यालय से कोई वादी जाता है और उसका आर्थिक क्षेत्राधिकार एक लाख से बढ़कर होता है तो सुदूरवर्ती मुख्यालय में वह चला जाता है और उसे न्यायालय में जाने में उसे बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उदारता का परिचय देते हुए इसका जो आर्थिक क्षेत्राधिकार रखा हुआ है इसको एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया जाय, तो इसे हम सर्व सम्मति से मानने को तैयार हैं। मान्यवर, यदि सर्व सम्मति नहीं होती है तो इसको प्रवर समिति को भेजा जाय। समिति में इस पर चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्र लोगों की बात करता हूँ यहां से कोई वादी अल्मोड़ा में आ जाय तो। मान्यवर, उसके बाद वहां पर तिथियों के लिए रहना पड़ता है, बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो लाख का एलान कर दें, अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भट्ट जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देते हुए कहूँगा कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जब प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में सोचा तब यह निर्णय आया कि 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाए। मान्यवर, मेरा मानना है कि थोड़ी जानकारी भी आ जाए कि न्यायालय ने 25 हजार से एक लाख करने की बात कही है, तो उसके क्या–क्या कारण थे, अगर वह सरकार के पास है तो उसे पटल पर रखें, तब यह बात निकलकर आयेगी कि यह एक लाख होना चाहिए या और ज्यादा होना चाहिए। क्या न्यायालय ने भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए विचार किया है या सरकार जिन भौगोलिक परिस्थिति की बात कर रही है, इस बारे में ठीक प्रकार से दृष्टिकोण सदन में आना चाहिए और मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अगर इस को बढ़ाने के संदर्भ में उन विषयों को रखें और सरकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो मंशा है वह भी आये और माननीय सदन का दृष्टिकोण भी आये तो मैं स्वागत करूँगा। इस पर मैं बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में सभी न्यायालय हैं, उनका अभिमत आवश्यक होता है, उच्च न्यायालय ने संस्तुति की, कि जनहित में जनता के कष्ट को देखते हुये एक लाख के वाद को सुनने का अधिकार दे दिया जाए।

उनका निर्देश आयेगा तो दो लाख हो जायेगा। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का नियंत्रण है इसलिए इस पर स्वतः कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 227–235 में सभी न्यायालय की संस्तुति की है, वह सरकार के सम्मुख विचाराधीन है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे 25 हजार से एक लाख रुपया माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति पर स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष 2005)

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

1. (1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। — 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 की उपधारा (2) में– — 2. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में संशोधन

"(2) शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं समझती हूँ कि जितने भी अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हैं वे इससे सहमत होंगे कि बार काउनसिल, उत्तरांचल द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा, बार एसोसिएशन के भवन, पुस्तकालय, कैन्टीन आदि की व्यवस्था हेतु वर्तमान में अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट हेतु पूर्व में निर्धारित मूल्य रु0 5/– के स्थान पर रु0 10 किये जाने का प्रस्ताव है ताकि इसमें कल्याण निधि बढ़ जावे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कारण और उद्देश्य रखे हैं जो अभी कारण और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से

अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से सामूहिक बीमा, बार एसोसिएशन के भवन, पुस्तकालय, कैन्टीन आदि की व्यवस्था की जायेगी। श्रीमन् जो संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट का मूल्य 5 रुपये से 10 रु० कर दिया गया। मान्यवर, चूँकि यह संविधान सम्मत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39-क में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता-राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। मान्यवर, इसमें स्पष्ट उल्लेख है। मान्यवर, एक तरफ तो निःशुल्क सहायता की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ इस संशोधन को अधिनियमित करने जा रहे हैं, मान्यवर, इसमें अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए। इसमें सरकार के कल्याण निधियों की सिफारिश की गई है ताकि अधिवक्ता कानून और सामूहिक बीमा बार एसोसिएशन के भवन, पुस्तकालय, कैन्टीन आदि की सुविधा दी जाय।

संविधान का उल्लेख करते हुए यह संशोधन विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूँगा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और वह निर्णय ले कि क्या व्यवस्था की जाये ताकि अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित रहे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हैरानी की बात है कि सरकार हमको गुमराह कर रही है। सरकार ने कहा कि जो शुल्क होगा वह वकील लोग वहन करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसका बोझ क्लाइंट पर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को गुमराह कर रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह तो वकील बतायेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं भी एक वकील हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इस कानून का जनता पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा और जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल पायेगा। इसलिए मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वैसे तो संविधान का उल्लेख विद्वता का प्रतीक है। लेकिन इस विधेयक में सरकारी को बिना वजह घसीटा गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ अधिवक्ता कल्याण निधि बनाने की बात है। इस पर उत्तरांचल के बार एसोसिएशन ने कहा कि 5 रुपया बहुत है। वकील स्वयं देने के लिए तैयार हैं। इसमें 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपया लगाया गया है। बार एसोसियेशन ने इसके लिए खुद मांग की है। सभी बार एसोसियेशन इसमें भागीदार हैं। वह 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपये का टिकट लगाने के लिए तैयार हैं। इससे अधिवक्ताओं के हित में कुछ काम किये जा सकते हैं। यह उनकी मांग पर लाया गया है। इसलिए यह संशोधन लाया गया है। वे 5 के स्थान पर 10 करने का प्रस्ताव कर रहे थे। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप इसे वापस ले रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जी नहीं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने स्वीकार कर लिया। (व्यवधान) यह विधेयक के रूप में लाया गया है, यह इस सदन के सम्मुख रखा गया है और जो यह सदन में आया है इसमें आपने जो संशोधन किये इसमें धारा 2 (ख) रखी गई है आप उसके आगे पढ़िये कि "उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी।" लेकिन उपधारा 5 को बढ़ा दिया गया, यह संशोधन विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया गया है। इसमें यह लिखा गया "जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है, या उसे दाखिल नहीं किया जाता है वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।" इसमें यदि सिर्फ बढ़ाने की बात होती और यह शर्त नहीं रखते तो हम इसकी सराहना करते। श्रीमन्, इससे उस अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पायेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें तो बार एसोसियेशन की मांग थी। उन्होंने स्वयं ही कहा कि हमारी अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाया जाय। यह तो उनके हित में किया जा रहा

है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह सामने ही आयेगा। मेरा सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि इसे पारित करवाने में मदद करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष 2005)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) अधिनियम, 2005 होगा। 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

2. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में– 2. मूल अधिनियम संख्या 8 सन् 1974 की धारा–9 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उक्त संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2–7–2004 द्वारा चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेशों तक रोक लगायी गई है।

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न बिजली से सम्बन्धित नहीं है, ऊर्जा प्रदेश में हम यही अपेक्षा रखते हैं, माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो विधेयक दिनांक 12–01–2005 को पुरःस्थापित किया था और जिसे विधेयक के रूप में पारित करवाने के लिए अनुमति लेकर माननीय मंत्री जी चर्चा कर रही हैं।

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या–139 के तहत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

मान्यवर, 12–1–2005 को सदन में जो संशोधन विधेयक पुरःस्थापित हुआ था, उसमें जो संशोधन का प्रारूप था, उसमें यह प्रस्तावित था कि मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 4 के खण्ड "ग" एवं धारा 31 की उपधारा 4 के खण्ड "घ" को निरसित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु नई धारा 31 (4) (ङ) जोड़ते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गयी थी। मान्यवर, मैं धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन को पढ़कर सुना देता हूँ– "ङ (1) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति।" मान्यवर, मैं इसके आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। मान्यवर, 12–01–2005 को जो विधेयक पुरःस्थापित कर परिचालित कराया गया था आज उसकी एक प्रति और उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, उस दिन के विधेयक और आज जो प्रति उपलब्ध करायी गयी है, दोनों में बहुत अन्तर है। मान्यवर, धारा–2 का पहला भाव तो मूलतः वही है, जो पहले विधेयक के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। लेकिन उपधारा (4) के खण्ड (ड) में जो संशोधन होना है, उसमें लिखा है–"सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, जो विधेयक आ रहा है, उसमें हिन्दी और अंग्रेजी के रूपान्तरण में टंकण की त्रुटि है। मुद्रण में गलती हुई है, इसलिए संशोधन हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, दोनों प्रतियों में इतना अन्तर है कि यह मुद्रण की गलती नहीं हो सकती है। इनके वाक्यांश, भाव और आशय अलग हैं। मुद्रण में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। इसमें कोई अन्य आशय निहित है। जो उपखण्ड पहले पुरःस्थापन में दिया गया है, वह अलग है और आज जो प्रति उपलब्ध करायी गयी है उसमें मुद्रित है–"सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) मान्यवर, इस प्रकार जो मूल बात है, जो भावना है, विधेयक की, उसमें काफी अन्तर आ गया है। पहले दिन जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया और जो संशोधन आज सरकार प्रस्तुत करना चाहती है, वह पहले विधेयक से बिल्कुल भिन्न है। इससे एक विसंगति और हो गयी है। यदि वह नहीं रहता, जिसकी कॉपी हमें पहले दिन दी गयी थी, तो मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो अतिरिक्त प्राविधान जोड़ा गया है, वह है "सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य

रूप से घोषित महाविद्यालय से भिन्न)" यह पूरा का पूरा पहली कॉपी में नहीं था। यह जो अंश जोड़ा गया है, उससे तो पूरा अर्थ ही बदल गया है। पूरा प्राविधान बदल गया है, पूरा आशय बदल गया है जो मूल अधिनियम बनाया गया है, यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों में संशोधन कर बनाया गया है।

मान्यवर, इसमें क्या संशोधन सम्मिलित किये गये हैं और क्या निरसित किये गये हैं इसका ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की ओर उसकी धारा 31 के खण्ड च में यह संशोधन प्रस्तावित किया गया जिसका सम्बन्ध उपरोक्त की नियुक्ति से है। यही इस संशोधन का आशय भी है। मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर हिन्दी में तर्जुमा कर दूँगा। दी सलेक्शन कमेटी फॉर दी एपाइमैंट ऑफ दी अदर टीचर्स ऑफ एन एफिलेटेड ऑर एसोसिएटेड कॉलेज (अदर दैन ए कॉलेज मैंटेण्ड एक्सक्लूसिवली बाई द स्टेट गवर्नमेन्ट) मान्यवर, 1973 में जो मूल अधिनियम बना उसमें सरकार द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले विद्यालय और स्थानीय प्रबंधित विद्यालय से इसका आशय था। इस संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय का शब्द उससे हटा दिया गया सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित विद्यालयों को छोड़कर। लेकिन हमारे यहाँ अधिनियम बना तो हमारी सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक विसंगति और है उस अधिनियम की धारा 2 खण्ड 13 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा है कि "मैनेजमेंट कमेटी इन रिलेशन एन अफीलटेड ऑर एसोसिएटेड कॉलेज मीन्स द मैनेजिंग कमेटी ऑर अदर बॉडी चार्ज्ड विद मैनेजिंग दी अफेयर्स ऑफ दैट कॉलेज एण्ड रीकाग्नाइज्ड एज सच बाई द यूनिवर्सिटी" तथा "प्रोवाइडेड दैट द रीलेशन टू एनी सच कॉलेज मेनटेंड बाई ए म्युनिसपल बोर्ड ऑर के नगर महापालिका द एक्सप्रेशन मैनेजमेंट मिन्स द एजूकेशन कमेटी ऑफ सच बोर्ड ऑर महापालिका जी एज द केस में बी एण्ड द एक्सप्रेशन हैड ऑफ द मैनेजमेंट मिन्स द चेयरमैन ऑफ सच कमेटी।" तो मान्यवर, इसमें मूल अधिनियम में ही यह बात थी। जो म्युनिस्पलटी, नगरपालिका तथा महापालिका द्वारा संचालित विद्यालय है वह भी इसी श्रेणी में आने चाहिए। इसका आशय यह है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है वे उन विद्यालयों को प्रबंधित करें। शिक्षा समिति का चेयरमैन ही मैनेजमेंट का मुखिया होगा।

मान्यवर, 1978 में उत्तर प्रदेश में एक संशोधन आया कि स्थानीय निकाय से सम्बन्धित शब्द को हटा लिया जाय, तब से यह व्यवस्था बनी हुई है और अभी तक उत्तर प्रदेश में चल रही है। मान्यवर, जो प्रारूप आप द्वारा दिया गया है उसमें सम्बद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे विसंगति पैदा हो गयी है। मान्यवर, जहाँ ऐसे महाविद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, लेकिन स्थानीय निकाय, नगरपालिका एवं महापालिका से प्रबंधित हैं उनके प्रवक्ताओं के चयन के लिए कौन सी कमेटी होगी?

मान्यवर, दूसरी बात इस एक्ट के हिसाब से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि यदि इस पर संशोधन नहीं किया गया तो ये न्यायालय के हस्तक्षेप को भी आमंत्रित करेगा, जो कि उचित नहीं होगा। इस पर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। मान्यवर, धारा 139 के तहत इसको उठाया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह गलत है। मान्यवर, इसके पारित होने के बाद भी इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मान्यवर, नियम 139 में स्पष्ट उल्लेख है कि संशोधन की सूचना यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुच्छेद में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से 36 घंटे पूर्व में न दी गयी हो विधेयक पर तर्कसंगत हो कोई भी सदस्य आपत्ति दर्ज कर सकता है, इसी के तहत मान्यवर, मैंने आपत्ति दर्ज की है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता जतायी गयी है, वह तर्कसंगत है। परन्तु मान्यवर, जो महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर चयन से सम्बन्धित माननीय सदस्य की चिंता है, इसमें कोई वैधानिक कठिनाई पैदा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी इस पर विचार होना है, मा० मंत्री जी से प्राप्त हुआ है कि मुद्रण की गलती हुई है, कोर्ट का भी आदेश है, तो इसके लिए मैंने अनुमति दे दी है, यह विधेयक आना ही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय अन्तिम है, जिसे न मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, किन्तु माननीय मंत्री जी का जो स्पष्टीकरण है, कि यह मुद्रण की गलती है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) अधिनियम आदेश, 2001 की धारा 31 (4) (ग) एवं 31 (4) (घ) को निरसित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु नई धारा 31 (4) (ङ) जोड़ते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गयी थी।

2–उक्त संशोधन अधिनियम के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2–7–2005 द्वारा चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेशों तक रोक लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज एजूकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में मा० उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं–

(अ) 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 19 (6) के अनुसार राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थाओं में जन सामान्य के हित में सुव्यवस्था स्थापित किये जाने के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है।

(ब) किसी शिक्षण संस्था को मात्र राज्य सहायता प्राप्त होने के कारण राजकीय संस्था नहीं माना जा सकता है, परन्तु ऐसी संस्था के समुचित प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार आवश्यक शर्तें विहित कर सकती है।

(स) जहाँ तक शिक्षकों की नियुक्ति करने के अधिकार का प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित करता है और वे ही पात्रता शिक्षकों के लिए निर्धारित है।

(द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति स्वयं नहीं कर सकती है। संस्थायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्र शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु बाध्य हैं।

3–मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त एवं मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (अ) के स्थान पर प्रवक्ता पद के चयन हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में चयन समिति तथा प्राचार्य पद पर चयन के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में चयन समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त व्यवस्थाओं को प्रभावी किये जाने हेतु विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है। मान्यवर, उस समय आपने जो आपत्तियां उठाई उसमें न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया गया था और जो अन्य नियुक्तियां होंगी उसके लिए लोक सेवा आयोग है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, सरकार की इस विधेयक को रखने की मंशा माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है। मान्यवर, कुछ बातें हैं जिस पर मैं बल देता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में यह चयन प्रक्रिया का संदर्भ है और चयन प्रक्रिया

के लिए सरकार द्वारा पूर्व में 30 जून, 2003 को एक सरकारी गजट आया और उस सरकारी गजट में आपने इसके मूल अधिनियम 31 की उपधारा 4 के खण्ड 4 (ड) में जोड़ा था इसके अन्तर्गत अशासकीय प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित चीजें रखी गयी कि कुलपति उसके अध्यक्ष होंगे सम्बन्धित महाविद्यालय के दो विषय विशेषज्ञ उसके सदस्य होंगे जिनका स्तर आचार्य प्राचार्य से कम न हो और इसमें एक सदस्य आरक्षित वर्ग का होगा और निदेशक उच्च शिक्षा इसके सदस्य सचिव होंगे। इस नोटीफिकेशन के बाद एक बिल आता है इसमें धारा वही है जो गजट में किया था इसकी मूल धारा 31 के उप धारा खण्ड-4 ड में ड-1 यह है कि शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालय चयन समिति में प्राविधान कर दिया और प्राचार्य के लिए चयन समिति बना दी उसमें भी विसंगतियाँ कर दी हैं।

मान्यवर, तीसरा बिन्दु यह है कि विषय का ज्ञाता हो और उसे 10 वर्ष का अनुभव हो। इस धारा में यह नहीं आया कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। छठा बिन्दु है सम्बन्धित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य एक विशेषज्ञ होगा दूसरा कौन होगा ये इसमें स्पष्ट नहीं है। मेरा यह मानना है कि ये चयन प्रक्रिया राजनीतिक दबाव और प्रभाव को बल देगी।

मान्यवर, आपने प्राचार्य के सन्दर्भ में व्यवस्था दी है। जहां तक 2 सदस्य नामित करने की बात है जैसा के मैंने पहले भी कहा है कि एक विशेषज्ञ होना चाहिए। (विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान) मान्यवर, जो बिल आया है इसमें कई विसंगतियां हैं जिन पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसमें अध्यक्ष और कुलपति द्वारा नामित सदस्यों की क्वालीफिकेशन क्या होगी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि एक्ट में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जायेगा तो आगे चलकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। इस विधेयक पर माननीय ऐरी जी ने भी प्रश्न उठाया है। मेरा मानना है कि इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे, इस विधेयक पर गहनता से विचार किया जाये, सदन में इस पर चर्चा हो और उसके बाद इस विधेयक को सदन में लाया जाये।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमन्, सरकार ने जब इस विधेयक को पहली बार पुरःस्थापित किया था तो माननीय ऐरी जी ने आपत्ति उठायी थी। इससे कम से कम एक बहुत बड़ा अहित होने से बच गया क्योंकि उस समय 12 तारीख को जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, तब इसमें सभी 12 डिग्री कॉलेजों को शामिल किया गया था। आज सरकार को पता नहीं कहां से सद्बुद्धि मिल गयी और उसने केवल प्राईवेट कॉलेजों को इसकी परिधि में लिया है।

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से उच्च न्यायालय के निर्देशों पर चल रही है आज लगभग 3 विधेयक आये हैं और तीनों ही उच्च न्यायालय के निर्देश पर आये हैं। मान्यवर, इस विधेयक की मंशा स्पष्ट नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन होना चाहिए। यह आज की जरूरत है। हमारी जो युवा शक्ति है उसके साथ अन्याय हो रहा है। लोक सेवा आयोग में जो नियुक्तियाँ होती हैं इसमें हमारे यहां के छात्र नियुक्ति पाने से वंचित रह जाते हैं। हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजूकेशन है इसमें हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी प्राईवेट कॉलेज हैं, उन पर प्रबन्ध तंत्र हावी रहता है और वही प्रबन्ध तंत्र अध्यापकों की नियुक्ति भी करता था यह बात किसी से छिपी नहीं है, उन पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है। लेकिन प्रबन्ध तंत्र को फिर अधिकार दे दिये। प्रबन्ध तंत्र का राजनीतिक चुनाव होता है, किसी न किसी राजनैतिक दल से वे जुड़े होते हैं, कुलपति का भी ऐसा ही चुनाव होता है। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी ने इसके उपबन्धों को डिटेल से बता दिया था उन्हें दोबारा बोलकर सदन का समय नहीं लूंगा। कुलपति को यह अधिकार दे दिये गये तो निश्चित ही इसके सुखद परिणाम नहीं होंगे।

श्रीमन्, कमेटी यहां पर आती है और भ्रमण करती है और विद्यालय को देखती है और परिणाम में हमारा कोई भी विद्यालय बी क्लास या उससे नीचे की श्रेणी में जाता है ऊपर की श्रेणी नहीं ले पाता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण यही है। आखिर कब हम यह निर्धारित करेंगे? हम यू०जी०सी० के नार्म्स को फालो क्यों नहीं करते? आखिर नियुक्ति के लिए हम नेट या सैट के छात्रों को क्यों नहीं लाते, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले छात्र हैं उन्हीं से हम क्यों नहीं पढ़वाते हैं? मान्यवर, हमारी धरती, हमारा कोर्स हमारे राज्य के ही काम आना चाहिए। इस तरह से दिशानिर्देश क्यों नहीं आते हैं?

श्रीमन्, इस विधेयक के माध्यम से राजनैतिकपरता और स्वार्थ जनक बात ही सामने आ रही है। सरकार आज इस विधेयक को पुनःस्थापित करती है, और फिर संशोधन लाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो भी सुझाव यहां पर आये हैं जो भी बातें इसके बारे में आई हैं, उनका समावेश किया जाय। मैं याद करना चाहूँगा श्री पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को, जिन्होंने बी०एच०यू० में अपना झंडा गाड़ा था। मान्यवर, आज अवसर दिये जाने की आवश्यकता है और यह अवसर सरकार को देना है। जो भी संशोधन यहां पर दिये गये हैं इस पर विचार कर सके इसके लिए प्रवर समिति की आवश्यकता है ताकि संशोधनों पर विशेष रूप से चर्चा हो सके। मान्यवर, हम गुणात्मक शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं ताकि हमारा छात्र राज्य ही नहीं देश के किसी भी कोने में जाय और फक्र से कह सके कि मैं उत्तरांचल से आया हूँ। जिस तरह से आज बी०एच०यू० और अन्य विश्वविद्यालयों की साख है उसी तरह से हमारे उत्तरांचल के विद्यालयों की भी साख बन सके। इसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होगा और मेरा अनुरोध है कि इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। जिससे इसमें संशोधन हो सके।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने जो यह नियम 139 के तहत आपत्ति उठाई थी। इस विधेयक की गलतियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था आपने कहा कि टंकण की गलती है या कोई और है, एक जगह नहीं कई जगह है, आपकी व्यवस्था के बाद मैंने यह मान भी लिया। जैसा कि माननीय पंत जी ने कहा और यह देखने में भी है पहले वाले में इन्होंने कहा कि अशासकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के चयन हेतु और इसमें थोड़ा शब्दों को देख लिया है थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है कि सम्बद्ध या सहयुक्त को। इसमें जोड़ा गया है कि "सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति।" मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय, जिनको सरकार संचालित करती है, उनमें चयन की एक निश्चित व्यवस्था है, उसके लिए हमारा लोक सेवा आयोग है। उनको अलग किया जाना आवश्यक था। मान्यवर, इनके अलावा कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं, जो नगरपालिका द्वारा या महापालिका द्वारा संचालित कराए जाते हैं। मान्यवर, मसूरी में म्युनिसिपैलिटी का एक महाविद्यालय है, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद उस विद्यालय में चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि इन विद्यालयों में नियंत्रण के लिए कोई और निकाय नहीं है, कोई और बॉडी नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। राजकीय महाविद्यालयों में तो आयोग है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग हुआ करता था, यदि इसका यहां पर अस्तित्व होता तो यह मान लिया जाता कि उच्च शिक्षा आयोग इसको कर लेगा। लेकिन, यहां पर उच्च शिक्षा आयोग न होने से दुविधा हुई, उसके तहत सरकार एक विधेयक लायी और उसके सारे अधिकार उसने अपने पास रखे। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकार को उसको निरसित करना पड़ा और एक नया विधेयक सरकार लायी लेकिन नये विधेयक से भी समाधान नहीं निकला। कृपया यह स्पष्ट करें कि नगरपालिका एवं महापालिका द्वारा प्रबन्धित जो महाविद्यालय हैं, उनमें चयन की क्या प्रक्रिया होगी? उत्तर प्रदेश में 1978 में संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था, आप भी इसको हटा दीजिए, ताकि चयन की प्रक्रिया सही हो।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय महेन्द्र भट्ट जी द्वारा जो संशोधन रखा गया है और प्रवर समिति को सौंपने की जो संस्तुति की गयी है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस तरह के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय संभवतः ज्यादातर हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने शायद इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रबन्ध समिति में जो पहले से झगड़े हैं, उनमें 10–12 गुना तक इजाफा हो

जाएगा। मान्यवर, अनैतिक रूप से दबाव डाल कर, जिस भी पार्टी की सरकार होगी, उसके द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रबन्ध समिति को भंग करने की मांग की जाएगी। एक प्रबन्ध समिति को हटाकर दूसरी प्रबन्ध समिति को लाया जाएगा। चुनाव में इतनी अनियमितता होगी कि पहले से जो झगड़े हैं, वह दो गुना, तीन गुना हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के जितने भी विद्यालय हैं, उनमें से 80 प्रतिशत में प्रबन्ध तंत्र के झगड़े चल रहे हैं। इस विधेयक के आने के बाद उन्हें अधिकार मिल जाएगा तो इस बात को लेकर झगड़े होंगे कि नियुक्ति किस प्रकार होगी और नियुक्ति में किस प्रकार से किस व्यक्ति को लिया जाना चाहिए। इसके झगड़े खड़े हो जाएंगे। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिसके बारे में अभी माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने कहा। मान्यवर, सरकार ने इस विधेयक को लाने में गंभीरता से विचार नहीं किया। इसमें कहा गया है कि महाविद्यालय से कुलपति दो सदस्यों को नामित करेंगे। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उत्तरांचल के किस महाविद्यालय से कुलपति नामित करेंगे। कुलपति पर दबाव डालकर अपने–अपने पक्ष के सदस्यों को भी नामित कराएंगे।

मान्यवर, जो यह है कि प्रबन्ध समिति के अनुसार कार्य करेगी। इसमें यह भी उल्लेख है कि कम से कम इसमें चार सदस्य होंगे दो तो पहले से ही तय हैं एक तो खुद प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष होगा एक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान्यवर, इसके आ जाने से निश्चित रूप से प्रबन्ध समितियों के बीच खींच–तान, कोर्ट कचहरी का अधिक चक्कर होगा। यह एक मार–पीट की स्थिति उत्पन्न कर देगा। माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि इनको इस लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो खामियां हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अशासकीय निकायों को यह अधिकार दे दिये गये हैं कि संस्थायें नियुक्ति देंगी। इसमें संस्थायें मनमानी करेंगी। निष्पक्ष नियुक्ति नहीं हो पायेगी, पारदर्शिता इसमें नहीं रहेगी। विधेयक में नियुक्ति में पारदर्शिता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि हम पारदर्शिता कैसे कायम करेंगे। योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पायेगा, अयोग्य की नियुक्ति हो जायेगी। जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी ने रखा है मैं उस पर बल देता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं ऐसे आधे–अधूरे विधेयक को सदन में न रखें। इसमें जो खामियां हैं पहले उनको दूर किया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी सम्मानित सदस्यों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में लम्बे समय से जुड़ी रही हूं इसलिए मैं उनकी चिन्ता को समझती हूं।

मान्यवर, नियुक्ति के यू०जी०सी० के मानक हैं उन्हीं के अनुसार नियुक्ति की जायेगी। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाती हूं कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में यानी कि जिन्हें सरकार से एड मिलती है उन विद्यालयों में नियुक्ति चयन के माध्यम से होगी। शासन की भी यह मान्यता होगी कि उनका चयन यू०जी०सी० के अनुसार जो मानक हो, किया जाए। यदि कोई यू०जी०सी० के मानक छोड़कर नियुक्त करता है तो फिलहाल ऐसी परिस्थितियों के लिए शासन तैयार नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं उसके अनुसार जो ब्रहम समाज का केस था उसमें लिखा है कि हमारे जो इन्स्टीट्यूशन हैं, संयुक्त इन्स्टीट्यूशन हैं गैर सरकारी, जिन्हें सहायता नहीं दी गई है उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाए जहाँ वेतन वितरण का नियम लागू है। इसके साथ ही अगर उन्हें सरकार से सहायता मिलती है तो वह राजकीय शिक्षक नहीं कहलाता। इस प्रकार से कोर्ट द्वारा यह व्यवस्था दी गई ब्रहम समाज की ओर से तय हुआ। मान्यवर, यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना आंकलन प्रस्तुत किया इसे बैंचे पढ़ दिया। इसी को हाईकोर्ट ने भी रिपीट किया। प्रिंसिपल और टीचर पर अलग-अलग चयन प्रक्रिया की बात कही है तो यह महत्वपूर्ण बात है।

मान्यवर, लेकिन सभी जगह मानक यू०जी०सी० के माने जायेंगे। चाहे वह सरकारी विद्यालय हों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हों, या गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हों। मान्यवर, हमें इसका पालन करना है। मान्यवर, विश्वविद्यालय में हम श्रेष्ठ शिक्षा के सिद्धान्त को प्रतिपादित करेंगे। मान्यवर, आयोग के सामने भी कठिनाई आ रही है आप और हम जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ अभिभावक भी हैं। मान्यवर, आज पास होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे मैरिट में भी आना होगा। मान्यवर, वर्तमान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना भी काफी नहीं है। मान्यवर, एस०एस०सी०, सी०बी०एस०सी०, आई०एस०सी० बोर्ड की मैरिट 85 से 88 प्रतिशत तक जा रही है। मान्यवर, हमारे सामने बाध्यता है। हमें माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना है। मान्यवर, आयोग के सामने भी अभ्यर्थियों के चयन में बहुत सारी कठिनाईयां आ रही हैं।

मान्यवर, कई ऐसे असरकारी विद्यालय हैं, जिनको चलाने के लिए सरकार द्वारा ग्राण्ट नहीं दी जा रही है, वे अपने खर्च से चलाये जा रहे हैं, इसमें यह भी देखना होगा कि इनकी चयन की कोई प्रक्रिया है। इन विद्यालयों में भी चयन यू०जी०सी० के मानकों के अनुसार होने चाहिए। मान्यवर, विश्वविद्यालयों में जिस तरह का आदेश है, उसके मुताबिक एक पैनल होता है, जिसकी छटनी वाइस चान्सलर करता है। मान्यवर, इसमें हमारे पास और आपके पास कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, जो भारत वर्ष का बोर्ड होता है उसमें वाइस चान्सलर ही चयन करता है।

मान्यवर, सहायता प्राप्त है तो मैरिट के आधार पर एप्रूवल के लिए भेजेगा, एप्रूवल में यह अधिकार है कि सहायता प्राप्त को देख सकें। गैर सहायता प्राप्त में

वित्तीय आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह आपत्ति इसमें भी हो सकती है कि आपने मानकों के नियमों का उल्लंघन किया है। मान्यवर, आपकी आशंका एक दृष्टि से उचित मानते हैं कि शिक्षा में श्रेष्ठता की दृष्टि से बी0जी0सी0 में नियुक्ति कराने में हमारा विधेयक कितना प्रभावी सिद्ध होगा।

हम अपेक्षा करते हैं शासन स्तर से कि शिक्षा की श्रेष्ठता हो, खासकर उत्तरांचल में जहाँ की साक्षरता का प्रतिशत काफी हाई है। मैं आपकी इस चिन्ता के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये निवेदन करती हूँ कि चयन प्रक्रिया प्रभावित न हो, उन सभी की कमीशन के द्वारा नियुक्ति की जायेगी। माननीय ऐरी जी ने नगरपालिका की इन्स्टीट्यूशन का उल्लेख किया है तो वह भी इस श्रेणी में आयेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की जो संकाएँ हैं उनको आपने विषय लिस्ट मानकर उत्तर देने का प्रयास किया है। मान्यवर, यह भी सहायता प्राप्त हैं, लेकिन वह अभी तक नगरपालिका शब्द है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सहायता प्राप्त है इसमें केवल शब्द नगरपालिका पी0जी0 कॉलेज लिखा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, 1977 में स्थानीय विद्यालयों को अलग कर दिया गया, तो क्या इसको आप इसी रूप में रखकर स्थानीय निकाय को जो आपने राजकीय महाविद्यालय की श्रेणी में रखा है उसको अलग करने की कृपा नहीं करेंगे? इसको न करने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। यह अलग से श्रेणी हो गई, तो जिस तरीके से सरकार महाविद्यालयों का चयन प्रक्रिया इस पर लागू नहीं होगी, उसी तरह से आपने स्थानीय निकाय विद्यालयों को भी रख दिया, अगर उसको हटा देते हैं तो वह यहाँ आ जाता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश

मान्यवर, आपने जो न कही है सहायता प्राप्त की श्रेणी में आता है, इसी विधि के अन्तर्गत उसमें भी चयन प्रक्रिया लागू होगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या   वर्ष 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने के लिए–

<u>विधेयक</u>

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नवत् रूप में यह अधिनियमित हो,

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

2–मूल अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (4) के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 की उप धारा (4) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा–

"ङ (i) <u>सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न)</u> में प्रवक्ता पद पर <u>नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:–</u>

(1) महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा,

(2) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य,

(3) एक वरिष्ठ प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (विषय से सम्बन्धित) जिसे प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

(4) सम्बन्धित विश्वविद्यालय जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध हो, के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, तथा

(5) सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कुलपति से अनुमोदित पैनल की सूची में से नामित दो सदस्य, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ उस महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो। परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति समझी जायेगी, और जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों में से न्यूनतम दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।"

"ज (ii) <u>सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न)</u> में प्राचार्य पद पर <u>नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-</u>

(1) शासी निकाय का अध्यक्ष अध्यक्ष

(2) शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा,

(3) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए,

(4) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो कि महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का आचार्य तथा आचार्य से अन्यून पंक्ति का एक प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे।

परन्तु कम से कम चार सदस्यों से, जिनमें दो विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति होगी।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह सदन अवगत है कि इसमें नगरपालिका नगर पंचायतों का सम्पूर्ण संचालन, उत्तर प्रदेश में जो पूर्व में लागू अधिनियम था उसके अन्तर्गत हो रहा है। यह संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता इस लिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश में जो संशोधन लाया गया उसके उद्देश्य और कारण को मैं पढ़ना चाहता हूँ। "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 87 क के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष को नगरपालिका के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष को केवल नगरपालिका के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर हटाया जाना उचित नहीं समझा गया।" मान्यवर, यह सिद्धान्त बने और सिद्धान्ततः इस बात से सरकार भी सहमत है। अगर कोई निर्वाचकों द्वारा डायरेक्ट चुना गया है, इसलिए यह अधिनियम हमने प्रस्तुत किया। इसमें दो संशोधन हैं इसमें संविदा की धनराशि बहुत पुरानी थी वह उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई है और हमने भी उसे बढ़ा दिया। इसके साथ अध्यक्ष को हटाने का अधिकार के सम्बन्ध में जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू थी वह यहाँ पर भी कर दी गई है। मान्यवर, इस अधिनियम के पारण पर विचार करना चाहूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, चूँकि अभी मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है मैं पहले भी देख चुका हूँ कि पिछले कुछ समय से एक परम्परा रही है, नियमों में भी उसकी परम्परा है। मान्यवर, विधेयक के साथ जो संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि आपने संशोधन करना चाहा मूल अधिनियम की धारा खण्ड 'क' क्या है यह परम्परा रही है मान्यवर, कि मूल अधिनियम की धारा का उद्धरण भी किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सभी मा० मंत्रीगण मूल अधिनियम की धारा का मूल पाठ जरूर उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में इसका ध्यान रखें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह संशोधन हो गया इसलिए आवश्यक है कि उत्तरांचल में भी यह संशोधन लाया जाय। मान्यवर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां भिन्न हैं और हमें अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन लाना चाहिए था। अध्यक्ष को हटाये जाने सम्बन्धी अविश्वास प्रस्ताव का प्राविधान हटाया जाना तर्क–संगत है वहीं अध्यक्षों के तानाशाही पूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए युक्ति की जानी चाहिए। स्थानीय निकायों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण का खतरा है। इसलिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के प्रति प्राप्त शिकायतों की जांच की पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है यह बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया है। इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार होना है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब इस विधेयक को पटल पर रखा गया था तो इसकी धारा 47 (ख), धारा 98 (2क) मान्यवर, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम मेरे पास है। माननीय मंत्री जी देख लें। यह धारा 98 नहीं होगी। शायद मिसप्रिंट हो गयी है। पिछले नोट में यह दिया हुआ था अब शायद ठीक हो गया होगा। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसे ठीक कर दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसके संशोधन और कारण को स्पष्ट किया है। इसमें धारा–44 में स्पष्ट दिया गया है। मान्यवर, आप बताएं यदि आज से 7 माह पहले किसी उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ होता। (व्यवधान) मान्यवर, एक तरफ तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी का उल्लंघन करने जा रहे हैं। वर्ष के लिए वहां के जो नगरपालिका या अन्य निकाय होंगे। उनके लिए व्यवस्था है कि चुनाव कार्य वर्ष के लिए हुये। मान्यवर, इसमें जो इन्होंने कहा कि उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे। इसमें धारा 48 की बात मैं करना चाहता हूँ कि नगरपालिका के हित में, इसमें वहां पर जो सदस्य हैं उनका अधिकार छीन लिया गया है इसमें ख की उपधारा 2 में

देखा जाय परन्तुक हटा दिया गया है इसकी उपधारा 2 के खण्ड ख के उपखण्ड आठ के बाद उपखण्ड बढ़ाने की बात कही गई है कि नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुँचाई हो, नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग किया है या इसी तरह से उपखण्ड 11, 12, 13 और 17 में इन बातों को कहा है और "ख" में लिखा है कि उपधारा 2–क में परन्तुक निकाल दिया जायेगा। मान्यवर, एक तरफ तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो निर्वाचित सभासदों का अधिकार था वे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे उसे खत्म कर दिया कि वे अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेंगे, तो यह दो तरह की बातों से सरकार क्या जताना चाहती है? आप एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज ला रहे हैं। उन्हीं के अधिकारों को आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को उनके सिर पर बैठा रहे हैं, किसी नगरपालिका का अगर चुनाव होता है तो सदस्यों को भी जनता ही चुनती है और वयस्कों के वोट के आधार पर ही चुनाव होते हैं। नगरपालिका के अध्यक्षों का चुनाव भी इसी जनता द्वारा किया जाता है।

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

मान्यवर, जनता के द्वारा विधायक और एम०पी० का भी चुनाव किया जाता है। विधायक और एम०पी० को किसी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक पावर नहीं होती है। विधायक किसी भी चैक पर साइन नहीं कर सकता है, लेकिन नगरपालिका में जो ऑटोनामस बाडी होती है, उन्हें यह अधिकार है। सभासद भी जो जनता द्वारा चुनकर आये हैं, जो कहीं न कहीं जनता से चुने गये हैं। उनका काम भी वही होता है जो नगरपालिका के अध्यक्ष करते हैं। जनता की शर्तों के अनुरूप वे कार्य कर सकें, वे अपने चैयरमैन को इसके लिए बाध्य कर सकें, निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकें। लेकिन आपने यह कहकर कि वे जनता द्वारा चुने गये हैं इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास नहीं लाया जा सकता, यह संविधान में भी लिखा है। यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि अभी उत्तरांचल का कोई विधेयक नहीं बना है, अभी आप इसे पास करा देंगे फिर संशोधन ले आयेंगे, तो मेरा अनुरोध है कि जो भी संशोधन यहां पर रखे गये हैं उनका समावेश इस विधेयक में होना चाहिए इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय प्रीतम सिंह पंवार द्वारा रखा गया है, उस पर बल देता हूं।

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यवधान)

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ———।

(व्यवधान)

क्या सत्ता पक्ष के लोगों को प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार नहीं है?

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में जो संशोधन लाए गए हैं, उनके कुछ प्राविधानों पर बल देने के लिए मैं सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि धारा 87 (ख) को इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अगर जनता ही उस पर अविश्वास करे तो उसे हटाया जा सकता है। उसके खिलाफ वार्ड के मेम्बरों द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना उचित नहीं होगा। मान्यवर, इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जैसा कि अभी माननीय कौशिक जी ने कहा कि नगरपालिका को कार्यदायी संस्था माना गया है। मान्यवर, नगरपालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, इसलिए नगरपालिका को कार्यदायी संस्था नहीं माना जा सकता। यह अलग चीज है कि कार्यदायी संस्था अध्यक्ष को माना गया है। मान्यवर, नगरपालिका के अध्यक्ष को चैक पर साईन करने के अधिकार दिए गए हैं। मान्यवर, आज एक मंत्री को भी चैक पर साईन करने का कोई अधिकार नहीं है वह भी विभाग द्वारा यह कार्य कराता है। मान्यवर, अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आप जो नया उत्तरांचल नगरपालिका अधिनियम तैयार कर रहे हैं, उसमें इस बात पर भी विचार किया जाय, यह मेरा अनुरोध है। मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा 88 में उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में उल्लिखित है कि शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।" मान्यवर, इस अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि बोर्ड की मीटिंग हर महीने होगी। यह भी प्राविधानित है कि दो मीटिंगों के मध्य यदि कोई कार्य बाधित होता है तो अध्यक्ष अपनी पावर का इस्तेमाल करके चैकों पर साईन कर सकता है, इस प्रकार पैसा निकाला जा सकता है। मान्यवर, सरकार से इनको 2-3 लाख रुपये का अनुदान मिलता है। मान्यवर, बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए बिना कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि धारा 88 समाप्त की जाय। जो कार्य बोर्ड की मीटिंग में पास हो जाए, वही कार्य होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जांच की है कि कितने कार्य बोर्ड की मीटिंग में पास हुए बिना कराए गए हैं। जो वार्ड मेम्बर का लोकतांत्रिक अधिकार है, यह उसका हनन है। जो नया अधिनियम बनाया जा रहा है, उसमें इस पर विचार किया जाय। मान्यवर, धारा 54 की उपधारा 3 में उल्लिखित है "उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसी किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।" मान्यवर, क्या जिनका कार्यकाल 4 महीने पहले समाप्त हो गया है, उन पर भी यह लागू होगा, यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री अजय भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सत्ता प्रतिष्ठान के विधायक ने अपनी जो

नोट- *वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मंशा जाहिर की है, उसके बाद सरकार को चेत जाना चाहिए। क्योंकि यह पीड़ा केवल हमारी नहीं है, विपक्ष की नहीं है प्रीतम सिंह जी की नहीं है। मदन कौशिक जी की नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों की भी है किन्तु सत्ता पक्ष में बैठे हुए कतिपय लोग अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं किन्तु जब वे पब्लिक में जायेंगे तो उनकी भी जबान देखी होगी। क्योंकि जो संशोधन यहाँ पर लाये जा रहे हैं बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक रूप से लाये जा रहे हैं। कुछ अध्यक्ष यहाँ पर आये भी होंगे। हमेशा अध्यक्ष तो बने नहीं रहेंगे विधायक भी उसी तरह से हमेशा विधायक नहीं रहता है। कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है। आज पद है कल नहीं रहेगा। यह पद तो सब जाते हैं आते हैं। किसी अध्यक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। चैक करने की पावर सभी जगह होनी चाहिए। हमारे देश में राष्ट्रपति पर भी महाअभियोग लग सकता है, न्यायाधीश पर भी महाअभियोग लगाया जा सकता है। माननीय नेता सदन और माननीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो जो इसके अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा सकता है? डर किस बात का है? यदि आप गलत नहीं हैं तो अविश्वास प्रस्ताव का डर क्यों? यहाँ तो यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में लाया गया है। इसलिए हम भी ला रहे हैं। कोई साइकोलॉजी तो होनी चाहिए, कोई रचनात्मक विचार तो होना चाहिए। बस केवल यह देख लेना कि उत्तर प्रदेश में किया गया है इसलिए यहाँ पर भी कर दिया जाए, गलत है। इस संशोधन को लाने की इतनी जल्दी क्या है? इसे पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए और इस पर विस्तृत चर्चा हो, क्योंकि इस राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। यह मेरी जानकारी में आया है। सरकार को यह बात सदन में स्पष्ट करनी चाहिए कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा क्यों हस्ताक्षर करने से मना किया गया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए।

मान्यवर, सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि यह संशोधन त्रुटिपूर्ण है। जल्दबाजी में लाया गया है। इसका अर्थ यह है कि विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष में भी इसमें मतभेद है। इसलिए मैं चाहूँगा और हमारे पक्ष एवं विपक्ष के भी साथी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे और संख्या बल के आधार पर यह पास हो ही जायेगा, किन्तु यदि इसमें यह संशोधन कर दिया जाए कि जो हमारे मेम्बर हैं, सभासद हैं, वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर प्रस्ताव गिर जायेगा तो वोट भी भंग हो जायेगा इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है मान्यवर, इसमें सरकार के अधिक से अधिक चेयरमैन होंगे और निश्चित ही आने वाले समय में अन्य जिलों से जो सभासद हैं, संख्या में अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक है, जिस कारण से चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने प्रारम्भ हो जायेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने एक साल की अवधि को ढाई साल बना दिया है।

मान्यवर, जब राष्ट्रपति, राज्यपाल, माननीय सदस्यों, मंत्रियों आदि पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया है तो आखिर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रस्ताव क्यों नहीं है। इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, जहां तक चेयरमैन को हटाने की बात है, इससे चेयरमैन खुश हो जायेंगे। परन्तु मान्यवर, सरकार ने सारी पावर अपने पास रखी है। सरकार जब चाहेगी और जैसा चाहेगी चेयरमैन को हटा देगी और चेयरमैन को न्यायालय में जाने का भी अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह कोई लोकतांत्रिक कदम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ कि वास्तव में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तथा इसे फिलहाल स्थगित रखा जाय, इसी में प्रदेश का हित है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जितने भी विधेयक आते हैं वे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश में इससे पहले दूसरी सरकार थी और वर्तमान सरकार ने उस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की। क्या हमारी सरकार की भी ऐसी ही मंशा है। मान्यवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विधेयक में काफी बदलाव की आवश्यकता है इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, और यह आम जनता के हित में होना चाहिए। मान्यवर, इस विधेयक से जनता का बिल्कुल भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि इसमें कोर्ट जाने की भी परमीशन नहीं है। इसलिए मैं इसमें संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य प्रीतम सिंह पंवार जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव, जो प्रवर समिति को संदर्भित करने के सम्बन्ध में रखा है, उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, इस संशोधन से ऐसा लगता है कि सरकार अपने पास असीमित अधिकार रखना चाहती है। यह सर्वविदित है कि नया अधिनियम बन रहा हो, उसमें सरकार जिस तरह से चाहे, उसमें प्रस्तावित प्राविधानों को सम्मिलित कर सकती है।

मान्यवर, कई स्थानों पर उपाध्यक्षों का दोबारा चुनाव हुआ है और कई जगह पर नहीं भी हुआ है, ऐसी स्थिति में इसे यह मान लिया जाए कि जिनका दोबारा चुनाव नहीं हो पाया है वह सदस्य भी इन प्राविधानों के अन्तर्गत आटोमेटिकली आ जायेंगे, यह नीति तर्क संगत नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जो सरकार को अधिकार दिये जा रहे हैं और कोई भी इसका अर्थ यह निकालेगा कि सरकार के निर्णय चाहे वह संवैधानिक हों, चाहे वह सही हों या चाहे गलत हों, उन पर किसी भी तरह से न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा पायेगी, तो यह कहीं भी संविधान

के तर्कसंगत नहीं माना जा सकेगा। मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध है कि जल्दबाजी में यह संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रवर समिति के सुपुर्द यह संशोधन रखा जाए और प्रवर समिति जो अपना मत दे उसके अनुरूप आगे कार्यवाही की जाए। मैं समझता हूँ कि जब सरकार अपना नया अधिनियम उत्तरांचल का ला ही रही है तो उसमें सम्मिलित किया जाए, इसे प्रवर समिति के सम्मुख भी रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय पंवार द्वारा सुझाये गये संशोधन पर बल देते हुये सरकार का ध्यान आपके माध्यम से मूल अधिनियम की धारा–18 में संशोधन जो किये गये उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ, इसकी उप धारा–2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया, कोई भी आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। मान्यवर, यह तो सीधा–साधा न्यायपालिका को ओवररूल करने की बात है। चेयरमैन को हटाने के लिए जो सरकार ने 14 कारण बताये हैं, उसमें बारहवें कारण पर एक नजर डालें कि निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारणों के दुर्व्यवहार किया है। मान्यवर, इसमें एक तरफ तो दुर्व्यवहार करवा देंगे और सजा देंगे और वह न न्यायालय में जा सकेगा, न उसकी कोई अपील हो सकेगी और 5 साल तक फिर वह अपने पद पर निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उसको दोबारा पदाधिकार पाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। मान्यवर, इस प्रकार से सरकार को अधिकार देंगे, न्यायपालिका को चैलेंज करेंगे तो सब कहेंगे कि यह गलत है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री प्रीतम जी, श्री कौशिक जी, श्री चीमा जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री शहजाद एवं श्री हरबंश कपूर जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं इनसे कहीं ज्यादा गम्भीर चिन्ताओं की अपेक्षा करता हूँ।

मान्यवर, डा० सिंघल जी ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। मान्यवर, मैं स्थिरता की दृष्टि से इन संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ न मैं किसी की निन्दा कर रहा हूँ। सबसे मूल प्रश्न यह है कि संविधान के 74वें संशोधन, हमारे स्वर्गीय नेता राजीव जी का सपना था, उन्हीं के सपनों के अनुरूप यह संशोधन हुआ। इसमें हमारी मंशा थी कि पंचायती राज, नगर निकाय व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराना। मान्यवर, उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे। इन दोनों ही विधियों के ऊपर पूर्ण प्रक्रिया अपनायी। मान्यवर, आपके आशीर्वाद से हम तब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् में थे। स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व मैं करता था। इसमें 21–4–1994 को हमने इस पर चर्चा शुरू की, 27–4–94, 25–8–94, 25–8–95, इस तरह से 1994 से 1998 तक विधान परिषद् में तीन सरकारें बदली और हम इस पर चर्चा करते रहे।

मान्यवर, आपके आशीर्वाद से हमको यह अवसर मिला। जो संशोधन उत्तर प्रदेश में आज तक यूज किया गया उसको तीसरे नम्बर पर मूर्तिमान करने का अवसर मिला। हमने कोशिश की, उस भावना को समझा जिस भावना में 73 और 74वाँ संशोधन हुआ। वास्तव में इसको साकार रूप देना जरूरी था। मान्यवर, भारत सरकार में केन्द्र में चुनी हुई सरकार और स्थानीय स्तर पर चुनी हुई सरकार, जब यह व्यवस्था की जाय जो लोक सभा में पालन करता है जो राज्य सभा में पालन करता है वह व्यवस्था तीसरे स्तर पर एक संशोधित रूप में होनी चाहिए। मान्यवर, यहाँ पर हमारी बात नहीं मानी गई। 73वें और 74वें की सरकारें और अधिक सशक्त होती हमने प्रयास किया, आज अपने माननीय सदस्यों के सहयोग से 4 मई 2002 को इसका गठन किया गया। बहुत से सदस्य इसको भूल चुके हैं, इस पर दोबारा कार्य किया। मंसूरी के विधायक, श्री जोत सिंह गुनसोला जी इसके सदस्य हैं। विधायक गंगोत्री श्री विजय पाल सिंह जो स्वयं नगरपालिका में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधायक रानीखेत श्री अजय भट्ट इसके सदस्य हैं और आदरणीय विधायक मंगलौर श्री काजी निजामुद्दीन इसके सदस्य हैं। हमारे वरिष्ठ नेता मा० काशी सिंह ऐरी जी इसके सदस्य हैं। श्री बलबीर सिंह नेगी जी इसके सदस्य हैं और डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी इसके सदस्य हैं। कुछ विशेषज्ञ भी इसमें रखे गये हैं। हमारी सरकार ने आधार बनाया है केन्द्र सरकार के मॉडल एक्ट को।

हमारे सामने एक समस्या थी कि हमारे पास वह अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। कभी-कभी सदन को भी असुविधा होती है, हमें भी असुविधा होती है जब हम कोई बिल या विधेयक पेश करते हैं तो उसमें व्याकरण या टंकण आदि की त्रुटियां हो जाती हैं। अब लोकसभा के एक सज्जन हमें मिल गये हैं। जो इस कार्य को देखेंगे। मान्यवर, यह समिति भी अपनी बैठकों में इस बात का फैसला नहीं कर सकती है कि क्या व्यवस्था हो। सीधे चुनाव हो या उन परम्पराओं का पालन किया जावे जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बनाते हुए की जाती है। जो परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमें लोकतंत्र में यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार एक दिन के लिए भी हो सकती है, एक माह के लिए भी हो सकती है और 5 साल के लिए भी हो सकती है। पर जनता को स्थिरता की अपेक्षा रहती है। जनता यह नहीं चाहेगी कि आज सरकार बने और कल चली जावे। ज्यादातर सरकारों को जब ऐसे जाना पड़ा तो जनाक्रोश स्पष्ट रूप से सामने आया है। भारत का लोकतंत्र आज परिपक्व लोकतंत्र है। लोग स्थिरता के प्रति अपना मत देते हैं। यह जो भी संशोधन हम लाये हैं वह स्थिरता के लिए लाये हैं 3-3 साल की मेहनत के बाद। आप नगर विकास का कोई भी पृष्ठ उठा कर देखें। यह एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जिस क्षेत्र में कभी भी संसाधन उपलब्ध नहीं रहे हैं। यदि 73वां संविधान संशोधन में संसाधन उपलब्ध रहे हैं तो 74वें में नहीं रहे हैं। वित्त आयोग का ध्यान हमने आकर्षित किया है। योजना आयोग का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है।

वास्तव में हमारे राज्य में हमारे आर्थिक संसाधनों का जो सबसे बड़ा साधन है वह है पर्यटन। जहां पर पर्यटक ठहरें वहां पर उचित व्यवस्था हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शायद अगले बजट से और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से योजना आयोग और वित्त आयोग के माध्यम से हम कार्य कर सकेंगे। हमारा अपना अधिनियम तैयार है। हमें इसे लाने में समय लगेगा। सम्भवतः जून तक का समय लगेगा। जिस समय इस अधिनियम को मैं इस सदन में प्रस्तुत करूंगा तो मैं आप लोगों को अग्रिम वायदा करता हूँ कि 3 महीने या 4 महीने जैसा भी आप लोग कहेंगे, प्रवर समिति के अन्दर इसे रखेंगे। मैं सरकार की स्पष्ट मंशा रख रहा हूँ। यह नगर निकायों के क्षेत्र में होगा। हमारी समिति के माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। जो आज दुविधायें और संशय हो रहे हैं, वह संशय और दुविधायें एक दिन दूर हो जायेंगी। यह मात्र स्थिरता का प्रयास किया जा रहा है हमारा आशय इतना ही है कि उत्तर प्रदेश के इन संशोधनों को शामिल किया जाय। मेरा माननीय सदस्य प्रीतम सिंह पंवार जी से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें, हम आपका सहयोग लेकर, मार्ग दर्शन लेकर, कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यह चुनाव पूर्व व्यवस्था तो हो चुकी है लेकिन जो इस सरकार के जरिये चुनाव होंगे, वह आपके सहयोग से उचित व्यवस्था में ही हों, हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इसे वापस ले लें तो निश्चित ही मेरा मनोबल बढ़ेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उपाध्यक्ष वाली बात आपने नहीं की।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उपाध्यक्ष की स्थिति आप एक्ट में देख लें कोई भी फायदा तब उठा सकता है जहां कोई ताकत निहित हो। अगर ताकत ही अध्यक्ष के पास हो तो क्या परेशानी हो सकती है। केवल अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही उसके पास ताकत आ जाय तो कोई डेमोक्रेटिक डैल्यूशन नहीं होगा, तो मैं तकनीकी निवेदन नहीं कर रहा हूँ। बात बिल्कुल स्पष्ट है। मान्यवर, हमारा प्रयास है कि सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट की व्यवस्था को उत्तरांचल में लागू कर सकें। मुझे भी इस सम्बन्ध में कई जगह बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी से भी मेरी बात हुई, विश्व बैंक के अधिकारियों, केन्द्रीय पर्यावरण बोर्ड के अधिकारियों और दिल्ली के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई। तो हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्थिति बेहतर बन सके। राजनीतिक स्थिति की ओर मैंने देखा भी नहीं और गिना भी नहीं, निश्चित रूप से गैर कांग्रेसी ही इसमें ज्यादा होंगे। आपने कहा था कि सभासद ज्यादा हैं। अभी तो स्थिरता के लिए यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश ने जो संशोधन रखे हैं, वही हमने भी रखे हैं, अच्छा होगा और मेरा निवेदन भी है माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी से कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि हम लोग जो नये विधायक आये हैं, पहली बार आये हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इतनी देर से वाद–विवाद चल रहा है, इसका कोई लाभ है? यह वैस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। अगर हमारी सही बात को भी सरकार अपने बाहुबल और संख्याबल के आधार पर, इस हालत में इसे पास ही करना है तो इस बहस को समाप्त कर दीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह हमारा अच्छा प्रयास है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह संशोधन कितना छोटा है। यह मात्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के गले में डाला जाने वाला एक छोटा सा फन्दा है। मान्यवर, इसका कोई लाभ नहीं है। इसमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए, सारी पावर सरकार के पास जाना उचित नहीं होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष की कोई पावर नहीं होगी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मान्यवर, इतना बड़ा संशोधन लाने की क्या आवश्यकता हो गयी। कार्यकाल बढ़ाये जाने की क्या आवश्यकता थी? मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि केवल देहरादून नगर निगम में ही अभी चुनाव नहीं हुए हैं, बाकी सभी जगह चुनाव हो गये हैं। नगर निगम में चुनाव हो सकता था, यह प्रजातान्त्रिक अधिकार है। एक तो माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे और दूसरा, जैसा कि अभी माननीय चीमा जी ने कहा कि संशोधन छोटा नहीं है। मान्यवर, अभी आपने कहा कि एक कमेटी बनायी गयी है, जिसमें मेरा नाम भी इंगित किया। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कमेटी की एक या दो से अधिक बैठकों की प्रोसीडिंग में मेरे हस्ताक्षर नहीं होंगे। यदि सरकार की मंशा साफ होती तो इसको लाने से पहले कमेटी के सदस्यों की एक बैठक बुला ली जाती। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बैठक नहीं बुलाई गयी? यहां पर नाम लेकर इंगित किया जा रहा है। आप एक्ट बना रहे हैं, इसमें अपनी मर्जी चलायेंगे लेकिन इंगित करके यह बात कही जाएगी कि एक्ट बनाने के लिए कमेटी की मंजूरी ली गयी। इसमें आप भी शामिल थे। अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। आपने कहा कि छोटा संशोधन है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि संशोधन छोटा नहीं है। यदि इसे प्रवर समिति के समक्ष सौंप दिया जाता है तो अच्छा होगा लेकिन यदि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जाता है तो नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों तथा नगर निगमों में एक अफरा–तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। सभासदों को लगेगा कि हमारे अधिकार चले गए हैं और अध्यक्ष को लगेगा कि मुझे अधिकार मिल गये हैं। लेकिन सच तो यह है कि अध्यक्ष निरीह हो जाएगा। अध्यक्ष को लग तो रहा है कि मेरे पास पावर आ गयी है

लेकिन उसके पास पावर कहां आती है। वह भी सुरक्षित नहीं रह गया है। उसकी सारी पावर आपने अपने पास रखी है। अभी तो जो माननीय मंत्री जी हैं, वह बहुत अच्छे हैं। कल को अगर कोई दूसरा मंत्री आ गया, और उसकी भृकुटि तन गयी और किसी सदस्य ने यह कह दिया कि अध्यक्ष का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। मान्यवर, धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित है कि "राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।" यानि चित भी मेरी और पट भी मेरी। चेयरमैनों से कह दिया जाएगा कि आपको पावरफुल बनाया जा रहा है और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि आपको कोई पावर नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आज इस एक्ट को पास नहीं होना चाहिए और इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास इन्हैरेन्ट पावर है, आप सरकार को निर्देशित कर सकते हैं, आपको विशेषाधिकार है। अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार को निर्देशित करें कि इसे प्रवर समिति को भेज दें। मान्यवर, आज जनता की निर्मूल आशंका है कि डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहे हैं। मान्यवर, जो अंदेशा है समाप्त होना चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहें उससे पहले माननीय अजय भट्ट जी द्वारा जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गये हैं, जो सुझाव दिये गये हैं वह जरूर मान लें। क्योंकि माननीय अजय भट्ट जी ने भी नेहरू जी की तरह गुलाब लगा रखा है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम जो संविधान की भावना है कि स्थानीय निकाय बिल्कुल स्वतंत्र हों, उनको स्वायत्तता प्राप्त हो, इसकी मूल भावना तो संशोधन में रहनी ही चाहिए। भारतवर्ष एक ग्रामीण कृषि प्रधान देश है। नगरपालिका की व्यवस्था तो बहुत देर में शुरू हुई है। यूरोप में टाउनशिप का कांसेप्ट है। केन्द्र में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसी तरह से स्थानीय स्तर पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी को विदित है, माननीय मंत्री जी ने भी यह कहा है कि अधिनियम लगभग तैयार हो चुका है, किन्हीं कारणों से आलेख पूरा नहीं पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो संशोधन प्रस्तावित हैं और जो संशोधन आज लाये जा रहे हैं सदन में यहाँ पर क्या वे नये अधिनियम के अनुरूप हैं? यदि उसके अनुरूप नहीं हैं तो कृपया अधिनियम के सम्बन्ध में जो समिति बनी है, उसकी बैठक दुबारा बुला ली जाए और इन संशोधनों पर चर्चा कर इन्हें सम्मिलित भी किया जाए। यह उचित होगा। मान्यवर, संविधान की धारा 73–74 की

बात कही जा रही है। किन्तु उसके अनुरूप अधिनियम में संशोधन नहीं लाये गये हैं। यह निश्चित है 2 सरकारी कर्मचारी आपस में झगड़ा करेंगे और उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा प्राविधान नहीं होना चाहिए जिससे कि कल जो परिणाम हों वह चिन्ताजनक हों।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने बिल्कुल सही बात कही। भारत एक ग्रामीण देश है। अभी हमारा राज्य शैशवावस्था के दौर से गुजर रहा है। नगर निकायों और नगर निगमों का प्रश्न भी सामयिक रूप से हमारे सम्मुख है। पिछले दो दशकों में जनसंख्या का जो अनुपात है, उसका जो घनत्व है शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तराखण्ड में तो विशेष रूप से यह एक ज्वलंत उदाहरण है। जनसंख्या के आंकड़े आप स्वयं भी देखें तो स्वयं स्पष्ट हो जायेगा। जहाँ तक भट्ट जी का प्रश्न है मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य की उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी कि हमारी। मान्यवर, समिति हमने खुले दिमाग से बनायी है, यह प्रश्न अभी हमारी समिति में अनिर्णित है। मान्यवर, समिति के बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें पार्टी की नीति तथा सरकार की नीति का प्रश्न ही नहीं उठता है। समिति जल्दबाजी में काम नहीं करेगी। इसमें सभी का सहयोग होना आवश्यक है। एक संक्रमणशील व्यवस्था में हमारा मार्गदर्शन हुआ है। मान्यवर, प्रवर समिति में पुनः विचार करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यहां पर एक ऐसा विधेयक लाकर खड़ा कर दिया है। जिसमें मंत्री जी द्वारा कहा गया कि कोई अपील नहीं होगी। क्या आपके द्वारा ऐसा निर्णय बनाने पर अपील नहीं होगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुछ चीजों में वैधानिक परम्परा है। निरंकुश राज्य सरकार कभी भी नहीं होती है और न्यायालयों के दरवाजे कभी बन्द नहीं होते हैं और कर भी नहीं सकते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कोई अपील नहीं होगी। ऐसा आप कौन सा कानून बना रहे हैं। यह जनहित में नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, स्थानीय न्यायालयों का अधिकार अलग हटा दिया है। उच्च न्यायालय अपनी जगह विद्यमान है। उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उच्च न्यायालय की जो बात आपके संज्ञान में आयी है। परन्तु इसमें आया है किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। क्या किसी में उच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आपत्ति नीचे के न्यायालय में की जाती है। ये पिटीशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या सन् 2005)

(भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित–)
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये–

विधेयक

1. यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जिसे यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में उपधारा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्– मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन

(2) उपाध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष छः माह या नगर पालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो, होगा।

(3) उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये हों।

मूल अधिनियम (संख्या 2 सन् 1916) की धारा 47-क निकाला जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 47-क निकाल दी जायेगी।

4. मूल अधिनियम की धारा 48 में,-

(क) उपधारा (2) खण्ड (ख) में, उपखण्ड

(आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे।

अर्थात्-

(नौ) नगर पालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुँचायी हो, या

(दस) नगर पालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किया है, या

(ग्यारह) नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है, या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है, या

(तेरह) नगर पालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगर पालिका का कार्य संचालन असम्भव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है, या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है, या

(पन्द्रह) नगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है, या

(सोलह) नगर पालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर आवंटन किया है, या

(सत्रह) नगर पालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है,

(ख) उपधारा (2-क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 87-क का निकाला जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 87-क निकाल दी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 96 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में-

(क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ग) परन्तुक में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 8 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन बहुत लम्बे समय से चल रहा है और कल भी चलेगा। सरकार ने माननीय मंत्रियों, पत्रकारों और अन्य अधिकारियों को भोजन करा दिया, लेकिन असरकारी सदस्यों को भोजन नहीं मिला है। तो क्या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उदार हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ठीक है व्यवस्था आज भी और कल भी हो जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतना बड़ा संशोधन पास हुआ, लेकिन पूरे सदन की मंशा नहीं देखी होगी, किसी ने टेबल थपथपाकर समर्थन नहीं किया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मूल भावना वही है। माननीय सदस्यों ने भी दोनों ही अधिनियमों को पढ़कर अपने विचार प्रेषित किये हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि इस पर विचार कर लिया जाए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमने मद संख्या 48 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, पर पता नहीं कहाँ गिर हो गया?

श्री अध्यक्ष–

आपने अनुमोदन का दिया था।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सुझाव दे दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम शीघ्र अपना एक्ट बनाने जा रहे हैं, जब आप अपना एक्ट जल्द ही बना रहे हैं तो इसमें विलम्ब क्यों कर रहे हैं, फिर आपने यह भी कह दिया कि प्रवर समिति पर चर्चा करायेंगे, यह एक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? मान्यवर, जनता द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप नगर प्रमुख और आपके मेयर चुने जाते हैं आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं। जनता ने जितने प्रतिनिधियों को चुना, अध्यक्ष और मेयर को जनता ने चुना, उनको आप बर्खास्त कर रहे हैं। लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था नहीं है। प्रजातंत्र में जो व्यक्ति चुनकर आता है उनको बर्खास्त करने का अधिकार सरकार को नहीं है। एक बिन्दु है उप नगर प्रमुख का, इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आपने 2 वर्ष 6 माह का समय बढ़ाया, आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या थी? देहरादून में उप नगर प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल नवम्बर में समाप्त हो गया, आज तक वह पद पर बने हुए हैं। उनको सभी सुविधायें दी जा रही हैं। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो देहरादून के उप प्रमुख हैं उनका कार्यकाल समाप्त करेगी या नहीं, अगर नहीं करेगी तो किस प्रकार नगर प्रमुख कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, सरकार नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रही है। माननीय मंत्री जी बतायें कि उप प्रमुख का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनको आप बर्खास्त करेंगे? यदि नहीं तो किस नियम के तहत आज भी उप नगर प्रमुख कार्य कर रहे हैं? कहीं यह मंशा तो नहीं है कि केवल उप प्रमुख को बचाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए एक पद के लिए ऐसा कानून लाया जा रहा है, यह तो प्रजातंत्र के खिलाफ है। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूँगा, एक तरफ तो आपने कहा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। मान्यवर, राज्य सरकार गलत काम करेगी न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ सरकार ने उप धारा लागू की है। भेदभाव के आधार पर जिस नगर प्रमुख, जिस उप नगर प्रमुख को हटाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी तो बड़े विद्वान साथी हैं आपने इस एक्ट को लगाकर क्या कर दिया।

मान्यवर, इसका मैसेज जनता में अच्छा नहीं जा रहा है। मैं आपके हित में कह रहा हूँ। इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा। मैं आपको एक अच्छी राय दे

रहा हूं कि संविधान के अनुरूप काम कीजिए। कानून मंत्री के लिए भी है, सरकार के लिए भी होता है। आप जो नियम ला रहे हैं वह संविधान के अनुरूप नहीं है मैं चाहूंगा कि यह जो विधेयक है इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो एक माह में अपना प्रतिवेदन दे और उत्तरांचल की जनता के लिए एक अच्छा कानून बनाए। जो आप विधेयक लाये हैं यह विधेयक नहीं काला कानून है। आप उत्तरांचल की जनता पर काला कानून लागू करना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं होना चाहिए। यह प्रजातंत्र के खिलाफ है। प्रजातांत्रिक ढंग से कानून बनाना चाहिए। मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम उत्तरांचल उत्तर प्रदेश अधिनियम 1960 का तृतीय संशोधन। मतलब पहला, दूसरा और अब तीसरा संशोधन और यह अनन्त काल तक जब तक यह सरकार है मतलब दो संशोधन और आ सकते हैं। श्रीमन् इसमें जो संशोधन किये गये हैं उन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी आपत्ति उठायी है। उसको अपने से सम्बद्ध करते हुए इसके खण्ड 3 में धारा 16 में संशोधन है जिसमें कहा गया है कि नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख के कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है। मान्यवर, यह निर्णय कैसे होगा? इसका विश्लेषण क्या होगा? इसका यह अर्थ है उस चूक की परिभाषा सम्बन्धित सरकार तथा सम्बन्धित सत्ता प्रतिष्ठान के लोग करेंगे। मान्यवर, अब इसके उपबन्धों को पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं धारा 16 की उपधारा 2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार नगर प्रमुखों और उप नगर प्रमुखों की जांच के पश्चात् उसके कारणों के उल्लेख की बात कही गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह सरकार यह काला कानून लेकर आयी है इसके माध्यम से यह जनता को क्या बताना चाहती है?

मान्यवर, सरकार जनता को न्यायालय में जाने के अधिकार को रोकना चाहती है। कारण बताओ नोटिस के बाद किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। मान्यवर, आप सर्वोच्च पीठ पर विराजमान हैं। यह सर्वोच्च पीठ है। जब आपकी पीठ के साथ संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो सरकार ने सारे नियम कानून अपने हाथ में रख लिये ताकि किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी नगर निगम के उप नगर प्रमुख या नगर प्रमुख को हटाया जा सकता है। श्रीमन् इसकी धारा 4 में बहुत खतरनाक बात कह दी गई है कि "उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख सभासद भी नहीं रह पायेगा।"

मान्यवर, वह नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के पद से हटेगा ही और सभासद भी नहीं रह पायेगा इसके साथ ही एक और खतरनाक उपबन्ध इसमें शामिल किया गया है कि "उपधारा (1) के खण्ड क और ख में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने की दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर

प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।" मान्यवर, यह कैसा कानून है और कैसा कानून यह सरकार लाना चाहती है? मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को वापस ले लें और कोई इतनी इमर्जेन्सी भी अभी नहीं है कि संशोधन किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसे वापस ले लें।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूँ। अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही। कभी–कभी बातों में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, मेरा अनुरोध है कि न्यायालय की अपनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं और विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, इस पर आप विचार कर लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा और माननीय कबारी जी और प्रकाश पंत जी ने जो बात कही है उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मेरे संज्ञान में एक बात, एक विचार आ रहा है कि यह सारा मात्र आज के परिप्रेक्ष्य में देहरादून के लिए ही यह प्रोविज़न आया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि और जगह तो चुनाव हो गये हैं और हमारे यहां एक ही नगर निगम है, यह मात्र देहरादून के लिए ही आ रहा है। मान्यवर, न तो राज्य में कोई प्राकृतिक है न कोई युद्ध चल रहा है और न ही कोई आपदा आई है, न किसी प्रकार की अशांति है। जब इनमें कोई भी चीज नहीं है तो मंत्री जी अपने उत्तर में बता दें कि आखिर देहरादून के उप नगर प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। एक ही देहरादून में नगर निगम है और एक ही उप नगर प्रमुख है तो उसका चुनाव करवाने में क्या आपत्ति होगी। जो इस समय होंगे मैं तो नहीं जानता तो वही दोबारा निर्वाचित हो जायेंगे। कोई भी असामान्य स्थिति स्टेट में नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसका शीघ्र ही चुनाव करायेंगे, जो कि एक निश्चित पीरियड में हो जायेगा? अगर आप अभी उत्तर भाषण देंगे तो इसका स्पष्टीकरण भी उसमें दे दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां तक उप नगर प्रमुख की बात है उसके बारे में एक्ट की धारा 16 में पूरा प्रावधान है और जो शंका आपने व्यक्त की, मैं भी नहीं जानता कि कौन है। किस पद पर है। प्रश्न यह है कि आखिर व्यवस्था क्या होगी। एक्ट में 15 (3) में यह व्यवस्था है और उसी हिसाब से यह हो जायेगा। दो अधिनियमों को मिलाकर कुल 180 पद इसमें आते हैं। बात मात्र राजनैतिक स्थिरता की है। हाँ, हम भी एक राजनैतिक पार्टी से संबद्ध हैं।

नोट – *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कुछ जगहों पर हम अधिकृत उम्मीदवार को लड़वाते हैं। उप नगर प्रमुख के पद पर हमने अधिकृत उम्मीदवार को नहीं लड़ाया था। नगर प्रमुख के पद पर हमारा अधिकृत उम्मीदवार है। इससे नगर प्रमुख को आश्वासन और सम्बल मिलेगा। इसी तरह दूसरी जगह के अध्यक्षों को भी आश्वासन और सम्बल मिलेगा। हमारा मकसद यह नहीं है कि किसी को लाभ पहुँचाया जाय। बल्कि हमारा मकसद यह है कि सुचारू रूप से कार्य किया जावे। मान्यवर, नगर निगम और नगर पालिका के बारे में उत्तर प्रदेश में जो निर्णय लिया गया था, वही निर्णय हमने यहां पर भी लागू किया। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से उनके सुझावों का हमें ध्यान रखना चाहिए और आगे की कार्यवाही में हम इसको रखेंगे। इसका दुरूपयोग करने की हमारी कोई मंशा नहीं है और न ही हम कोई दुरूपयोग करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि देहरादून में उप नगर प्रमुख का कार्यकाल नवम्बर माह में समाप्त हो गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि आप इसकी धारा 15 की उपधारा 3 देख लेंगे तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रतर संशोधन करने के लिये:–

विधेयक

1. संक्षिप्त नाम

यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 15 में संशोधन

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे यहां उसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या सभासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी।"

(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उप नगर प्रमुख पर भी लागू होंगे जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।

3. <u>मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन</u>

मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"16– नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख का हटाया जाना– (1)" जहां राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है।

(ख) नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख ने–

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है, या

(दो) धारा 463 के अर्न्तगर्त निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान–बूझकर अर्जित किया है, या

(तीन) जान–बूझकर किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था, या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जान–बूझकर किसी ऐसे मामले में, कार्य किया है, या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है, या

(पांच) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया है, या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी समिति के सभापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान-बूझकर उल्लंघन किया है, या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि, या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है, या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया हो,

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है,

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है या किसी निगम या उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाये या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है, या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान-बूझकर उल्लंघन किया है, या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के, दुर्व्यवहार किया है, या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है, या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, या किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण करने में सहायता की है, या दुष्प्रेरित किया है। तो वह उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, सभासद भी नहीं रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 51 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।"

(ख) उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री पंत प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (चर्चा जारी)

श्री हरीदास-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में यह संशोधन और जोड़ दिया जाय कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जो बी०पी०एल० कार्ड से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके बी०पी०एल० कार्ड बनवाये जाएं।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए सभी संशोधन प्रस्ताव मान लिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी कह दिया था कि सबको मान लिया गया है।

श्री हरीदास–

मान्यवर, मैं इन्हीं विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रदेश के दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय खोले जाने चाहिए। जो कि बहुत जरूरी है। हमारी जो माताएं और बहनें पहाड़ों में अति दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रही हैं, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह जरूर खोले जाने चाहिए। मान्यवर, कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपाय किये जाने चाहिए।

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में पूर्व प्रधान सलीम नगला कोयल की हत्या, ग्राम प्रधान रामशाद, करणपुर व बाबू की हत्या, ग्राम लाठर देवा शेख में प्रधान के भाई मुनीर की हत्या जैसी दर्दनाक अप्रिय घटनाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए परन्तु महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसी ऐसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया जिससे कानून व्यवस्था में सुधार हो सके। भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। सरकार को ठोस नीति बनाकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहिए। मान्यवर, राज्य में बेरोजगारी की समस्या है एक रोजगार परक नीति बनाकर उस समस्या से हमारे नौजवान भाइयों को निजात मिलनी चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार देने हेतु एक ठोस नीति एवं योजना बनानी चाहिए थी परन्तु वह नहीं बनाई गई। साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में रोजगार परक योजनायें चलाई जानी चाहिए थी किन्तु अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, दलित उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु ठोस योजना बनानी चाहिए। ग्राम हनेरा जनपद पिथौरागढ़ दलित की दुल्हन को डोली से उतारकर बेआबरू किया गया और हाल ही में जनपद हरिद्वार में ब्लाक नारसन की प्रमुख श्रीमती सुमन के घर पर दबंग लोगों द्वारा चढ़ाई करके परिवार जनों से मारपीट की गई और उन्हें बेआबरू करने का प्रयास किया गया। ऐसे प्रकरणों पर, ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई ठोस नीति होनी चाहिए परन्तु महामहिम के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया। मान्यवर, अफसरशाही पर अंकुश लगाये जाने के ठोस प्रयास किये जाने चाहिए किन्तु सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। जैसा कि आज हमारे माननीय विधायक जी के साथ हुआ। जो अफसर हैं वे निरंकुश हो गये हैं वे सरकार की एवं जनप्रतिनिधियों की कोई बात न तो सुनते हैं और न ही उनकी कोई बात उनके द्वारा मानी जाती है। मान्यवर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक विकास हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायी जानी चाहिए किन्तु अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है।

खनन नीति एवं आबकारी नीति को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके। परन्तु अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, पेट्रोल एवं डीजल पर लगाये गये अतिरिक्त कर को हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह

किसानों के लिए बहुत जरूरी है। प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की जिले के जिले में ही नियुक्ति की जानी चाहिए और गृह जनपद में ही कार्यरत रखा जाना चाहिए क्योंकि यह जिले का पद होता है। सरकार को इसमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। विकास कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नीति निर्धारित की जानी चाहिए। मान्यवर, आज गम्भीर पेयजल संकट वाले ग्रामों में पेयजल की सुविधा दिलायी जानी चाहिए क्योंकि गाँव के लोग काफी परेशान हैं। उन्हें पानी कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध पिरानकलियर के मेले को कुम्भ मेले की भाँति मेला निधि दी जानी चाहिए और कुम्भ मेले को समान सुविधा दी जानी चाहिए परन्तु अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया रोकथाम हेतु कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले मजदूरों की मजदूरी 42.50 प्रति दिन से बढ़ाकर 79.50 प्रतिदिन कर देनी चाहिए परन्तु अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, गन्ना पेराई सत्र वर्ष 2002-2003 का जो भुगतान अभी लम्बित है, उसका कहीं भी महामहिम के अभिभाषण में जिक्र नहीं हुआ है। मान्यवर, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अमल में लाना चाहिए ताकि शिक्षा का प्रचार और सूचना का विस्तार हो सके तथा पर्यटन को बढ़ावा मिले इनका भी महामहिम के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की भाँति विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ने चाहिएं तथा विधायक निधि जो 75 लाख रु० है इसे बढ़ाकर एक करोड़ रु० कर दी जाय, इसका भी महामहिम के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। अन्त में मान्यवर, मैं चाहता हूँ जिन बिन्दुओं का मैंने उल्लेख किया है उनको अभिभाषण में सम्मिलित करने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, किसी भी सरकार की कार्यकुशलता का आंकलन राज्य की कानून व्यवस्था से किया जाता है और वर्तमान में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इसी सम्बन्ध में अभी नियम 58 के अन्तर्गत चर्चा हुई। मान्यवर, एक प्रकरण है अभी कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश में एक काण्ड हुआ, इससे शर्मनाक और कोई बात हो ही नहीं सकती। जहां एक ओर पुलिस जिसका सम्बन्ध कानून व्यवस्था से है, उनकी हत्या की जाती है, वहीं दूसरी ओर वही पुलिसकर्मी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या में सम्मिलित है, आज जो रिपोर्ट आयी है, इसमें स्पष्ट है कि ऋषिकेश में जो हत्या हुई वह पुलिसकर्मी द्वारा प्रयुक्त सरकारी आर्मस द्वारा की गयी है। मान्यवर, इस प्रकार की कानून व्यवस्था का महामहिम के अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, वे क्षेत्र कूड़े के ढेरों में तब्दील हो रहे हैं। मान्यवर, जहां तक सफाई व्यवस्था का सवाल है। किसी भी नगरपालिका में, नगर निकाय क्षेत्र में तथा नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व जब मैंने माननीय नगर विकास मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि देहरादून का नगर निगम क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या के आधार पर या उसके क्षेत्रफल के आधार पर कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए तो सरकार द्वारा बताया गया था कि 1638 और फिर अस्थाई राजधानी बनने के पश्चात् कुछ सफाई कर्मचारी मंत्रियों की सेवा में लग गये, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन हो गये और देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या मात्र 880 है। मान्यवर, जहाँ पर 1638 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी वहाँ मात्र 880 की नियुक्ति हुई तो सफाई व्यवस्था कहाँ होगी। मान्यवर, शहरों के बीचों-बीच जो गन्दे नाले गुजर रहे हैं उनकी सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और देहरादून जैसे क्षेत्र में यह आश्चर्य होगा कि यहाँ एक भी उपकरण नहीं है नालों की सफाई के लिए, यह चिन्ता की बात है। आज उत्तरांचल के जो सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति है, हमारे उत्तरांचल की सीमा पर आतंकवादी, माओवादी जिस प्रकार से दस्तक दे रहे हैं तो यह हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इससे निपटने के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, आप सहमत होंगे कि पॉलीथीन का उपयोग अपने आप में बहुत खतरनाक है। मान्यवर, पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाई जाए, इसके निर्माण पर रोक लगाई जाये, तब इस पर कहीं अंकुश लग सकेगा। आज देहरादून में बहुत वाहन हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के जो बड़े-बड़े महानगर हैं अगर उनकी जनसंख्या और वाहनों का अनुपात लिया जाए तो निश्चित रूप से देहरादून में वाहनों का अनुपात अधिक निकलेगा। सड़क संकीर्ण हैं और रोज दुर्घटना हो रही है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु न हो जाय। मान्यवर, देहरादून क्षेत्र के लिए यहाँ की यातायात की व्यवस्था के सुधार के लिए जो फ्लाई ओवर की बात थी या जो उपाय किया जाना चाहिए था, इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, आज भी देहरादून के मात्र 25 प्रतिशत क्षेत्र सीवर से पोषित हैं और पूरे सीवर की व्यवस्था न होने के कारण बहुत बड़ी समस्या गन्दगी की उत्पन्न हो रही है। मान्यवर, जहाँ भी सीवर की व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। मान्यवर, आज हम सर्वे करें तो निश्चित रूप से खुले सीवर मिलेंगे, जो घनी बस्तियों से गुजर रहे हैं वहाँ किसी भी समय महामारी फैल सकती है।

मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद जो पेयजल संकट उत्पन्न हुआ है। मान्यवर, जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है वह दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। मान्यवर, जिस प्रकार

से जो ट्यूबवैल के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है, पानी की उपलब्धता ट्यूबवैलों में कम होती जा रही है, नये ट्यूबवैल नहीं लग रहे हैं इस तरह पूरे शहर में पानी की किल्लत है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, प्राधिकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसका 1984 में मसूरी देहरादून प्राधिकरण के नाम से गठन हुआ था। आज 20 साल पश्चात् भी प्राधिकरण अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना पाया। यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है जिस प्रकार से वहाँ पर नौकरशाही हावी है। मैं एक अनुरोध करूँगा कि इसे समाप्त किया जाय अगर किसी कारण से ये समाप्त नहीं किये जाते तो उनका पुनर्गठन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, आज जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य हैं उनमें बहुमत अधिकारियों का है। यह उचित होता कि उस बोर्ड में जनप्रतिनिधियों की भी संख्या बढ़ायी जाती जिससे जनता की आवाज सुनी जाती और एक सुनियोजित साकार रूप इसे दिया जाता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारे दल के श्री हेमेश खर्कवाल जी द्वारा रखे धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने तमाम पहलुओं पर इस अभिभाषण में तमाम बिन्दुओं को संकलित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का एक खाका महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में सदन में प्रस्तुत किया। इस राज्य की अवधारणा, इन तमाम शहादतों को हम लोग नमन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के उन तमाम नागरिकों को नमन करते हुए उनकी अवधारणा को साकार बनाने के लिए राज्य सरकार ने जहाँ एक ओर देहरादून से लेकर मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा अन्य जगहों पर उनकी शहादतों को याद करने के लिए स्मारकों का निर्माण किया, साथ ही उन नागरिकों को सरकारी नौकरियों में सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की, इसके लिए मैं अपनी सरकार का साधुवाद करता हूँ और जो आन्दोलनकारी सरकारी नौकरियों से वंचित हैं उनका भी परीक्षण करा लिया जायेगा परीक्षण के पश्चात् अगर एक दिन भी किसी नागरिक को सजा हुई हो उस नागरिक को सम्मानित करने के लिए उसी परिधि में रखा जाय।

मान्यवर, ऐसी आन्दोलनकारियों की भावनाएं हैं और उनका हम लोग आदर करते हैं। साथ ही जिस तरह से इस देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों तथा उन सेनानायकों को सम्मान दिया गया ठीक उसी प्रकार राज्य प्राप्ति

के बाद आन्दोलनकारियों को चिन्हित करके उनको सम्मान व पेंशन दी जाये। सरकार इसका परीक्षण करवा ले। साथ ही जहां एक ओर हमारी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर और तमाम साफ्टवेयर एकेडमी स्थापित करने से लेकर अपनी उपलब्धि को दर्शाया है। मेरा आग्रह होगा अपनी ही सरकार से कि सुदूर के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां इलेक्ट्रॉनिक इन्डस्ट्री बहुत अच्छी तरह से स्थापित की जा सकती है।

मसूरी और मसूरी से लगे हुए क्षेत्र में जिसमें भारत सरकार के कई उपक्रम जैसे पी०पी०सी०एल० जो अब बन्द हो गया है तथा जो अन्य उपक्रम बन्द पड़े हुए हैं उनका अधिग्रहण करवा लिया जाये। यह क्षेत्र नीतिबद्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यहां उद्योग स्थापित हो सकते हैं और यहां छोटे-छोटे एसेसरीज के द्वारा प्रत्येक नौजवान को रोजगार दिया जा सकता है। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे पेयजल की उपलब्धियां हों आज की आवश्यकता है कि आने वाले समय में पेयजल की योजनाओं को, बढ़ते हुए शहरी दबाव को देखते हुए इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज मसूरी हो या देहरादून, पेयजल की योजनाओं को बढ़ाना चाहिए। सीवर का जाल बिछाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। सरकार को वर्ल्ड बैंक की योजनाओं के माध्यम से सीवर के प्लांट स्थापित करते हुए बेहतर नियोजन का प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार ने शिक्षा, परिवहन, तकनीकी शिक्षा, उद्यान, कृषि/(बागवानी) के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में तमाम सही नियोजन का दृष्टिकोण स्थापित किया है। मेरा आग्रह है कि नौजवानों की अपेक्षा थी कि यह राज्य उनके हाथों को सबल कर सके। रोजगारपरक नियोजन में उनको स्थान दिला सकें। मैं अपनी सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि नौजवान अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी अपेक्षा के साथ आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ऋणी हूँ। जय हिन्द।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधनों पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, विगत वर्षों में महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा यहां पर अभिभाषण दिये गये, और चर्चा के दौरान हमने जो सुझाव दिये तो हम यह सोच रहे थे कि हमने जो भी सुझाव दिये थे इनको सरकार द्वारा सम्मिलित किया गया होगा और सरकार द्वारा अभिभाषण में बात कही गई है, वह पूरी होगी। और राज्य की महान जनता द्वारा राज्य निर्माण के लिए किये गये बलिदानों और शहादतों की सार्थकता सिद्ध होगी और राज्य बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। किन्तु खेद है कि राज्य निर्माण के 4 वर्षों बाद भी प्रदेश की स्थिति दिनोंदिन बद से बदतर होती जा रही है और लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण है।

आज सरकार के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिसको वह महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित कर सकें। जो भी इस अभिभाषण में लिखा गया है वह सब रूटीन वर्क के अन्तर्गत किये गये कार्य ही हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सचिवालय में पत्रकारों के पास जारी करने को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। इसमें लिखा है कि "विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र सीधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इससे मीडिया प्रतिनिधियों को सरकार के विकास कार्यों एवं अन्य कार्यों सम्बन्धी जानकारी आदान-प्रदान करने में काफी सुविधा हो रही है। विभाग ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नया मान्यता कार्ड जारी करने का फैसला किया है" अब इसे सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। मान्यवर, इससे साफ झलकता है कि सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। यह छोटे-छोटे रूटीन वर्क हैं, और उन्हें सरकार अपनी साल भर की उपलब्धि बता रही है। मान्यवर, अलग राज्य बनने से खुशहाली आयेगी यह सपना खंडित होता जा रहा है। यह सपना उत्तरांचल की जनता ने राज्य बनने से पहले देखा था।

बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा यह सपना भी खंडित हो रहा है। मान्यवर, बेरोजगारी की स्थिति राज्य बनने से पहले जो थी, वही आज भी है। जब तक रोजगार की एक ठोस नीति सामने नहीं आयेगी, तब तक कुछ नहीं हो पायेगा। वहीं उत्तरांचल के युवाओं में पलायन की जो स्थिति पहले थी वही आज भी है, इसके स्थाई हल के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार इस मामले में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। सरकार कहती है कि दो लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन दो लाख लोगों को तो रोजगार मिला नहीं सरकार ने करीब 200 लोगों को लाल बत्ती देकर अच्छे पदों पर अपने आदमी बिठाकर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया।

मान्यवर, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होने की बजाय इनमें बदहाली का आलम है। स्कूलों में ताले बन्द हैं और स्वास्थ्य केन्द्र खाली हैं, आज भी सुदूर में स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में लोग असमय ही दम तोड़ रहे हैं। मोबाइल चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा शिविरों के द्वारा वहां पर सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। इसमें भारत सरकार के जो मानक हैं उनमें ढिलाई के लिए सरकार को भारत सरकार से वार्ता करनी चाहिए। मान्यवर, राज्य के अन्दर चारों ओर आज जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, वह चौपट हो चुकी है।

मान्यवर, राज्य के अन्दर आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राज्य के अन्दर बाहरी लोगों का आना-जाना बहुत बढ़ गया है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो हमारे सीमान्त जनपद हैं, वहां पर जो बाहरी लोग निवास कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उनका पुलिस सत्यापन कराना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उनको परिचय-पत्र भी जारी किए जाएं, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यह

मेरा सुझाव है। मान्यवर, बार-बार यह बात उठती रहती है कि विकास कार्यों में कुछ जनपदों के साथ सरकार भेद-भाव करती है, इससे जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इस पर सरकार को चाहिए कि जो विकास हों, वह समान दृष्टि से हों और जो नियोजन हो, वह समानता से किया जाना चाहिए। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जनता उद्वेलित है, आक्रोशित है कि राजधानी का मुद्दा 4 साल बाद भी अधर में लटका है। जनता जानना चाहती है कि हमारी स्थाई राजधानी कहां पर होगी। अस्थाई राजधानी के नाम पर जो फिजूल खर्च हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए तथा शीघ्र ही स्थाई राजधानी की घोषणा कर देनी चाहिए। भले ही स्थाई राजधानी 10 साल बाद बने लेकिन उसकी घोषणा कर देनी चाहिए।

मान्यवर, उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत से जो तबाही हुई। उत्तरकाशी तथा यमुनोत्री धाम में भू-स्खलन से जो नाश हुआ है, उसे साल भर से अधिक हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनोत्री धाम के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की थी लेकिन आज तक वहां पर ट्रीटमेंट कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी तरह उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी है। सरकार को शीघ्रातिशीघ्र उनके लिए पुनर्वास नीति के तहत कार्य करना चाहिए। सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती है कि हमने प्रत्येक विकास खण्ड में बालिका इण्टर कॉलेज खोले हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी के नौगांव में अभी तक बालिका इण्टर कॉलेज नहीं है। सरकार जो उपलब्धियां बता रही है, वह गलत है। जल विद्युत परियोजनाओं की एक लम्बी लिस्ट इस घोषणा पत्र में है, कई निर्माणाधीन हैं और दर्जनों प्रस्तावित हैं और उनके निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी, ऐसी घोषणा सरकार ने अपने अभिभाषण में की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के अन्दर पहले भी अनेकों परियोजनाएं बनी हैं, कई निर्माणाधीन हैं और आगे भी प्रस्तावित हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी भूमि ली गयी है, उनके लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनायी गयी है। मान्यवर, जो पहले से निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उनके लिए जिनकी भूमि ली गयी है, उनके पुनर्वास तथा रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके लिए कोई ठोस नीति बना ली जाए।

श्री महेन्द्र भट्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे जो संशोधन हैं- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया। मैं क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 25 तक के संशोधनों को सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में क्रमांक

1 से लेकर 25 तक जो उल्लिखित है वह और वस्तुस्थिति में भिन्नता है। प्रारम्भ में ही उत्तरांचल के आन्दोलनकारियों के बारे में बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है जो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि और उस बयान के पश्चात् पूरे उत्तरांचल में एक बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया। इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका आन्दोलनकारियों के प्रति इस तरह का बयान सरकार की मंशा को प्रकट करता है।

मान्यवर, उत्तरांचल की महान जनता और देशभक्त युवाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च न्यौछावर कर इस देश की रक्षा की है और अपने प्राणों पर खेलकर ही इस राज्य को प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान है कि मुजफ्फरनगर का काण्ड एक हादसा था। वह बहुत पुरानी बात हो गई अब इसे भूल जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, संरक्षक हैं। वे इस बात को जानते हैं कि इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि यह बयान समाचार पत्र में आया था आपने ध्यान दिया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त उसका खण्डन किया था और इस खण्डन का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हुआ था।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, एक दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि सात दिन जो आन्दोलनकारी जेल में रहा है उसी को सरकारी नौकरी दी जायेगी यह बात अभिभाषण में उल्लिखित है। मान्यवर, यह सात दिन का मानक क्यों रखा गया। जिस दिन आन्दोलनकारी जेल गया था क्या उसके मन में यह बात थी उसे दो दिन न रखा जाए सात दिन रखा जाए। मान्यवर, यदि कोई आन्दोलनकारी 10 मिनट के लिए जेल में गया तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरह से तो सरकार आन्दोलनकारियों में विभाजन पैदा कर रही है। मान्यवर, अभिभाषण में सरकार की मन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मान्यवर, सरकार ने कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया है इसकी जानकारी भी सदन को देनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी सदन में रोजगार के सम्बन्ध में बहुत बातें होती हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक श्वेत–पत्र की भी माँग की है। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार ने बेरोजगार नवयुवकों से धन की वसूली की है चाहे वह सिंचाई विभाग में हो, मंडी परिषद, मत्स्य विभाग, सहकारिता, डेरी हो, इसमें पदों का सृजन किया और 600 रुपये की प्रत्येक बेरोजगार युवक से वसूली की। लगभग 30 करोड़ रुपये बेरोजगार युवकों के सरकार के पास हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा 2400 नवजवानों को अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की बात कही है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्हें नियुक्ति मिल पायेगी। इस प्रकार की कोरी घोषणा में से युवकों को

घोषित किया गया है उसी की परिणति यह हुई कि यहाँ पर प्रदेश के युवा प्रदर्शन के लिए आए।

मान्यवर, इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। आज सदन में मनीषा हत्याकाण्ड का भी जिक्र आया। मान्यवर, पुलिस भी हमारी सुरक्षित नहीं है। अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आप चाहे रिकार्ड देख लें। सरकार अपराध को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। न ही उसकी अपराध का रोकने की कोई मंशा है। आम नागरिक भय के वातावरण में जी रहा है। आज प्रदेश की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है।

मान्यवर, सरकार के पास अपराधों को रोकने के लिए कोई नीति नहीं है। जिसके कारण अपराधियों को अपराध करने को बल मिल रहा है। मान्यवर, पी0पी0 के आतंक से सरकार बच नहीं पाती है, हल्द्वानी का क्षेत्र उसके आतंक से ग्रसित है। मान्यवर, अपराध कैसे रूकें। पिछले छः महीनों से सिविलियन और गोपनीय पुलिस ने इस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया है। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एक ही जनपद में कई सालों से कार्यरत हैं, इनका स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। अभी इस सरकार ने कुछ को प्रोन्नति दी है और यह प्रोन्नति उनको उन्हीं के स्थान पर दी है, यानि कि फिर भी इनका स्थानान्तरण नहीं हुआ। मान्यवर, जिले के अन्दर कई आदमियों को ठेके दिये गये हैं, ये आदमी दिल्ली, गाजियाबाद आदि प्रदेशों के हैं।

मान्यवर, प्रदेश में नये विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं खुले हैं। मान्यवर, आज भी प्रदेश में बी0एड0 की दुकानें खोली जा रही हैं इनकी गुणवत्ता के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। मान्यवर, आयुर्वेद और ज्योतिष शिक्षा के बारे में बार-बार मैंने कहा है, लेकिन सरकार इसके प्रति उदासीन है। मान्यवर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2003 के अनुसार राज्य में वर्ष 2002-2003 में राजस्व की कमी 468 करोड़ रु0 थी, इसमें वित्तीय कमी 891 करोड़। राजस्व कमी में वित्तीय कमी का 82 प्रतिशत है। मान्यवर, सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए 1011 करोड़ अतिरिक्त ऋण लिया।

मान्यवर, 31 मार्च 2003 की स्थिति राजस्व बकाया 185 करोड़ का है। केन्द्र सरकार का ऋण एवं लोक ऋण लगभग 6137 करोड़ तक पहुँच गया होगा। मान्यवर, सरकारी खर्चे के अन्तर्गत 784 करोड़ ब्याज। मान्यवर, 1225 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का वेतन, 350 करोड़ अध्यापकों का वेतन के लिए है। मान्यवर, मैं जनपद चमोली के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2455 लाख के सापेक्ष 987.72 रु0 अवमुक्त किये गये, मान्यवर, यह स्थिति नवम्बर माह तक की है। मान्यवर, जनपद में विद्युत वैकल्पिक, प्राथमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, मत्स्य, पंचायती राज, पर्यटन खाद्य एवं रसद विभाग को एक भी रुपया अवमुक्त नहीं हुआ है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग ने राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद चमोली को 2363.97 लाख के विरुद्ध 497 लाख अवमुक्त

हुये। मान्यवर, पेयजल विभाग निगम 210.1 में से 48 लाख, जलसंस्थान 175.00 में से 31.86 लाख अवमुक्त हुआ तथा लघु सिंचाई में 100 लाख के विरुद्ध 51.70 लाख रु0 अवमुक्त हुए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि सरकार इस तरह के विवरण का चित्र महामहिम के अभिभाषण में लाती तो कितना अच्छा होता।

मान्यवर, संशोधनों पर किस प्रकार का कार्य हो रहा है और मैंने जो चित्र बताया वही प्रदेश की वस्तुस्थिति है, इसलिए मैं संशोधन पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं चम्पावत के माननीय विधायक श्री हेमेश खर्कवाल जी द्वारा दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय नेता सदन का अनुभव का लाभ हमको और हमारे उत्तरांचल राज्य को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रयास से तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी मोन्टेक सिंह अहलुवालिया को धन्यवाद जिन्होंने उत्तरांचल की 2005–2006 की वार्षिक योजना 2700 करोड़ की स्वीकृत की। मान्यवर, हमारी सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में गम्भीर रूप से घायल तथा सात दिन से अधिक जेल में रहने वाले आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा रहा है तथा 7 दिन से कम जेल में रहने वाले आन्दोलनकारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसमें खटीमा के आन्दोलनकारियों को लाभ मिल रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा सिडकुल के माध्यम से उत्तरांचल में उद्योग लगाने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दूर हो रही है, यह बहुत अच्छा कदम सरकार का है। मान्यवर, उत्तरांचल में न्यायिक एवं विधिक अकादमी की स्थापना करके हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है।

मान्यवर, छोटे एवं सीमान्त कृषकों की सुरक्षा हेतु "नारायण कवच" बीमा योजना की व्यवस्था की गयी है। यह भी बहुत अच्छा कदम है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद् का गठन किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा सब ट्राईबल प्लान की व्यवस्था की है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए आई0ए0एस0 तथा पी0सी0एस0 जैसी उच्च सरकारी सेवाओं की परीक्षा हेतु कोचिंग की व्यवस्था की

गयी है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जो मेधावी छात्र हैं वे परीक्षाओं में बैठेंगे और निकलेंगे। मान्यवर, हमारी लोकप्रिय सरकार ने सड़क, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, औद्योगिक विकास, नगर विकास ग्राम्य विकास, पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, फल उद्यान, बागवानी, जड़ी–बूटी, चाय बागान, मत्स्य पालन में उल्लेखनीय प्रगति की है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा उन्होंने खटीमा डिग्री कॉलेज में एम०ए० की कक्षायें खोलने तथा एम०एस०सी० की कक्षाओं की स्वीकृति दी है। मान्यवर, खटीमा दुग्ध डेरी का विस्तारीकरण कर बीस हजार लीटर से 50 हजार लीटर क्षमता का कर दिया है। इसके लिए भी हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। मान्यवर, चकबन्दी अधिनियम में संशोधन कर, जो खटीमा तहसील में 10 वर्षों से बन्द पड़ी दाखिल–खारिज की प्रक्रिया लागू नहीं हो पायी थी, इससे कम से कम निर्विवाद दाखिल–खारिज की प्रक्रिया तो चालू हो जायेगी इससे वहाँ के गरीब किसान ऋण आदि की सुविधा ले सकेंगे।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने खटीमा किच्छा से रेलवे की लाइन की माँग की है जिसकी सर्वे भी अन्तिम चरण में है जिससे कि वहाँ के लोग सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ जायेंगे। मैं अपनी सरकार के सामने कुछ अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूँ, सरकार उस पर पूरा ध्यान देगी ऐसा मुझे विश्वास है, वह यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान एवं कल्याण हेतु अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् का गठन किया जाय। यह नितान्त आवश्यक है जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। दूसरा सरकारी सेवाओं में जो रोस्टर का क्रम है इसे 24 से कम किया जाय। वह इस समय 24वें नम्बर पर है उसे 10 पर किया जाय। यह तो वही कहावत होगी कि "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी"। न कभी 24 पद आयेंगे न उन्हें नौकरी मिल पायेगी। मान्यवर, खटीमा क्षेत्र में बहने वाली परवीन नदी, दोहा नदी, कामन नदी, लोहिया नदी तथा सनिया जगबूड़ा नदी से होने वाले कटाव को रोकना नितान्त आवश्यक है जिससे कि सैकड़ों एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है उसे रोका जाय।

मान्यवर, खटीमा सीमान्त क्षेत्र है, यह नेपाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यह माओवादियों का क्षेत्र है। मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि खटीमा को जिला बनाया जाये। ताकि उसकी देखरेख ठीक प्रकार से हो सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी विडम्बना सिंचाई की है। मेरे क्षेत्र में शारदा नहर, जिसका पूरा पानी उत्तर प्रदेश लेता है परन्तु उसकी सफाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नहीं करता है। इसके पानी का बंटवारा नहीं हुआ है। यह पानी पूरे खटीमा क्षेत्र में भर जाता है। इससे किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा जाये ताकि इसकी सफाई हो सके। मान्यवर, इसी प्रकार नानक सागर का पूरा पानी उत्तर प्रदेश लेता है परन्तु नानक सागर का रखरखाव तथा बांध में आने वाली कामन

नदी की सफाई नहीं की जा रही है। इसके पट भर चुके हैं। मान्यवर, 28 सितम्बर को जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण नानक सागर डाम जौरों पर टूटा जिससे कई गांव प्रभावित हुए।

मान्यवर, खटीमा में मुंसिफ कोर्ट के भवन के लिए सरकार ने 8 एकड़ भूमि की व्यवस्था कर दी है लेकिन भवन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। मेरा आग्रह है कि जो जमीन अधिग्रहित की गई है वहां कोर्ट का भवन बनाया जाये। तहसील का कार्यालय भी कोर्ट के प्रांगण में है। वहां पर तहसील भवन बनाया जाये। मान्यवर, एक प्रस्ताव विद्युत विभाग का है। खटीमा के हल्दी गांव में विद्युत व्यवस्था के लिए प्रस्तावित विद्युत उप केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। मेरा ऊर्जा विभाग से आग्रह है कि वहाँ पर अतिशीघ्र विद्युत विभाग का उप केन्द्र स्थापित किया जाये ताकि विद्युत व्यवस्था अच्छी हो सके। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं अन्त में कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो कार्य किसी मद से नहीं कराये जा सकते वे कार्य विधायक निधि से कराये जाते हैं। मेरा आग्रह है कि विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाये। जिससे क्षेत्र में और अधिक कार्य कराये जा सकें। मान्यवर, इसी तरह से मेरा एक आग्रह और है कि डीजल के दाम काफी बढ़ गये हैं जिस कारण मंत्रियों को तो नहीं लेकिन हम विधायकों का 5 हजार में कुछ नहीं हो पाता है। मेरा तो एक ही चक्कर में दो हजार का डीजल लग जाता है। विधायकों का डीजल भत्ता भी बढ़ाया जाये। धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकल्पधारी कार्मिकों/फार्मासिस्टों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को उत्तरांचल के लिये स्वतः कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों के लिये ली गयी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

पिथौरागढ़ के आश्रम पद्धति विद्यालय बलुवाकोट के निर्माणाधीन भवन के सामग्री की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में श्री गगन सिंह, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उद्यान मंत्री का वक्तव्य

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

[राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालक), बलुवाकोट (पिथौरागढ़) की स्थापना वर्ष 1976–77 में हुई। विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक संचालित है। वर्तमान में 104 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भारत सरकार द्वारा विद्यालय के भवनों का निर्माण रु० 230.00 लाख की लागत से उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० द्वारा कराया जा रहा है। अब तक रु० 169.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति विद्यालय निर्माण हेतु निर्गत की जा चुकी है।

जहां तक भवन निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री के घटिया क्वालिटी की होने की जानकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को समय–समय पर अवगत कराये जाने की बात है, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मा० मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन शासन को माह दिसम्बर, 2004 में प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में मामले की जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2005 द्वारा जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को लिखा गया है।

जानकारी करने पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने अपने फैक्स, संदर्भ संख्या 152/33–शि०–आ०प०वि० बलुवाकोट/04–05, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा बताया है कि इस मामले की शिकायत स्थानीय स्तर पर प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी, धारचूला के माध्यम से माह नवम्बर, 2004 में लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता के साथ संयुक्त जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या से विदित होता है कि भवन निर्माण में कतिपय कमियां पाई गयी। उक्त इंगित कमियों का निराकरण कर उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० की यूनिट पिथौरागढ़ द्वारा माह दिसम्बर, 2004 में आख्या जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को दी गई है।

संयुक्त निरीक्षण आख्या के क्रम में कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र कमियों का निराकरण कर उचित पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य सावधानीपूर्वक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि भवन निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत की पुनरावृत्ति न होने पाये। चूंकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में निर्माण कार्य में कमियां हुई हैं, अतः मामले का संज्ञान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को इस राज्य शासन द्वारा कराए जाने पर उनके द्वारा कार्य पर तैनात सहायक अभियन्ता श्री मोहन सिंह रावत एवं अवर अभियन्ता श्री चरण सिंह आर्य को उक्त कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरते जाने हेतु विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 13 जनवरी, 2005 को दे दी गई है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत, द्वाराहाट, साल्ट, ताकुला, भिकियासैंण विकास खण्डों में जंगली सुअर के आतंक से फसल को नुकसान पहुँचाने व घायल करने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधानसभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

श्री नव प्रभात–

[अल्मोड़ा जनपद में मुख्य रूप से द्वाराहाट, रानीखेत, साल्ट, ताकुला, भिकियासैंण विकास खण्डों में जंगली सुअरों द्वारा फसल को नुकसान पहुँचाने की घटनायें प्रकाश में आई हैं। प्रायः किसानों द्वारा फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजे की मांग की जाती रही है, उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–238/14–4–96 दिनांक 06–12–96 में हिंसक वन्य पशुओं द्वारा ग्रामवासियों को जान एवं माल की क्षति पहुँचाये जाने पर शासन द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है। शासनादेश में केवल जंगली शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल द्वारा जान की क्षति तथा हाथियों द्वारा माल को क्षति पहुँचाये जाने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

उत्तरांचल राज्य में अन्य जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाये जाने के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

जहाँ तक जंगली सुअरों द्वारा जान माल की क्षति पहुँचाये जाने पर उन्हें मारने की अनुमति प्रदान किए जाने का प्रश्न है, यह शक्ति वर्तमान में लागू नियमों/अधिनियमों के तहत राज्य सरकार के पास निहित नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः जंगली सुअरों द्वारा जान माल की क्षति पहुँचाये जाने के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 47 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून

दिनांकः 17 जनवरी, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूची 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

अनुलग्नक

क्र0सं0	प्रयोजन	धनराशि (रुपये में)
1.	लोकसभा निर्वाचन में प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों का ड्यूटी भत्ता आदि का व्यय	36,00,000
2.	भूमि सुधार परिषद् अधिष्ठान व्यय	7,00,000
3.	राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद् का अधिष्ठान व्यय	7,00,000
4.	मा0 उच्च न्यायालय के 3 नये न्यायमूर्तियों हेतु वाहन का क्रय	16,00,000
5.	मा0 उच्च न्यायालय हेतु एक वाहन का क्रय	4,50,000
6.	मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष हेतु	60,00,000
7.	मा0 मुख्य न्यायाधीश हेतु स्टाफ कार का क्रय	10,00,000
8.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान	10,00,000
9.	उत्तरांचल लाइव स्टाक डेवलेपमेन्ट बोर्ड के संचालन हेतु वित्तीय सहायता	2,00,000
10.	द्वाराहाट, अल्मोड़ा में उप निर्वाचन का व्यय	43,00,000
11.	मुम्बई में उत्तरांचल भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना	30,00,000
12.	मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष हेतु	5,00,00,000
13.	लघु एवं सीमान्त कृषक सदस्यों हेतु वैयक्तिक दुर्घटना योजना के प्रीमियम का भुगतान	47,60,000
14.	पीपुल्स ऐसोसियेशन फार हिल एरिया लांचर्स पिथौरागढ़ नामक संस्था को अनुदान	9,15,000
	योग –	7,81,15,000

सूची 'ख'

(देखिए तारांकित प्र०सं०–1 (प्राथमिकता प्राप्त) का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

संलग्नक

प्रथम निर्वाचित सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर पेट्रोल/जलपान/यात्रा मद में खर्च की गयी धनराशि का विवरण—

क्रम संख्या	मा० मंत्रिगणों का नाम	पेट्रोल मद में व्यय हुई धनराशि (दिनांक 31.12.2004 तक)	जलपान आवभगत पर व्यय हुई धनराशि (दिनांक 31.10.2004 तक)	यात्रा मद में व्यय हुई धनराशि (दिनांक 16.12.2004 तक)
1.	श्री नारायण दत्त तिवारी, मा० मुख्य मंत्री जी	3,03,342–00	28,30,984–00	4,65,257–00
2.	डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश	5,58,258–00	1,57,386–00	8,64,830–00
3.	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	4,82,806–00	1,28,795–00	9,41,823–00
4.	श्री हीरा सिंह बिष्ट	4,15,456–00	1,91,077–00	3,24,352–00
5.	श्री तिलक राज बेहड़	4,52,883–00	1,55,362–00	8,81,406–00
6.	ले०जन० (सेवानि०) श्री टी०पी०एस० रावत	4,50,478–00	1,38,627–00	5,93,121–00
7.	श्री महेन्द्र सिंह माहरा	3,80,756–00	2,44,457–00	5,98,821–00
8.	श्री प्रीतम सिंह	4,23,790–00	2,79,437–00	9,84,434–00
9.	श्री नवप्रभात	4,42,398–00	1,67,158–00	8,14,322–00
10.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	4,99,605–00	1,55,794–00	10,45,735–00
11.	श्री साधू राम	5,34,835–00	2,82,323–00	11,84,395–00
12.	श्रीमती अमृता रावत	4,28,136–00	1,47,483–00	96,340–00
13.	श्री हरक सिंह रावत (पूर्व मंत्री)	1,86,835–00	55,184–00	5,03,900–00
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (पूर्व मंत्री)	4,49,962–00	1,47,097–00	7,91,008–00
15.	श्री शूरवीर सिंह सजवाण (पूर्व मंत्री)	3,40,831–00	1,44,789–00	7,09,331–00
16.	श्री राम प्रसाद टम्टा (पूर्व मंत्री)	4,19,872–00	1,77,838–00	12,89,456–00
17.	श्री मंत्री प्रसाद नैथानी (पूर्व मंत्री)	3,92,898–00	1,79,013–00	6,35,080–00
18.	श्री किशोर उपाध्याय (पूर्व मंत्री)	3,40,883–00	1,43,238–00	4,83,327–00
	योग	74,99,034–00	56,74,840–00	1,28,29,982–00

संलग्नक–1

सूची 'घ'
(देखिए तारांकित प्र0सं0–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुबन्धित की गयी परियोजनाओं की सूची

0–25 मे0वा0 तक की परियोजनायें

क्रमांक	परियोजना का नाम	नदी/जनपद	पुनरीक्षित क्षमता (मे0वा0)
1	2	3	4
1.	भ्यूंडार गंगा	भ्यूंडारगंगा (अलकनन्दा)/चमोली	15
2.	पुलना	भ्यूंडारगंगा (अलकनन्दा)/चमोली	13
3.	बैजनाथ	रिवर (अलकनन्दा)/चमोली	15
4.	पतकिरी	नन्दाकिनी (पीण्डरगंगा)/पिथौरागढ़	9
5.	भिलंगना	भिलंगना (भागीरथी)/टिहरी	22.5
6.	गंगानी	यमुना/उत्तरकाशी	8
7.	फलिन–3	उत्तरकाशी	15
8	देवाली	चमोली	9
9.	बगडा	चमोली	10
10.	भिलंगना–तृतीय	टिहरी	8.4
11.	हनुमान गंगा	हनुमानगंगा यमुना/उत्तरकाशी	4.95
12.	बाला कोटी	बालगंगा (भागीरथी)/टिहरी	3
13.	जखन्याली	बालगंगा (भिलंगना)/टिहरी	3
14.	कोट बूढ़ा केदार	बालगंगा (भिलंगना)/टिहरी	3
15.	बड़कोट	बनाल (यमुना)/उत्तरकाशी	4.9
16.	रयाल	अगलाड़ नदी (यमुना)/टिहरी	3
17.	ककोड़ागाड	ककोड़ागाड (भागीरथी)/उत्तरकाशी	5
18.	स्यानागाड	स्यानागाड (भागीरथी)/उत्तरकाशी	4.8
19.	बिरही गंगा	बिरहीगंगा (अलकनन्दा) चमोली	4.8
20	थत्यूड़	अगलाड़ नदी (यमुना)/टिहरी	3

क्रमांक	परियोजना का नाम	नदी/जनपद	पुनरीक्षित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
21.	देवाल	कैलगंगा (पिंडर)/चमोली	5
22.	कैलगंगा	कैलगंगा (पिंडर)/चमोली	3
23.	बिरही गंगा	बिरहीगंगा (अलकनन्दा)/चमोली	3
24.	लोहार खेत	सरयू/बागेश्वर	3
25.	सरयू स्टेज-1	सरयू/बागेश्वर	3
26.	सरयू स्टेज-2	सरयू/बागेश्वर	3
27.	सरयू स्टेज-3	सरयू/बागेश्वर	2
28.	टांगा	पिथौरागढ़	3
29.	बेलचिया	पिथौरागढ़	3
30.	असिन-3	उत्तरकाशी	3
31.	असिन-4	उत्तरकाशी	3

संलग्नक—2

उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुबन्धित की गयी परियोजनाओं की सूची

25—100 मे0वा0 तक की परियोजनायें

क्रमांक	विकासकर्ता	परियोजना का नाम	नदी/जनपद	प्रस्तावित क्षमता (मे0वा0)
1	2	3	4	5
1.	मै0 सनफ्लेग स्टील इंडस्ट्रीज लि.	हनौल—त्यूनी	देहरादून	56

संलग्नक–3

उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुबन्धित की गयी परियोजनाओं की सूची 100 मे०वा० से अधिक की परियोजनायें

क्रमांक	कम्पनी का नाम व पता	कम्पनी को आवंटित की गयी परियोजना	लोकेशन (जनपद)	मे० वा०
1	2	3	4	5
1.	मै० नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि० इन्जीनियरिंग, ऑफिस काम्पलेक्स, सैक्टर 24, नोएडा	1. लोहारीनाग पाला	उत्तरकाशी	600 मे० वा०
		2. तपोवन विष्णुगाड़	चमोली	520 मे० वा०
		3. लाता तपोवन	चमोली	300 मे० वा०
2.	मै० नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लि० एन०एच०पी०सी० ऑफिस काम्पलेक्स, सैक्टर 33, फरीदाबाद–1211003 (हरियाणा)	1. कोटली भेल	पौड़ी एवं टिहरी	600 मे० वा०
		2. लखवाड़ व्यासी	देहरादून	420 मे० वा०
3.	मै० टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, गंगा भवन, ग्राम भाग रोड, प्रगति पुरम, ऋषिकेश–249201	विष्णुगाड़ पीपलकोटी	चमोली	340 मे० वा०
4.	मै० अलकनन्दा हाइड्रो पॉवर कम्पनी लि० एफ–5, चन्द्रलोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून रजिस्टर्ड ऑफिस–3–आदि, चतुर्थ तल, राम कृष्ण राम रोड, कालेज बेजार मुम्बई–400000	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	पौड़ी गढ़वाल	330 मे० वा०
5.	मै० जय प्रकाश पॉवर वैन्चर्स लि०, हैडक्वार्टर बसन्त विहार, नई दिल्ली–110057 रजिस्टर्ड ऑफिस–113–राजपुर रोड, देहरादून–248001	विष्णु प्रयाग	चमोली	400 मे० वा०

नत्थी 'घ'

(देखिये कता० प्र० सं०–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री मदन कौशिक, मा० सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या: 07 हेतु सूची

क्र०सं०	कार्य का विवरण
01.	33 के०वी० लिलो लाइन ज्वालापुर– लालजीवाला लाईन।
02.	33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान, बैरागी कैम्प का निर्माण।
03.	33/11 के०वी० भूपतवाला उपकेन्द्र पर हैवलर्स मायापुर हेतु बे का निर्माण।
04.	33 के०वी० भूपतवाला से बैरागी कैम्प उपकेन्द्र की लाईन।
05.	132 के०वी० उपसंस्थान, भूपतवाला का निर्माण।
06.	132 के०वी० लिलो लाईन का निर्माण।
07.	क्षमता वृद्धि 33/11 के०वी० उपसंस्थान, भूपतवाला 2 नग 3 से 5 एमवीए में परिवर्तन।
08.	क्षमता वृद्धि 33/11 के०वी० उपसंस्थान औ० क्षेत्र हरिद्वार एक नग 3 एमवीए के स्थान पर 5 एमवीए लगाना।
09.	क्षमता वृद्धि 33/11 के०वी० उपसंस्थान, मायापुर में 5 एमवीए का एक अतिरिक्त प्रवर्तक लगाना।
10.	हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेला–04 हेतु विद्युत कार्य– 1– नये सब स्टेशन बनाना। 2– एल०टी० सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि। 3– 11 के०वी० लाईन का निर्माण। 4– एल०टी० लाईन का निर्माण। 5– लाईनों का सुदृढ़ीकरण। 6– विविध कार्य। 7– ऊर्जा व्यय।
11.	सड़क चौड़ीकरण में विद्युत खम्भे हटाना।
12.	मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला में विद्युत कार्य– 1– एल०टी० प्रवर्तक लगाना/क्षमता वृद्धि। 2– 11 के०वी० लाईन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण। 3– एल०टी० लाईन का निर्माण। 4– विविध कार्य।
13.	ऋषिकेश में विद्युत कार्य– 1– एल०टी० प्रवर्तक लगाना/क्षमता वृद्धि। 2– 11 के०वी० लाईन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण। 3– एल०टी० लाईन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण। 4– विविध कार्य।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42–43 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्याः 15 का उत्तर हेतु जनपदवार सूची बदले जाने वाले पोलों की संख्या जनपदवार

क्रमांक	जनपद का नाम	पोलों की संख्या	जनपदवार बदले गये पोलों की संख्या	जनपदवार अवशेष पोलों की संख्या बदले जाने हेतु
01	अल्मोड़ा	6000	–	6000
02	बागेश्वर	1980	180	1794
03	चम्पावत	1500	220	1280
04	पिथौरागढ़	4000	30	3970
05	नैनीताल	4511	625	3886
06	ऊधमसिंह नगर	160	–	160
07	देहरादून	968	295	683
08	उत्तरकाशी	250	–	250
09	हरिद्वार	468	–	468
10	पौड़ी (ग०)	1500	824	676
11	टिहरी (ग०)	3000	500	2500
12	चमोली	1500	–	1500
13	रुद्रप्रयाग	500	400	100
	योग	26337	3070	23267

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं०–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48–49 पर)

उत्तरांचल शासन

नियोजन विभाग

संख्या: 41/135–नि०अ०/2003

दिनांक : फरवरी 09, 2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय: सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, कार्य क्षेत्र, कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रणाली तथा क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए विशेष व्यवस्था।

वर्ष 1947 से 1960 के मध्य विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त भी यह पाया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की ऐसी 3 सीमान्त राजस्व इकाईयां (तहसीलें) थी जिनमें मूलभूत अवस्थापनापरक सुविधाओं का अभाव बना रहा और उनकी विकास की गति अन्य क्षेत्रों से अपेक्षा अत्यन्त कम रही। सीमान्त क्षेत्र में स्थित ऐसे क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए फरवरी 24, 1960 को सीमान्त में स्थित ऐसी तहसीलों को उच्चीकृत करके क्रमशः चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जनपद के रूप में स्थापित किया गया। इनकी विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को रेखांकित करने के लिए उत्तराखण्ड मंडल की स्थापना की गयी और मार्च 1960 में इसे योजना विभाग के अन्तर्गत रखा गया। राज्य मुख्यालय तथा इन नव सृजित जनपदों के बीच में ऐसी कार्य पद्धति को विकसित किया गया जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं का चिन्हीकरण, उनकी स्वीकृति, पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन की गति तेज हो सके। मंत्रि परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दी जिससे इन चिन्हित जनपदों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने व क्रियान्वयन में विलम्ब न हो। इसी प्रकार मुख्य सचिव को भी शासन के किसी विभाग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया और मुख्य सचिव को ही नये उत्तराखण्ड मंडल का आयुक्त भी घोषित किया गया, जिससे नव सृजित जनपद के जिला मजिस्ट्रेटों और शासन के बीच अन्तर कम से कम हो सके।

2. पूर्व में सृजित सीमान्त जनपदों के विकास की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि इन सीमान्त क्षेत्रों का अभी तक अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हुआ है और अनेक क्षेत्रों में आज भी अवस्थापना तथा अन्य विकासपरक कार्यक्रमों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अन्तर है। राज्य सरकार इन सीमान्त क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए आज भी उतनी ही संकल्पबद्ध है जितने कि वह 1960 में थी। सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् विशेष व्यवस्था की जाती है:

2.1 पूर्व सृजित सीमान्त जनपदों अर्थात चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में स्थित सभी विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है जो इन क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए हर सम्भव उपाय करेगी।

2.2 उपरोक्त प्राधिकरण की अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में सीमान्त क्षेत्रों के माननीय विधायक सदस्य रहेंगे तथा मुख्य सचिव उपरोक्त प्राधिकरण के सदस्य सचिव रहेंगे।

2.3 जिन सीमान्त विकास खण्डों को योजना आयोग की सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि दी जा रही है उससे सम्बन्धित योजनाओं को चिन्हन तथा स्वीकृति भी इस नव गठित प्राधिकरण के द्वारा दी जायेगी और उनका अनुश्रवण भी इस प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा।

2.4 जो विकास खण्ड वर्तमान में योजना आयोग की उपरोक्त सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उसी दर से वार्षिक आर्थिक सहायता दी जायेगी जिस दर से योजना आयोग के द्वारा ऊपरवर्णित योजना से अन्य सीमान्त क्षेत्र के विकास खण्डों को दी जा रही है।

2.5 उपरोक्त प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रों में पड़ने वाले विकास खण्डों के लिए जो जिला योजना और राज्य सैक्टर के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त होती है उसका पर्यवेक्षण भी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और कालान्तर में उनके क्रियान्वयन और परीक्षण का कार्य भी प्राधिकरण के द्वारा ही किया जायेगा।

2.6 उपरोक्त प्राधिकरण को नियोजन विभाग के द्वारा संचालित किया जायेगा और नियोजन विभाग ही प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग होगा।

2.7 उपरोक्त वर्णित आर्थिक संसाधनों के अतिरिक्त प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी विशेष कार्यों के लिए समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3. सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों को कम से कम समय में क्रियान्वित किया जा सके और राजकीय सहायता का प्रवाह तेज हो सके इस सम्बन्ध में अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों को भी यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा जिससे प्राधिकरण की स्थापना की उपयोगिता सफल हो सके और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुसंगत आदेश भी निर्गत किये जायेंगे।

4. प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र निम्नवत् रहेगा:

4.1 सीमान्त विकास खण्डों, में सामाजिक, आर्थिक विकास की बेस लाईन सर्वेक्षण करना,

4.2 अवस्थापना सुविधा में गैप्स (gaps) चिन्हित करना,

4.3 सीमान्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनायें तैयार करना,

4.4 चलाई जा रही परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा

4.5 शासन को इन क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाने हेतु सलाह देना।

5. सीमान्त क्षेत्र विकास योजना क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग के मार्गनिर्देश सिद्धान्तों के अनुसार वर्तमान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित है जिसमें विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवों तथा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सलाहकार, योजना आयोग (एम०एल०पी०), भारत सरकार, सब एरिया कमाण्डर आई०टी०बी०पी०, एस०एस०बी० तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। उन्हें पूर्ववत् प्राधिकरण की स्क्रीनिंग कमेटी में स्थान दिया जायेगा।

6. प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में पूर्ववर्ती जनपद चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के जो विकास खण्ड अब सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं उनकी सूची अनुलग्नक-1 में दी गयी है। नियोजन विभाग को सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जो अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, उससे सम्बन्धित आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे हैं।

(आर०एस० टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या : 41/136-नि०अ०/03/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा० मुख्य मंत्री, उत्तरांचल
2. मा० उपाध्यक्ष, योजना आयोग,
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन
5. सचिव नियोजन
6. मंडलायुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

(आर०एस० टोलिया)
मुख्य सचिव।

अनुलग्नक : 1

सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले जिले तथा जिलों के विकास खण्ड

क्रमांक	जनपद	विकास खण्ड
1.	उत्तरकाशी	1. भटवाड़ी 2. डुण्डा 3. चिन्यालीसौड़ 4. नौगांव 5. पुरोला 6. मोरी
2.	रुद्रप्रयाग	1. अगस्त्यमुनि 2. ऊखीमठ
3.	चमोली	1. जोशीमठ 2. घाट 3. नारायण बगड़ 4. कर्णप्रयाग 5. गैर सैण 6. देवाल 7. पोखरी 8. दशोली 9. थराली
4.	पिथौरागढ़	1. विण 2. मूनाकोट 3. कनालीछिना 4. गंगोलीहाट 5. बेरीनाग 6. डीडीहाट 7. धारचूला 8. मुनस्यारी
5.	चम्पावत	1. पाटी 2. बाराकोट 3. लोहाघाट 4. चम्पावत

1. कुल जनपद : 06

2. कुल विकास खण्ड : 29

सूची 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं०-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51-52 पर)

उत्तरांचल में उत्पादनरत जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	वर्तमान में स्थापित योजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	छिबरो	240.00
2	खोदरी	120.00
3	ढकरानी	33.75
4	ढालीपुर	51.00
5	कुल्हाल	30.00
6	रामगंगा	198.00
7	खटीमा	41.4
8	तिलोथ	90.00
9	चिल्ला	144.00
10	पथरी	20.40
11	मोहम्मदपुर	9.30
12	ग्लोगी	3.00
13	उरगम	3.00
14	धराली	0.40
15	हर्षिल	0.20
16	पिलनगाड	2.25
17	तिलवाड़ा	0.20
18	सोनप्रयाग	0.50
19	पातचूला	0.20
20	सुरिंगाड	0.80
21	कन्चौटी	2.00
22	कुलागाड	1.20
23	बरार	0.75
24	चिरकिला	1.50
25	कलसदेव	0.40
26	तालेश्वर	0.60
27	पंचाल	0.30
28	रैलागाड	3.00
29	गौरी	0.20
30	रामेश्वर	0.30
31	कोटाबाग	0.20
	कुल योग	998.95

क्रम संख्या–408 (क–6)

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं०–43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग–11

संख्या 18/XX (2)/शसुका–04/2003
देहरादून, 04 जनवरी, 2007

अधिसूचना
आदेश

सा०प०नि०–23

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) की धारा 28 की उप धारा (5) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उपर्युक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय में सम्बद्ध या सहयुक्त घटक महाविद्यालयों में शिक्षायें उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित पूर्व प्रसारित सभी नियमावलियों एवं आदेशों को निरस्त करते हैं और यह आदेश देते हैं कि ऐसा प्रवेश एतद्पश्चात् निम्नलिखित आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के आदेश, 1987

अध्याय–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ होना

1–(1) यह आदेश " राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के आदेश, 1987 कहे जायेंगे।

(2) यह शिक्षा सत्र 1987–88 से प्रभावी होंगे।

परिभाषायें

2–इन आदेशों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से है.

(ख) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे महाविद्यालय से है जो अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यथाविधि सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक हो।

(ग) "शिक्षण पाठ्यक्रम" का तात्पर्य ऐसे शिक्षण पाठ्यक्रम से है जिसकी व्यवस्था किसी महाविद्यालय में छात्रों को बी०एड० या यथास्थिति एम०एड० उपाधि की परीक्षाओं में, जो उस महाविद्यालय को सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जायें, सम्मिलित किये जाने के प्रयोजन से की गई हो.

(घ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उस विश्वविद्यालय से है जिससे वह महाविद्यालय सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक हो जहां शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रार्थित या प्रदत्त हो।

अध्याय–2

बी०एड० कक्षाओं में प्रवेश

प्रवेश के लिये अर्हता एवं श्रेष्ठता सूची बनाने का उत्तरदायित्व

3–(1) बी०एड० कक्षाओं में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होगी।

(2) सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक महाविद्यालयों में बी०एड० में प्रवेश हेतु छात्रों की श्रेष्ठता सूची बनाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय का होगा। प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर ही किये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी पैरा–12 के उप पैरा–5क अन्तर्गत अन्य प्रकार से अनर्ह न पाया जाय।

बी०एड० कक्षाओं में प्रवेश हेतु छात्र संख्या का निर्धारण

4–(1) किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिये छात्रों की अधिकतम संख्या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विहित की जायेगी और किसी व्यक्ति को किसी दशा में ऐसी संख्या के अतिरिक्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा। छात्रों की अधिकतम संख्या विहित करते समय कुलपति सम्बन्धित महाविद्यालय में बी०एड० प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध शिक्षकों की संख्या पर ध्यान देंगे ताकि शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 15 बना रहे।

(2) (क) निम्नांकित शर्तों के अधीन बी०एड० प्रशिक्षण हेतु विज्ञान स्नातकों की सीटें कुलपति द्वारा बी०एड० विभाग में उपलब्ध विज्ञान अध्यापकों की संख्या के आधार पर विहित की जायेगी जिससे कि छात्र शिक्षक अनुपात 1 : 15 बना रहे।

कॉलेज में विज्ञान स्तर के बी०एस०सी० कक्षायें संचालित हों।

अथवा

बी०एड० विभाग में हाई स्कूल स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध हो।

अथवा

ऐसे महाविद्यालय के पास प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध संस्था में हाई स्कूल स्तर की विज्ञान कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हो।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित कॉलेजों के अतिरिक्त बी०एड० प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त अन्य किसी महाविद्यालय द्वारा विज्ञान स्नातकों की भर्ती बी०एड० प्रशिक्षण हेतु नहीं की जायेगी भले ही उक्त कॉलेज में बी०एड० विभाग के स्टॉफ में विज्ञान शिक्षक उपलब्ध हों।

(ग) प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि मेरिट सूची के अनुसार अर्ह प्रदेश के बाहर के छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो सामान्य श्रेष्ठता सूची के आधार पर रिक्तियां भरी जायेंगी।

स्थानों का आरक्षण

5—प्रत्येक महाविद्यालय में बी०एड० कक्षाओं में प्रवेश के लिये स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और विकलांगों के पक्ष में उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की सीमा तक किया जायेगा :

परन्तु जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थी एवं विकलांग अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पर्याप्त संख्या में अर्ह उपलब्ध न हों, वहां ऐसे स्थान जो उनके लिये आरक्षित हों और भरे न गए हों, सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।

टिप्पणी— विकलांग अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो।

प्रवेश के लिये आवेदन

6—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी बी०एड० कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जो विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कार्यालय से 10 रु० प्रति प्रपत्र देकर प्राप्त किया जा सकता है, इसके आगे उपबन्धित रीति से करेगा। प्रवेश के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि सामान्यतया 31 मई अथवा जून मास में ऐसी तिथि होगी जो विश्वविद्यालय विहित करे।

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

प्रवेश परीक्षा का आयोजन

7—बी०एड० कक्षा के शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय निजी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। परन्तु यह परीक्षा समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा एक ही तिथि में आयोजित की जायेगी। तिथि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

परीक्षा शुल्क

8—प्रवेश परीक्षा शुल्क 50 रु० (पचास रुपये) मात्र होगा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।

9–(1) प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होंगे :– परीक्षा पाठ्यक्रम एवम् अर्हता अंक

विषय	अंक	समय
(क) भाषा एवम् सामान्य ज्ञान - -	200	3 घंटा
(ख) एप्टीट्यूट टेस्ट–जिसमें कला, विज्ञान	200	3 घंटा

एवम् वाणिज्य के छात्रों हेतु पृथक–पृथक प्रश्न–पत्र होंगे।

(2) प्रवेश हेतु अर्हता के लिये प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10–प्रवेश परीक्षा हेतु केन्द्रों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थाओं को बनाया जायगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था हेतु अच्छी ख्याति रही हो। परीक्षा केन्द्र

11–निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर जैसा कि विश्वविद्यालय निर्दिष्ट करें, प्रत्येक के सम्मुख अंकित अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे किन्तु उनका कुल योग 25 अंक से अधिक न होगा। आवंटित अतिरिक्त अंक

(क) राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय या इन्टर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को–

(1) इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा

प्रथम स्थान पाने पर - - -	15 अंक
द्वितीय स्थान पाने पर - - -	10 अंक
तृतीय स्थान पाने पर - - -	5 अंक

(2) टीम आइटम्स में

सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर -	15 अंक
सर्व उपविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर -	10 अंक
प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर - -	5 अंक

(3) किसी विश्वविद्यालय संचालित अन्तर महाविद्यालयीय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में–

सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर -	10 अंक
इन्डीविजुअल आइटम में प्रथम स्थान पाने पर -	10 अंक

नोट–(1) उपर्युक्त मद संख्या (1), (2) एवम् (3) के अन्तर्गत आइटम्स में से केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम्स में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर में "सी" प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को — 15 अंक

या

नेशनल कैडेट कोर में "बी" प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को — 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवम् दो या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को — 15 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवम् एक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को — 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को — 5 अंक

या

स्काउट एवम् गाइडेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को — 15 अंक

या

स्काउट एवम् गाइडेंस का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को — 10 अंक

या

स्काउट एवम् गाइडेंस का ध्रुवपद या गुरूपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को आवंटित किये जावेंगे। — 5 अंक

नोट–उपरोक्त वर्णित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहिता पुत्री — 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या सेवोन्मोचित या शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो — 15 अंक

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी०ए०सी० या बी०एस०एफ० या एस०एस०बी० या आई०टी०बी० या सी०आर०पी० या होमगार्ड (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र) में सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हो, जो कार्यरत या सेवानिवृत्त अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो– — 15 अंक

(च) ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता (ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण–पत्र दाखिल करना होगा– — 15 अंक

(छ) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों एवम् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति — 15 अंक

नोट–(1) उपर्युक्त (1) (ड) के लिये प्रमाण–पत्र केवल क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/जिविनि/बेसिक शिक्षा अधिकारी/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का ही मान्य होगा।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त "क" से "ड" तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

श्रेष्ठता सूची का तैयार किया जाना

12–(1) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा विगत पैरा–11 के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवम् अनारक्षित स्थानों के लिये पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा तथा पैरा–11 में अनुमन्य अतिरिक्त अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रों के अंक समान होते हैं तो उसी विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध/सहयुक्त घटक महाविद्यालय के छात्र को वरीयता दी जायेगी।

यदि उपर्युक्त व्यवस्था के उपरान्त भी अंक समान आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(3) वरिष्ठता सूची में से यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई हो अथवा किसी के विरुद्ध आपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालयीय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निष्कासित किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी को सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा, जिसके लिये उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

वांछित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विकल्प

13–(1) आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्येक अभ्यर्थी वरीयता क्रम में पांच महाविद्यालय के नाम इंगित कर देगा। यदि मेरिट सूची के अनुसार उसके द्वारा इंगित महाविद्यालय में छात्र का प्रवेश सम्भव न हो तो विश्वविद्यालय उसे किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश की सुविधा देने के लिये स्वतंत्र होगा।

(2) पैरा–12 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी जिसमें छात्र के द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा पैरा–11 के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक मद विवरण सहित दिया जाना आवश्यक होगा। श्रेष्ठता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय प्रत्येक महाविद्यालय के लिये प्रवेश सूची तैयार कर महाविद्यालय को संसूचित करेगा। विश्वविद्यालय इस तरह से तैयार सूची के आधार पर ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका नाम सूची में सम्मिलित हो, को पंजीकृत डाक से सूचित करेगा।

(3) योग्यता सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा सर्वाधिक प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत डाक से सूचना भेजने की तिथि से 21 दिन के भीतर छात्र को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिये। इस अवधि के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका हक नहीं रहेगा।

प्रवेश

14–(क) प्रवेश के पूर्व सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य छात्रों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे।

(ख) प्राविजनल प्रमाण–पत्र विशेष कर पैरा–11 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण–पत्रों के लिये मान्य नहीं होंगे।

(ग) किसी भी छात्र को अन्तिम रूप से प्रवेश से वंचित करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में सूची तैयार करने के साथ एक प्रतीक्षा सूची तैयार करना आवश्यक होगा। यदि कक्षायें प्रारम्भ होने के एक मास के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से की जायेगी रिक्त सीटों पर प्रवेशार्थियों एवम् महाविद्यालयों को सूचना भेजने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(ङ) चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये एवम् प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, आंख या किसी अन्य बीमारी के होने के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है।

अध्याय–3

एम०एड० कक्षाओं में प्रवेश

प्रारम्भिक प्रवेश शैक्षिक योग्यता

15–इस अध्याय के उपबन्ध किसी महाविद्यालय में केवल एम०एड० कक्षाओं में शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये लागू होंगे।

16–कोई भी व्यक्ति किसी महाविद्यालय में इस शिक्षण पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश न पायेगा जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित बी०एड० उपाधि हेतु अथवा मान्यता प्राप्त बी०टी० अथवा एल०टी० डिप्लोमा हेतु परीक्षा न उत्तीर्ण कर ली हो।

17–एम०एड० में प्रवेश हेतु केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जायेगा जो प्रदेश के महाविद्यालयों में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार बी०एड० (शिक्षा शास्त्र) या बी०एड० विभाग में लेक्चरर नियुक्त होने हेतु एम०एड० को छोड़कर, अन्य अर्हतायें पूरी करते हों।

योग्यता क्रमानुसार प्रवेश

18–अभ्यर्थी के बी०एड० अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत जिसकी गणना में थ्योरी के पूरे प्राप्तांक तथा प्रैक्टिकल के 50 प्रतिशत प्राप्तांक ही सम्मिलित किये जायेंगे, के आधार पर केवल योग्यता क्रमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

उदाहरण–यदि किसी अभ्यर्थी ने थ्योरी में 500 में से 240 अंक प्राप्त किये हैं और प्रैक्टिकल में 200 में से 140 अंक प्राप्त किये हैं तो गणना हेतु उसके 240+(140/2 या 70 = 310) कुल प्राप्त माने जायेंगे और उसका प्रतिशत 44.26 $\frac{(310 \times 100)}{700}$ होगा।

19–अध्याय–2 के पैरा 4, 5, 6, 11, 12, 13 तथा 14 के उपबन्धों इस अध्याय–2 के नियमों अध्याय के अधीन प्रवेश पर भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। की प्रवृत्ति

आज्ञा से,

जगदीश चन्द्र पन्त,
प्रमुख सचिव एवं सचिव,
शिक्षा विभाग।

संख्या–617/XXIV(1)/2004

प्रेषक,

एम० रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 29 दिसम्बर, 2004

विषय :– बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली स्ववित्त पोषित संस्थाओं में प्रबन्धकीय कोटे की सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2004–2005 में कुल प्रवेश क्षमता का 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा निर्धारित करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार संस्था द्वारा इस तरह की संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित कराये जाने वाली सामूहिक प्रवेश परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जा रही

प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मैरिट सूची से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश शासनादेश संख्या–662/XXIV(1)/2004 दिनांक 02 अगस्त, 2004 द्वारा दिये गये हैं। विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में लगभग 14,000 तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल में लगभग 10,000 अभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जबकि बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में क्रमशः 640 एवं 470 की प्रवेश क्षमता स्वीकृत है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या से यह स्पष्ट है कि निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं को अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है साथ ही अब प्रवेश परीक्षा अलग से कराकर प्रवेश देने हेतु पर्याप्त समय भी उपलब्ध नहीं है, न ही मा0 न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार कोई प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव समय से प्राप्त हुआ है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्धकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। इन निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी गयी प्रवेश परीक्षा से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, परन्तु प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग सम्बन्धित संस्था द्वारा ही की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा इस आशय का विज्ञापन दिया जायेगा कि जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा दी है तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित "कटआफ" से अधिक अंक प्राप्त किये गये हों, वे संस्था में प्रवेश के इच्छुक होने पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण संस्था द्वारा एक रजिस्टर तैयार करके उसमें अंकित किया जायेगा तथा प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी गयी, प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही किये जायेंगे। काउन्सिलिंग के समय शासन का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा तथा समस्त प्रवेश प्रक्रिया का अनुमोदन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 14–8–2003 को पारित आदेशों का भी अध्ययन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–617/XXIV(1)/2004/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी–नैनीताल।
2. निदेशक, आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हल्द्वानी।
3. निदेशक, सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रुद्रपुर।
4. अध्यक्ष, मानव विकास चैरिटेबल मंच, रुड़की–हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव।

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0सं0–48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59–60 पर)

अतारांकित प्रश्न सं0 : 48 का संलग्नक

त्वरित सिंचाई लाभ योजना अन्तर्गत वर्ष 2002–03 एवम् 2003–04 में निर्मित कार्यों की सूची

जनपद : पौड़ी गढ़वाल।

[illegible]	क्रमांक	योजना का नाम/स्थानीय नाम	विकास खण्ड	व्यय 2002–03	व्यय 2003–04	कुल अधिक व्यय (लाख में)	कार्यों की भौतिक प्रगति 2002–03			कार्यों की भौतिक प्रगति 2003–04			कुल उपलब्धि			सिंचित क्षेत्र (है0)
							कुल सिंचित	लाईनिंग	टैंक	कुल सिंचित	लाईनिंग	टैंक	कुल सिंचित	लाईनिंग	टैंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13		14
1 [illegible]																
एआईबीपी	1	[illegible]	रिखणीखाल	4.68000	0.43000	5.11000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
एआईबीपी	2	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	3.42000	3.42000	0.000	0	0	0.700	0	0	0.700	0	0	4.200
एआईबीपी	3	[illegible]	रिखणीखाल	3.00000	0.15000	3.15000	0.000	0	0	0.200	0	1	0.200	0	1	2.600
एआईबीपी	4	[illegible]	रिखणीखाल	1.35000	0.52000	1.87000	0.000	0	0	0.350	0	0	0.350	0	0	2.100
एआईबीपी	5	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	1.40000	1.40000	0.000	0	0	0.200	1	0	0.200	0	1	2.000
एआईबीपी	6	[illegible]	रिखणीखाल	3.00000	0.35000	3.35000	0.000	0	0	0.650	0	0	0.650	0	0	3.900
एआईबीपी	7	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	2.49000	2.49000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
एआईबीपी	8	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	5.23000	5.23000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
एआईबीपी	9	[illegible]	रिखणीखाल	0.22000	1.58000	1.80000	0.000	0	0	0.350	0	0	0.350	0	0	2.100
एआईबीपी	10	[illegible]	रिखणीखाल	1.64000	0.00000	1.64000	0.000	0	0	0.300	0	0	0.300	0	0	1.800
एआईबीपी	11	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	1.79000	1.79000	0.000	0	0	0.300	0	1	0.300	0	1	2.600
एआईबीपी	12	[illegible] विस्तार	रिखणीखाल	1.84000	0.73000	2.57000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
एआईबीपी	13	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	1.75000	1.75000	0.000	0	0	0.300	0	1	0.300	0	1	2.600
एआईबीपी	14	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	3.47000	3.47000	0.000	0	0	0.300	0	1	0.300	0	1	2.000
एआईबीपी	16	[illegible]	रिखणीखाल	0.00000	2.89000	2.89000	0.000	0	0	0.450	0	0	0.450	0	0	2.700
		योग —		15.7300	25.3800	41.11000	0.000	0	0	7.200	0	5	7.200	0	5	47.200

2 पेंड्रा																
एआईबीपी	1	सिरसीनवाद	दुगदुआ	2.80000	6.30000	9.10000	0.588	0	0	1.204	0	0	1.704	0	0	10.224
एआईबीपी	2	सिमगदीह	दुगदुआ	0.73000	1.33000	2.05000	0.405	0	0	0.900	0	0	0.405	0	0	2.430
एआईबीपी	3	घोरघा उमरिया	दुगदुआ	0.00000	2.62000	2.62000	0.000	0	0	0.480	0	0	0.480	0	0	2.080
एआईबीपी	4	सिलठी	दुगदुआ	1.30000	1.15000	2.45000	0.478	0	0	0.002	0	0	0.480	0	0	2.800
एआईबीपी	5	बानकोट	दुगदुआ	0.00000	1.30000	1.30000	0.000	0	0	0.345	0	0	0.345	0	0	1.070
एआईबीपी	6	बघमौन	दुगदुआ	0.57000	3.23000	3.80000	0.746	0	0	0.064	0	0	0.810	0	0	4.860
एआईबीपी	7	रामनगरसाली	दुगदुआ	0.60000	2.65000	3.25000	0.000	0	1	0.501	0	1	0.501	0	2	4.000
एआईबीपी	8	डोंगरी	दुगदुआ	1.40000	3.07000	4.47000	0.800	0	1	0.006	0	0	0.806	0	1	5.600
एआईबीपी	9	बरझरी	दुगदुआ	2.40000	3.47000	5.87000	0.800	0	1	0.105	0	0	1.005	0	1	6.830
एआईबीपी	10	[illegible]	दुगदुआ	1.50000	3.50500	3.05000	0.850	0	0	0.290	0	0	0.940	0	0	5.640
एआईबीपी	11	सिरलू	दुगदुआ	1.90000	0.65000	2.55000	0.510	0	0	0.000	0	0	0.510	0	0	3.060
एआईबीपी	12	कानपुर	दुगदुआ	1.83000	1.09000	2.93000	0.670	0	0	0.000	0	0	0.670	0	0	4.020
एआईबीपी	13	कोटरीह	दुगदुआ	1.52000	0.60000	2.12000	0.450	0	0	0.000	0	0	0.450	0	0	2.700
एआईबीपी	14	तोलकुआरी	दुगदुआ	0.50000	1.35000	1.85000	0.360	0	0	0.000	0	0	0.360	0	0	2.160
एआईबीपी	15	डोडरथाना	दुगदुआ	1.71000	1.29000	4.00000	0.400	0	0	0.399	0	0	0.799	0	0	4.794
एआईबीपी	16	कोलेगांव	दुगदुआ	1.28000	1.19000	3.47000	0.775	0	0	0.424	0	0	0.709	0	0	4.254
एआईबीपी	17	[illegible]	दुगदुआ	1.90000	1.43750	5.33750	0.000	0	0	0.333	0	0	1.013	0	0	6.078
एआईबीपी	18	पैरा	दुगदुआ	0.00000	3.14000	3.14000	0.000	0	0	0.572	0	1	0.572	0	1	4.232
एआईबीपी	19	केतरी	दुगदुआ	1.80000	1.08048	2.48848	0.450	0	0	0.056	0	0	0.506	0	0	3.036
एआईबीपी	20	जोगितलाव	दुगदुआ	1.20000	1.29481	1.40481	0.300	0	0	0.000	0	0	0.300	0	0	1.800
				24.910	24.491	60.40000	8.584	0	3	4.775	0	2	13.350	0	5	84.154
3 सिलवाड़																
एआईबीपी	1	[illegible]	जाजगीरबाद	2.80000	1.00000	4.80000	0.345	0	0	0.505	0	0	1.006	0	0	6.000
एआईबीपी	2	[illegible]	जाजगीरबाद	3.00000	1.80000	5.20000	0.582	0	0	0.515	0	0	1.107	0	0	6.642
एआईबीपी	3	[illegible]	जाजगीरबाद	0.00000	8.30000	8.30000	0.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	9.000
एआईबीपी	4	[illegible]	जाजगीरबाद	3.00000	4.80000	7.80000	0.000	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0	8.400

एआईबीपी	5	[illegible]	जयहरीखाल	2.50000	3.20000	5.70000	0.000	0	0	1.200	0	0	1.200	0	0	7.200
एआईबीपी	6	[illegible]	जयहरीखाल	2.00000	3.25000	5.25000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
एआईबीपी	7	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	5.13000	5.13000	0.000	0	0	0.900	0	0	0.900	0	0	6.400
		योग :—		13.500	28.435	41.93500	0.937	0	0	7.170	0	0	8.107	0	0	45.642
4 [illegible]																
एआईबीपी	1	[illegible]	जयहरीखाल	1.37000	1.11000	2.48000	0.000	0	0	0.510	0	0	0.510	0	0	3.060
एआईबीपी	2	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	2.55000	2.56000	0.000	0	0	0.530	0	0	0.530	0	0	3.160
एआईबीपी	3	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	6.08000	6.08000	0.000	0	0	1.875	0	0	1.875	0	0	8.450
एआईबीपी	4	[illegible]	जयहरीखाल	1.41000	2.34000	3.75000	0.250	0	0	0.450	0	0	0.700	0	0	4.200
एआईबीपी	5	[illegible]	जयहरीखाल	2.50000	2.05400	4.55000	0.000	0	0	0.000	0	0	0.800	0	0	5.450
एआईबीपी	6	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	1.88000	1.88000	0.000	0	0	0.316	0	0	0.316	0	0	1.800
एआईबीपी	7	[illegible]	जयहरीखाल	4.62000	3.51000	8.13000	0.200	0	0	1.500	0	0	1.507	0	0	9.000
एआईबीपी	8	[illegible]	जयहरीखाल	0.55000	2.37000	2.92000	0.000	0	0	0.588	0	0	0.588	0	0	3.588
एआईबीपी	9	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	4.14757	4.14757	0.000	0	0	0.800	0	0	0.800	0	0	4.800
एआईबीपी	10	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	5.42700	5.42700	0.00	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
एआईबीपी	11	[illegible]	जयहरीखाल	1.20000	2.59000	3.80000	0.000	0	0	0.800	0	0	0.800	0	0	4.800
एआईबीपी	12	[illegible]	जयहरीखाल	0.10000	1.36000	1.50000	0.000	0	0	0.300	0	0	0.300	0	0	1.800
एआईबीपी	13	[illegible]	जयहरीखाल	0.42000	2.31000	2.73000	0.000	0	0	0.300	0	0	0.300	0	0	3.000
एआईबीपी	14	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	2.74000	2.74000	0.000	0	0	0.300	0	0	0.300	0	0	3.000
एआईबीपी	15	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	2.47000	2.47000	0.000	0	0	0.510	0	0	0.510	0	0	3.050
एआईबीपी	16	[illegible]	जयहरीखाल	0.00000	2.55000	2.55000	0.000	0	0	0.502	0	0	0.502	0	0	3.012
एआईबीपी	17	[illegible]	जयहरीखाल	0.64000	2.03000	2.67000	0.000	0	0	0.605	0	0	0.605	0	0	3.630
एआईबीपी	18	[illegible]	जयहरीखाल	0.47000	1.79000	2.26000	0.000	0	0	0.523	0	0	0.525	0	0	3.138
				13.680	50.105	63.78457	0.450	0	0	11.710	0	0	12.160	0	0	73.914
5 [illegible]																
एआईबीपी	1	[illegible]	[illegible]	1.49000	3.81000	5.30000	0.450	0	0	0.710	0	0	1.160	0	0	6.960

एसआईबीपी	2	[illegible]	एकेश्वर	1.67000	1.73000	3.40000	4.450	0	0	0.350	0	0	0.800	0	0	4.800
एसआईबीपी	3	[illegible]	कल्जीखाल	2.36000	6.48000	8.84000	1.008	0	0	0.760	0	0	1.760	0	0	10.180
एसआईबीपी	4	[illegible]	कल्जीखाल	3.22000	7.86000	11.08000	1.000	0	1	1.300	0	0	2.300	0	1	14.600
एसआईबीपी	5	[illegible]	कल्जीखाल	2.01000	3.18000	5.19000	0.660	0	0	0.840	0	0	0.840	0	0	5.040
एसआईबीपी	6	[illegible]	कल्जीखाल	1.83000	1.78000	3.61000	0.580	0	0	0.320	0	0	0.800	0	0	4.800
एसआईबीपी	7	[illegible]	कल्जीखाल	1.49000	2.60000	4.09000	0.300	0	0	0.560	0	0	0.860	0	0	4.800
		योग :-		14.250	27.450	41.70000	3.700	0	1	4.760	0	0	8.460	0	1	51.560
6 एकेश्वर																
एसआईबीपी	1	[illegible]	एकेश्वर	1.50000	2.18000	3.68000	0.298	0	0	0.290	0	1	0.518	0	1	4.270
एसआईबीपी	2	पाली-1	एकेश्वर	8.80000	2.96000	2.86000	0.158	0	0	0.370	0	0	0.528	0	0	3.800
एसआईबीपी	3	[illegible]	एकेश्वर	1.10000	5.15000	6.65000	0.030	0	0	1.056	0	1	1.056	0	1	7.198
एसआईबीपी	4	पाली-2	एकेश्वर	0.65000	2.49667	3.14667	0.059	0	0	0.384	0	1	0.454	0	1	3.464
एसआईबीपी	5	[illegible]	एकेश्वर	3.50000	7.06667	10.56667	0.010	3	0	1.263	0	0	1.773	0	0	10.659
एसआईबीपी	6	[illegible]	एकेश्वर	1.70000	5.62994	7.32994	0.100	0	0	1.008	0	1	1.108	0	1	7.448
एसआईबीपी	7	[illegible]	एकेश्वर	1.25000	4.36000	5.61000	0.780	0	0	0.170	0	0	0.860	0	0	5.798
एसआईबीपी	8	[illegible]	एकेश्वर	2.10000	6.50000	8.70000	0.510	0	0	1.000	0	1	1.116	0	1	9.856
				13.000	35.620	48.61984	2.370	0	0	5.567	0	5	7.927	0	5	51.562
7 [illegible]																
एसआईबीपी	1	[illegible]	कल्जीखाल	24.24000	5.74000	29.98000	0.000	4	0	0.970	0	1	0.970	4	1	30.620
		योग :-		24.24	5.740	29.98000	0.000	4	0	0.970	0	1	0.970	4	1	30.620
8 [illegible]																
एसआईबीपी	1	[illegible]	[illegible]	11.41000	11.71000	23.12000	0.000	0	0	2.384	0	0	3.250	0	0	19.500
		योग :-		11.41	11.71	23.12000	0.886	0	0	2.384	0	0	3.250	0	0	19.500
9 मिठाई पल्ली																
एसआईबीपी	1	मिठाई पल्ली	[illegible]	6.06000	9.06000	15.12000	0.000	0	0	3.273	0	0	3.273	0	0	19.638
		योग :-		6.06	9.06	15.12000	0.000	0	0	3.273	0	0	3.273	0	0	19.638

10 [illegible]																
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1.80000	12.58340	14.48340	0.000	0	0	2.512	0	0	2.512	0	0	15.872
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	4.31000	9.74000	14.25000	0.000	0	0	2.729	0	0	2.729	0	0	16.974
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	3.07000	3.24000	6.31000	0.000	0	0	1.230	0	1	1.230	0	1	8.180
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	4.83000	2.60000	7.43000	0.000	0	0	1.175	0	1	1.175	0	1	7.620
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	1.58000	2.27000	3.77000	0.000	0	0	0.855	0	0	0.855	0	0	3.930
		योग :-		15.790	30.433	46.22340	0.000	0	0	8.296	0	2	8.296	0	2	51.375
11 [illegible]																
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	3.98000	7.75000	11.15000	1.270	0	1	0.645	0	1	1.915	0	2	15.078
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	2.16000	6.08000	8.24000	1.569	0	0	0.056	0	0	1.569	0	0	8.336
[illegible]	3	[illegible]-1	[illegible]	1.00000	1.06000	2.06000	0.466	0	0	0.000	0	0	0.466	0	0	2.466
[illegible]	4	[illegible]-2	[illegible]	2.50000	2.91000	5.41000	0.058	0	0	0.575	0	0	0.575	0	0	5.850
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	2.00000	0.67000	2.67000	0.495	0	0	0.000	0	0	0.495	0	0	2.670
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	0.61000	3.43062	4.03062	0.675	0	1	0.000	0	0	0.675	0	1	4.856
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	3.00000	7.70000	10.70000	0.250	0	0	1.661	0	0	1.661	0	0	11.466
[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	0.65000	1.67000	2.32000	0.330	0	1	0.000	0	0	0.330	0	1	2.768
				15.510	31.16	46.67062	5.330	0	3	2.935	0	1	6.255	0	4	52.730
12 किमसार																
[illegible]	1	[illegible]		4.31	16.42239	20.73239	0.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	24.000
		योग :-		4.31	16.42239	20.73239	0.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	24.000
13 [illegible]																
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	3.20000	8.80000	12.00000	0.000	0	0	2.404	0	0	2.404	0	0	14.404
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	0.00000	9.89000	9.89000	0.000	0	0	1.920	0	0	1.920	0	0	11.520
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	4.35000	5.27000	9.62000	0.500	0	0	1.500	0	0	2.000	0	0	12.000
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	0.00000	4.79000	4.79000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	4.50000	0.25000	4.75000	0.500	0	0	0.500	0	0	1.000	0	0	6.000
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	5.00000	8.00000	12.00000	0.500	0	0	2.000	0	0	2.500	0	0	15.000

एसईबीसी	7	जामलीया सिवार	[illegible]	0.00000	2.30000	2.30000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
एसईबीसी	8	कोड सिकन्दपुर	[illegible]	0.00000	6.70000	6.70000	0.000	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	7.000
एसईबीसी	9	नन्दुरी	[illegible]	0.00000	4.74000	4.74000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
एसईबीसी	10	सिकन्दरपुरी सिवान	[illegible]	0.00000	9.60000	9.60000	0.000	0	0	6.000	0	0	2.000	0	0	12.000
एसईबीसी	11	कुल्हई	[illegible]	7.80000	2.13000	9.93000	1.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0	0	12.000
			योग	27.400	58.870	86.27000	3.500	0	0	14.124	0	0	17.624	0	0	105.74
14 गरठोला																
एसईबीसी	1	अकेठवाठामा-3	परती	0.00000	4.65000	4.65000	0.000	0	0	3.800	0	0	0.868	0	0	5.160
एसईबीसी	2	ठोठरी	परती	0.00000	4.38700	4.38700	0.000	0	0	0.717	0	0	0.717	0	0	4.302
एसईबीसी	3	केसडाला	परती	1.61000	3.67000	5.48000	0.360	0	0	1.004	0	0	1.064	0	0	6.324
एसईबीसी	4	केसमाला	परती	0.00000	7.31000	7.31000	0.000	0	0	1.273	0	0	1.273	0	0	7.638
एसईबीसी	5	बरू	परती	0.00000	6.25000	6.25000	0.000	0	0	1.254	0	1	1.254	0	1	8.504
एसईबीसी	6	मास्केला	परती	1.15000	4.37000	5.52000	0.102	0	0	0.768	0	0	0.880	0	0	5.760
एसईबीसी	7	महिमाकामना	परती	0.00000	6.10000	6.10000	0.214	0	0	0.936	0	0	1.150	0	0	6.900
एसईबीसी	8	महिमाकमल	परती	1.80000	4.48000	6.29000	[illegible]	0	0	1.050	0	0	1.050	0	0	6.380
एसईबीसी	9	मिकवाल	परती	0.00000	5.98000	5.98000	[illegible]	0	0	1.109	0	0	1.109	0	0	6.654
एसईबीसी	10	पाली	परती	0.00000	5.60000	5.60000	0.000	0	0	1.340	0	0	1.340	0	0	8.076
एसईबीसी			योग	4.560	53.257	57.81700	0.746	0	0	10.027	0	1	10.773	0	1	65.438
15 बगड़-बरिला																
एसईबीसी	1	बगड़-बरिला	परती	1.00000	7.45000	8.45000	0.240	0	0	[illegible]	0	0	1.580	0	0	9.300
एसईबीसी	2	लम्बुरी	परती	0.00000	6.50000	6.50000	0.060	0	0	1.180	0	0	1.180	0	0	7.060
एसईबीसी	3	किकोली	परती	0.57000	5.42000	5.99000	0.250	0	0	0.820	0	0	1.070	0	0	6.420
एसईबीसी	4	कुवा	परती	0.00000	3.00000	3.00000	0.000	0	0	0.534	0	0	0.534	0	0	3.294
एसईबीसी	5	मकबोली	परती	0.00000	4.31000	4.31000	0.000	0	0	0.987	0	0	0.987	0	0	5.442
एसईबीसी	6	[illegible]	परती	0.57000	4.74000	5.31000	0.150	0	0	0.900	0	0	1.050	0	0	6.390

एचआईबीपी	7	साकर	पानी	0.60000	5.21000	5.89300	0.250	0	1	0.828	0	0	1.070	0	1	7.220
एचआईबीपी	8	[illegible]	पानी	0.67000	4.85000	5.52000	0.150	0	0	0.958	0	0	1.100	0	0	6.600
		योग :-		3.600	41.843	45.34300	1.040	0	1	7.431	0	0	8.471	0	1	51.626
16 दैहोण																
एचआईबीपी	1	देहोण	काल्पीमाल	4.00000	14.30000	18.30000	0.000	0	0	3.200	0	1	3.300	0	1	20.000
एचआईबीपी	2	सांगुडा	काल्पीमाल	5.11000	3.85000	8.00000	0.000	0	0	1.580	0	0	1.580	0	0	9.480
एचआईबीपी	3	गर्डाड	काल्पीमाल	8.00000	7.59000	7.99000	0.200	0	0	1.300	0	0	1.500	0	0	9.900
एचआईबीपी	4	ब्योमपुर	काल्पीमाल	8.00000	2.90000	2.52000	0.500	0	0	0.500	0	0	0.000	0	0	3.000
एचआईबीपी	5	चौडी	काल्पीमाल	1.33000	2.54000	3.87000	0.000	0	0	0.855	0	0	0.895	0	0	4.880
एचआईबीपी	6	चौवर	काल्पीमाल	0.00000	2.86000	2.86000	0.000	0	0	0.455	0	0	0.855	0	0	2.979
एचआईबीपी	7	गोदी	काल्पीमाल	0.00000	1.21000	1.71000	0.000	0	0	0.380	0	0	0.780	0	0	1.680
एचआईबीपी	8	पञ्चानौली	काल्पीमाल	0.00000	3.93000	3.93000	0.000	0	0	0.670	0	0	0.070	0	0	4.020
एचआईबीपी	9	सिंहवानी	काल्पीमाल	0.00000	1.80000	1.80000	0.000	0	0	0.295	0	0	0.295	0	0	1.779
एचआईबीपी	10	कौटली	द्वारिकाल	0.00000	2.37000	2.37000	0.000	0	0	0.382	0	0	0.382	0	1	2.497
एचआईबीपी	11	धवलपट्टी	द्वारिकाल	4.00000	8.05000	12.05000	0.000	0	0	2.337	0	1	2.337	0	1	13.822
एचआईबीपी	12	कीचकुल्वल	द्वारिकाल	4.50000	7.14000	11.64000	0.000	0	0	2.000	0	0	1.300	0	0	12.000
एचआईबीपी	13	[illegible]	द्वारिकाल	5.00000	3.18000	8.90000	0.000	0	0	1.800	0	0	1.500	0	0	9.600
एचआईबीपी	14	डागर	द्वारिकाल	5.80000	5.70000	11.05000	0.000	0	0	1.280	0	0	1.280	0	0	7.880
एचआईबीपी	15	धनियार	द्वारिकाल	0.00000	2.99000	2.99000	0.000	0	0	0.510	0	0	0.010	0	0	3.000
				30.5400	71.0900	101.73000	0.200	0	0	16.829	0	3	17.029	0	3	104.57
17 काण्डा																
एचआईबीपी	1	जन	कैवीडल	1.24000	8.21000	9.35000	0.400	0	0	1.200		0	1.600	0	0	9.600
एचआईबीपी	2	सेवा	शिवलीयाल	0.54000	2.08400	2.62400	0.000	0	1	0.300		0	0.300	0	1	2.600
एचआईबीपी	3	सिंहपुर	शिवलीयाल	1.00000	2.55000	3.63000	0.100	0	1	0.340		0	0.450	0	1	3.500
एचआईबीपी	4	धमनार	शिवलीयाल	1.64000	4.75000	5.79000	0.500	0	0	0.500		0	1.000	0	0	6.000

एमईबीपी	5	[illegible]	[illegible]	1.00000	4.98000	5.98000	0.000	0	0	3.000		0	1.000	0	0	4.000
एमईबीपी	6	[illegible]	[illegible]	0.00000	3.30000	3.30000	0.000	0	0	0.300		1	0.300	0	1	2.000
एमईबीपी	7	[illegible]	[illegible]	0.00000	4.35000	4.35000	0.340	0	0	0.500		0	0.900	0	0	5.400
एमईबीपी	8	[illegible]	[illegible]	1.25000	3.86000	5.11000	0.000	0	0	1.000		0	1.000	0	0	6.000
एमईबीपी	9	[illegible]	[illegible]	0.00000	5.20545	5.20545	0.000	0	0	0.650		1	1.000	0	1	6.600
एमईबीपी	10	[illegible]	[illegible]	1.50000	0.90458	2.20458	0.000	0	0	0.600		0	0.600	0	0	3.600
एमईबीपी	11	[illegible]	[illegible]	0.00000	1.00000	1.00000	0.300	0	0	0.500		0	0.800	0	0	4.800
एमईबीपी	12	[illegible]	[illegible]	1.31000	0.89000	2.20000	0.300	0	0	0.300		0	0.600	0	0	3.600
एमईबीपी	13	[illegible]	[illegible]	1.22000	0.86000	1.08000	0.500	0	0	0.200		0	0.700	0	0	4.200
एमईबीपी	14	[illegible]	[illegible]	1.56000	1.00000	2.56000	0.500	0	0	[illegible]		0	0.500	0	0	3.000
		योग :—		12.130	44.964	57.09409	3.790	0	2	[illegible]		2	10.750	0	4	67.700
18 पुन्देल																
एमईबीपी	1	[illegible]	[illegible]	5.80000	2.95000	8.75000	[illegible]	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	9.000
एमईबीपी	2	[illegible]	[illegible]	2.11000	2.29000	4.40000	[illegible]	0	0	0.750	0	0	0.750	0	0	4.500
एमईबीपी	3	[illegible]	पी.डी.	3.70000	1.55000	5.25000	[illegible]	0	0	0.945	0	0	0.945	0	0	5.670
एमईबीपी	4	[illegible]	पी.डी.	3.54000	4.92000	8.46000	[illegible]	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	9.600
एमईबीपी	5	[illegible]-1	पी.डी.	2.80000	1.89000	4.69000	[illegible]	0	0	0.800	0	0	0.800	0	0	4.800
एमईबीपी	6	[illegible]-2	पी.डी.	0.90000	6.72000	7.62000	0.000	0	0	1.200	0	0	1.200	0	0	7.200
एमईबीपी	7	[illegible]	पी.डी.	0.00000	2.06000	2.06000	0.000	0	0	0.350	0	0	0.350	0	0	2.100
एमईबीपी	8	[illegible]	[illegible]	0.00000	2.00000	2.00000	0.000	0	0	[illegible]	0	0	0.350	0	0	2.100
एमईबीपी	9	[illegible]	[illegible]	1.80000	[illegible]	2.04000	0.000	0	0	0.350	0	0	0.350	0	0	2.100
एमईबीपी	10	[illegible]	[illegible]	2.40000	0.47000	2.87000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
		योग :—		23.400	24.720	48.12000	0.000	0	0	8.345	0	0	8.345	0	0	50.070
19 [illegible]																
एमईबीपी	1	पी.डी.	[illegible]	2.00000	2.65000	4.65000	0.000	0	0	0.780	0	0	0.780	0	0	4.680

[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	3.83000	4.88000	8.71000	0.000	0	0	1.680	0	0	1.680	0	0	10.080
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	2.67000	12.05000	14.72000	0.000	0	0	2.485	0	0	2.485	0	0	14.910
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	2.61000	6.15000	8.76000	0.000	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	9.600
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	2.88000	4.13000	7.01000	0.000	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	6.600
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	1.87000	9.96000	11.83000	0.000	0	0	1.950	0	0	1.950	0	0	11.700
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	2.30000	2.45000	4.75000	0.000	0	0	0.800	0	0	0.800	0	0	4.800
[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	4.26000	8.05000	12.31000	0.000	0	0	2.000	0	1	2.000	0	1	12.000
[illegible]	9	[illegible]	[illegible]	3.34000	8.52278	11.86278	0.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	12.000
		योग :-		24.98000	58.943	84.60278	0.000	0	0	14.395	0	1	14.395	0	1	87.170
20 [illegible]-3																
[illegible]	1	[illegible]-1	[illegible]	2.94000	3.07826	6.01826	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
[illegible]	2	[illegible]-2	[illegible]	4.00000	4.95000	8.95000	0.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	9.000
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	1.50000	1.48000	2.98000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	2.00000	7.00000	9.00000	0.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	9.000
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	2.00000	3.57000	5.57000	0.400	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	3.20000	2.13000	5.33000	0.200	0	0	0.225	0	0	0.725	0	0	4.350
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	3.68000	5.25000	8.93000	0.750	0	0	0.750	0	0	1.500	0	0	9.000
[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	0.00000	5.07000	5.07000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
[illegible]	9	[illegible]	[illegible]	1.50000	1.47000	2.97000	0.000	0	0	0.500	0	0	0.500	0	0	3.000
[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	1.40000	4.57000	5.97000	0.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	6.000
		योग :-		23.180	38.516	61.69622	1.350	0	0	8.975	0	0	10.225	0	0	61.350
		महायोग :-		322.16000	708.90990	1031.06990	32.773	4	10	150.106	0	23	182.878	4	33	1147.67

<u>नत्थी 'ट'</u>

(देखिये अता0 प्र0 सं0–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

<u>विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–57 का संलग्नक।</u>

(1) जेल जाने वाले/गोली खाने वाले/लाठी खाने वाले आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण किया जाय।

(2) आन्दोलनकारियों को नौकरी में 15 वर्ष आयु की छूट दी जाय।

(3) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जहाँ 10 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव की सरकार की खबर है, दो प्रतिशत नौकरियां वे आन्दोलनकारियों को दें, सरकार सुनिश्चित करे।

(4) आँचल दूध के राज्य भर में 200 स्टाल खोले जायें व वे सभी स्टाल आन्दोलनकारियों को दिये जायें।

(5) शिक्षा मंत्री श्री नरेन्द्र भण्डारी की घोषणा है 1305 शिक्षक के पद खाली हैं, शिक्षक योग्य आन्दोलनकारियों को इसमें 100 नौकरियां दी जायें।

(6) सरकार सम्पूर्ण राज्य में जिला प्रशासन व नगरपालिकाओं की मदद से "आन्दोलनकारी मार्केट" खुलवायें व 1000 युवकों को ये दूकानें एलॉट कर, रोजगार का अवसर दिया जाय।

(7) तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में इनके आरक्षण का प्रतिशत 20 प्रतिशत हो।

(8) खेती करने योग्य आन्दोलनकारियों को 'जमीनों के पट्टे' दिये जायें, जैसा कि आजादी के आन्दोलनकारियों को सम्मान दिया गया था।

(9) सरकार 'आन्दोलनकारी पहचान कार्ड' जारी करे, जिसमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा/चिकित्सा व बसों में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था हो।

(10) ये आन्दोलकारी पहचान कार्ड स्वाधीनता सेनानी कार्ड तर्ज पर हो व इन्हें सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समारोह में प्रशासन 'सम्मानित ढंग से आमंत्रित किये जाने हेतु कदम उठाये।

(11) सरकार 'राजाज्ञा' जारी करे, जिन आन्दोलनकारियों के पास में पहचान पत्र हों, उन्हें विधान सभा/सचिवालय में जाने की रोक–टोक ना हो व ये आन्दोलकारी जब कार्यालयों में जायें तो सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कुर्सी से उठकर, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें।

(12) राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में सरकार 100 कमरों का 'आन्दोलनकारी विश्राम गृह' बनाये, ताकि अपने व जनता के कामों से राजधानी आने वाले आन्दोलनकारियों को भटकना ना पड़े व वे सम्मान के साथ, राजधानी में रहकर अपनी समस्याओं का निदान कर सकें।

(13) आन्दोलनकारियों में अनेक सैनिक/कर्मचारी/प्रशासक/कलाकार/साहित्यकार/बुद्धिजीवी शामिल हैं, उन सबका सहयोग, सरकार इन्हें विभिन्न बोर्डों/परिषदों में मनोनीत कर लें।

(14) सचिवालय की इमारतों के नाम आन्दोलनकारियों के नाम पर रखे जायें।

(15) मसूरी में एक शानदार/अजीब 'शहीद मीनार' बनाई जाय, जिसके लिए देश भर के प्रमुख वास्तुकारों/भवन निर्माताओं की सहायता ली जाय। यह मीनार ऐतिहासिक होनी चाहिए, जो पीसा की मीनार, चार मीनार और कुतुब मीनार से भी सुन्दर हो, जहां सदियों तक लोग आयें व अपने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करें।

(16) सरकार आन्दोलनकारियों के रोजगार के लिए तत्काल स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राईव शुरू करे व इस रोजगार अभियान में सभी योग्य आन्दोलनकारियों की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करे।

<u>गत्थी 'ठ'</u>

(देखिये अता0 प्र0 सं0–80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

<u>विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–80 के उत्तर का संलग्नक।</u>

नवसृजित तहसील का नाम	केन्द्र/मुख्यालय का नाम
1. बेरीनाग	बेरीनाग
2. लोहाघाट	लोहाघाट
3. पाटी	पाटी
4. पूर्णागिरी	टनकपुर
5. बाजपुर	बाजपुर
6. जसपुर	जसपुर
7. गदरपुर	गदरपुर
8. बेतालघाट	बेतालघाट
9. कालाढूंगी	कालाढूंगी
10. रामनगर	रामनगर
11. कालसी	कालसी
12. त्यूनी	त्यूनी
13. जखोली	जखोली
14. सोमेश्वर	सोमेश्वर
15. धनौल्टी	धनौल्टी
16. सतपुली	सतपुली
17. जाखणीधार	जाखणीधार
18. चिन्यालीसौड़	चिन्यालीसौड़
19. मोरी	मोरी
20. कांडा	कांडा
21. द्वाराहाट	द्वाराहाट
22. चौखुटिया	चौखुटिया
23. सल्ट	मौलेखाल
24. भनौली	गरुड़बाँज
25. जैंती	जैंती
26. चौबट्टाखाल	चौबट्टाखाल
27. यमकेश्वर	यमकेश्वर
28. लालकुँआ	लालकुँआ
29. गरुड़	गरुड़

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74–75 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–61 का संलग्नक।

अवशेष ग्रामीण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है:–

पुनर्वास कार्य योजना:–

1.	वीरभद्र, पशुलोक, देहरादून एवं अन्य स्थल	25
2.	पथरी ब्लॉक, हरिद्वार	17
3.	पथरी रोड (सुमन नगर), हरिद्वार	124
4.	शिवालिक नगर, हरिद्वार एवं अन्य स्थल	41
5.	निजी भूमि क्रय/अध्याप्त कर पुनर्वासित किया जाना है	400
6.	बचे परिवार जिन्हें न्यूनतम नकद प्रतिकर देकर पुनर्वासित किया जाना है	256
	योग:–	863

(अ) पुरानी टिहरी शहर के समस्त पात्र विस्थापितों को क्रमशः नई टिहरी, केदारपुरम्, नेहरूपुरम् एवं ऋषिकेश कालोनी एवं अजबपुरकलां, देहरादून में भूमि/भवन आवंटित कर पुनर्वासित किया गया है।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र के पात्र विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	पुनर्वास स्थल का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	भानियावाला	1066.54
2.	रायवाला	307.04
3.	बंजारावाला	199.97
4.	देहराखास	109.24
5.	अटकफार्म	100.44
6.	[illegible]	54.01
7.	वेस्ट होप टाउन	12.90
8.	सेन्ट्रल होप टाउन	41.86
9.	केदारवाला	10.96
10.	पशुलोक	680.00
11.	कुआंवाला	58.96
12.	रानीपुर रोड (शिवालिक नगर)	66.00
13.	पथरी रोड (सुमन नगर)	674.02
14.	पथरी ब्लॉक भाग–1	912.00
15.	पथरी ब्लॉक भाग–2	950.00
16.	पथरी ब्लॉक भाग–3 (पूर्वी/पश्चिम)	1575.00
17.	पथरी ब्लॉक भाग–4	125.00
	कुल योग:–	7481.970

नत्थी 'द'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 110 पर)

विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र0	2001–02		2002–03		2003–04	
सं0	ग्राम/तोक	विकासखण्ड	ग्राम/तोक	विकासखण्ड	ग्राम/तोक	विकासखण्ड
01	पीपलाली	फकोट	पाली	कीर्तिनगर	हिनवै	चम्बा
02	कुखुई	फकोट	धारकोट	कीर्तिनगर	चौंडकोट	चम्बा
03	गैरीरा	फकोट	पिपोली मल्ली	कीर्तिनगर	डोभाल गांव	चम्बा
04	पिपुल	फकोट	धार [illegible]	कीर्तिनगर	भोजबा	जाखणीधार
05	पलेगांव	फकोट	सिरोल गांव	कीर्तिनगर	टिहूली	जाखणीधार
06	सिलकणी	फकोट	डांगी	प्रतापनगर	धारा	जाखणीधार
07	डांगी	प्रतापनगर	कैलईगांव	फकोट	सम्पराल गांव	चम्बा
08	बाली [illegible]	देवप्रयाग	पुरखमाला	फकोट	खाड़ी [illegible]	जाखणीधार
09	सिमलासू	देवप्रयाग	धारकोट (रौंत)	फकोट	हलियाल गांव	प्रतापनगर
10	[illegible]	भिलंगना	बरली कमूरी	फकोट	[illegible]	जौनपुर
11	[illegible]	भिलंगना	[illegible]	फकोट	[illegible] गांव	जौनपुर
12	[illegible]	भिलंगना	नाई	फकोट	[illegible]	जौनपुर
13	[illegible]	भिलंगना	[illegible]	जौनपुर	[illegible]	थौलधार
14	[illegible]	थौलधार	[illegible]	थौलधार	[illegible]	थौलधार
15	[illegible]	थौलधार	[illegible]	थौलधार	[illegible]	थौलधार
16	[illegible]	थौलधार	[illegible]	कीर्तिनगर	[illegible]	जौनपुर
17	[illegible]	कीर्तिनगर	[illegible]	जाखणीधार	[illegible]	कीर्तिनगर
18	[illegible]	कीर्तिनगर	[illegible]	जाखणीधार	[illegible] कोटी [illegible]	जौनपुर
19	[illegible]	चम्बा	[illegible] गांव	चम्बा	[illegible]	थौलधार
20	[illegible]	चम्बा	[illegible]	भिलंगना	[illegible]	थौलधार
21	[illegible]	चम्बा	[illegible]	थौलधार	कोट	जाखणीधार
22	[illegible]	चम्बा	[illegible]	थौलधार	[illegible]	चम्बा
23	[illegible]	जाखणीधार	[illegible]	भिलंगना	[illegible]	नरेन्द्रनगर
24	[illegible]	थौलधार	[illegible]	थौलधार	[illegible]	नरेन्द्रनगर
25	–	–	[illegible]	थौलधार	[illegible]	कीर्तिनगर
26	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर	[illegible]	जौनपुर
27	–	–	[illegible] गांव	चम्बा	[illegible]	देवप्रयाग
28	–	–	कोटी [illegible]	चम्बा	[illegible]	देवप्रयाग
29	–	–	[illegible]	चम्बा	[illegible]	भिलंगना
30	–	–	[illegible]	नरेन्द्र नगर	[illegible]	भिलंगना
31	–	–	[illegible]	भिलंगना	[illegible] गांव	भिलंगना
32	–	–	[illegible] गांव	चम्बा	[illegible]	कीर्तिनगर
33	–	–	[illegible]	चम्बा	[illegible]	जाखणीधार
34	–	–	[illegible] गांव	भिलंगना	[illegible] गांव	नरेन्द्रनगर
35	–	–	[illegible]	जौनपुर	[illegible]	देवप्रयाग
36	–	–	[illegible]	जौनपुर	[illegible]	देवप्रयाग
37	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर	[illegible]	देवप्रयाग
38	–	–	[illegible]	जाखणीधार	[illegible]	देवप्रयाग
39	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर	[illegible]	नरेन्द्रनगर
40	–	–	[illegible] गांव	चम्बा	[illegible] गांव	नरेन्द्रनगर

41	–	–	बाग	देवप्रयाग	[illegible]	नरेन्द्रनगर
42	–	–	पुण्डियाणा	देवप्रयाग	[illegible] गांव	नरेन्द्रनगर
43	–	–	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर
44	–	–	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर
45	–	–	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर
46	–	–	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर
47	–	–	–	–	[illegible]	नरेन्द्रनगर
48	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
49	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
50	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
51	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
52	–	–	–	–	[illegible] गांव	जौनपुर
53	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
54	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
55	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
56	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
57	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
58	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
59	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
60	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
61	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
62	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
63	–	–	–	–	[illegible]	भिलंगना
64	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
65	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
66	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
67	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
68	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
69	–	–	–	–	[illegible]	चम्बा
70	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
71	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
72	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
73	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
74	–	–	–	–	[illegible]	भिलंगना
75	–	–	–	–	[illegible]	भिलंगना
76	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
77	–	–	–	–	[illegible]	थौलधार
78	–	–	–	–	[illegible]	चम्बा
79	–	–	–	–	[illegible]	जाखणीधार
80	–	–	–	–	[illegible]	जाखणीधार
81	–	–	–	–	[illegible]	देवप्रयाग
82	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
83	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर
84	–	–	–	–	[illegible]	जौनपुर

नत्थी 'र'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 117 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–164 का संलग्नक

क्लस्टर: कफल्ना (सेरा)

क्र0 सं0	योजना का नाम	सिंचित क्षेत्र	व्यय की गई धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4
1.	कफलना सेरा	18.000	17.000
2.	बैल्डोगी	3.000	3.000
3.	पण्डरगांव	2.544	2.340
4.	कण्डियालगांव	6.600	5.23933
5.	कण्डियालगांव	6.293	4.63109
6.	महरगांव मल्लाड़ी	6.090	3.39504
	योग:–	42.527	35.605
(1) क्लस्टर : गाजफ			
1.	मयफ	6.158	5.330
2.	पणसूत	5.340	4.48012
3.	खरोली	2.684	2.160
4.	रमोलगांव	5.266	4.540
5.	सिलवालगांव	4.885	4.260
6.	सिलवालगांव	5.200	5.170
7.	सिलवालगांव	5.885	4.670
8.	खोत	5.683	5.050
9.	हुलियाण	3.880	3.270
10.	खोलगढ	2.825	2.500
11.	खोलगढ	2.825	2.500
12.	धोलडावी	2.720	2.610
	योग:–	53.351	46.530

पी0एस0यू0पी0(आर0ई0) 3 विधा0/350–18–09–2006–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीसोग्राफी)।